ायोदश माला, खंड 25, अंक 31

सोमवार, 6 मई, 2002
16 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 25, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 31, सोमवार, 6 मई, 2002/16 वैशाख, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 561, 562 और 564	1-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 563 और 565 से 580	27-59
अतारांकित प्रश्न संख्या 5922 से 6095	59-288
सभा पटल पर रखे गए पत्र	288
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
राष्ट्रीय पर्यटन नीति	
श्री जगमोहन	290
कार्य मंत्रणा समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	295
दिल्ली में सी.एन.जी. की कम आपूर्ति और सार्वजनिक परिवहन के किराए में वृद्धि की संभावना के बारे में	299-317
महाराष्ट्र के नागपुर, उस्मानाबाद और वर्धा जिलों के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कथित शेयर घोटाले के बारे में	330-335
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पैकेटों पर अलग-अलग पहचान चिह्न दर्शाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयश्री बैनर्जी	335
(दो) गुजरात के भरुच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उन लोगों को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता जिनकी भूमि उद्योगों की स्थापना के लिए अधिग्रहीत की गई है	
श्री मनसुखभाई डी० वसावा	336
(तीन) अहमदाबाद और दिल्ली के बीच दिन में और अधिक उड़ान शुरु किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी	336
(चार) उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी में औषधीय पौध अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती मिनाती सेन	336

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रनाथ सिंह	337
(छह) हरियाणा में फतेहाबाद और सिरसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर बाईपास का अविलम्ब निर्माण कराए जाने की आवश्यकता	
डा. सुशील कुमार इन्दौरा	337
(सात) तमिलनाडु में पित्चवरम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ई० पोन्नुस्वामी .	338
(आठ) मध्य प्रदेश में सागर में बीना नदी सिंचाई परियोजना के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	339
(नौ) मध्य प्रदेश में मैहर रेलवे स्टेशन पर ज्ञानगंगा, कामायनी और गंगा-कावेरी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुन्दर लाल तिवारी . .	339
पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक—पुर:स्थापित .	339-344
बहुराज्य सहकारी सोसायटी विधेयक—पारित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शिवराज वि० पाटील .	348
श्री पी०एस० गढ़वी	359
श्री मोइनुल हसन	360
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	365
श्री मणि शंकर अय्यर .	368
डा० रामकृष्ण कुसमरिया .	373
श्री एच०डी० देवगौडा.	374
डा० वी० सरोजा .	378
श्री खारबेल स्वाईं .	381
श्री धर्म राज सिंह पटेल .	386
श्री के०एच० मुनियप्पा	387
श्री गिरधारी लाल भार्गव .	388
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह . .	405

विषय	कॉलम
श्री थावरचन्द गेहलोत .	410
श्री प्रबोध पण्डा .	414
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन .	416
डा० संजय पासवान	419
श्री के०पी० सिंह देव .	420
श्री रामदास आठवले	422
श्री पी०एच० पांडियन .	424
श्री अजित सिंह	427
खण्ड 2 से 144 और 1	435
पारित करने के लिए प्रस्ताव .	448
आधे घंटे की चर्चा	
बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	389
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी	394

लोक सभा

सोमवार, 6 मई, 2002/16 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में नहीं, शून्य काल में उठाना।

[अनुवाद]

प्रश्न सं० 561 (1) श्री इकबाल अहमद सरडगी. . .

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

विमानों की खरीद

+
***561. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपने विमान बेड़े को बदलने के लिए एयरबस इंडस्ट्रीज के साथ 43 विमानों की आपूर्ति हेतु 10,089 करोड़ रुपए का सौदा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोइंग से प्राप्त निवेदित मूल्य से यह बोली लगभग 10.15 प्रतिशत कम थी;

(ग) क्या यह इंडियन एयरलाइंस द्वारा अब तक की गई सबसे बड़ी खरीद है;

(घ) यदि हां; तो इस बड़ी खरीद के लिए वित्त पोषण के स्रोतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये विमान कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) इंडियन एरयलाइंस के निदेशक मंडल ने दिनांक 27.03.2002 को हुई अपनी बैठक में 43 विमानों की खरीद संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसकी निवल परियोजना लागत 10,089 करोड़ रुपए की है। इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ग) क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, अतः फिलहाल इस बारे में कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।

तथापि, इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमानों की पिछली बड़ी खरीद निम्न प्रकार थी :-

- वर्ष 1989 और 1990 में 1238.37 करोड़ रुपये की अनुमोदित परियोजना लागत से 19ए-320 विमान खरीदे गए।
- वर्ष 1993 तथा 1994 में 958.78 करोड़ रुपये की मूल अनुमोदित परियोजना लागत से 12ए-320 विमान खरीदे गए।

(घ) इस बारे में अंतिम फैसला हो जाने पर फंड की व्यवस्था के उपाय किए जाएंगे।

(ङ) चूंकि हवाई जहाज खरीदने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। प्रस्तावित एयरक्राफ्ट के इन्डक्सन का इस स्तर पर प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स के विदेशक मंडल ने 43 विमानों की खरीद संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उन विमानों की संख्या कितनी है जो अब पुराने हो गए हैं, कितने समय से उन्हें प्रयोग में लाया जा रहा है, इनमें से प्रत्येक विमान की औसत आयु कितनी है तथा क्या पुराने विमानों की वजह से इंडियन एयरलाइंस को वर्ष 2000-2001 के दौरान 270 क्रारोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट्स की औसत आयु का विवरण मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। हमारे पास सात ए-300 एयरक्राफ्ट हैं, उनकी औसत आयु 20 साल है, एयरबस-320 की औसत आयु दस साल सात महीने है, कुल 11 बोइंग-737 हैं, जिनकी औसत आयु 20 साल है और डोनियर विमान तीन हैं, जिनकी औसत आयु 16 साल है। कुल मिलाकर हमारे पास इस समय 57 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनकी औसत आयु 14 साल है।

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हज तीर्थयात्रा के दौरान, विभिन्न राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से आए 400 हजयात्री जब 14 फरवरी, 2002 को अपने पासपोर्ट टिकट आदि के साथ दिल्ली पहुंचे तो एयर इंडिया ने उन्हें हवाई यात्रा की अनुमति नहीं दी तथा उन्हें वापस लौटा दिया। यदि हां, तो क्या विमान की कमी थी अथवा वह मुख्य कारण क्या था विसकी वजह से, इन तीर्थयात्रियों के पास हज समिति की विधिवत् सिफारिश तथा पासपोर्ट और टिकट भी होने के बावजूद उन्हें हवाई यात्रा की अनुमति नहीं दी गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि हजयात्रियों को भविष्य में परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : चूंकि मूल सवाल विमानों की पर्चेज से सम्बन्धित है इसलिए यह प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि इस साल हज आपरेशन इतना अच्छा हुआ है, जितना पहले कभी नहीं हुआ। इस साल 98 प्रतिशत आन टाइम परफार्मेंस हुआ है। चूंकि मूल सवाल से यह सम्बन्धित नहीं है इसलिए मैं विस्तार से इसका जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको अलग से इसकी जानकारी भिजवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, समाचारपत्रों में खबर छपी थी कि यदि इंडियन एयरलाइंस ने एक और विमान की व्यवस्था कर ली होती तो तीर्थयात्रियों को जाने दिया गया होता. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री इकबाल अहमद, यद्यपि आपका अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी उन्होने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, यह प्रश्न विशिष्ट है। इस प्रश्न के भाग (ख) में पूछा गया है कि ''क्या बोइंग से प्राप्त निवेदित मूल्य से यह बोली लगभग 10-15 प्रतिशत कम थी"। माननीय मंत्री का कहना है कि "यह प्रक्रिया में है।" मुझे उनके द्वारा यह बताने में कोई नुकसान नहीं दीखता।

एक दूसरी बात है। क्या मंत्रालय की योजना पट्टे पर विमान लेने की है? वे पहले ही चार-पांच विमान पट्टे पर ले चुके हैं। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया विमान पट्टे पर ले रहे हैं। क्या उनकी योजना और विमान लेने की है? दूसरा पहलू यह है कि एक विमान कम्पनी सिंगापुर एयरलाइन्स तथा प्रेमसोकी नामक एक अन्य कम्पनी पट्टे पर विमान देने के लिए सामने आयी है जबकि विशेषज्ञ समिति और सरकार सिर्फ प्रेमसोकी कम्पनी को मदद पहुंचाना चाहती थी बावजूद इसके कि वे मुम्बई और हमारे विमानपत्तनों पर अपने विमान तैनात करने के लिए तैयार नहीं है। वे उनको इस बात पर राज़ी करने तथा वह सौदा उन्हीं को देने का प्रयास कर रहे थे। यह बात कहां तक सच है? इसके पीछे कौन सी चाल है?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : महोदय, मूल प्रश्न नए एयरक्राफ्ट की खरीद के संबंध में है। मैं माननीय सदस्यों को इसकी अलग से जानकारी भिजवा दूंगा। जहां तक नए एयरक्राफ्ट के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, नए एयरक्राफ्ट खरीदने की परमीशन के लिए, इंडियन एयरलाइंस बोर्ड ने इवेल्यूशन कमेटी की अभिशंसा के आधार पर पारित करके सरकार के पास भेजा है। सरकार उस पर विचार कर रही है। जहां तक जहाज लीज पर लेने का संबंध है, इसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत ही हम लीज पर लेते हैं।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, माननीय मंत्री के अपने ही जवाब में विरोधाभास है। उनका जवाब यह बताता है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। किन्तु वह अब कहते हैं कि खरीदने की अनुमति दी गयी थी।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न लीज के संबंध में नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, मैं एक अलग बात पूछ रहा हूं। आप हमारा संरक्षण कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पट्टे के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : पट्टा दूसरा प्रश्न है। मरा मुख्य प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने स्वीकृति दी है अथवा नहीं। माननीय मंत्री का लिखित वक्तव्य यह है कि "सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है और इसलिए अनुपूरक प्रश्न का सवाल पैदा नहीं होता।" किन्तु अब उनका अपना ही वक्तव्य यह बताता है कि सरकार ने एयरलाइनों को खरीद की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : महोदय, मैंने पहले की कहा है कि इंडियन एयरलाइंस बोर्ड ने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है और सरकार उस पर विचार कर रही है लेकिन अभी कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इंडियन एयरलाइंस बोर्ड ने यह निर्णय लिया है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : मैं इस बात को समझता हूं। किन्तु माननीय मंत्री ने अनुपूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने इसको अनुमति दी है. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, वह कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका जवाब पहले ही दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : महोदय, ऐसा यह नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि इसकी एक प्रक्रिया है। स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार के समय एयरबस 320 खरीदी गयी थी, जिस पर बाद में विवाद चला और विवाद के चलते कोई नया जहाज खरीदा नहीं गया। हमने अब वित्त मंत्री जी से विचार-विमर्श किया है और कहा कि इंडियन एयरलाइंस को जहाज खरीदने की अनुमति दी जाए। उन्होंने हमें अब फिर से अनुमति दी है। चूंकि, एयरबस-320 जो पहले खरीदी गयी थी, उसकी जांच चल रही है और उसके बाद डिसइन्वैस्टमेंट की प्रक्रिया इंडियन एयरलाइंस के जरिए जारी हो गई, इसलिए नए जहाज नहीं खरीदे गए। हमने वित मंत्री जी से बात की और वित मंत्री जी ने हमें फिर से इजाजत दी है। हमने कहा कि अगर इंडियन एयरलाइंस को स्ट्रैंथन करना है, तो नए जहाज खरीदने चाहिए। इसलिए हमने इंडियन एयरलाइंस को अनुमति दी कि वे एक्विजीनशन कमेटी की मीटिंग करें। फिर इंडियन एयरलाइंस बोर्ड ने प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : ये कुछ दूसरा ही सिद्वांत प्रस्तुत कर रहे हैं। . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। उन्होंने उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि जब मैं अनुपूरक प्रश्न मंत्री जी से पूछ रहा हूं, तब हमारे देश के पर्यटन मंत्री जी भी सदन में विराजमान हैं। इन दोनों मंत्रालयों का आपस में अटूट संबंध है, इसलिए मेरा आप के माध्यम से आग्रह है कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

महोदय, यह बात सर्वविदित है कि हिमाचल में हवाई जहाज की उड़ानें केवल डोनियर की हैं। यह भी सर्वविदित है कि उसमें फ्यूल कन्जमपशन ज्यादा होने के फलस्वरूप यह सर्वाधिक महंगा है। कुल्लू जाना महंगा है और नेपाल जाना सस्ता है। ऐसी स्थिति में पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं जहां इस प्रकार की हवाई पट्टियां हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और शिमला और पूर्वोत्तर राज्यों की हवाई पट्टियां, जहां केवल डोनियर उतरता है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के कारण हवाई पट्टी का ज्यादा विस्तार नहीं हो सकता है और मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि डोनियर प्लेन ज्यादा पुराने हो चुके हैं इसलिए नये प्लेन खरीदने की आवश्यकता है। मंत्री जी ने स्टेटमेंट भी दिया है कि इस प्रकार के प्लेन खरीदे जायेंगे, जो शार्टर रन-वे पर उतर सकते हैं। शायद, गलती नहीं कर रहा हूं, तो मंत्री जी ने ए.टी.आर. की बात कही थी, जो 50 सीटर है। अखबारों में खबर भी छपी थी और मंत्री जी ने बयान भी दिया था कि अब नए ए.टी.आर. खरीदे जायेंगे। केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश को किराए में सब्सिडी भी नहीं देती है, जबकि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सब्सिडी उपलब्ध है, जिससे सस्ती उड़ानें उपलब्ध हो सकें। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ए.टी.आर. खरीदने पर विचार करेंगे और साथ ही उन हवाई पट्टियों का विस्तार करेंगे, जितना संभव हो सके, ताकि वहां ए.टी.आर. विमान उतर सकें और सस्ती यात्रा उपलब्ध हो सके?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न दो भागों में पूछा है। पहला प्रश्न तो पर्यटन से संबंधित हिमाचल के विकास का मामला है और दूसरा प्रश्न ए.टी.आर. खरीदने का है। हमने पहले ही संसद में इस बात की घोषणा की थी कि हम छ: ए.टी.आर. लीज पर लेने वाले हैं लेकिन ए.टी.आर. वाली कम्पनी ने

उन जहाजों को दूसरी जगह सेल कर दिया। हम लोग आज ही निर्णय करने वाले हैं कि हम छ: ए.टी.आर. लेंगे। पहले तो सिर्फ एक कम्पनी से लेने की बात थी, क्योंकि उनकी मोनोपाली थी। हमने जब संसद में घोषणा की कि हम लेने वाले हैं और माननीय सदस्यों का भी दबाव था कि इस तरह के जहाज लेने चाहिए। वे जानते थे कि हम जहाज लेने वाले हैं, इसलिए उन्होंने रेट 1 लाख 10 हजार से घटाकर सिर्फ 92 हजार कर दिए। हमें नार्थ-ईस्ट के राज्यों ने 35 करोड़ रुपये देने की बात कही है। वह खरीद बहुत महंगी थी, जिस पर कि आपरेशन कास्ट पर लगभग 40 करोड़ रुपये सालाना लास होने वाला था। हम लोगों ने तय किया है कि आज उस पर निर्णय करेंगे। मुझे इस बात की घोषणा करते हुए खुशी है कि ए.टी.आर. की लीज के प्रश्न को हम ठंडे बस्ते में डालने वाले नहीं हैं। नार्थ-ईस्ट और खासकर दूरदराज के ऐसे क्षेत्र जहां हवाई पट्टी लम्बी नहीं है, जिसमें उपाध्यक्ष महोदय, आपका क्षेत्र लक्ष्यद्वीप भी आता है, देहरादून और हिमाचल प्रदेश, जहां पर हवाई पट्टी नहीं बन सकती है और जहां ए.टी.आर. ही ले जा सकते हैं, उस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी कदम उठायेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : जहां हवाई पट्टी का विस्तार संभव है, उसके बारे में भी मंत्री जी बतायें।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : जब वह प्रश्न आएगा, तो पूछिएगा।

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर गौर करना वस्तुत: काफी भयप्रद है कि सिंगापुर एयरलाइंस और अन्य एयरलाइनों की तुलना में जिनके विमानों की औसत आयु करीब चार से पांच साल है आज एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े विश्व के सबसे पुराने विमान बेड़ो में से एक है जिनकी औसत आयु साढ़े सोलह साल है। लम्बे समय से न ही इनका कोई आधुनिकीकरण किया गया है और न ही कोई विमान खरीदा गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, हमें अपने को अलग करके देखने की प्रवृत्ति को रोकना होगा तथा समय-समय पर अपने संबंधित स्टॉफ और विमानों को और प्रभावी बनाना होगा।

आज विमान विनिर्माण उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। विमानों की खरीद का यह सही मौका है, तथापि, यह खरीद अपने अनुकूल शर्तों पर की जानी चाहिए। क्या सरकार ने इन विमानों को लाभप्रद एवं सामाजिक उत्तरदायित्व वाले मार्गों पर तैनात करने की कोई रणनीति बनायी है। खर्च की जा रही इन निधियों हेतु व्यय-आकलन के आधार पर कितनी आमदनी होना सुनिश्चित है।

आज इंडियन एयरलाइंस पुराने विमानों के अतिरिक्त अनेक समस्याओं की शिकार है।

चालू कीमतों के आधार पर मूल उपकरणों और अवसंरचना का भी परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। सेवा के स्तर को भी उन्नत किए जाने की आवश्यकता है ताकि ग्राहक इंडियन एयरलाइंस की ओर लौटें। माननीय मंत्री के पास यह सुनिश्चित करने के लिए क्या योजनाएं हैं कि इंडियन एयरलाइंस टिकाऊ लाभ के रास्ते पर लौटे।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष जी, यह सही है कि हमारे जहाज थोड़े पुराने हैं, लकिन यह इम्प्रेशन सही नहीं है कि सिर्फ इंडियन एयरलाइंस ही दुनिया में पुराने जहाज उड़ा रही है। अब हम बोइंग 737 उड़ा रहे हैं, जिसकी एवरेज ऐज 20 साल के करीब है, लेकिन इससे भी पुराने 500 जहाज अमेरिका और कैनेडा एवं अन्य देशों में उड़ाए जा रहे हैं। क्योंकि उनका इनटीरियर अच्छा होता है, उसमें लोग बैठते हैं, उसकी ऐज कोई नहीं पूछता। हमारे विमान का इनटीरियर थोड़ा खराब है, जिसे अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इनटीरियर थोड़ा खराब होने की वजह से लोगों को लगता है कि हम बहुत पुराने जहाज में बैठ गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विमान की औसत आयु के बारे में बात कर रहा हूं। अमेरिका के सभी विमानों की औसत आयु दस वर्ष से अधिक नहीं है। इसलिए, मेरा इस संबंध में माननीय मंत्री से भिन्न मत है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : आप सूचना सही नहीं दे रहे हैं। आप पहले मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए।. . .*(व्यवधान)* मैंने बताया की अमेरिका में भी इस तरह के जहाज उड़ रहे हैं, यह जानकारी पूरी तरह सही है। इसकी पूरी डिटेल हम माननीय सदस्य को भिजवा देंगे, क्योंकि मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि हम सारे जहाजों के इनटीरियर को अच्छा करवा रहे हैं। अभी इंडियन एयरलाइंस का बिजनेस काफी अच्छा हुआ है। पहले से मार्केट शेयर बढ़ा है। हम पर लोगों का विश्वास पहले से बढ़ा है। एयरलाइंस की जो फलीट है, उस पर बहुत अच्छी संख्या में लोड फैक्टर बढ़ा है, क्योंकि हमने इसमें काफी सुधार किए हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन : उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्री विमान की आयु लम्बी आंकते हैं तो यात्रियों की आयु छोटी हो जाएगी क्योंकि हम अक्सर हवाई यात्रा करते हैं।

महोदय, प्रश्न के भाग 'ख' का कोई सटीक उत्तर नहीं दिया गया जिसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि "यदि हां, तो क्या बोइंग से प्राप्त निवेदित मूल्य से यह बोली लगभग 10-15 प्रतिशत कम थी।" मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 958 करोड़ रुपये की कीमत पर वर्ष 1989 और 1990 में 19 ए-320 विमान तथा वर्ष 1993 और 1994 में 12 ए-320 विमान खरीदते समय, क्या बोली बोइंग से प्राप्त निवेदित मूल्य से लगभग 10-15 प्रतिशत कम थी। मैं इस संबंध में मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष जी, जब जहाज खरीदे जाते हैं तो उसमें 95 प्रतिशत फाइनेंशियल बिड होती है और पांच प्रतिशत टैक्नीकल बिड होती है, क्योंकि दो ही जहाज की कम्पनियां हैं – बोइंग और एयरबस। इनमें करीब-करीब एक जैसी बोली होती है। फाइनेंशियल बिड में इंडियन एयर लाइंस के बोर्ड ने हमें बताया है कि उसकी दस से 15 प्रतिशत बोली कम रही है। उस पर सरकार विचार कर रही है, एग्जामिन कर रही है और उसके बाद निर्णय करने वाली है।

[अनुवाद]

श्री के.ए. सांगतम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जहां तक विमान सेवा का सवाल है पूर्वोत्तर क्षेत्र की बिल्कुल उपेक्षा की गई है। दो राज्यों, सिक्किम और नागालैंड की राजधानियों में विमान सेवा की बात छोड़िये, वहां तो एक विमानपत्तन भी नहीं है। मुझे बताया गया था कि 25 दिसंबर, 2001 तक 50 सीटों की क्षमता वाले चार छोटे विमान वहां उपलब्ध कराये जाएंगे, किन्तु आज तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या पूर्वोत्तर के इन दो राज्यों की राजधानियों में यथाशीघ्र दो विमानपत्तनों का निर्माण करवाया जाएगा तथा क्या 50 सीटों की क्षमता वाले वे चार ए.टी.आर. विमान जिन्हें तैनात करने की बात थी सिर्फ एक स्वप्न ही बने रहेंगे अथवा यह स्वप्न साकार होगा।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष जी, नार्थ-ईस्ट के लिए हम बहुत प्रयत्नशील हैं। हमने गुवाहाटी से बैंकाक फ्लाइट चलाकर इंटरनेशनल फ्लाइट नार्थ-ईस्ट को दी है। मैंने पहले ही एक प्रश्न के जवाब में बताया है कि हम 6 एटीआर लेने वाले हैं जिनमें से 4 नार्थ-ईस्ट के लिए हैं। इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि एटीआर कंपनी ने हमें देने की बजाए, उन्हें किसी को सेल करना ज्यादा बेहतर समझा। वे एयरक्राफ्ट्स उन्होंने किसी एयरलाइन्स को सेल कर दिये। अब हम नार्थ-ईस्ट के लिए और अच्छा एयरक्राफ्ट्स लेने जा रहे हैं। इसमें देर होने वाली नहीं है। पहले एक ही मैन्युफैक्चरर से हम लीज करने वाले थे इसलिए उनकी मॉनोपली थी, लेकिन अब हम लीजिंग कंपनी से एटीआर-320 लेने पर विचार कर रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी नार्थ-ईस्ट की समस्या हल होगी।

श्री अली मोहम्मद नायक : डिप्टी स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्ट जो छोटे जहाज खरीद रहे हैं, क्या उनमें से कारगिल के लिए भी एक जहाज देंगे? दूरस्थ होने के कारण, जिसका रास्ता 6 महीने बंद रहता है और क्या कारगिल के हवाई-अड्डे को एक्सपैंड किया जाएगा या नहीं—यह हम जानना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एयरक्राफ्ट परचेज करने की बात हो रही है, हवाई-अड्डे की नहीं।

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक : जब हिमाचल प्रदेश के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तो उस समय उसे अनुमति दी गयी परन्तु जब यह जम्मू व कश्मीर के संबंध में था तो इसकी अनुमति नहीं दी गयी।

[हिन्दी]

जो छोटे जहाज सरकार खरीद रही है क्या उसमें कारगिल के लिए एक जहाज होगा और क्या कारगिल की हवाई-पट्टी को चौड़ किया जाएगा या नहीं।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, आपको बोलने से पह मुझसे अनुमति लेनी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : कारगिल के हवाई-अड्डे का प्रश मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है इसलि मैं बताना चाहता हूं कि वह पहले से ही काफी बड़ा है, हवाई-जहा चलाने की जरूरत है, हवाई-अड्डा बड़ा करने की जरूरत नहीं है

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वास्तविकता यह है कि इंडिय एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तथ खासतौर पर, इंडियन एयरलाइन्स ने अपने विनिवेश किए जाने के खत के बावजूद अपने कार्यकरण में उल्लेखनीय सुधार किया है जिसे माननी मंत्री स्वयं स्वीकार कर चुके हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक नीतिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार-बाजार तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान खाड़ी और दक्षिण एशिया क्षेत्र में हवाई यात्रियों की संख्या में हुई पर्याप्त बढ़ोतरी का मुकाबला करने के लिए तत्काल ए-320 अथवा किसी अन्य मॉडल के विमान खरीदने के बारे में विचार करेगी। यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कोई नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। यह सच्चाई है कि यदि स्व० राजीव गांधी की सरकार ने एयरबस-320 विमानों को शामिल नहीं किया होता तो आज इंडियन एयरलाइंस को कोई अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार, वर्ष 1989 से 2002 के दौरान विद्यमान स्थिति यह है कि (क) हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है (ख) खाड़ी तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए एयर इंडिया की उड़ानों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, तथा (ग) हवाई यात्रियों के परिचालन के लिए समय पर विमानों के खरीदने की आवश्यकता है। इसलिए, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार नए विमान खरीदने के लिए विचार करेगी? यदि हां, तो मंत्रिमंडल द्वारा विमान की खरीद के लिए क्या समय निश्चित किया जा रहा है। यदि सरकार नए विमान खरीदने के लिए नहीं सोच रही है तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइंस की विकास दर को संकट में डाला जा रहा है ताकि इस सेक्टर के जल्दी विनिवेश हेतु इसे श्री अरुण शौरी को सौंपा जा सके।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष जी, माननीय दासमुंशी जी ने सही कहा है कि एयरबस-320 जहाज जब खरीदा गया तो वह अच्छा निकला, जो लेटैस्ट मॉडल उस वक्त का था। लेकिन इंडियन एयर-लाइन्स के बोर्ड ने जो निर्णय किया था वह निर्णय बोईंग के लिए किया था। लेकिन सरकार की तरफ से उस निर्णय को पलटकर एयरबस-320 खरीदी गयी।

[अनुवाद]

डा० नीतिश सेनगुप्ता : मैं इंडियन एयरलाइन्स के बोर्ड में था। बोर्ड सदैव निर्णय में संशोधन कर सकता है. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सेनगुप्ता, माननीय मंत्री उनके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। आप उनके जवाब के दौरान हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सर, बोर्ड के निर्णय को पलटकर एयरबस-320 खरीदा गया और जो 19 जहाज खरीदे गये, उस खरीद की जांच सीबीआई कर रही है। एक पीआईएल भी है जो डा. बी. एल. बढेरा नाम के व्यक्ति ने सन् 2000 में दायर की है जिसमें कई आरोप लगाए गए हैं।

सरकार उसका जवाब दे रही है। इसलिए. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या जांच सरकार को नए विमान खरीदने से रोकती है। मैं संसद में काफी भ्रमित हूं। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि चूंकि एयरबस-320 विमान खरीदने से संबंधित जांच चल रही है, इसलिए वे नए विमान नहीं खरीद रहे हैं। क्या यह नीति है?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, श्री दासमुंशी ने बहुत लम्बा क्वैश्चन किया है जिसका जवाब मैने दो लाइन में ही दिया था कि वे फिर बोलने के लिये खड़े हो गये। मेरा इरादा उनके सवाल को टालने का नहीं है। मैं थोड़ा विस्तार में इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। इंक्वायरी के बाद 12 जहाज खरीदे गये हैं। 19 जहाज पहले खरीदे गये और 12 एयरबस-320 बाद में खरीदे गये। क्योंकि डिसइनवैस्टमेंट की प्रक्रिया थी, इसलिये मैंने वित्त मंत्री जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने यह अनुमति दी है। अनुमति देने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि हमें नये जहाज खरीदने चाहिये। मैं श्री दासमुंशी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अगर हमें इंडियन एयरलाइन्स की फ्लीट को स्ट्रैंन्थन करना है तो नये जहाज खरीदने चाहिये। पिछले एक माह पूर्व मेरे, डिसइनवैस्टमेंट मिनिस्टर श्री अरुण शौरी और वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा के बीच में एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने हमें परमिशन दी है। इसके लिये केलकर समिति ने इंडियन एयरलाइन्स को 325 करोड़ रुपया देने की सिफारिश की थी जो हमें इक्विटी के आधार पर मिलेगी। फिर हमने तय किया कि इंडियन एयरलाइन्स 10,089 करोड़ रुपये के विमान खरीदेगी जिसके बारे में मैं डिटेल्स बता चुका हूं। इस प्रक्रिया के तहत इंडियन एयरलाइन्स के बोर्ड ने गवर्नमेंट के पास अपनी सिफारिशें भेज दी हैं।

उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि जहाज खरीदने का मामला है, इसलिये फूंक-फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। हम इस मामले में पूरी अहतियात बरत रहे हैं। इंडियन एयरलाइन्स ने हमें यह भी सिफारिश भेजी है कि विमान खरीद से संबंधित पत्रावलियां सी.वी.सी. और सी.ए.जी. को भी भेज दी जायें। हम उसमें ट्रांसपीरेंसी रखना चाहते हैं। लेकिन ट्रांसपीरेंसी के साथ-साथ इस मामले में देर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इस काम को जल्दी किया जायेगा।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर स्थिति

\+
***562. श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 अप्रैल, 2002 और 9 अप्रैल, 2002 के इंडियन एक्सप्रेस में क्रमशः 'इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोर लाइक ए रेलवे स्टेशन' और 'न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाइदर एयरपोर्ट नार इंटनेशनल' शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों, विशेषतः मुंबई और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर स्थिति को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) इंडियन एक्सप्रैस में 5 अप्रैल, 2002 और 9 अप्रैल, 2002 को क्रमशः ''एयरपोर्ट? इट इज मोर लाइक ए रेलवे स्टेशन'' तथा "न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाइदर एयरपोर्ट नोर इंटरनेशनल'' शीर्षक से छपी खबरों में मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों पर कमियों तथा समस्याओं का उल्लेख था। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उच्च स्तर की सुविधाएं देने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सभी कोशिशें करता है। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर शौचालय (टॉयलैट्स) को साफ-सुथरा रखने के लिए डैडीकेटिड (समर्पित) स्टॉफ लगाया गया है। वहां अच्छे स्तर की ट्रालियां भी रखी गई है। पर्याप्त रेस्टोरेंट सुविधाएं और चाय/कॉफी वैडिंग मशीनें भी टर्मिनल के विभिन्न हिस्सों में रखी गई हैं। शुल्क मुक्त दुकानों (ड्यूटी फ्री शाप्स) की प्रबंधन भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) द्वारा किया जा रहा है, जिसे इस काम में अनुभव तथा निपुणता प्राप्त है और जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इन शुल्क मुक्त दुकानों को और अच्छा बनाने की पूरी कोशिश में है। हवाई अड्डों पर इम्मीग्रेशन के दौरान यात्रियों की क्लीयरेंस के वक्त जो समय लगता है उसमें भी कमी करने के लिए इम्मीग्रेशन सैटअप को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

मुंबई हवाई अड्डे पर हुए नाजायज कब्जे (एनक्रोचमैंट) को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए राज्य सरकार के साथ, और आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए मुंबई नगर निगम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण समन्वय कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सांकेतिक चिह्न लगाए गए हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयरोब्रिज भी ठीक तरह से काम कर रहे हैं। दो कार पार्क बनाए गए हैं जिनमें से एक टर्मिनल भवन के बिल्कुल साथ है। एक ही समय में बहुत से हवाई जहाजों के उतरने से हुई भीड़ की भी एक समस्या है, भीड़-भाड़ को कम करने के लिए कुछ सुविधाओं को शिफ्ट/रीअरेंज करके अल्पावधि में टर्मिनल की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) मुंबई तथा दिल्ली हवाई अड्डो समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सेवाओं/सुविधाओं के स्टैंडर्ड में सुधार लाने के बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। इनमें टर्मिनल क्षेत्रों का विस्तार, बैगेज क्लेम कन्वेयर्स की लम्बाई को बढ़ाना, नए एयरोब्रिज बनाना, यात्री सुविधाओं में सुधार आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, भारत के चार महानगरों में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का स्तर केवल यूरोपीय और अमरीकी देशों में ही नहीं अपितु चीन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर आदि जैसे एशियाई देशों के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की तुलना में बहुत घटिया है। वहां अवसंरचना, यात्री सुविधाओं और अन्य सुविधाओं का अभाव है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मंत्री जी के विभाग की असक्षमता और अकुशलता के कारण है। हम यह जानते हैं कि सरकार ने चार महानगरों के चार विमानपत्तनों से निजी आपरेटरों को पट्टे पर देने का निर्णय लिया था। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या निजी आपरेटरों को हमारे देश के उन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर हवाई यातायात नियंत्रण का इस्तेमाल और संचालन करने की अनुमति दी जाएगी? यह हमारी सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न के पहले भाग में एअरपोर्ट की समस्या बताई है और प्रश्न के दूसरे भाग में समस्या को दूर करने के उपायों के बारे में पूछा है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित मंत्री जी ने अपने वित्तीय भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि हम चारों अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट्स-दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को लीज पर देने जा रहे हैं। हम लोगों ने इस बात का निर्णय कर लिया है और उसकी प्रक्रिया शुरु हो गई है। इन एअरपोर्ट्स को लीज पर देने के लिए रोडशो 15 अप्रैल को दिल्ली में और 19 अप्रैल को लंदन में हुआ है। इस शो में कई देशों के बड़े-बड़े एअरपोर्ट्स ने इन एअरपोर्ट्स में सुधार लाने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। दुनिया के देशों से जब भी कोई हमारे देश में आता है, उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है, वह एअरपोर्ट्स पर आकर ही बनता है।

इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता एअरपोर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जायेगा। इसी

प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए हम लीज की तरफ आगे बढ़े हैं। इसमें ए.टी.सी. एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास रहेगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी का मालिकाना हक भी उसके पास रहेगा। सिक्युरिटी का मामला भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास रहेगा। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दैनिक अर्थात् 'द इंडियन एक्सप्रेस' में इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और अन्ना अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन चेन्नई की स्थिति के बारे में 5 अप्रैल, 2002 और पुन: 9 अप्रैल, 2002 को समाचार प्रकाशित हुआ था। इसमें यह लिखा गया था कि दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन रेलवे स्टेशन की तरह लगता है। यह न तो विमानपत्तन और न ही अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन सा लगता है। चेन्नई स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। जब कभी दो अथवा तीन विमान एक साथ उड़ान भरते हैं तो यात्रियों की पंक्ति सड़क तक पहुंच जाती है।

महोदय, कोलकाता देश के एक महत्वपूर्ण शहरों में से है। यह पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व भारत का मुख्य द्वार है। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न इसके बारे में है। कोलकाता शहर के महत्व को देखते हुए क्या भारत सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, कोलकाता को निजी आपरेटरों को दिए बिना विभागीय तंत्र के द्वारा इसका सुधार और उन्नयन करने का विचार कर रही है।

इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विमानों के उड़ान पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने शुरूआत दिल्ली एयरपोर्ट से की और चेन्नई होते हुए कलकत्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सम्मानित सदस्य बराबर दिल्ली और कोलकाता एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन यहां अखबार की खबरों के आधार पर प्रश्न पूछ रहे हैं। वैसे माननीय सदस्य अपने अनुभव के आधार पर भी बता सकते थे कि क्या उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जैसा लगता है। मैं यह कह सकता हूं कि अगर मीतीश जी . . .*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती : अखबार में जो लिखा है वह सही बात है। आप अपने डिपार्टमैन्ट को डिफैन्ड मत करिये।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मुझे लगता है कि इतने सुधार के बाद भी वह हमें डिफैन्ड करना नहीं चाहते। यह सही है कि इसमें पहले से काफी सुधार हुआ है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके आधार पर हमने निर्णय लिया है कि कोलकाता एयरपोर्ट को भी हम लीज पर देंगे। लीज के बाद जब हम इसे अच्छी सुविधाएं देंगे तब आप हमें डिफैन्ड करेंगे। जैसा आपने दिल्ली के बारे में पूछा है, दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में हमने अखबार की कटिंग्स के आधार पर जवाब बनाया है। आई.जी.आई. एयरपोर्ट पर नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल फेज-2 के लिए प्रस्ताव पहले से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास है। उसमें टर्मिनल-2 पर कोटा स्टोन फलोरिंग की गई है और काफी सुधार किया गया है। आज मैं वे पत्र लेकर नहीं आया हूं जो कई सम्मानित सदस्यों ने हमें लिखे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर काफी सुधार हुआ है। कोलकाता और दिल्ली एयरपोर्ट्स पर कई बार अलग-अलग, मैंने अपने अधिकारियों को लेकर रात के एक बजे विजिट की है, वहां की समस्याओं को देखा है और हम उन समस्याओं को दूर कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि दिल्ली, मुम्बई , चेन्नई और कोलकाता एयरपोर्ट्स को हम लीज करके जल्दी से जल्दी सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर हमने काफी सुधार किया है। अखबार में जो खबर छपी है, उपाध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दें तो उसके आधार पर मुझे काफी विस्तार में जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जो आर्टीकल है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है और उस पर एयरपोर्ट का क्या स्टैन्ड है, इस पर हम जो जवाब देने वाले हैं, वह हम लिखित में भी भिजवा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न कोलकाता विमानपत्तन से और अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : महोदय, कोच्ची विमानपत्तन देश का पहला और एकमात्र निजी विमानपत्तन है। सभी इस तथ्य से सहमत हैं कि यह अत्यधिक सुन्दर विमानपत्तन है। परन्तु इसमें केवल एक कमी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ग्राउंड हैंडलिंग का कार्य एयर इंडिया को सौंप दिया गया है, जो बिल्कुल अव्यावसायिक और गैर-जिम्मेदार है।

नेडुमचेरी कोचीन विमानपत्तन की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को देखते हुए क्या सरकार और माननीय

मंत्री अमीरात एयरवेज सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों और यूरोप की अन्य एयरलाइनों को कोचीन में उतारने और उड़ान भरने की अनुमति प्रदान करने पर विचार करेंगे?

हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने में एयरइंडिया सभी तरह की अड़चने डाल रहा है। विमानपत्तनों का संचालन केवल तभी लाभप्रद होगा जब यहां अधिक विमान उतरेंगे और उड़ान भरेंगे तथा साथ में यातायात भी शुरू किया जाएगा। क्या माननीय मंत्री अधिक एयरलाइनों में, विशेषकर अमीरात एयरवेज सहित खाड़ी देशों की सेवाओं और यूरोप तथा अन्य देशों की अन्य एयरलाइंनों को एयरइंडिया की सभी आपत्तियों, यदि कोई हों के विरुद्ध निर्णय देते हुए अपनी सेवा शुरू करने की अनुमति प्रदान करेंगे?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किये हैं। कोचीन हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैन्डलिंग का अधिकार एयर इंडिया के पास है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि उसमें और सुधार किया जा सकता है लेकिन ग्राउंड हैन्डलिंग हम किसी और को दे दें, इस पर सरकार अभी विचार नहीं कर रही है।

दूसरा प्रश्न है कि हम वहां ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट दें। इस बारे में सम्मानित सदस्य को मालूम है कि पहले ही हम लोगों ने बहुत सारी फ्लाइट्स वहां दी हैं। अभी कुवैत एयरवेज और एमीरेट्स की फ्लाइट्स दी गई हैं। हमारे पास जो भी बाइलेट्रल प्रपोजल आते हैं और हमारे साउथ में किसी एयरपोर्ट की बात करते हैं तो हम उनको कोचीन एयरपोर्ट का नाम देते हैं क्योंकि कोचीन में अच्छा एयरपोर्ट बना है और चूंकि वह एयरपोर्ट बनने के बाद काफी घाटे में चल रहा है जबकि बहुत इनवैस्टमेंट उसमें हुई है अत: सरकार ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट वहां देने पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

डा० नीतिश सेनगुप्ता : आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री मैं यह प्रश्न पूछता हूं कि विदेशों में स्थित विमानपत्तनों की तुलना में दिल्ली और कलकता विमानपत्तनों के घटिया प्रतीत होन का एक कारण यहां एयरोब्रिज सुविधाओं की अपर्याप्तता अथवा अभाव है। इंडियन एयरलाइंस टर्मिनल भवन के जलजाने पर ऐसा एक अवसर प्रदान किया गया था। इसके पुनर्निर्माण में एयरोब्रिज उपलब्ध क्यों नहीं कराए गए हैं?

दूसरी बात यह है कि कोलकाता के मामले में जब काफी समय पहले मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल स्थापित किया गया था तो उस समय फिक्स्ड टर्मिनल के माध्यम से एयरोब्रिज उपलब्ध कराये गये थे। गतिशील चीजों के लिये ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई थी, और किसी एक अथवा अन्य प्रकार से फिक्स्ड टर्मिनलों के माध्यम से ये एयरोब्रिज अप्रयुक्त पड़े हैं। थोड़े प्रयास से इन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री से इस पर उत्तर चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने 1970 का सवाल पूछा है और मैं उस वक्त दो साल का था। उसके बारे में मैं विस्तार से अभी तैयारी करके नहीं आया हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह मुख्य प्रश्न से संबंधित है?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : यह प्रश्न इन्होंने 1970 का पूछा है। उसके बारे में मैं तैयारी करके नहीं आया हूं। हम लिखकर माननीय सदस्य को भिजवा देंगे कि किन कारणों से वह बनाया नहीं गया है। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, हमारी सरकार के जमाने में एयरपोर्ट दिल्ली का बना, उसमें एयरोब्रिज का प्रावधान नहीं हो सका। इसलिए हम उसमें सुधार करके, इसको लीज करके और अच्छा बनाने जा रहे हैं। सम्मानित सदस्य नीतिश सेनगुप्ता जी को दिल्ली से कलकता जाने में कम से कम एक जगह एयरोब्रिज मिलता है जो कलकता में है लकिन वहां दुर्भाग्य यह है कि इंटरनेशनल फ्लाइट पर एयरोब्रिज नहीं है जबकि डोमैस्टिक पर मिल जाता है। जब आगे कलकता एयरपोर्ट का विस्तार होगा तो उसमें एयरोब्रिज लगाने का प्रावधान करेंगे और जब दिल्ली में शुरू करेंगे तो यहां भी एयरोब्रिज लगाने का प्रावधान किया जाएगा। यह सही है कि जब भी कोई नया टर्मिनल बनाया जाए तो उसमें 10-20 साल आगे की प्लानिंग करके चलना चाहिए। इस पर हमने विचार करना शुरू किया है कि दस साल बाद जो टैक्नोलॉजी आने वाली है, उसको लगाने का प्रयास करें ताकि यह प्रश्न न उठे कि तीस साल पहले 1970 में एयरोब्रिज क्यों नहीं लगाया गया।

श्री रामदास आठवले : महोदय, अमरीका की राजधानी वाशिंगटन है मगर इकोनॉमिक राजधानी न्यूयार्क है। उसी तरह दिल्ली देश की राजधानी है मगर आर्थिक राजधानी मुम्बई है। मुम्बई से बहुत सारा पैसा दिल्ली के लिए मिलता है इसीलिए आपकी सरकार भी चल रही है। मुम्बई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जबकि भारत में सबसे ज्यादा विदेशों के लिए फ्लाइट्स मुम्बई से जाती है। शिवसेना वाले कहेंगे कि हिन्दी में कहना चाहिए और बॉम्बे नहीं मुम्बई कहना चाहिए। मुम्बई

के एयरपोर्ट को डैवलप करने के लिए हमने मांग की है मगर प्रधान मंत्री जी और नागर विमानन मंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग है कि मुम्बई के एयरपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा सुधारने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है और उसके आजू-बाजू में जो स्लम्स हैं, उनको भी रीलोकेट करने की आवश्यकता है। उनका पुनर्वसन करके हमें काफी जगह भी मिल सकती है। इसलिए झोपड़-पट्टी वालों के पुनर्वास के लिए योजना बनानी चाहिए और मुम्बई एयरपोर्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिए। उसी तरह से औरंगाबाद में एयरपोर्ट के लिए जापान ने 300 करोड़ रुपये दिये थे क्योंकि अजंता और एलोरा बुद्धिस्ट केव्ज यहां पर हैं। उसका डैवलपमेंट अभी पूरा हुआ है या नहीं, उसकी जानकारी भी हमें चाहिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : महोदय, मुम्बई एयरपोर्ट पर हमनें अभी-अभी नये टर्मिनल 1-ए का उद्घाटन किया है जसमें तीन एयरोब्रिज करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से सिक्युरिटी होल्ड एरिया में हमने 15 मार्च को शुरू किये हैं। जहां तक स्लम्स की बात आपने कही है, यह सही है कि मुम्बई बड़ा खूबसूरत शहर है। जब जहाज से कोई आता है तो एक तरफ खूबसूरत शहर दिखता है और दूसरी तरफ रनवे के साथ बहुत सारी झोपड़-पट्टी है जिनको हटाने के लिए कई बार हमने बात की है। जो रनवे के साथ झोपड़-पट्टी थी उनको हटाने के लिए भारत सरकार की ओर से कई बार मुख्य मंत्री जी से विचार-विमर्श हुआ। भारत सरकार ने उसके लिए 20 करोड़ रुपये देने के लिए कहा है, जिसमें से 7 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। वहां 2016 फ्लैट्स का प्रबंध उनके लिए राज्य सरकार ने कर दिया है। अब उसको हम हटाने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी उसको हटाएंगे। पिछली बार भी हमने राज्य सरकार से बात की थी।

श्री रामदास आठवले : लोगों को हटाने की बात नहीं है उनका पुनर्वास करने की आवश्यकता है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर वहां झोपड़-पट्टियां हैं, जिनको हटाने के लिए राज्स सरकार के साथ हमारी तीन बैठकें हो चुकी हैं। अगली बैठक हमारे सचिव और राज्य के चीफ सैक्रेटरी के बीच में है जिसमें हम आगे विचार-विमर्श करेंगे क्योंकि वहां पर जो लोग हैं, 1995 के बाद के जो लोग हैं, उनको हटाने में कोई दिक्कत राज्य सरकार ने नहीं कही है, लेकिन जो बहुत पहले से हैं, उनका रीहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वैसे हमने एकतरफा उसमें पैसा दे दिया है। राज्य सरकार हमें सहयोग कर रही है और हमें उम्मीद है कि उनके सहयोग से हम रनवे के पास जो झोपड़-पट्टियां हैं, उनको हटाने में सफल हो पाएंगे।

श्री रामदास आठवले : औरंगाबाद के बारे में भी बताइए?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उसके लिए अभी पैसा नहीं मिला।

श्री राशिद अलवी : उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया के छोटे-छोटे मुल्कों के एयरपोर्ट्स भी हमारे एयरपोर्ट्स से बेहतर हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि पैसेन्जर्स को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देने जा रहे हैं लेकिन यह नहीं बताया कि कौन सी फैसिलिटीज देने वाले हैं। लखनऊ में परसों 11 बजे की जो फ्लाइट थी, रनवे खराब होने की वजह से पहले 12 बजे तक डिले हुई, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे और फिर 4 बजे। इतनी देर में तो आदमी ट्रेन से भी पहुंच जाता। आप एयरपोर्ट्स को कब तक ठीक करेंगे, और जिन रूट्स पर ज्यादा पैसेन्जर्स हैं, क्या उन पर ज्यादा प्लेन चलाने की आपकी कोई योजना है या नहीं? मिसाल के तौर पर दिल्ली से शिमला हफ्ते में तीन दिन फ्लाइट जाती है।

जिस तरह की सिक्यूरिटी आपने एयरपोर्ट्स पर कर रखी है, उससे पैसेन्जर्स का ह्यूमिलियेशन होता है। तीन-चार जगह आप सिक्यूरिटी चैक करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि एक ही जगह पर पैसेन्जर्स की सारी तलाशी ली जाए? मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं मुम्बई जा रहा था तो मेरा नेलकटर सिक्यूरिटी के नाम पर सिक्यूरिटी पर्सनल ने ले लिया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : आप बॉम्बे जा रहे हैं इसलिए ऐसा हुआ, मुम्बई जाओ तो ऐसा नहीं होगा।

श्री राशिद अलवी : लेकिन सर, जब खाना आया, तो मैंने देखा कि उसमें खाना खाने के लिए काफी बड़ा नाइफ मौजूद था। यह कैसी सिक्योरिटी है कि सिक्योरिटी के नाम पर नेल कटर को ले लिया जाए और खाना खाने के लिए इतना बड़ा चाकू मौजूद हो। इस प्रकार से आप कैसी सिक्योरिटी कर रहे हैं?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष जी, अलवी साहब ने दो-तीन सवाल पूछे हैं जिनमें से एक प्रश्न का संबंध सिर्फ मूल प्रश्न से है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि एयरपोर्ट कभी खराब नहीं होता है। विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण प्रायः उड़ान के समय में परिवर्तन किया जाता है। रनवे तो एक बार बनता है और प्रायः वह इस प्रकार से खराब नहीं होता है।

श्री राशिद अलवी : उपाध्यक्ष महोदय, वहां प्रतिक्षा कर रहे यात्रियों को यही बताया गया कि रनवे ठीक नहीं है। यह तो और भी गंभीर बात है कि यात्रियों को गलत सूचना दी गई?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जांच कराऊंगा कि यात्रियों को गलत सूचना कैसे दी गई।

जहां तक माननीय सदस्य ने नेल कटर की बात बताई है और कहा कि खाना खाने के लिए स्टेनलैस स्टील का काफी बड़ा चाकू

मौजूद था—मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अब हवाई जहाज में खाना खाने के लिए स्टेनलैस स्टील के नहीं बल्कि प्लास्टिक के चाकू दिए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ने अभी हाल ही में कोई हवाई यात्रा नहीं की है।

श्री राशिद अलवी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो खाना दिया गया उसमें स्टेनलैस स्टील का ही चाकू दिया गया था। जो मेरा नेल कटर जब्त किया गया और कहा कि आपको मुम्बई में दिया जाएगा, वह मुझे आज तक नहीं मिला है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सर, मैं माननीय सदस्य के नेल कटर को भिजवाने का प्रयास करूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, यह केवल नेलकटर की बात नहीं है। अगले दिन मुझे सेब ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। मुझे उसे वहीं खाकर खत्म करने के लिए कहा गया, मेरे इससे मना करने और कारण पूछने पर उन्होंने यह बताया कि किसी भी गोलाकार वस्तु को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने यह कहा कि मेरा सिर भी गोलाकार है। इसका कोई उत्तर नहीं था. . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, आपको अपना अनुपूरक प्रश्न केवल मुख्य प्रश्न से संबंधित ही पूछना चाहिए और न कि सेब अथवा नेलकटर के बारे में।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मैंने वह सब सुरक्षा कर्मचारियों को भेंट स्वरूप दे दिया।

आज मेरा तारांकित प्रश्न संख्या 570 भी है जिसमें मंत्री जी ने विनम्रतापूर्वक यह स्वीकार किया है कि निजी एयरलाइनों के आने के बाद इंडियन एयरलाइन्स के घरेलू बाजार के हिस्से में 1991 से 50 प्रतिशत की गिरावट आई है। यद्यपि उन्होंने इसे स्वीकार किया है कि मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार 60 एयरलाइनों—जो उसी क्षेत्र से अपनी सेवाओं का संचालन कर रहे हैं जो सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइन्स अथवा एयर इंडिया के लिए निर्मित अथवा विकसित किए गए है—को विमानपत्तन द्वारा अथवा विमानपत्तन पर उपलब्ध करायी गई सेवाओं के लिए कितना शुल्क लेती है। मुझे यह बताया गया है कि हमने विमानपत्तन पर 300 करोड़ रुपये का निवेश किया है और अब इसका उपयोग निजी एयरलाइनों द्वारा किया जा रहा है। अत:, मैं यह जानना चाहूंगा कि इन निजी एयरलाइनों से कितना शुल्क लिया जा रहा है। क्या हम निविदा जारी कर रहे हैं? मैं विशेषत: देश के सभी महत्वपूर्ण विमानपत्तनों का उपयोग करने के लिए जेट एयरलाइनों से वसूल की जा रही सेवा शुल्क के बारे में जानना चाहूंगा। आप इन सभी एयरलाइनों से सेवा शुल्क किस प्रकार ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र से प्रतिबन्ध हटाना

***564. श्रीमति डी०एम० विजयाकुमारी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र से प्रतिबन्ध हटाने और कृषकों और व्यापारियों द्वारा अपने उत्पादों के मुक्त निर्यात की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने मार्च, 2002 से गेहूं तथा गेहूं उत्पादों, जौ, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार (खरीफ फसल के रूप में उगाई जाने वाली संकर ज्वार को छोड़कर) तथा इनके आटे, मक्खन तथा सभी प्रकार की दालों, मसूर, चने तथा इससे बने आटे के निर्यात हेतु कृषि क्षेत्र से प्रतिबंध हटा लिए हैं। गैर-बासमती चावल एवं 5 कि०ग्रा० की थैली में दालों के निर्यात के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।

इसके अलावा, रूस को निर्यात होने वाले काजू, 5 किलोग्राम तथा इससे अधिक मात्रा में पैक मूंगफली के तेल तथा काजू, पटसन व प्याज के बीजों को छोड़कर कृषि बीजों के निर्यात से भी दिनांक 31-3-2002 से प्रतिबंध उठा लिया गया है। मक्खन एवं गेहूं तथा गेहूं उत्पादों के निर्यात के लिए भी पंजीकरण की आवश्यकता दिनांक 31-3-2002 से समाप्त कर दी गई है।

श्रीमती डी०एम० विजयाकुमारी : महोदय, मैं कतिपय खाद्यान्नों के निर्यात के लिए फार्म क्षेत्र पर प्रतिबंधों को हटाने के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी। इसके साथ ही मैं यह बता दूं कि किसानों को सूखा और घटिया बीजों के इस्तेमाल के कारण फसल की क्षति का खामियाजा भुगतान होगा। अत:, मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या फार्म क्षेत्र में सूखा और अथवा घटिया बीजों की आपूर्ति आदि के कारण फसल खराब होने के कारण उठाने वाले किसानों की सहायता

हेतु कोई रणनीति स्वीकार अथवा खोजी गई है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार का विचार किसानों के ऋणों को माफ करने अथवा ऋणों के भुगतान को स्थागित करने आदि का है।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने शायद बीज खराब थे, फसल बर्बाद हो गई, क्या ऋण को माफ किया जायेगा—आदि कई सवाल पूछे हैं, लेकिन किस फसल के बीज के बारे में माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है, वह मुझे सुनाई नहीं पड़ा। मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्या अपना सवाल दोहरा दें, तो ठीक होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न को दोहरा सकती हैं?

श्रीमती डी०एम० विजयाकुमारी : महोदय, मै कतिपय खाद्यान्नों के निर्यात के लिए फार्म क्षेत्र पर प्रतिबंधों को हटाने के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी। इसके साथ ही मैं यह बता दूं कि किसानों को सूखा और घटिया बीजों के इस्तेमाल के कारण फसल की क्षति का खामियाजा भुगतना होगा। अतः, मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या फार्म क्षेत्र में सूखा और अथवा घटिया बीजों की आपूर्ति आदि के कारण फसल खराब होने के कारण क्षति उठाने वाले किसानों की सहायता हेतु कोई रणनीति स्वीकार अथवा खोजी गई है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार का विचार किसानों के ऋणों को माफ करने अथवा ऋणों के भुगतान को स्थागित करने आदि का है।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी ड्राउट अफैक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट ड्राउट अफेक्टेड डिक्लेयर करती है। उसके बाद उन जिलों में किसानों को सुविधाएं दी जाती हैं और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम या ड्राउट अफेक्टेड या कैलेमिटी रिलीफ योजना के अन्तर्गत जो कार्य राज्य सरकारों को करने होते हैं, वे किए जाते हैं। यह प्रदेश सरकार तय करती है कि कौन से ड्राउट अफेक्टेड एरियाज हैं जहां किसानों के ऋण अथवा रैवेन्यू कलैक्शन माफ करने हैं। राज्य सरकार का ड्राउट अफैक्टेड एरियाज की रिलीफ का फंड होता है, उसमें इसका प्रावधान होता है।

[अनुवाद]

श्रीमती डी०एम० विजयाकुमारी : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार का विचार देश में खाद्यान्न क्षेत्र में लागत कटौती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने का है। यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृषि क्षेत्र में प्रस्तावित सुधारों के बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे?

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करती है। हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम बहुत अच्छा है। बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे यहां हैं। हम बहुत सारे नए तरह के बीज और खाद को अपने किसानों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यदि माननीय सदस्या के कुछ विशेष सुझाव हों, तो वे हमें भेजें। हम उन पर अवश्य विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : महोदय, यह उत्तर दिया गया कि प्याज को छोड़कर अधिकांश वस्तुओं पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। प्याज का अधिशेष उत्पादन हुआ है। किसानों को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कीमतें बहुत कम हो गई हैं। परन्तु अभी भी सरकार कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपना रही है। क्या मंत्री जी इस विशिष्ट मद पर कोई निर्णय शीघ्र करेंगे?

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले प्याज की एक्सपोर्ट लिमिट 5 लाख टन थी। इस साल उसे बढ़ाकर हमने 7 लाख टन किया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी तक 7 लाख टन प्याज का एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। इससे पिछले साल सिर्फ पांच लाख टन प्याज का एक्सपोर्ट हुआ था और उससे पिछले साल सिर्फ 3 लाख टन प्याज का एक्सपोर्ट किया गया। इसलिए इस साल हमने प्याज के एक्सपोर्ट को 5 से बढ़ाकर 7 लाख टन कर दिया है। हमने एक्सपोर्ट लिमिट बढ़ा दी है और यह अभी अप्रैल मार्स से ही शुरू हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, समस्या प्याज के एक्सपोर्ट की नहीं है। समस्या इस वर्ष प्याज का 55 लाख टन उत्पादन हुआ है। इसलिए ज्यादा उत्पादन की समस्या है। इससे पिछले साल प्याज का उत्पादन करीब 47 लाख टन हुआ था। भारत सरकार की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। यदि नुकसान के आधे भाग को प्रदेश सरकार वहन करने को तैयार हो, तो केन्द्र सरकार मार्केट इंटरवेंशन योजना के अन्तर्गत इंटरवीन कर सकती है और किसानों की प्याज को खरीद सकती है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : मुझे यह मालूम है कि सात लाख टन कोटा दिया गया है। परन्तु इसमें अनेक समस्याएं हैं। निर्यात के लिए लाइसेंस प्राप्त करना ही अपने आप में एक समस्या है। इसमें बहुत समय लग जाता है। अतः, आप यह प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? जब सरकार ने डब्लू टी ओ को स्वीकार कर लिया है और जब हम अन्य देशों को आयात करने की अनुमति दे रहे हैं, तो भारतीय किसानों द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगा हुआ है?

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी चीजों पर ये सब प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं, सिर्फ प्याज पर ही प्रतिबन्ध है। यह बात

माननीय सदस्य की बिलकुल सही है कि प्याज ज्यादा सैंसिटिव होती है। हम लोगों ने देखा है कि इसका यहां क्या असर होता है। प्याज के साथ एक समस्या और है। अगर हमें प्याज के आयात करने की जरूरत पड़े तो वह आसान नहीं है क्योंकि सारी दुनिया में प्याज बहुत कम देश ही पैदा करते हैं। इसलिए इंडियन कन्ज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए यह रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। जैसा मैंने कहा कि शायद उतना भी एक्सपोर्ट होना संभव नहीं है। ज्यादातार रिस्ट्रिक्शन इसलिए हटाये गये हैं क्योंकि अगर उन चीजों की कमी होगी तो वे हम बाहर से मंगा सकते हैं लेकिन प्याज ऐसी चीज है जिसको बाहर से मंगाना शायद इतना आसान नहीं है। जब प्याज की क्राइसेस हुई थी तब हमने बहुत कोशिश की थी कि बाहर से प्याज इम्पोर्ट हो जाये लेकिन वह संभव नहीं हो पाया था। पिछले अनुभवों को देखते हुए हम उस पर जरूर विचार करेंगे और यह भी सरकार के विचाराधीन है कि जिन पर रिस्ट्रिक्शन्स हैं, उसका कोटा बढ़ाया जाये या उसको हटाया जाये।

डा. साहिब सिंह वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का इससे सीधा संबंध तो नहीं है लेकिन वह इससे रिलेटिड जरूर है। बार्डर एरियाज में चाहे जम्मू कश्मीर हो या पंजाब, वहां मुझे अभी पिछले दिनों जाने का मौका मिला। वहां लगभग एक साल या उससे पहले से किसान अपनी फसल बो नहीं पा रहे हैं। वे बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। उनको कुछ मुआवजा देने की बात थी। मैंने पहले ही कहा कि इस प्रश्न का सीधा संबंध नहीं है लेकिन किसान की परेशानी से इसका जरूर ताल्लुक है। क्या कृषि मंत्री जी इस बारे में बतायेंगे कि उन किसानों को कुछ राहत देने के लिए या कुछ मुआवजा देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री अजित सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय इस मामले पर विचार कर रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस पर कुछ निर्णय भी हुआ है और उनको मुआवजा दिया जा रहा है। जैसा मुझे बताया गया है कि उनको पहली किश्त दी जा चुकी है लेकिन इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं माननीय सदस्य को पूरी जानकारी दे दूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : नारियल उत्पादों के निर्यात के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। वस्तुत:, नारियल विकास बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार ऐसे पचास उत्पाद हैं जो नारियल से तैयार किए जा सकेंगे। यदि हम सचमुच में इन नारियल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से इसका बहुत अच्छा बाजार है। मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा विशेष रूप से पॉम आयल के बड़े पैमाने पर आयात को देखते हुए नारियल तेल सहित नारियल और नारियल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक कोकोनेट टेक्नालॉजी मिशन है जिसमें हम यह देख रहे हैं कि किस तरह की चीजें कोकोनेट से बनाई जा सकती हैं। माननीय सदस्य का कहना सही है कि कोकोनेट से बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं। हमने कल ही इस पर विचार करने के लिए साउथ के सब मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई थी क्योंकि कोकोनेट का महत्व सदर्न स्टेट्स में उतना ही है जितना पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यू.पी. में गेहूं का है। कोकोनेट के ग्रोअर्स की जो समस्या है, उस पर विचार करने के लिए कल एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसी के लिए प्रधान मंत्री जी ने केरल में जाकर एक कोकोनेट टेक्नोलॉजी मिशन की घोषणा की थी जो अपना काम शुरू कर चुका है। कोकोनेट से तरह-तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं, उसके लिए बहुत सी कम्पनियों ने हिन्दुस्तान में अपना काम करना शुरू कर दिया है, हम उनको हर तरह का इनक्रेजमैंट दे रहे हैं।

श्रीमती जस कौर मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में निर्यात व्यवस्था की जानकारी के अभाव में किसानों के उत्पादों के बीच बिचौलिये आ जाते हैं। भारत में 70 प्रतिशत लघु और सीमांत किसान हैं। वे किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से उनको निर्यात व्यवस्था की पूर्ण जानकारी नहीं होती जिससे बिचौलिये उनके उत्पादों का लाभ उठा लेते हैं। मेरे क्षेत्र में पांच लाख अमरूद के पौधे हैं लेकिन उनका निर्यात करने की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से काफी दिक्कत है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ऐसे किसानों को, जिन्हें निर्यात व्यवस्था की पूर्ण जानकारी नहीं है, किसी भी प्रचार प्रसार के माध्यम से, निर्यात व्यवस्था की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार के पास क्या कोई योजना है ताकि वे अपने उत्पादन का पूर्ण लाभ उठा सकें।

श्री अजित सिंह : अभी 20 एक्सपोर्ट जोन्स की घोषणा कामर्स मिनिस्ट्री ने की है जिसमें से 15 जोन्स में काम शुरू हो चुका है। बाकी पांच के बारे में हमने स्टेट गवर्नमैंट को लिखा है कि एक्सपोर्ट जोन के बारे में वे सहमति दें। इस तरह उन पांच पर भी जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। क्योंकि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमको उनकी क्वालिटी बढ़ाने की भी जो जरूरत है, उसके लिए सरकार की योजनाएं हैं, पोस्ट हारवैस्ट मैनेजमैंट के बारे में बहुत सी योजनाएं हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाने के बारे में बहुत सी योजनाएं हैं।

इस बार हमने ऐग्री-एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की घोषणा की है जिससे वे वर्ल्ड मार्किट में कम्पीट कर सकें। इस तरह एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं और हमारे देश में ऐग्रीकल्चर का

एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल टोटल शेयर ऑफ एक्सपोर्ट में ऐग्रीकल्चर का हिस्सा 14 प्रतिशत से ज्यादा था जबकि इम्पोर्ट में ऐग्रीकल्चर का हिस्सा करीब 5 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा था। मेरे पास 1998-99 से 2000-01 तक की फिगर्स हैं। हमारा ऐग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 25313 करोड़ रुपये से बढ़ कर 28,909 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। हम जानते हैं कि हमारे किसानों ने जिस तरह मेहनत करके उत्पादन बढ़ाया है, हमें वह वर्ल्ड मार्किट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कम्पीट करना पड़ेगा, उसके लिए गुणवत्ता बढ़ाना जरूरी है और उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : उपाध्यक्ष महोदय, प्याज को जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं में डाल दिया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्याज को जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं से बाहर निकालेगी? सपोर्ट प्राइस उत्पादन लागत खर्च को देख कर क्या सरकार प्याज के दाम बढ़ाएगी?

श्री अजित सिंह : जैसा मैंने प्याज के बारे में पहले कहा था, केन्द्र सरकार की मार्किट इंटरवैन्शन स्कीम है। अगर प्रान्तीय सरकारें आधा नुकसान वहन करने को तैयार हों तो केन्द्र सरकार उचित दाम पर किसानों के प्याज खरीदने के लिए तैयार है।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पर्यटन "सर्किट"

***563. श्री के० मुरलीधरन :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कौन-कौन से "टूरिस्ट सर्किट" स्थापित किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन सर्किटों के विकास के लिए सर्किट-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) इन सर्किटों के आधारभूत ढांचों के विकास के लिए अन्य विभागों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या सरकार का इन सर्किटों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए धनराशि जुटाने हेतु विदेशी भागीदारी आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार का देश में वार्षिक आधार पर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 पर्यटक परिपथों का अभिनिर्धारण करने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान करने के लिए इन परिपथों को विकसित करने का प्रस्ताव है। इन छः परिपथों के समेकित विकास के लिए वार्षिक योजना 2002-2003 के दौरान 41.50 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गयी है। इन परिपथों के विकास कार्य को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र तथा भारत सरकार के सम्बद्ध विभागों के सक्रिय-सहयोग से अंतिम रूप दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) इन परिपथों के विकास के लिए विदेशी निवेश के आमंत्रण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

केलकर समिति की सिफारिशें

***565. श्री अधीर चौधरी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 के दौरान विमान बेड़े को बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु केलकर समिति की सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है जबकि मंत्रिमंडल द्वारा इन्हें विधिवत् रूप से स्वीकार कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विमानों की सुरक्षा संबंधी इस समिति की प्रत्येक सिफारिश की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमान मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) सरकार ने इंडियन एयरलाइंस में हुए घाटे की वजह की जांच करने और प्रतियोगी बाजार माहौल के संदर्भ में रणनीति विकसित करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्कालीन सचिव, डा० विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, इंडियन एयरलाइंस की वित्तीय पुनर्संरचना जिसमें 150 करोड़ रुपए के सबोर्डिनेट ऋण के रूप में सरकार द्वारा दी गई 475 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, 125 करोड़ रुपए की सीमा तक इक्विटी वित्तपोषण तथा सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में 200 करोड़ रुपए का भुगतान शामिल है जिससे इंडियन एयरलाइंस का वित्तीय निष्पादन प्रभावित हुआ है।

केलकर समिति की सिफारिशों को लागू करने के भाग के बतौर, इंडियन एयरलाइंस में इक्विटी के बतौर नए विमान खरीदने के लिए

उपांत धन के रूप में 325 करोड़ रुपए की वित्त-व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा मई, 1999 में निर्णय लिया था। तथापि, कंपनी में चालू विनिवेशन प्रक्रिया की वजह से इस फंड को रिलीज नहीं किया जा सका।

अक्तूबर, 2001 में, इंडियन एयरलाइंस को विमान-बेड़े की खरीद संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया था ताकि जब कभी सरकार इंडियन एयरलाइंस के प्रस्ताव पर कोई अंतिम राय ले उस समय 325 करोड़ रुपए की रिलीज की जाने वाली धनराशि पर विचार किया जा सके।

(ग) केलकर समिति की रिपोर्ट में विमानों की सुरक्षा संबंधी कोई सिफारिश निहित नहीं है।

[हिन्दी]

वाहनों द्वारा प्रदूषण

***566. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख शहरों में वाहनों से हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वाहनों से हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने में विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी प्रगति की गयी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार प्रमुख शहरों सहित देश में वाहन जनित प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से मोटर वाहनों के लिए समय-समय पर कठोर उत्सर्जन मानक अधिसूचित करती रही है। उत्सर्जन मानकों के अनुपालन में ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी और इसके अनुरूप ईंधन गुणवत्ता की आपूर्ति में सुधार किया गया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- चार पहिए वाले निजी वाहनों (गैर-वाणिज्यिक) के लिए 1.6.1999 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तथा 1.1.2000 से मुम्बई में यूरो-1 मानकों के समान इंडिया-2000 उत्सर्जन मानक लागू किए गए। ये मानक 1.4.2000 को या इसके पश्चात् विनिर्मित वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए पूरे देश में लागू किए गए।

- चार पहिए वाले निजी वाहनों (गैर वाणिज्यिक) के पंजीकरण के लिए 1.4.2000 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, 1.1.2001 से मुम्बई (ग्रेटर मुम्बई सहित) में तथा 1.7.2001 से कोलकाता और चेन्नई में यूरो-II मानकों के समान भारत स्टेज-II उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं। वाणिज्यिक वाहनों के मामले में ये मानक 24.10.2001 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में तथा 31.10.2001 से मुम्बई (ग्रेटर मुम्बई सहित) कोलकाता और चेन्नई में लागू किए गए हैं।

- दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई में 1.4.1995 से तथा 1.2.2000 से पूरे देश में सीसा रहित पेट्रोल की शुरूआत की गई है।

- 1.4.1998 से महानगरों में तथा 1.1.2000 से पूरे देश में 0.25% सल्फर की मात्रा (अधिकतम) वाले डीजल की शुरूआत की गई है। 1.4.2000 से दिल्ली में, 1.1.2001 से मुम्बई में तथा 1.7.2001 से कोलकाता और चेन्नई में 0.05% सल्फर की मात्रा (अधिकतम) वाले डीजल की शुरूआत की गई।

- 1.11.2000 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथ 1.1.2001 से मुम्बई में 1% बेंजीन की अधिकतम मात्र वाला पैट्रोल उपलब्ध कराया गया है। 1.4.2000 रं कोलकाता और चेन्नई में 3% बैंजीन की अधिकतम मात्र वाला पैट्रोल उपलब्ध कराया गया है।

- 9.2.2000 से संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) रं चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक लागू कि गए हैं सी एन जी से चलने वाले वाहनों के लिए सं एन जी और एल पी जी चलने वाले वाहनों में सुरक्ष और टाइप अनुमोदन हेतु प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं सहित व्यापक उत्सर्जन मानक 19.11.2001 को अधिसूचित किए गए थे। सी एन जी किट युक्त वाहनों की आवश्यकता संबंधी पूर्ति हेतु दिल्ली और मुम्बई में ऑटोमोबाइलों को अनेक खुदरा दुकानों के माध्यम से सी एन जी की आपूर्ति की जा रही है।

- द्रवित पैट्रोलियम गैस (एल पी जी) से चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(ग) और (घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस पी सी बी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी सी सी) को प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान करने प्रदूषण की मात्रा का मूल्यांकन करने और

ऑटोमोबाइलों, उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए शहर-वार कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है।

कुछ एस पी सी बी / पी सी सी नामश: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ने क्रमश: मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर, कोलकाता और हैदराबाद के संबंध में कार्य बिंदु तैयार किए हैं तथा ये कार्य बिन्दु कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। दिल्ली संबंधी कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा इसे मॉनीटर किया जा रहा हैं।

रोजगार कार्यालयों में भ्रष्टाचार

***567. श्री मनसुखभाई डी० वसावा :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कई रोजगार कार्यालयों में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई जांच करवाई गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) उक्त जांच के पश्चात् दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है और आज की तिथि के अनुसार उनमें से कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किया गया?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) केन्द्रीय रोजगार कार्यालय (सीईई) को छोड़कर अन्य रोजगार कार्यालय संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों के वित्तीय तथा प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। राज्य/संघ शासित सरकारें रोजगार चाहने वालों के लिए निर्बाध एवं निष्पक्ष सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाती हैं। केन्द्र सरकार में श्रम मंत्रालय को केन्द्रीय रोजगार कार्यालय सहित रोजगार कार्यालयों में भ्रष्टाचार संबंधी कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

खनिजों की ढुलाई

***568. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढुलाई के दौरान करोड़ों रुपए के खनिजों की क्षति हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वर्ष-वार लगभग कितना नुकसान उठाया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार भारी नुकसान से बचने के लिए ढुलाई के सुरक्षित तरीके शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) खनिजों की ढुलाई के दौरान होने वाली क्षति का एकदम सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तथापि कोयला और कोक जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की ढुलाई अधिकांशत: रेलवे द्वारा की जाती है। यदि ढुलाई संबंधी कोई क्षति होती है तो दावे प्रस्तुत किए जाते हैं और वाहक (कैरियर) द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है।

पिछले, तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कारणों की वजह से, रेल मंत्रालय द्वारा कोयला और कोक की कन्साइनमेंन्ट पर अदा की गई क्षतिपूर्ति राशि निम्न प्रकार रिपोर्ट की गई है :-

वर्ष	राशि (लाख रु० में)
1998-1999	170.80
1999-2000	191.20
2000-2001	59.26

मिनरल एण्ड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन (एम एम टी सी) ने लौह अयस्क की ढुलाई/हैंडलिंग/जहाजरानी प्रचालनों के दौरान हुई क्षति की रिपोर्ट दी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एम एम टी सी द्वारा सूचित क्षति का ब्यौरा निम्नवत है :-

वर्ष	हैंडलड मात्रा (लाख टन में)	ढुलाई/ (लाख टन)	हैंडलिंग क्षति (करोड़ रु० में)	हैंडलड की गई मात्रा को हुई क्षति
1998-1999	137.92	1.04	8.07	0.76%
1999-2000	149.96	0.46	4.18	0.31%
2000-2001	185.79	1.26	12.33	0.68%

माल की सुरक्षित ढुलाई और दावों की रोकथाम के संबंध में रेल मंत्रालय ने बताया है कि इसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्न उपाय किए जाते हैं :-

1. अतिसंवेदनशील सेक्शनों पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा माल गाड़ियों की मार्ग के दौरान रक्षा की जाती है।

2. रेलवे सुरक्षा बल (आर पी एफ) द्वारा, यार्डों और अन्य प्रभावित क्षेत्रों/सेक्शनों में, गहन बीट गश्त लगायी जाती है।

3. गुप्तचर रिपोर्ट के आधार पर चोरी की गई संपत्ति के अपराधियों/प्राप्तकर्ताओं के ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और तलाशी ली जाती है।

4. पैकेज की उचित रूप से मार्किंग और लेबलिंग की जाती है ताकि ढुलाई के समय उनकी क्षति/ओवर-कैरेज से बचा जा सके।

5. वैगनों पर मैटल टेप का उपयोग किया जाता है ताकि उनके गलत प्रेषण और अलग होने से बचा जा सके।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिकों के लिए बीमा योजना

***569. श्री राम टहल चौधरी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कृषि श्रमिकों के लाभार्थ चल रही बीमा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि श्रमिकों के लाभार्थ अन्य देशों में चलाई जा रही बीमा योजनाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अन्य देशों में चलाई जा रही योजनाओं से हमारी योजनाएं किस प्रकार भिन्न हैं; और

(ङ) इन योजनाओं के लाभ बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये अन्य विकसित देशों की योजनाओं के समतुल्य हो सकें?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) सरकार ने कृषि कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। यह योजना 50 चुनिंदा जिलों में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसके अंतर्गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जिले से 20,000 कृषि कामगारों को शामिल करते हुए 10 लाख कृषि कामगारों को कवर करने का उद्देश्य है। 18 से 50 वर्ष की आयु-वर्ग के कृषि कामगार इस स्कीम में शामिल होने के पात्र हैं। कृषि कामगार 1/- रु. प्रतिदिन अथवा 365/- रुपये प्रतिवर्ष का अंशदान करेगा और सरकार प्रति लाभार्थी 2/- रु. प्रतिदिन अथवा 730/- रु. प्रतिवर्ष का अंशदान करेगी। इस स्कीम में जीवन-सह-दुर्घटना बीमा, धन-वापसी, पेंशन और अधिवर्षिता लाभों की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की गई जनश्री बीमा योजना, अन्यों के साथ-साथ, गरीबी की रेखा से नीचे के तथा उससे आंशिक तौर पर ऊपर के कृषि कामगारों को भी शामिल करती है और इसमें प्राकृतिक/दुर्घटना से होने वाली मृत्यु तथा पूर्ण अथवा आंशिक विकलांगता के मामले में बीमा कवर की भी व्यवस्था है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी एयरलाइनों द्वारा विमानपत्तन सुविधाओं का उपयोग

***570. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निजी एयरलाइनों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद और अहमदाबाद में विमानपत्तन सुविधाओं के उपयोग की अनुमति दी गयी है;

(ख) इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी गयी;

(ग) इन सुविधाओं के लिए इन निजी एयरलाइनों से कितना सेवा प्रभार वसूल किया गया;

(घ) इन विमानपत्तनों पर केन्द्र सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार कुल कितना निवेश किया गया;

(ङ) क्या निजी कंपनियों को अनुमति दिए जाने के परिणामस्वरूप एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस के यातायात में कमी आई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) सभी शेड्यूल तथा नान-शेड्यूल घरेलू एयरलाइनें, जो वैध ऑपरेटिंग

परमिट होल्डर हैं, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद तथा अहमदाबाद हवाई अड्डों पर सुविधाओं के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं। आज की तारीख के अनुसार निजी शेड्यूल तथा नॉन शेड्यूल घरेलू एयरलाइनों, जो वैध ऑपरेटिंग परमिट होल्डर हैं, के नामों की सूची संलग्न विवरण में दर्शायी गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सर्विस चार्जिज के बतौर 6589.15 लाख रुपए की कुल राशि वर्ष 2000-2001 के दौरान निजी एयरलाइनों से वसूल कर ली गई है।

(घ) से (च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उपर्युक्त हवाई अड्डों में 2,412.40 करोड़ रुपए निवेश किया है। एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन का मुख्य निवेश विमान बेड़े में है, तथापि, एयरलाइनों ने विमानों के रख-रखाव, यात्री चैक-इन सुविधाओं, रिजर्वेशन, एक्स-रे स्क्रीनिंग इत्यादि के लिए कुछ सुविधाओं का रखरखाव किया हुआ है। इंडियन एयरलाइंस द्वारा भारत में हवाई अड्डे पर किए गए निवेश का निवल मूल्य 300 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना के बाद भारत सरकार ने कोई भी बजटीय सहायता नहीं दी है। निजी एयरलाइनों के प्रवेश के बाद इंडियन एयरलाइंस का घरेलू मार्केट शेयर 1991 से 50 प्रतिशत गिर गया है।

इंडियन एयरलाइंस ने अपनी मार्केट शेयर को बनाए रखने के लिए विभिन्न मार्केटिंग पहल और अन्य प्रारंभिक उपाय जैसे बेहतर क्षमता, उपयोगिता, समयबद्ध निष्पादन और फ्लेक्सी फेयर पॉलिसी, होलीडे पैकेज, निगमित सौदे, उपभोक्ता सेवाओं का बेहतर स्तर इत्यादि किए हैं।

विवरण

परमिट धारक निजी प्रचालकों की सूची

1. **Ace** एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड
2. एरियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3. अहमदाबाद एविएशन अकादमी
4. एयरवर्क्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड
5. एशिया एविएशन लिमिटेड
6. अज़ल इंडिया प्रा. लिमिटेड
7. ब्लू डर्ट
8. सेंचुरी टेक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमि.
9. दिल्ली फ्लाइंग क्लब
10. डेक्कन एविएशन
11. द्वारका एयर टैक्सी
12. एस्कार्ट्स लिमि.
13. ईस्ट इंडिया होटल्स
14. गवर्नमेंट आफ राजस्थान
15. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लिमि.
16. हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग टेक्नालॉजी
17. इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज
18. इण्डो पैसिफिक एविएशन
19. जैगसन एयरलाइंस
20. जे.के. कार्पोरेशन
21. जिन्दल स्ट्रिप्स लिमि.
22. कुद्रेमुख ऑयरन ओर कम्पनी लिमि.
23. मलहोत्रा हेलीकॉप्टर्स
24. मेगापोड एयरलाइंस
25. ओरियन्ट फ्लाइंस स्कूल
26. पवन हंस
27. राजपूताना एविएशन अकादमी (प्रा.) लिमि.
28. रेमण्ड लिमि.
29. रिलायंस ट्रान्सपोर्ट ट्रैवल्स लिमि.
30. सहारा इंडिया एयरलाइंस
31. सराया एविएशन (प्रा.) लिमि.
32. स्पान एयर प्राइवेट लिमि.
33. तनेजा एरोस्पेस एण्ड एविएशन लिमि.
34. टाटा टी लिमि.
35. ट्रांस भारत एविएशन
36. यू.बी. एयर
37. विद्युत ट्रैवल सर्विसेज

38. हिमालयन हेली सर्विसेज

39. बिलाखिया

40. एन. भारत

[हिन्दी]

पर्यटकों के आगमन में कमी

***571. श्री हरिभाई चौधरी :**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान पर्यटकों की संख्या में पचास प्रतिशत से भी अधिक की गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत भ्रमण करने वाले पर्यटकों की देश-वार संख्या कितनी है; और

(घ) देश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में जनवरी-अप्रैल, 2002 तक की अवधि के दौरान पर्यटन आगमन की अनुमानित संख्या 8,32,535 है। वर्ष 2001 के इसी अवधि के दौरान पर्यटक आगमन की संख्या 9,80,359 थी। इस प्रकार पर्यटक आगमन में 15.1% की गिरावट रही। विदेशी पर्यटक आगमन में गिरावट का मुख्य कारण विश्वभर में सामान्य आर्थिक मंदी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व व्यापार केन्द्र पर हुए आतंकवादी हमले के बाद का सुरक्षा परिदृश्य रहा।

(ग) भारत में जिन-जिन 15 देशों से पर्यटक अधिक आते हैं उनके पिछले 3 वर्ष के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

राष्ट्रीयता का देश	पर्यटक आगमन		
	1999	2000	2001
1	2	3	4
यू०के०	345085	432624	405472
यू०एस०ए०	251926	348292	329147
श्रीलंका	120072	129193	112813
फ्रांस	85891	100022	102434
कनाडा	82892	84013	88600
जापान	79373	98159	80634
जर्मनी	85033	83881	80011
मलेशिया	52613	60513	57869
आस्ट्रेलिया	73041	53995	52691
सिंगापुर	53310	46612	42824
नीदरलैण्ड	48820	46370	42368
इटली	50677	50419	41351
नेपाल	25859	38801	41135
इजरायल	23417	25631	28774
कोरिया (दक्षिण)	19188	23411	27150

(घ) देश में और अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. पर्यटन विकास को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता क्रियाकलाप के रूप में प्रतिष्ठित करना, और बनाए रखना;

2. एक पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि बनाए रखना;

3. नए परिपथों के समेकित विकास तथा विश्व स्तर की अवसंरचना के सृजन के द्वारा उत्पाद विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना;

4. ग्रामीण एवं कृषि पर्यटन की ओर विशेष ध्यान दिया जाना;

5. इंटरनेट पर विपणन तथा विज्ञापन अभियान चलाना;

6. "लुक ईस्ट" (पूरब की ओर दें) से संबंधित विपणन नीति के अभिमुखीकरण के एक भाग के रूप में वर्तमान

के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर दक्षिण पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया से पर्यटकों को आकृष्ट करना;

7. अधिकाअधिक देशों तक के लिए हवाई सेवा में वृद्धि के उपाय करना;

8. डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.टूरिज्मऑफइंडिया.कॉम नामक वेबसाइट को नया स्वरूप देना;

9. नागरिक प्रशासन, सभ्यता से जुड़े मुद्दों और बेहतर शासन की ओर ध्यान दिया जाना;

10. भारत के पर्यटक उत्पाद तथा यहां की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति यात्रा व्यवसाय से जुड़े लोगों और पर्यटकों में जागरूकता लाने की दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के यात्रा व्यवसायियों तथा भावी पर्यटकों के लिए संवर्धनात्मक आयोजन, सेमिनार, फिल्म शो तथा कार्यशालाओं का आयोजन;

11. एयर इंडिया तथा भारत के लिए हवाई सेवा से जुड़ी विभिन्न एयरलाइनों के साथ मिलकर गंतव्य स्थल संवर्धन;

12. यात्रा मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा भारत को एक सुरक्षित तथा संरक्षित गंतव्य स्थल के रूप में प्रचालित करना;

13. पर्यटन बाजार की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर सक्रिय विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार अभियान का प्रतिपादन और कार्यान्वयन;

14. श्रव्य-दृश्य, टेलीविजन कार्यक्रम, पोस्टर, ब्रोशर, फोल्डर, पुस्तिका आदि जैसी संवर्धनात्मक सामग्रियों की तैयारी तथा पर्यटक स्थलों की जानकारी से पूर्ण फिल्मों का निर्माण; और

15. पर्यटन के प्रचार-प्रसार में विदेश स्थित भारतीय मिशनों से सहायता लेना।

[अनुवाद]

पर्यटन का विकास

***572. श्रीमती कान्ति सिंह :**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ''सांस्कृतिक क्रान्ति'' के स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो सौंदर्यीकरण के लिए चुने गए स्मारकों, विशेषतः बिहार के स्मारकों के स्थान-वार नाम क्या हैं;

(ग) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के लिए इस प्रयोजनार्थ आबंटित राशि कितनी है; और

(घ) इन स्मारकों का जीर्णोद्धार-कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भवना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ परामर्श करके अभिनिर्धारित पर्यटन के विकास और संवर्धन से संबंधित परियोजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान करता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान बिहार राज्य सहित सभी राज्यों के लिए 4896.39 लाख रुपए राशि की 180 पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की गई तथा 1646.70 लाख रुपए की राशि पहले ही अवमुक्त कर दी गई है।

(ख) से (घ) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन विभाग ने बिहार राज्य के लिए 912.68 लाख रुपए राशि की 44 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। 356.29 लाख रुपए की राशि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पहले अवमुक्त की गई हैं। पर्यटन मंत्रालय भी एकीकृत बौद्ध परिपथ के रूप में बोधगया, राजगीर, नालंदा के विकास की प्रक्रिया में है। तदनुसार, निम्नलिखित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है :-

(1) बिहार शरीफ से गया, बोधगया और राजगीर तक के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 और 83 का सुधार और सुदृढ़ करना। सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

(2) बोधगया के लिए मास्टर प्लान की तैयारी—15 लाख रुपए।

(3) बोधगया मंदिर का जीर्णोद्धार।

(4) सुजाता कुटीर के पास खुदाई।

(5) बोधगया में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारक का उन्नयन।

(6) निम्नलिखित जैन मंदिरों और स्मारकों का सुधार :-

(क) जैना टैम्पल वैभर हिल, राजगीर जिला नालंदा 1, अनुमानित लागत 6 लाख रुपए।

(ख) वासोकुंड, वैशाली—452 लाख रुपए स्वीकृत।

(ग) पावापुरी—241 लाख रुपए स्वीकृत।

पुरातात्विक स्मारकों का जीर्णोद्धार करना एक सतत प्रक्रिया है।

दिल्ली में प्रदूषण

*573 श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में राजधानी में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 12 अप्रैल, 2002 के 'द हिन्दू' में ''पोल्यूशन लेबल ड्राप्स, क्लीयर एअर स्टिल ए फॉर क्राई'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या अधिकतर नीतियां अभी भी कागजों पर ही हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जाना अभी शेष है जैसा कि विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र के निर्देशक ने कहा है;

(च) यदि हां, तो इन नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(छ) इन्हें क्रियान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ज) सरकार राजधानी में प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से समय-समय पर कई कदम उठाती रही है जिनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :-

(i) अनेक पारिसंकटमय और प्रदूषक उद्योगों को बन्द कर दिया गया है।

(ii) सभी 'हॉट मिक्स प्लांट' ईंट भट्ठे बन्द कर दिए गए हैं।

(iii) स्टोन क्रशर्स को दिल्ली से स्थानान्तरित किया गया है।

(iv) लघु स्तर के उद्योग समूहों से होने वाले जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 15 सांझा बहिस्राव शोधनों पर कार्य शुरू किया गया है।

(v) दिल्ली को जल प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना कार्य योजना के तहत कवर किया गया है।

(vi) नगरीय अपशिष्ट जल के शोधन संबंधी क्षमता को बढ़ाने के लिए मलजल शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(vii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चार पहिए वाले निजी (गैर वाणिज्यक) वाहनों के पंजीकरण के लिए 1.4.2000 से यूरो-II मानकों के समान भारत स्टेज-II उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में मामले में वाणिज्यिक वाहनों के लिए ये मानक 24.10.2001 से प्रभावी बनाए गए हैं।

(viii) दिल्ली में 1.4.1995 से सीसारहित पैट्रोल की शुरूआत की गई है।

(ix) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 30.6.2001 से अधिकतम 0.05% सल्फर की मात्रा वाले डीजल की आपूर्ति की जा रही है।

(x) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 1.11.2000 से तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1.4.2001 से अधिकतम 1% बैंजीन की मात्रा वाला पैट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(xi) 9.2.2000 से संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) से चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं। दिल्ली में आटोमोबाइलों के लिए अनेक खुदरा दुकानों के माध्यम से सी एन जी की आपूर्ति की जा रही है।

(xii) एल पी जी से चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

उक्त समाचार में 6 अप्रैल से 10 अप्रैल 2002 तक की अवधि में वायु प्रदूषण में कमी होने का उल्लेख था। परिवेशी वायु की गुणवत्ता में सल्फर डाइ ऑक्साइड, नाइट्रोजन डायोक्साइड और श्वसन द्वारा शरीर में प्रवेश होने वाले निलम्बित धूलकणों की मात्रा में डीजल द्वारा चलाई जा रही बसों के दौरान पाई गई मात्रा के मुकाबले कमी आई है।

प्राकृतिक आपदाओं द्वारा स्मारकों को क्षति

*574. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए स्मारकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार के प्रत्येक स्मारक को कितनी क्षति पहुंची है;

(ग) क्या सभी क्षतिग्रस्त स्मारकों की अब तक मरम्मत/जीर्णोद्धार कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके जीर्णोद्धार पर स्मारक-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुए केन्द्रीय संरक्षित स्मारक निम्न प्रकार हैं :-

भूकंप

1999-2000

उत्तरांचल	1
2000-2001	
(1) गुजरात	69
(2) राजस्थान	1
(3) द्वीव	3
चक्रवात	
उड़ीसा के उद्यान एवं स्मारक	13

(ख) गुजरात में, 67 स्मारक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए जबकि दो स्मारकों की अधिसंरचनाएं पूर्णतया नष्ट हो गई, उत्तराचंल में एक स्मारक को आंशिक रूप से क्षति पहुंची।

(ग) से (ङ) 49 स्मारक पुनरूद्धार के विभिन्न चरणों में हैं। उन पर किया गया व्यय संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। शेष स्मारकों का संरक्षण कार्य करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-I

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति एवं उनके संरक्षण पर किए गए ब्यय का ब्यौरा

क्र. सं.	स्मारक का नाम एवं स्थिति	जिला	क्षति का ब्यौरा	व्यय (रुपये)
1	2	3	4	5
	उत्तरांचल राज्य			
1.	रुद्रनाथ मंदिर, गोपेश्वर	चमौली	लघु क्षति	61,228.00
	गुजरात राज्य			
2.	अहमदशाह का मकबरा	अहमदाबाद	लघु क्षति	177919
3.	अच्युत (कूकी) बीबी की मस्जिद एवं कब्र दूधेश्वर	-वही-	बड़ी क्षति	142363
4.	बीबी जी की मस्जिद, राजपुर हीरापुर	-वही-	-वही-	471399
5.	भद्र काली मंदिर के किनारे स्थित भद्रा मीनार	-वही-	-वही-	272105
6.	बाबा लौली की मस्जिद, बहरामपुर	-वही-	-वही-	28735
7.	जामी मस्जिद मानिक चौक	-वही-	-वही-	17271
8.	मलिक आलम की मस्जिद टोला नाका, दानी लिमडा	-वही-	लघु क्षति	6492
9.	रायपुर गेट रायपुर	-वही-	बड़ी क्षति	410526
10.	शाह आलम की कब्र जिसके आस-पास सभी प्राचीन भवन एवं मस्जिद शाह आलम दरवाजा है	-वही-	-वही-	133506

1	2	3	4	5
11.	सीदी बशीर की मीनार एवं कब्रें (शेकिंग) उस्मानपुर	अहमदाबाद	लघु क्षति	81693
12.	सैयद उस्मान की मस्जिद एवं कब्र, उस्मानपुरा	-वही-	बड़ी क्षति	50782
13.	कैलाको मिल के पीछे मीर अबु तुरब की कब्र, जमालपुर	-वही-	-वही-	89608
14.	मण्डप सरखेज	-वही-	बड़ी क्षति	21953
15.	बड़ी मस्जिद सरखेज	-वही-	बड़ी क्षति	
16.	खान मस्जिद ढ़ोलका	-वही-	-वही-	
17.	जामी मस्जिद मंडल	-वही-	-वही-	228850
	आनंद जिला			
18.	जामी मस्जिद खंभात	आनंद	-वही-	41469
	भावनगर जिला			
19.	दरबारगढ़ सिहोर	भावनगर	लघु क्षति	4103
	जामनगर जिला			
20.	द्वारकाधीश मंदिर समूह	जामनगर	-वही-	36600
21.	द्वारकाधीश आश्रम पिंडारा	-वही-	-वही-	17776
	जूनागढ़ जिला			
22.	अशोक शिलालेख, जूनागढ़	जूनागढ़	-वही-	5241
23.	जामी मस्जिद मगरोल	-वही-	-वही-	2890
	कच्छ जिला			
24.	राव लखा छतरी भुज	कच्छ (भुज)	बड़ी क्षति	4100635
	मेहसाना जिला			
25.	सूर्य मंदिर मोधेरा	मेहसाना	लघु क्षति	19793
	पाटन जिला			
26.	खान सरोवर गेट मोधेरा को जकाटनाका मार्ग	पाटन	-वही-	162936
27.	सहस्त्रलिंग हौज के उत्तर में स्थित शेख फरीद कब्र	-वही-	बड़ी क्षति	209075
28.	रानी-की-वाव पाटन	-वही-	लघु क्षति	5500
29.	लिम्बोजी माता मंदिर चानास्मा-हरीज रोड देलमल	-वही-	-वही-	46602
	पोरबंदर जिला			
30.	मकान जहां महात्मा गांधी पैदा हुए थे, पोरबंदर	पोरबंदर	-वही-	3253
	सूरत जिला			
31.	ख्वाजा सफर सुलेमानी की कब्र, सूरत	सूरत	-वही-	66668
	सुरेन्द्रनगर जिला			
32.	सूर्य मंदिर धानगढ़	सुरेन्द्रनगर	बड़ी क्षति	87850
	वड़ोदरा जिला			
33.	तांबेकरवाड़ा रावपुरा	वड़ोदरा	लघु क्षति	1171
	द्वीव (संघ राज्य क्षेत्र)			
34.	संत पाल की चर्च द्वीव	द्वीव	-वही-	18980
35.	पुरानी मस्जिद (जामी मस्जिद)	द्वीव	-वही-	1110
	राजस्थान राज्य			
36.	जैसलमेर किला	जैसलमेर	किला दीवार में दरारें	29,944/-

विवरण-II

चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त हुए उद्यान के पुनरूद्धार पर किया गया व्यय

उड़ीसा राज्य

क्र.सं.	वर्ष	स्मारक का नाम	क्षति का	पुनरुद्धार पर व्यय
1.	1999-2000	सूर्य मंदिर, कोणार्क	उद्यान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए	3,94,396/-रु०
2.	-वही-	संग्रहालय परिसर, कोणार्क	-वही-	1,19,800/-रु०
3.	-वही-	खंडगिरि एवं उदयगिरी, भुबनेश्वर	-वही-	1,55,633/-रु०
4.	-वही-	रामेश्वर मंदिर, भुबनेश्वर	-वही-	1,19,634/-रु०
5.	-वही-	राजा रानी मंदिर, भुबनेश्वर	-वही-	1,57,583/-रु०
6.	-वही-	भास्करेश्वर मंदिर, भुबनेश्वर	-वही-	33,910/-रु०
7.	-वही-	मेघेश्वर मंदिर, भुबनेश्वर	-वही-	12,406/-रु०
8.	-वही-	स्मृतिशेष-स्तूप धौली, भुबनेश्वर	-वही-	79,571/-रु०
9.	-वही-	ब्रह्मेश्वर मंदिर, भुबनेश्वर	-वही-	21,306/-रु०
10.	-वही-	संतरापुर नर्सरी, भुबनेश्वर	-वही-	77,896/-रु०
11.	-वही-	चित्राकर्णी मंदिर, भुबनेश्वर	-वही-	20,861/-रु०
12.	-वही-	मुक्तेश्वर मंदिर, भुबनेश्वर	-वही-	3568/- रु०
13.	-वही-	रत्नागिरिज संग्रहालय, भुबनेश्वर	-वही-	35,683/-रु०
			कुल	12,64,237/-रु०

वन्य प्राणी संरक्षण

*575. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्वस्थ वन्य प्राणी को प्रोत्साहन देने और उनके संरक्षण हेतु उपाय सुझाने के लिए गत वर्ष गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति को विगठित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वन्य प्राणी संरक्षण हेतु उठाए गए कदम अपर्याप्त पाए गए हैं और अप्रभावी सिद्ध हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए योजनाएं बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) वन्यजीवों, विशेषकर बाघों, तेंदुओं, हाथियों और गैंडों की प्रभावी सुरक्षा में फील्ड स्तर पर बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पद, अपर्याप्त गतिशीलता, आधुनिक आग्नेय शस्त्रों की कमी, आसूचना

एकत्र करने, जांच करने व दोषी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर करने के क्षेत्र में विशेषज्ञता की कमी आदि प्रमुख बाधाओं को जिम्मेवार पाया गया है। इन जानवरों के उत्पादों की गुप्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। प्रधान मंत्री जी ने उपर्युक्त समस्या से प्राथमिकता आधार पर निपटने के बारे में मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है। इसके अलावा, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की उक्त बैठक में वन्यजीव संरक्षण रणनीति, 2002 भी अंगीकृत की गई है। संरक्षण रणनीति की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दर्शायी गई हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करें।

विवरण

भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा अंगीकृत वन्यजीव संरक्षण रणनीति-2002 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं

1. राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव और वनों को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया जाएगा जिसके लिए निधियां अलग से निर्धारित की जाएं।

2. कानून लागू करने वाले अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि वे लोग जो अवैध शिकार, वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों, उनके वासस्थलों को नष्ट करने और अन्य ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं उन्हें शीघ्र और कठोर दंड दिया जाए।

3. इस बात का ध्यान रखते हुए कि इससे वन्यजीवों और सुरक्षित क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, वन्यजीव पर्यटन की संभाव्यता का पूरी तरह से पता लगाना चाहिए। बढ़े हुए पर्यटन से अर्जित राजस्व को संरक्षण के लिए उपलब्ध संसाधनों की वृद्धि हेतु पूर्णतः उपयोग में लाया जाए।

4. महत्वपूर्ण व पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक वन्यजीव वासस्थलों में वन भूमि का वनेत्तर प्रयोजनों के लिए अपवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के 10 कि०मी० के भीतर पड़ने वाली भूमियों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 3(v) के अंतर्गत और पर्यावरण (सुरक्षा) नियम के नियम 5 उपनियम 5 (viii) और (x) के तहत पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील अंचलों के रूप में अधिसूचित किया जाए।

6. वनभूमियों और सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर अनधिकृत कब्जों और अवैध गतिविधियों को समाप्त किया जाए।

7. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में अधिकारों के निस्तारण का उपयोग ऐसे क्षेत्रों को अलग करने अथवा उनमें कमी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है और वन्यजीव वासस्थल का अभिन्न हिस्सा है।

8. सुरक्षित क्षेत्रों के अग्रिम पंक्ति वाले स्टाफ में 2000 से अधिक रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा और प्रभावी कर्त्तव्यपालन के लिए आधारभूत ढांचा मुहैया कराया जाएगा। पुलिस विभाग की तर्ज पर रिक्त पदों की भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाए।

कोयला खान सुरक्षा संबंधी भारत-अमरीका संयुक्त परियोजना

***576. श्री सुबोध मोहिते :** क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला खानों में सुरक्षा स्तर को सुधारने के लिए भारत-अमरीका संयुक्त परियोजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अमरीका सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(घ) विभिन्न कोयला खानों में इस परियोजना के अंतर्गत कौन-सी योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय धरोहर स्थल पर्यटन

***577. श्री के०पी० सिंह देव :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से राज्यों में राष्ट्रीय धरोहर स्थल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय धरोहर स्थल पर्यटन को विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, उनके परामर्श से हेरिटेज स्थलों सहित विभिन्न पर्यटक केन्द्रों में अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हेरिटेज पर्यटन सहित सभी पर्यटन परियोजनाओं के लिए वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान राज्य-वार स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, स्वीकृत राशि तथा अवमुक्त की गई राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान राज्यवार स्वीकृत/अवमुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		स्वीकृत परि-योजनाओं की सं०	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परि-योजनाओं की सं०	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परि-योजनाओं की सं०	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	242.22	124.43	7	180.00	129.60	6	167.85	67.71
2.	असम	17	357.35	92.76	12	298.35	125.02	—	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	11	239.28	102.18	6	49.78	17.50	14	224.90	104.40
4.	बिहार	7	150.75	49.01	13	324.48	98.22	1	1.35	1.35
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	3	115.28	36.75	2	30.00	15.00
6.	गोवा	11	279.82	70.80	9	89.54	27.91	9	93.73	49.85
7.	गुजरात	23	407.64	136.42	19	510.85	152.86	11	315.50	100.30
8.	हरियाणा	9	238.33	155.94	6	112.63	46.86	7	125.44	40.02
9.	हिमाचल प्रदेश	17	691.79	437.75	19	397.29	200.79	12	157.64	63.83
10.	जम्मू एवं कश्मीर	16	311.43	226.03	11	470.93	247.15	3	65.50	55.95
11.	झारखण्ड	—	—	—	6	206.49	61.92	2	80.00	0.50
12.	कर्नाटक	38	890.70	459.67	19	489.30	248.41	8	206.26	71.00
13.	केरल	19	772.28	289.56	7	407.85	122.65	10	841.87	239.52
14.	मध्य प्रदेश	16	431.08	174.04	12	243.21	78.22	11	256.37	94.54
15.	महाराष्ट्र	30	1003.69	260.21	10	270.81	142.01	13	1098.21	284.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मणिपुर	10	229.00	70.10	18	782.77	235.42	—	—	—
17.	मेघालय	6	80.72	20.26	5	105.59	36.10	—	—	—
18.	मिजोरम	13	297.23	235.08	13	309.19	208.66	6	75.25	41.77
19.	नागालैण्ड	16	303.30	229.65	7	145.03	42.84	5	41.54	20.20
20.	उड़ीसा	20	306.90	90.92	4	156.94	47.07	4	38.05	27.12
21.	पंजाब	8	175.00	55.63	6	203.50	61.33	3	17.50	12.34
22.	राजस्थान	12	131.22	36.59	22	455.00	143.47	2	5.00	2.50
23.	सिक्किम	12	118.98	48.57	33	376.49	172.32	—	—	—
24.	तमिलनाडु	27	531.95	168.07	8	113.83	37.30	17	542.83	128.77
25.	त्रिपुरा	7	340.76	187.80	13	333.23	151.55	—	—	—
26.	उत्तरांचल	—	—	—	7	70.19	29.78	3	65.51	32.04
27.	उत्तर प्रदेश	36	749.58	242.56	17	154.21	62.54	5	56.54	24.87
28.	पश्चिम बंगाल	6	194.01	76.56	20	412.68	268.14	11	229.85	88.63
29.	अण्डमान एवं निकोबार	1	32.37	16.18	1	1.78	0.89	—	—	—
30.	चण्डीगढ़	4	68.44	15.37	5	22.13	8.50	5	22.13	8.50
31.	दादरा नगर हवेली	1	30.00	9.00	1	8.00	2.40	—	—	—
32.	दिल्ली	5	24.50	12.20	1	16.28	8.57	7	58.96	39.50
33.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	पांडिचेरी	10	163.89	56.24	3	26.18	9.09	3	78.61	31.98
	जोड़	422	9794.21	4148.86	343	7859.81	3256.84	180	4896.39	1646.70

राष्ट्रीय जलनीति

*578. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल नीति में कई ऐसी खामियां हैं जिनका बाजार शक्तियां लाभ उठा सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नई नीति ने जल विकास और प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण और समुदाय आधारित जल संग्रहण को प्रोत्साहन देने की जनाकांक्षाओं को झुठला दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा जल विकास प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) संशोधित जल नीति देश में जल संसाधनों की आयोजना, निर्माण एवं प्रबंधन में समुदायों अर्थात् लाभग्राहियों तथा विपरीत रूप से प्रभावित लोगों सहित सभी दावाधारकों की भागीदारी पर बल देती है। ''परियोजना आयोजना'' के पैरा 6.8 में यह व्यवस्था है कि :

''परियोजना आयोजना के चरण से लाभग्राहियों एवं अन्य दावाधारकों की सहभागिता तथा उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।''

एक पृथक नये पैरा-12 में ''जल संसाधनों के प्रबंधन में सहभागिता दृष्टिकोण'' का उल्लेख है और यह व्यवस्था है कि :

''जल संसाधन स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, विकास और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में न केवल विभिन्न सरकारी अभिकरणों बल्कि प्रयोक्ताओं और अन्य धारकों (स्टेकहोल्डरों) को शामिल करते हुए विभिन्न उपयोगों के लिए प्रभावी एवं कारगर ढंग से जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए एक सहभागिता दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसमें महिलाओं की उपयुक्त भूमिका को विधिवत सुनिश्चित करते हुए इस प्रयोजन के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक विधिक एवं संस्थागत परिवर्तन करने चाहिए। इस प्रकार की सुविधाओं के प्रबंधन को अंतिम रूप से प्रयोक्ता संघों/स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित करने की दृष्टि से जल प्रयोक्ता संघों और नगरपालिका तथा ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों को उत्तरोत्तर उचित स्तर पर विशेष रूप से जल अवसंरचनाओं/सुविधाओं के प्रचालन, रखरखाव और प्रबंधन में शामिल करना चाहिए।''

इसके अतिरिक्त, ''अनुरक्षण एवं आधुनिकीकरण'' के पैरा 23.3 में यह व्यवस्था है कि :

''समयबद्ध ढंग से सिंचाई प्रणाली के अनुरक्षण सहित इसके प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकार एवं दायित्व के साथ जल प्रयोक्ता संघों का गठन करना चाहिए।''

पैरा के अंत में नीति में यह दोहराया गया है कि :

''जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन में समुदाय की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।''

पारिस्थितिकी (इको) क्लबों की स्थापना

***579. श्री रामदास आठवले :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और राष्ट्रीय हरित सेना (नेशनल ग्रीन आर्मी) तैयार करने के लिए देश के सभी जिलों के विद्यालयों में ''पारिस्थितिकी (इको) क्लब'' की स्थापना करने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक जिले में चिन्हित विद्यालयों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) सरकार ने पर्यावरण के बारे में बच्चों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से नेशनल ग्रीन कोर्प्स बनाने हेतु देश के प्रत्येक जिले में 100 विद्यालयों में पारि क्लब स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रत्येक ज़िले में स्कूलों के स्थान निर्धारण का चयन राज्य सरकार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के परामर्श से अभिनिर्धारित नोडल एजेंसी द्वारा किया जाता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान पारि क्लब स्थापित करने में लगभग 5.58 करोड़ रु० का कुल व्यय हुआ। इस धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पारिक्लबों की स्थापना के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	राशि (रुपयों में)
1	2	3
1.	अरूणाचल प्रदेश	12,61,770
2.	आंध्र प्रदेश	24,90,000
3.	असम	20,72,130
4.	बिहार	36,03,360

1	2	3
5.	चण्डीगढ़ (केन्द्र शासित राज्य)	90,480
6.	छत्तीसगढ़	14,41,740
7.	दादर एवं नगर हवेली (केन्द्र शासित राज्य)	90,480
8.	गोवा	1,80,960
9.	गुजरात	36,77,205
10.	हरियाणा	17,12,190
11.	हिमाचल प्रदेश	10,81,800
12.	जम्मू और कश्मीर	12,61,770
13.	झारखंड	18,92,160
14.	कर्नाटक	24,33,060
5.	केरल	12,61,176
6.	लक्षद्वीप (केन्द्र शासित राज्य)	90,480
7.	मध्य प्रदेश	40,53,780
8.	मणिपुर	8,10,360
9.	मिजोरम	7,20,870
20.	मेघालय	8,11,350
21.	महाराष्ट्र	29,73,770
22.	उड़ीसा	44,12,646
23.	पंजाब	15,30,900
24.	पांडिचेरी (केन्द्र शासित राज्य)	3,60,930
25.	उत्तरांचल	11,71,290
26.	उत्तर प्रदेश	63,05,880
27.	पश्चिम बंगाल	16,21,710
28.	राजस्थान	28,83,480
29.	सिक्किम	3,59,940
30.	त्रिपुरा	5,88,976
31.	तमिलनाडु	25,22,550
	जोड़	5,57,69,193

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

***580. श्री वाई०वी० राव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत अब तक किन-किन झीलों के संरक्षण का कार्य आरम्भ किया गया है;

(ग) इसके अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और अब तक की उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार वर्ष 2002-03 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत किन्हीं नई झीलों को शामिल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रारंभ में संरक्षण के लिए कुल 10 प्रदूषित झीलों की पहचान की गई थी जो नीचे दिए अनुसार हैं :-

क्र.सं.	झील का नाम	राज्य
1	2	3
1.	डल	जम्मू और कश्मीर
2.	सुखना	चण्डीगढ़
3.	सागर	मध्य प्रदेश
4.	नैनीताल	उत्तर प्रदेश
5.	कोडईकनाल	तमिलनाडु

1	2	3
6.	ऊटी	तमिलनाडु
7.	उदयपुर	राजस्थान
8.	रबिन्द्र सरोवर	पश्चिम बंगाल
9.	पोवाई	महाराष्ट्र
10.	हुसैनसागर	आंध्रप्रदेश

प्रदूषण की स्थिति और राशियों की उपलब्धता के आधार पर और नई झीलों पर भी विचार किया गया। अभी तक संरक्षण के लिए निम्नलिखित झीलों को अनुमोदित किया गया है।

क्र. सं	झील का नाम	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये)	लागत हिस्सेदारी पद्धति
1.	पवाई	6.62	100% केन्द्रीय वित्त पोषण
2.	ऊटी	1.95	तदैव
3.	कोडईकनाल	6.33	तदैव
4.	बंगलौर झीलें (जरगानहाली, कामक्षीप्लाय, नागवारा और वेगेनहाकरे)	12.32	70% केन्द्रीय हिस्सा, 30% राज्य का हिस्सा

अनुमोदित झीलों के कार्य परियोजना शुरू होने की तारीख से 2 और 3 वर्षों के बीच अलग-अलग समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। झीलों की जल गुणवत्ता में सुधार परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही होगा।

पर्यावरण की रक्षा

5922. **श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में हुए अध्ययन से यह पता चला है कि भस्मकों द्वारा छोड़े जाने वाले अत्यंत विषैले रसायन स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह का कोई अध्ययन भारत में कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे विषैले रसायनों से पर्यावरण को बचाने हेतु क्या कदम उइाए गए/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) यदि भस्मकों का वैज्ञानिक पद्धति से अभिकल्पन और प्रचालन न किया जाए तो यह अत्यधिक विषैले रसायल छोड़ते हैं जैसे कि डाईआक्सैन एवं फ्यूरेन।

(ख) और (ग) डाईआक्सैन और फ्यूरेन के उत्सर्जनों को सूचीबद्ध करने के लिए कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जैव चिकित्सा अपशिष्टों के निपटान के लिए देश में भस्मकों के उपयोग को विनियमित किया जाता है। इन नियमों के अंतर्गत क्लोरीनेटड प्लास्टिक को भस्मकों में जलाना प्रतिबंधित है। इन नियमों के अंतर्गत नियंत्रित तापमान स्थितियों के अधीन केवल दोहरे चैम्बर वाले भस्मक जिनमें आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगे हों, की ही अनुमति है। भस्मकों के प्रचालन एवं उत्सर्जन मानकों का निर्धारण भी इन नियमों का एक भाग है।

कृषि उत्पादकता पर ध्यान केन्द्रित करना

5923. **श्री के० येरननायडू : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के खाद्यान्न क्षेत्र में लागत कम करने वाली प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र में किस तरह के सुधार किए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) इस संबंध में क्या रणनीतियां अपनाई गईं/तैयार की गईं हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यों का मुख्य प्रयोजन बढ़ी हुई फसल उत्पादकता और निवेश का सही प्रयोग करते हुए उत्पादन की प्रति इकाई कीमत को कम करना है।

(ख) और (ग) पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा, विपणन अनुसंधान सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर अधिकतर जोर, गुणवत्ता निवेशों की उपलब्धता, कृषि अनुसंधान में अधिकतर निवेश, जैव प्रौद्योगिकीय औजारों का प्रयोग, सहायक सेवाओं का सृजन, फसल नीरोग परामर्श, आवश्यक फार्म मशीनरियों के लिए सुविधाएं, उदार ऋण नीतियां, संगठित बीज उत्पादन और लगनशील प्रसार सेवाएं, कृषि अनुसंधान और विकास, आवश्यकता में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता, कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान केन्द्रित करना। जैविक और अजैविक दबावों के लिए प्रतिरोधिता के साथ जुड़े दक्ष जीनोटाइप, पौष्णिक प्रयोग का विकास, समन्वित पोषक और नाशीजीव प्रबंधन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, संकर प्रोद्योगिकी की शुरूआत, शून्य कृषि और संसाधन संतुलित प्रौद्योगिकियों को अपनाना, विभिन्न कृषि प्रचालनों का समुचित मशीनीकरण, फसल प्रतिस्थापन और विभिन्नता, उत्पादन, उत्पादकता और किसानों के लाभ बढ़ाने में मदद करेंगी।

[हिन्दी]

तपेदिक से पीड़ित श्रमिक

5924. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में तपेदिक से पीड़ित श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार समय-समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच हेतु सुविधाएं उपलब्ध करा रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने राजस्थान में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अवैध कोयला खनन

62-63

5925. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० (सी.आई.एल.) को इस बात की जानकारी है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई.सी.एल.) की बंद कोयला खानों/खुले मुहाने वाली परियोजनाओं से कोयले का अवैध खनन जारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में कोयले का अवैध खनन किया गया;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी अनुमानित हानि हुई; और

(घ) इस संबंध में कोल इंडिया लि० (सी.आई.एल.) द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां। पं. बंगाल/बिहार/झारखंड राज्यों में स्थित ई.सी.एल. की परित्यक्त कोयला खानों/ओपनकास्ट परियोजनाओं से अवैध खनन के मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) परित्यक्त/बंद/अप्रयुक्त खानों अथवा खनित किए गए क्षेत्रों से कोयले के प्रच्छन्न निष्कर्षण तथा उठाईगीरी की प्रकृति के अवैध खनन के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। इसलिए उठाए गए घाटे की सही मात्रा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती। तथपि, मारे गए छापों के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान बरामद किए गए कोयले की मात्रा निम्नानुसार है :-

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02 (फरवरी, 2002 तक)	
बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु० में)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु० में)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु० में)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु० में)
5271	42.17	403	3.22	5636	40.09	21301	170.00

(घ) पट्टाधारी क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिए कोल इंडिया लि० ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

1. आसूचना संग्रहण।

2. जहां भी संभव हो, अवैध खनन क्षेत्रों की डोजिंग ऑफ/भराई करना।

3. परित्यक्त/अप्रयुक्त खानों में फैंसिंग/चारदीवारी का निर्माण करना।

4. निजी सुरक्षा बल तथा सी.आई.एस.एफ. द्वारा 24 घंटे पेट्रोलिंग करना।

5. सुरक्षा बल/सी.आई.एस.एफ. द्वारा औचक जांच करना/छापा मारना।

6. छापे के दौरान जब कभी अवैध रूप से खनित कोयले तथा अवैध खनन के उपकरण पकड़े जाते हैं; उन्हें स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है।

7. अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जिला प्राधिकारियों की मदद तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है।

अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने भी कोयला उत्पादक राज्यों के साथ मामले को उठाया है।

विमानपत्तनों का निजीकरण

5926. श्री सुनील खां : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितंबर, 2002 में कोलकाता विमानपत्तन को निजी उद्यमियों के हाथों बेचे जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों का क्या होगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि जब भी उपयुक्त पाया जाए दीर्घअवधि पट्टे के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों को रीस्ट्रक्चर किया जाए। फिलहाल, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता स्थित हवाई अड्डों को इस कार्य के लिए लिया गया है। वित्तीय सलाहकार ने ड्यू डीलिजैंस एवं वैल्यूसन और विक्रय ज्ञापन एवं मार्किटिंग प्लान के संबंध में रिपोर्टों के चरण-1 और 2 प्रस्तुत किए हैं। प्रोसपैक्टिव बोलीदाताओं को ब्रीफ करने के लिए पूर्व-निवेश बैठक आयोजित की जाती है। हवाई अड्डे के लिए पट्टेदार का चयन पारदर्शी प्रतियोगिता के माध्यम से ग्लोबल बिड प्रक्रिया द्वारा किया लाएगा।

(ग) कोलकाता हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों की कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लीजिंग प्रक्रिया में कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा की जाएगी।

फल और सब्जी निर्यात जोन

5927. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का पहला अनानास निर्यात जोन उत्तरी बंगाल में खुलने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार के बागवानी विभाग और निजी फर्म के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की प्रक्रिया जारी है;

(ग) क्या मालदा जिले में आम निर्यात जोन और उत्तरी 24 परगना जिले में सब्जी निर्यात जोन स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल खाद्य प्रंसंस्करण तथा बागवानी विकास निगम लिमिटेड, तथा एम०एम०जे० एक्सपोर्ट लिमिटेड के बीच दिनांक 30 अप्रैल, 2002 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कोयले की मौजूदा बिक्री नीति को बदलना

5928. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयले की मौजूदा बिक्री नीति को बदलने का प्रस्ताव है ताकि कोयले की विभिन्न श्रेणियों के मुहाने पर लागू मूल्य एक समान रह सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मौजूदा नीति और कोयले की विभिन्न किस्मों की दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई नीति बना ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो नई नीति कोयले उद्योग के लिए कितनी लाभकारी होगी?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) सभी ग्रेडों के कोयले के मूल्य तथा वितरण को 1.1.2000 से विनियंत्रित कर दिया गया है। विनियंत्रित परिदृश्य में, कोल इंडिया लि० (सी.आई.एल.) नई बिक्री नीति, मुख्यत: नांनकोर क्षेत्र के संबंध में, तैयार करने तथा कार्यान्वियन का प्रक्रिया में है। मूल्य निर्धारण नई बिक्री नीति का एक भाग होगा। मूल्य निर्धारण तंत्र को लचीला बनाने का प्रस्ताव है और यह विशेष ग्रेड के कोयले के लिए एक कोलियरी से दूसरी कोलियरी में भिन्न हो सकता है।

(ख) विद्यमान नीति में उपभोक्ताओं के लिए, अलग-अलग कोलियरियों तथा अलग-अलग ग्रेडों के कोयले के लिए समान रूप से अलग-अलग बेसिक मूल्य लिया जाता है। अलग-अलग किस्मों के कोयले की विद्यमान दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) उदारीकृत और विनियंत्रित अर्थव्यवस्था को देखते हुए, सीआईएल एक बिक्री नीति तैयार कर रहा है जोकि सरल, पारदर्शी तथा ग्राहक-अनुकूल होगी। उपभोक्ता की बढ़ी हुई सन्तुष्टि से कोयला उद्योग के और तेजी से बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार, नई बिक्री नीति ग्राहकों तथा सी.आई.एल. के लिए लाभकारी होगी तथा इसलिए यह भविष्य में कोयला उद्योग के व्यापक हितों में होगी।

विवरण

नॉन-कोकिंग कोयला (रु० प्रति टन)

ग्रेड	डब्ल्यूसीएल		एस.ई.सी.एल.			सी.सी.एल.		बीसीसीएल		एनसीएल		एमसीएल	
	एल एफ	एन एल एफ	कुछ विनिर्दिष्ट खानों में	एल एफ	एन एल एफ	एल एफ	एन एल एफ	एल एफ	एन एल एफ	एल एफ	एन एल एफ	एल एफ	एन एल एफ
ए	1083	1017	1100	999	934	1177	1100	1121	1047	1147	1072	979	912
बी	0122	956	1034	939	872	1065	989	1014	942	1039	964	885	819
सी	955	890	862	784	717	890	813	847	774	867	792	740	674
डी	902	835	736	669	600	758	680	722	648	740	664	633	566
ई		708			497		539		514		527		445
एफ		590			396		431		410		420		351
जी		445			383		308		294		300		250

टिप्पणी :

1. डब्ल्यूसीएल—वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
2. एस.ई.सी.एल.—साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
3. सी.सी.एल.—सेंट्रल कोलफल्ड्स लि०
4. बीसीसीएल—भारत कोकिंग कोल लि०
5. एनसीएल—नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०
6. एमसीएल—महानदी कोलफील्ड्स लि०
7. एलएफ—लॉग फ्लेम
8. एनएलएफ—नॉन-लॉग फ्लेम

उपर्युक्त सूची केवल आर.ओ.एम. कोयले के लिए है। स्टीम, रब्बल तथा स्लैक के लिए अलग-अलग दरें।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के आर.ओ.एम. कोयला का मूल्य

नॉन-कोकिंग कोयला (रु० प्रति टन)

ग्रेड	कतिपय विनिर्दिष्ट एस.पी. खानों में दरों	रानीगंज में कतिपय विनिर्दिष्ट खानों में दरें	मुग्मा		राजमहल परियोजना		सालनपुर	रानीगंज की दूसरी कोलियरियों में उत्पादित कोयला	
			एल एफ	एन एल एफ	एल एफ	एन एल एफ	एन.एल.एफ	एल एफ एफ	एन एल
ए	1628	1388	1440	1345			1177	1263	1184
बी	1447	1312	1290	1197			1059	1192	1115
सी	1211	1118	1093	1000			870	1018	939
डी	974	905	895	804	915		694	824	748
ई				591		703	524		524
एफ				476		597	417		417
जी				327		479	298		298

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (रु० प्रति टन)

असम कोयला	कोयले का ग्रेड और यू.एच.वी. रेन्ज (कि. कैलो./कि.ग्रा.)	रन आफ माइन
ए	6200-6299	998
बी	5600-6199	741

टिप्पणी :

1. ग्रेड "ए" में, 6299 किलो कैलोरी प्रति कि.ग्रा. से अधिक, 100 किलो कैलौरी प्रति कि.ग्रा. के प्रत्येक अतिरिक्त लाभप्रद ऊष्मा मान (यू.एच.वी.) के लिए ग्रेड के मूल्य में अतिरिक्त 65/- रु० प्रति टन जोड़ा जाता है।

2. 7099 किलो कैलोरी प्रति कि.ग्रा. से अधिक यू.एच.वी. के लिए रन आफ माइन कोयला के लिए कोयले का मूल्य 1836 रु० प्रति टन है।

कोयले का मूल्य (आर.ओ.एम.)

कोकिंग कोल (रु० प्रति टन)

ग्रेड	बीसीसीएल		ईसीएल, मुग्मा	सीसी एल	एसईसी एल	डब्ल्यू सी एल	बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल से भिन्न अनुषंगियां
	कतिपय विनिर्दिष्ट खानों में दरें	विनिर्दिष्ट खानों की अपेक्षा अन्य					
1	2	3	4	5	6	7	8
इस्पात ग्रेड-I	1914	1695					

1	2	3	4	5	6	7	8
इस्पात ग्रेड-II	1598	1416					
वाशरी ग्रेड-I	1385	1227	1575	1287	1096	1075	
वाशरी ग्रेड-II	1147	1016	1305	1067	907	890	
वाशरी ग्रेड-III	848	751	964	789	671	803	
वाशरी ग्रेड-IV	789	699	896	734	625	659	
सेमी कोकिंग ग्रेड-I	1335	1183	रानीगंज 1360	1241			1096
सेमी कोकिंग ग्रेड-II	1106	979	रानीगंज 1126	1027			907

डारेक्ट फीड 1899 (20% से अधिक परन्तु 21% से अधिक राख)

कुछ विनिर्दिष्ट खानों में कोकिंग कोयला

दलहन उत्पादन

5929. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 की तुलना में वर्ष 2001 के दौरान दलहन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या दलहन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पिछले कुछ वर्षों से दलहन का उत्पादन गिर रहा है/स्थिर हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इससे खुले बाजार में दलहन के मूल्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो उचित मूल्य पर दलहन उपलब्ध कराने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) दलहन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 1981 में 13.7 किलोग्राम/प्रति वर्ष की तुलना में 2001 में 10.2 किलोग्राम/प्रति वर्ष रही। दलहन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में 1981 से उतार चढ़ाव आता रहा है।

दलहन की उपलब्धता इसके उत्पादन पर निर्भर होती है, जिसमे वर्ष दर वर्ष उतार-चढ़ाव आता है, जो मानसून की वर्षा पर निर्भर होता है, क्योंकि दलहन की खेती वर्षा सिंचित स्थितियों में सीमान्त तथा उप-सीमान्त भूमि पर की जाती है।

(घ) मानसून की वर्षा पर निर्भर रहने के कारण पिछले कुछ वर्षों में दलहन उत्पादन में उतार-चढ़ाव आता रहा है। पिछले 5 वर्षों में दहलन का उत्पादन नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है :-

(मिलियन मी० टन)

वर्ष	उत्पादन
1997-1998	12.97
1998-1999	14.91
1999-2000	13.41
2000-2001	10.67
2001-2002 (प्रत्याशित)	13.80

(ङ) और (च) दलहन की कीमतों में वृद्धि घरेलू उत्पादन सहित अनेक कारकों पर निर्भर होती है। भारत सरकार दलहन उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से देश में दलहन की मांग को पूरा करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों, राइजोबियम कल्चर, छिड़काव

यंत्रों, उन्नत कृषि उपस्करों आदि के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा देश में दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को उन्नत उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु प्रखण्ड प्रदर्शन एवं किसानों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं।

दलहन का आयात खुले सामान्य लाइसेन्स के अंतर्गत है और बाजार में दलहन की आपूर्ति कम होने पर ही किया जाता है। इसके अलावा दलहन का उपयोग सब्जियो के विकल्प के रूप में किया जाता है।

मंत्रालयीय संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी

5930. **श्री विकास चौधरी : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कर्मचारी जो अपने नियुक्ति के समय से ही मंत्रालयीय संवर्ग में कार्यरत हैं, को प्रबंधन द्वारा ''कैटेगरी वर्कर्स'' माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये कर्मचारी ''कैटेगरी वर्कर्स'' के रूप में कब से कार्यरत हैं; और

(ग) प्रबंधन द्वारा इन कर्मचारियों को उचित ग्रेड प्रदान करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पगलाडिया बांध परियोजना

5931. **श्री एम.के. सुब्बा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांध विस्थापितों के समक्ष आ रही समस्याओं से अवगत कराने हेतु पगलाडिया बांध परियोजना प्रभावित क्षेत्र संग्राम समिति का प्रतिनिधिमंडल मंत्री महोदय से मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने विस्थापितों को पुनर्वास इकाईयां प्रदान की गई और अन्य लाभ प्रदान किए गए तथा उन लोगों की संख्या कितनी है जो अभी भी पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना की स्वीकृति के पहले जून, 2000 में जिला प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार संभावित विस्थापित परिवारों की अनुमानित संख्या 3271 थी। तथापि, जिला सिविल प्रशासन, नलबाड़ी द्वारा जिराट सर्वेक्षण किया गया तथा सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही विस्थापितों की वास्तविक संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए, विस्थापित परिवारों को राहत एवं पुनर्वास का लाभ दिया जाना जिला प्राधिकारी द्वारा जिराट सर्वेक्षण के पूरा होने पर निर्भर करता है।

कृषि सुधार के लिए प्रस्ताव

5932. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया से कृषि सुधारों हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हल्दीमुंडा डाइवर्शन प्रोजेक्ट हेतु सहायता

5933. **श्री विष्णुदेव साय : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ में चल रहे हल्दीमुंडा डाइवर्शन प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) परियोजना की सिंचाई क्षमता और अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) छत्तीसगढ़ की हल्दीमुंडा स्कीम को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

मध्य वैतर्ना बांध परियोजना

5934. श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई के मध्य वैतर्ना बांध परियोजना पर कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पास भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत सहित इसका ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार के पास इसे किस तिथि को भेजा गया तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त परियोजना की लागत को किस तरह से बांटा जायेगा;

(घ) उक्त परियोजना की स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) शहरी विकास मंत्रालय जो कि जल आपूर्ति परियोजना स्वीकृत करने वाला अभिकरण है, के परामर्श पर ग्रेटर बंबई नगर निगम ने बांध के निर्माण और सुरक्षा के संबंध में तकनीकी संवीक्षा करने के लिए मध्य वैतर्ना बांध परियोजना के निर्माण की व्यावहारिकता रिपोर्ट सितम्बर, 1993 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की थी। इस परियोजना के घटकों जैसे-हेड वर्क्स, कच्चा जल संवाहक प्रणाली, सुधार संयंत्र और पंपिंग संयंत्र तथा अन्य विविध कार्यो सहित इस परियोजना की अनुमानित लागत 570.00 करोड़ रुपये थी। केन्द्रीय जल आयोग ने बांध एवं स्पिलवे के सरेखण को अनुमोदित कर दिया है और ग्रेटर मुम्बई नगर निगम को 9.2.2000 को सूचित कर दिया था। मध्य वैतर्ना बांध (संशोधित भाग सहित) के हेड वर्क्स के लिए 404.793 करोड़ रुपये का संशोधित लागत प्राक्कलन केन्द्रीय जल आयोग में अप्रैल, 2002 के महीने में प्राप्त हुआ।

(घ) और (ङ) इस परियोजना प्रस्ताव पर राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है। राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सांविधिक स्वीकृति भी प्राप्त करनी है।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन विकास

5935. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी बंगाल के विशिष्ट भाग सहित पश्चिम बंगाल में विशाल पर्यटन क्षमता से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में किन क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां केन्द्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से पर्यटन परिसर को विकसित करेंगे;

(ग) क्या कोई व्यापक परियोजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पर्यटक स्थलों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान लिए जाने वाले प्रस्तावों का अभी तक अभिनिर्धारण नहीं हुआ है।

वन्यजीवन पर औद्योगिक अपशिष्ट का प्रभाव

5936. श्री जे.एस. बराड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन्यजीव अभयारण्य से गुजरने वाली नदियों में छोड़ा जाने वाला औद्योगिक अपशिष्ट जंगली पशुओं और पक्षियों के लिए घातक साबित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समस्याओं का सामना करने वाले वन्यजीव अभयारण्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वन्यलीव अभयारण्यों के आसपास में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्रतटीय पर्यटन

5937. श्री टी० गोविन्दन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में देश में विशेषकर केरल में समुद्रतटीय पर्यटन के विकास के लिए किसी निधि का आवंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन केन्द्रों/स्थानों को विकसित करने का कार्य मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यों के साथ प्रतिवर्ष विचार-विमर्श करके समुद्रतटीय पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराया जाता है तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए केरल को आवंटित की गई है।

पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा केरल सरकार के लिए समुद्र-तटीय पर्यटन से जुड़ी निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है :-

वर्ष		परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1999-2000	(1)	जल मार्गस्थ सुविधाएं :	
		नेदमुदी	50.00
		कोठारथोड	50.00
		पालाथुरथी	50.00
	(2)	पाथिरामनाल में पारिस्थितिकी के अनुकूल तरण रिजार्ट का समेकित विकास	100.00
	(3)	कोवलम समुद्रतट का समेकित विकास (कोवलम में जल निकासी तथा ठोस अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली)	71.19
2000-01	(1)	पैन्टून्स और दो सीट वाली तीव्रगामी इन्फ्लेटेबल नावों की प्राप्ति	75.00
	(2)	नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए स्थायी पैदल मार्ग का निर्माण	27.65
2001-02	(1)	जलक्रीड़ा के लिए नए पावर बोट तथा 2-सीटर माईक्रो-स्पीड नावों की प्राप्ति	110.00
	(2)	कोची के समुद्रतट पर बैक वाटर के साथ-साथ पैदल मार्ग का विकास	57.00

'कोडेक्स' मानक वाले खाद्य उत्पादों का निर्यात

5938. श्री मोहन रावले : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हेतु कदम उठाये गये हैं ताकि कोडेक्स मानकों के अनुरूप उनका निर्यात किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) जी, हां।

(ख) गुणवत्ता नियंत्रण के ज़रिए निर्यात व्यापार का सही विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के

तहत निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 बनाया था। यह अधिनियम भारत सरकार को वस्तुओं तथा उनके निर्यात के लिए न्यूनतम मानक सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय मानक या आयातक देशों के मानकों के साथ-साथ जांच तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु समुचित मशीनरी को अधिसूचित करने का प्राधिकार देता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, आयातक देशों की कड़ी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा अपेक्षाओं के कारण वस्तुओं को रद्द होने से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा समुद्री उत्पादों, दुग्ध उत्पादों, मांस उत्पादों, अंडा उत्पादों तथा शहद जैसे उत्पादों के लिए निर्यात प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी निर्यात जांच तथा प्रमाणन संस्था के रूप में निर्यात विकास परिषद् को जांच तथा प्रमाणन कार्य के लिए नामित किया गया है। इस संदर्भ में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन अपनाया जाता है जिसमें उत्पाद प्रमाणन के साथ-साथ उत्तम निर्माण विधियों (जी एम पी) उत्तम स्वास्थ्य विधियों (जी एच पी), हैज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कन्ट्रोल प्वॉइन्ट समेत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आधारित दृष्टिकोण समन्वित है। इस प्रणाली के तहत, निर्यात किए जा रहे उत्पाद निम्नलिखित के अनुरूप होने चाहिए :-

(1) आयातक देशों के राष्ट्रीय मानक/अंतर्राष्ट्रीय मानक (यानि कोडेक्स मानक);

(2) विदेशी खरीददार तथा निर्यातक के बीच हुई संविदागत विनिर्दिष्टियां बशर्ते कि वे विनिर्दिष्टियां आयातक देश की स्वास्थ्य या अन्य अपेक्षाओं के अनुरूप हों; और

(3) (क और ख) की अनुपस्थिति में, प्रत्येक वस्तु के लिए अधिसूचित न्यूनतम मानक।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपनी स्कीमों के तहत खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देते हैं ताकि स्वदेशी खाद्य वस्तुएं कोडेक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां

5939. श्री अमर राय प्रधान : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष में आज की तारीख तक उनके मंत्रालय के अधीनस्थ सभी विभागों के उन अधिकारियों के कार्यालय-वार, नाम और पदनाम क्या हैं जो सेवाकाल में ही दिवंगत हो गए;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके योग्य आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर उचित रूप से नियुक्त कर दिया गया है;

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके योग्य आश्रितों को अभी तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं; और

(घ) दिवंगत अधिकारियों के इस प्रकार के योग्य आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर कब तक नियुक्त कर दिए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क)

वर्ष	सांख्यिकी स्कंध	कार्यक्रम कार्यान्वयन सकंध	संगणक केन्द्र	क्षेत्र संकार्य प्रभाग	समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प तथा अनुसंधान प्रभाग	औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध
1	2	3	4	5	6	7
1997	1. नानू राम, चपरासी 2. नन्द किशोर, चौकीदार	रमेश चन्द, स्टाफ कार ड्राईवर	—	1. एस.एन. शर्मा, सहायक अधीक्षक 2. ए. शेषागिरि राव, सहायक अधीक्षक 3. जे. कामेश्वर राव, सहायक अधीक्षक 4. नाथू सिंह, चपरासी 5. ए.के. इडके, सहायक अधीक्षक	1. आर.ए.गुप्ता, वरिष्ठ डी.पी.ए. 2. सुधीर चन्द सांत्रा, डी.पी.ए. 3. अशोक कुमार सिन्हा, डी.ई.ओ ग्रेड-बी	—

1	2	3	4	5	6	7
				6. एम.के. ठाकुर सहायक अधीक्षक	4. देबिका मुखर्जी, लेखाकार	
1998	प्रकाश, चपरासी	—	श्रीमती जी.के. भाटिया डी.ई.ओ. ग्रेड सी	1. जहांगीर हसन, सहायक अधीक्षक 2. ए.के. गोयल, सहायक अधीक्षक 3. सुश्री मीनू गुप्ता, अन्वेषक 4. आर.एस. गोसांई, सहायक अधीक्षक 5. जे.के. गुप्ता, अधीक्षक 6. वीर सिंह, सहायक अधीक्षक 7. के.आर. पटीर, सहायक अधीक्षक 8. एस.एल. जाटव अधीक्षक 9. के.एस. नुवाल, सहायक अधीक्षक 10. सतीश कुमार, अ.श्रे.लि. 11. के. गुरुराजा, सहायक अधीक्षक 12. अलागिरी सामी, अधीक्षक 13. एस.पी. दास, सहायक अधीक्षक 14. सी. नटराज, उप-निदेशक 15. कन्हैया लाल, अन्वेषक	1. आशु आर.एन. डे, बाईन्डर 2. बाल किशोर राम, चपरासी 3. महेश चन्द मंडल, मशीन **अटेंडेन्ट** 4. एस.एन. हाडप, डी.पी.ए.	—

1	2	3	4	5	6	7
				16. एम.एम. शाह, अधीक्षक 17. सी.एम. ग्रोवर सहायक अधीक्षक		
1999	अशोक, चपरासी	–	राजेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक	1. लखन लाल गायकवाड़, चपरासी 2. बी.डी. दास, चपरासी 3. के. सशिधरन, दफ्तरी 4. सी.के. शर्मा, अध्यक्ष 5. बी. शेखर बाबू, अन्वेषक 6. के. राममोहन राव, सहायक अधीक्षक 7. एम. सुक्रामनियन, अधीक्षक 8. सी. दामोदरन, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1 9. मेला राम, सहायक अधीक्षक 10. बी.के. दास, चपरासी 11. आर.एस. प्रधान, उ.श्रे.लि. 12. फकीर चन्द, सफाईवाला 13. ओ. मुड्प्पा, सहायक अधीक्षक .	1. किशन बहादुर, चौकीदार 2. आर.बी.पाठक, डी.ई.ओ. ग्रेड बी 3. रमेश चन्द्र, उ.श्रे.लि. 4. नमई चंद मोइत्रा, गेस्टेटनर आप्रेटर 5. कनुजिया राजू गिरधारीलाल, चौकीदार	–
2000	1. ओम प्रकाश, दफ्तरी 2. हरी ओम, दफ्तरी	–	एस.पी. सिंह, उप निदेशक	1. आर.के. रेड्डी, अन्वेषक 2. सीएल.नेगी, सहायक अधीक्षक	1. डी.एन. धोवे, दफ्तरी 2. मेवा सिंह, उप निदेशक	प्रोवाश नन्दी, चपरासी

1	2	3	4	5	6	7
	3. जगमोहन, गेस्टेटनर आपरेटर			3. आर.एन. रत्नम, सहायक अधीक्षक	3. जे. लाल, उप निदेशक	
				4. बी.एन. राय, चपरासी	4. एच.एन. शिन्दे, दफ्तरी	
				5. बी. भट्टाचार्य, सहायक अधीक्षक	5. श्रीमती हाशी दत्ता, उ.श्रे.लि.	
				6. आर.एस. दास, अन्वेषक	6. एस.के. जैन, डी.पी.ए. ग्रेड-III	
				7. टी. कुजुर सहायक अधीक्षक		
				8. जी. रविदास, अधीक्षक		
				9. महेश चन्दर, अन्वेषक		
				10. केशव राम, दफ्तरी		
				11. वी.के. टिर्के, अन्वेषक		
2001	जय सिंह, वाहक	–	–	1. के.एल. नेगी, सहायक अधीक्षक	आर.पी. बारापात्रा, डी.पी.ए. ग्रेड-II	–
				2. पी. रामानाथ राव, अधीक्षक		
				3. आर.एल. मुक्, सहायक अधीक्षक		
				4. आर.आर. सावंत, चपरासी		
				5. ए.के. शर्मा, सहायक अधीक्षक		
				6. गुलाब राम, अधीक्षक		
				7. अब्दुल सत्तार, चपरासी		
				8. ई.एस.वी.आर. मोहन राव अधीक्षक		

1	2	3	4	5	6	7
				9. डी.पी. चक्रवर्ती, अ.श्रे.लि. 10. एम.डी. चाइनी, अ.श्रे.लि. 11. बी.के. गगरानी, सहायक अधीक्षक 12. ओम किशन, चपरासी		
2002	–	–	–	1. आर.एस. श्रीवास्तव, अधीक्षक 2. डांडुल मजनी, चपरासी 3. ए.वाई. जेसी, अधीक्षक 4. यश पुरोहित, अन्वेषक 5. आर.के. राजवंशी, सहायक निदेशक 6. एस.आर. काजला, सहायक अधीक्षक	–	–

(ख)

सांख्यिकी स्कंध	कार्यक्रम कार्यान्वयन सकंध	संगणक केन्द्र	क्षेत्र संकार्य प्रभाग	समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प तथा अनुसंधान प्रभाग	औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध
1	2	3	4	5	6
1. नंद किशोर, चौकीदार 2. प्रकाश, चपरासी 3. अशोक, चपरासी 4. ओम प्रकाश, दफ्तरी	–	राजेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक	1. एस.एन. शर्मा, सहायक अधीक्षक 2. ए. शेषागिरि राव, सहायक अधीक्षक 3. जे. कामेश्वर राव, सहायक अधीक्षक 4. नाथू सिंह, चपरासी	1. देबिका मुखर्जी 2. अशोक सिन्हा 3. किशन बहादुर	प्रोवाश नन्दी, चपरासी

1	2	3	4	5	6
5. जगमोहन, गेस्टेटनर आपरेटर			5. ए.के. गोयल, सहायक अधीक्षक		
			6. आर.एस. गोसाईं, सहायक अधीक्षक		
			7. जे.के. गुप्ता, अधीक्षक		
			8. के.आर. पटीर सहायक अधीक्षक		
			9. एस.एल. जाटव, अधीक्षक		
			10. के.एस. नुवाल, सहायक अधीक्षक		
			11. सतीश कुमार अ.श्रे.लि.		
			12. के. सशीधरन, दफ्तरी		
			13. बी. शेखर बाबू, अन्वेषक		
			14. सी. दामोदरन, ओ.एस. ग्रेड-I		
			15. मेलाराम, सहायक अधीक्षक		
			16. फकीर चन्द, सफाईवाला		
			17. महेश चन्द्र, अन्वेषक		

(ग)

सांख्यिकी स्कंध	कार्यक्रम कार्यान्वयन सकंध	संगणक केन्द्र	क्षेत्र संकार्य प्रभाग	समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प तथा अनुसंधान प्रभाग	औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध
1	2	3	4	5	6
–	–	–	1. एम.के. ठाकुर, सहायक अधीक्षक	1. आशु आर.एन.डे.	–

1	2	3	4	5	6
			2. जहांगीर हसन, सहायक अधीक्षक	2. बालकिशोर राम	
			3. अलगिरी स्वामी, अधीक्षक	3. नमई चन्द्र मैत्रा	
			4. एस.पी. दास, सहायक अधीक्षक	4. डी.एन. धोवे	
				5. मेवा सिंह	
			5. सी. नटराज, उप निदेशक	6. जे. लाल	
				7. एन.एन. शिंदे	
			6. कन्हैया लाल, अन्वेषक	8. एस.के. जैन	
				9. आर.पी. बारापात्र	
			7. एम.एम. शाह अधीक्षक		
			8. लखन लाल गायकवाड़, चपरासी		
			9. सी.के. शर्मा, अधीक्षक		
			10. के.राम. मोहनराव, सहायक अधीक्षक		
			11. एम. सुब्रहमण्यम, अधीक्षक		
			12. बी.के दास, चपरासी		
			13. आर.एस. प्रधान, उच्च श्रेणी लिपिक		
			14. आर.के. रेड्डी, अन्वेषक		
			15. आर.एन. रत्नम, सहायक अधीक्षक		
			16. बी.एन. राय, चपरासी		
			17. बी. भट्टाचार्या, सहायक अधीक्षक		

1	2	3	4	5	6
			18. आर.एस. दास, अन्वेषक		
			19. जी. रबीदास, अधीक्षक		
			20. केशवराम, दफ्तरी		
			21. के.एल. नेगी, सहायक अधीक्षक		
			22. पी. रामनाथ राव, अधीक्षक		
			23. आर.एल. मुक्कू, सहायक अधीक्षक		
			24. आर.आर. सावंत, चपरासी		
			25. ए.के. शर्मा, सहायक अधीक्षक		
			26. गुलाब राम, अधीक्षक		
			27. अब्दुल सत्तार, चपरासी		
			28. ई.एस.वी.आर. मोहन राव, अधीक्षक		
			29. डी.पी. चक्रवर्ती, अ.श्रे.लि.		
			30. बी.के. गगरानी, सहायक अधीक्षक		
			31. आर.एस. श्रीवास्तव, अधीक्षक		
			32. आर.के. राजवंशी, सहायक निदेशक		

(घ) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती क्योंकि यह समूह ''ग'' या ''घ'' के किसी पद की सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत आने वाली रिक्तियों के अधिकतम 5 प्रतिशत तक की जा सकती है और अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए सीधी भर्ती की रिक्तियों की 5 प्रतिशत की सीमा को किसी अन्य रिक्ति का उपयोग करके बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।

कोयला और लिग्नाइट के भंडार

5940. श्री पी० कुमारासामी : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 92-97

(क) देश में कोयला/लिग्नाइट के भंडारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसी नए भंडार का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, स्थान-वार, ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन कोयला/लिग्नाइट भंडारों का ब्यौरा क्या है जिनमें इसी दर से उनका दोहन किया जाता रहा तो उनमें उत्खनन कार्य कब तक चलता रहेगा?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) 1.1.2002 की स्थिति के अनुसार देश में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित राज्य-वार कुल कोयला भंडार निम्नानुसार है :-

(मिलियन टन में)

राज्य	गहराई (मी.)	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
पश्चिम बंगाल	0-1200	11099.48	11162.82	4156.95	26419.25
बिहार	0-300	0.00	0.00	160.00	160.00
झारखंड	0-1200	35234.60	28986.64	6281.57	70502.81
मध्य प्रदेश	0-1200	6857.20	7865.71	3233.87	17956.78
छत्तीसगढ़	0-600	7626.72	23639.69	4108	35374.90
उत्तर प्रदेश	0-300	765.98	295.82	0.00	1061.80
महाराष्ट्र	0-1200	4494.92	2049.77	1536.00	8080.69
उड़ीसा	0-1200	13079.82	29809.10	15123.30	58012.22
आंध्र प्रदेश	0-1200	7729.13	5459.26	2447.70	15636.09
असम	0-600	279.30	26.83	34.01	340.14
अरूणाचल प्रदेश	0-300	31.23	40.11	18.89	90.23
मेघालय	0-300	117.83	40.89	300.71	459.43
नागालैंड	0-300	3.43	1.35	15.16	19.94
कुल जोड़	0-1200	87319.69	109377.99	37416.65	234114.28

1.1.2001 की स्थिति के अनुसार देश में लिग्नाइट के भंडार निम्नानुसार हैं :-

(मिलियन टन में)

राज्य	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
1	2	3	4	5
तमिलनाडु	2100.00	9575.87	18598.98	30274.85
राजस्थान	609.12	823.89	948.55	2381.56
गुजरात	987.50	725.00	—	1712.50
जे. एण्ड के.		20.25	107.59	127.84
अन्य			108.30	108.30
जोड़	3696.62	11145.01	19763.42	34605.05

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1.1.99 की स्थिति के अनुसार कोयला भंडार 208.752 बिलियन टन था) लगभग 25,362 मिलियन टन कोयला भंडार सूची में जोड़ दिए गए हैं।

जोड़े गए कोयला भंडार का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कोयला क्षेत्र	भंडार का जोड़ना मिलियन टन में
1	2	3
1.	रानीगंज	330.92
2.	बीरभूम	181.62
3.	ईस्ट बोकारो	1031.35
4.	वेस्ट बोकारो	49.79
5.	नार्थ करमपुरा	534.81
6.	राजमहल	290.26
7.	उमरिया	102.36
8.	पेंच कन्हान	221.87
9.	पथेरखेड़ा	3.95
10.	सोहागपुर	596.67
11.	सिंगरौली	2921.09
12.	सोनहट	519.07
13.	बिसरामपुर	13.30
14.	लखनपुर	137.51
15.	हसदेव-अरांद	480.48
16.	कोरबा	33.29
17.	मंड-रायगढ़	5361.37
18.	टाटापानी-रामकोला	168.37
19.	वर्धा घाटी	134.45
20.	कम्पटी	753.81
21.	उमरेर-मकरधोकरा	101.30
22.	बन्डेर	98.12
23.	नंद	23.93
24.	ईब-घाटी	553.09
25.	तलचर	8397.93
26.	गोदावरी घाटी	2298.82
27.	मकुम	19.93

1.1.2001 से पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि के दौरान जोड़े गए लिग्नाइट भंडार नीचे दिए गए हैं :-

राज्य/ब्लाक	क्षेत्र वर्ग कि.मी. में	भंडार का जोड़ना मिलियन टन में
(क) तमिलनाडु		
1. वेस्ट आफ बहुर	13.15	58.60
2. वाडासेरी	29.00	475.00
(ख) राजस्थान		
1. साउथ बारमेर	2.56	29.26
(ग) गुजरात		
1. बरखान डेम	5.78	7.19
2. पनानधरो विस्ता.	4.10	14.45
3. तधकेश्वर	21.90	183.10
जोड़		767.60

(घ) 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार 10वीं योजना के लिए 220 बिलियन टन के कुल कोयला भंडार में से 37.86 बिलियन टन उत्खनन योग्य कोयला भंडार को प्रमाणित निर्दिष्ट तथा अनुमानित श्रेणियों में कोयला तथा लिग्नाइट और कोल बेड मीथेन पर उप-समूह II को अस्थायी रूप से आकलित किया गया है। चालू कोयला उत्पादन स्तर पर विचार करते हुए उत्खनम योग्य कोयला भंडार 100 वर्ष से अधिक समय तक चलेंगे।

प्रमाणित श्रेणी के अंतर्गत लिग्नाइट के शेष खनन योग्य भंडारों को लगभग 2.13 बिलियन टन आकलित किया गया है। उत्पादन की वर्तमान दर पर यह भंडार 85 वर्ष से अधिक समय तक चलेगा।

एस्बेस्टॉस खनन का कामगारों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

5941. **श्री सईदुज्जमा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में आयोजित कार्यशाला में एस्बेस्टॉस खनन के कारण कामगारों/श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव को इंगित किये जाने की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कनाडा से एस्बेस्टॉस का आयात करने वाली एस्बेस्टॉस एवं सीमेन्ट लाबी की तरफ से भारी दबाव के कारण सरकार इसे रोकने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) भारतीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संघ द्वारा 12 तथा 13 अप्रैल, 2002 को मानव जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक तथा कैंसरकारक खतरनाक एवं नुकसानदायक खनिजों का स्वास्थ्य पर प्रभाव विषयक कार्यशालाएं आयोजित किए जाने की जानकारी श्रम मंत्रालय को है। किंतु हमें कार्यशालाओं के निष्कर्षों की जानकारी नहीं है। खनन प्रचालनों में वायुजनित एस्बेस्टॉस कणों से अत्यधिक सम्पर्क के कारण स्वास्थ्य संबंधी संभावित दुष्प्रभावों से सरकार अवगत है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित विभिन्न समितियों ने इस मामले का अध्ययन किया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने भी एस्बेस्टॉस खानों और मिलों में चिकित्सकीय तथा पर्यावरणीय सर्वेक्षण किया है। इन अध्ययनों से पता चलता है कि खनन प्रचालनों में एस्बेस्टॉस कण का स्तर धातुमय खान विनियम, 1961 में प्रति मिलिलीटर वायु के 2 फाइबर की सीमा से कम है। एस्बेस्टॉस खानों के विस्तार संबंधी प्रतिबंध हटाने के लिए भारतीय खान ब्यूरो की राजस्थान की एस्बेस्टॉस खानों और प्रसंस्करण संयंत्रों का अध्ययन विषयक ताजा रिपोर्ट से भी पता चलता है कि खनन प्रचालनों में एस्बेस्टॉस कण का स्तर 2 फाइबर प्रति मिलीलीटर की निर्धारित अधिकतम सीमा से काफी नीचे है तथा कणों के मौजूदा स्तर से श्रमिकों के स्वास्थ्य के कुप्रभावित होने की संभावना नहीं है।

(ग) और (घ) एस्बेस्टॉस खानों में नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव न पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने प्रभावी प्रशासनिक, विधायी तथा प्रर्वतनात्मक कदम उठाए हैं। सीमेंट/एस्बेस्टॉस लॉबी या किसी अन्य संगठन के दबाव में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। एस्बेस्टॉस खानों में नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :-

(1) खान नियम, 1955 के नियम 29ख के मुताबिक एस्बेस्टॉस खानों में नियोजित किए जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए प्रारंभिक चिकित्सा जांच तथा प्रत्येक तीन वर्ष पर आवधिक चिकित्सा जांच (छाती के एक्सरे तथा फेफड़े के कार्यचालन के निरीक्षण सहित) करना आवश्यक है।

(2) एस्बेस्टॉस कणों से होने वाले व्यावसायिक रोगों, जैसे-एस्बेस्टॉसिस; फेफड़े आमाशय, पार्श्वक तथा उदरावरण के कैंसर आदि को खान अधिनियम, 1952 की धारा 25 के तहत अधिसूचित किया गया है।

(3) धातुमय खान विनियम, 1961 के विनियम 124 में व्यवस्था की गई है कि खानों में एस्बेस्टॉस कणों के स्तर का नियमित अनुवीक्षण किया जाएगा, कण नियंत्रक उपाय किए जाएंगे तथा निजी सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें, कामकाजी माहौल में एस्बेस्टॉस फाइबर कण की अनुमेय सीमा वायु में 2 फाइबर प्रति मिलीलीटर निर्धारित की गई है।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो ने भी एस्बेस्टॉस खानों तथा मिलों सहित एस्बेस्टॉस के इस्तेमाल में सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं पर भारतीय मानक निर्धारित किए हैं।

(5) खान सुरक्षा महानिदेशालय, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, कारखाना सलाह सेवा तथा श्रम संस्थान निदेशालय, भारतीय खान ब्यूरो आदि जैसी सरकारी एजेंसियां समय-समय पर एस्बेस्टॉस खानों में कण सर्वेक्षण करती रही हैं।

[हिन्दी]

अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं

5942. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिकारियों की लापरवाही तथा भ्रष्ट रवैये के कारण राज्यों में बहुत सी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अभी तक कितनी परियोजनाओं को पूरा नहीं किया गया है और उनके नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जिम्मेदारी तय की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास परियोजनाओं सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, वित्त पोषण, क्रियान्वयन, प्रचालन एवं उनके रखरखाव का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। तदनुसार, लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा स्वयं की जानी है।

171 वृहद सिंचाई परियोजनाओं को पिछली योजनाओं से नौवीं योजना में लाया गया है। इन परियोजनाओं के राज्यवार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं:-

विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	नागार्जुनसागर
2.	श्री रामसागर चरण-I (पोचम्पाद)
3.	वम्सधारा चरण-I
4.	पुलिवेन्दुला शाखा नहर
5.	सांमसिला
6.	सिगुर
7.	येलेरू जलाशय
8.	श्रीसैलम बायां तट नहर
9.	श्रीसैलम बायां तट नहर
10.	तेलुगुगंगा
11.	जुराला (प्रियदर्शिनी)
12.	वम्सधारा चरण-II (नेराडी बराज)
	कुल
	असम
13.	धनसिरी
14.	बोरदिकराई
15.	एकीकत कल्लोग
16.	चम्पामती
	कुल
	बिहार
17.	पश्चिमी कोसी नहर
18.	बागमती जलाशय
19.	दुर्गावती जलाशय
20.	बरनार जलाशय
21.	बटेस्वरस्थान पम्प फेज-I
	बाणसागर
	(केवल यूनिट I अनुमोदित)
22.	ऊपरी कियुल जलाशय
23.	गंडक फेज-II
24.	पूर्वी कोसी नहर फेज-II
	झारखंड
25.	सिक्तियापर अजय बराज
26.	सुवणरिखा
27.	औरंगा जलाशय
28.	कोनार डाइवर्जन

1	2
29.	तिलैया डाइवर्जन
30.	उत्तर कोयल जलाशय
31.	पुनासी जलाशय
	गोवा
32.	सलौली
	तिल्लारी
	गुजरात
33.	दमनगंगा
34.	पानम
35.	साबरमती
	माही बजाजसागर
	(गुजरात हिस्सा लागत)
36.	करजन
37.	सुखी
38.	सिपु
39.	वतरक
40.	सरदार सरोवर
41.	जंखारी
	हरियाणा
42.	गुड़गांव नहर
43.	जवाहर लाल नेहरू लिफ्ट
44.	सतलुज-यमुना संपर्क नहर
45.	लोहारू (द.)
46.	रेवाड़ी चरण-II
	हिमाचल प्रदेश
47.	शाहनहर

1	2
	जम्मू व कश्मीर
48.	रावी तावी सिंचाई नहर
	कर्नाटक
49.	भद्रा
50.	तुंगभद्रा बांध एवं बायां तट नहर
51.	तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर
52.	काबिनी
53.	मलप्रभा
54.	हरंगी
55.	हेमावती
56.	ऊपरी कृष्णा चरण-I
57.	करंजा
58.	बेनीथोर
59.	हिप्पारगी बराज
	दूधगंगा
60.	ऊपरी तुंगा
61.	वराही
62.	यगाची
	केरल
63.	कन्हीरापुझा
64.	पझासी
65.	कल्लडा
66.	मुवत्तुपुझा
67.	इदमलयार
68.	चलियार (बेपोरपुझा)
69.	कुरियारकुट्टी (करापारा)

1	2
	मध्य प्रदेश
70.	कोलार
71.	सिन्ध फेज-I
	राजघाट
	यूनिट-I
	यूनिट-II
72.	बाणसागर
	यूनिट-I
	यूनिट-II
73.	बारगी (रानी अवंती बाई सागर)
	यूनिट-I
	यूनिट-II
74.	ऊपरी वेनगंगा
75.	बरियारपुर बायां तट नहर
76.	उर्मिल
77.	थनवर
78.	माही
	बावनथाडी यूनिट-I
	यूनिट-II
79.	मान
80.	जोबत
81.	इंदिरा सागर
82.	बारना
83.	भंडार नहर
84.	सिन्ध फेज-II
85.	ओंगकारेश्वर

1	2
86.	बारगी डाइवर्जन
87.	पेज डाइवर्जन
88.	महान
	छत्तीसगढ़
89.	महानदी जलाशय
90.	पैरी
91.	जोक (डाइवर्जन)
92.	कोदार
93.	हरादेव बांगो
	महाराष्ट्र
94.	खडकवासला
95.	कृष्णा
96.	भीमा
97.	कुकादी
98.	ऊपरी गोदावरी
99.	वारना
100.	ऊपरी तापी
101.	ऊपरी पेनगंगा
102.	ऊपरी वर्धा
103.	दूधगंगा
104.	वाधुर
105.	ऊपरी प्रवरा
106.	चस्कमन
107.	नन्दुर
	मधमेश्वर (ए)
	मधमेश्वर (एन)

1	2
108.	भातसा
109.	जायकवाड़ी चरण-I
	चरण-II
110.	सूर्य
111.	बावनथाडी
112.	इस्थापुरी (विष्णुपुरी)
113.	तिल्लारी
114.	लेन्दी
115.	निचली थिरना प्रवाह
	निचली थिरना लिफ्ट
116.	घोसी खुर्द
	(स्तरगांव)
117.	निचली वरधा
118.	निचली वुन्ना
119.	वान
120.	अरूणावती
121.	तुलतुली
122.	कडवा
123.	तालाम्बा
124.	पुनाड
125.	हुमान
126.	नीरा देवधर
127.	बेम्बला
128.	भामा असखेडा
129.	उरमोदी
130.	गुजावानी

1	2
131.	जनाई शीरसाई एल आई एस
132.	खडक/पुरना
133.	कृष्णा कोयना एल आई एस
134.	निवली दुधना
135.	निचली पेनगंगा
136.	सिना कोलेगांव
137.	सिना माधा एल आई एस
	मणिपुर
138.	थोबल
139.	खुगा
	मेघालय
	मिजोरम
	नागालैंड
	उड़ीसा
140.	पोट्टेरू
141.	रंगाली
	(क) बांध
	(ख) सिंचाई
142.	ऊपरी कोलाब
	(क) बांध
	(ख) सिंचाई
143.	ऊपरी इन्द्रावती
	(क) बांध
	(ख) सिंचाई
	सुबर्णरेखा
144.	कानुपूर

1	2
	सिंचाई
145.	महानदी
	चित्रोत्पाला
	पंजाब
	सतलज यमुना
	संपर्क नहर
	(क) संवाहक नहर
	(ख) पंजाब क्षेत्र को सिचाई सुविधा प्रदान करना
	राजस्थान
146.	जखम
	गुड़गांव नहर
147.	माही बजाज सागर
148.	सोम कमला अम्बा
149.	इंदिरा गांधी
	नहर चरण-II
	नर्मदा
	(सरदार सरोवर)
150.	बिसालपुर
151.	सिधमुख नहर
	सिक्किम
	तमिलनाडु
	त्रिपुरा
	उत्तर प्रदेश
152.	सारदा सहायक
153.	लखवर व्यासी
	(क) बांध

1	2
	उत्तर प्रदेश
	हिस्सा)
	(ख) जल
	उपयोगिता
154.	मध्य गंगा
	नहर चरण-I
155.	सरजू नहर
	(घाघरा नहर
	बायां तट)
156.	पश्चिमी गंगा
	नहर
157.	राजघाट
	(क) बांध
	(ख) नहर
158.	सोन पंप नहर
159.	कन्हर सिंचाई
160.	बेवर फीडर
161.	मीदाहा बांध
	बाणसागर
	(क) बांध
	(ख) उत्तर प्रदेश में
	परिवहन प्रणाली
	(ग) मध्य प्रदेश में
	परिवहन प्रणाली
162.	चित्तौड़गढ़
	जलाशय

1	2
163.	ज्ञागपुर पंप
	नहर
164.	चम्बल लिफ्ट
165.	हिण्डन कृषि
	दोआब में
	पेड्डी चैनल प्रदान करना
166.	टेहरी
	(क) बांध
	(सिचाई हिस्सा)
	(ख) जल
	उपयोगिता
167.	जरौली पंप नहर
	उत्तरांचल
168.	जमरानी बांध
	पश्चिम बंगाल
169.	दामोदर घाटी निगम की बराज एवं सिंचाई प्रणाली
170.	कंगराबती
171.	तीस्ता बराज
	सुबर्णरेखा

—अंतर्राज्यीय परियोजना

पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश

5943. श्रीमती जस कौर मीणा :
श्री वाई.जी. महाजन :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने का विचार कर रहो है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार का अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश आकृष्ट करने का प्रस्ताव है। होटलों तथा पर्यटन से जुड़े उद्योगों के लिए 100% तक की विदेशी भागीदारी की स्वत: अनुमति है। पर्यटन विभाग नै भावी निवेशकों की जानकारी के लिए ''इनवेस्टमेंट अपारच्यूनिटीज इन द टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया'' नामक एक ब्रोशर भी प्रकाशित किया है। पर्यटन विभाग का पर्यटन तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यटन उद्योग, उद्योग संघों, अप्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के साथ मिलकर विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से ''रोड शो'' आयोजित करने का भी प्रस्ताव है। पर्यटन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा ''सिंगल विंडो क्लीयरेंस'' प्रणाली की शुरूआत करने की अनुमति निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से दे दी गयी है।

सिंचाई पर व्यय

4944. श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री पी.आर. खूंटे :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रति हेक्टेयर कितनी औसत लागत आती है; और

(ख) इसके लिए राज्य-वार, कितना औसत व्यय दर्ज किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997) के दौरान देश में सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रति हेक्टेयर औसत लागत लघु सिंचाई स्कीमों के लिए लगभग 10,051/- रुपए और वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए लगभग 98,495/- रुपए थी।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई स्कीमों के संबंध में किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आठवीं योजना (1992-97) के दौरान वृहद और मध्यम तथा लघु सिंचाई पर राज्य-वार व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना	लघु सिंचाई स्कीमें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2632.5	409.84
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.86	67.84
3.	असम	119.01	228.87
4.	बिहार	808.08	206.41
5.	गोवा	122.98	19.84
6.	गुजरात	2749.48	395.12
7.	हरियाणा	506.37	194.31
8.	हिमाचल प्रदेश	15.72	120.81
9.	जम्मू व कश्मीर	86.72	102.55
10.	कर्नाटक	2957.62	317.58
11.	केरल	583.62	153.75
12.	मध्य प्रदेश	1618.44	618.49
13.	महाराष्ट्र	3706.99	1583.97
14.	मणिपुर	153.27	21.13
15.	मेघालय	6.1	24.68
16.	मिजोरम	0.24	12.65
17.	नागालैंड	1.35	14.2
18.	उड़ीसा	1024.24	358.46
19.	पंजाब	259.28	127.32
20.	राजस्थान	1219.2	192.25
21.	सिक्किम	0	11.17
22.	तमिलनाडु	299.18	190.71
23.	त्रिपुरा	29.05	25.68
24.	उत्तर प्रदेश	1671.46	422.39
25.	पश्चिम बंगाल	438.02	229.73
	कुल राज्य	21011.78	6052.75
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	9.86	32.09
	कुल राज्य + संघ राज्य क्षेत्र	21021.64	6084.84
	केन्द्रीय क्षेत्र	647.51	197.5
	कुल जोड़	21669.15	6282.34

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस द्वारा उड़ानों का रद्द किया जाना

5945. श्री किरीट सोमैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2002 से 20 अप्रैल, 2002 के बीच मुंबई-दिल्ली मार्ग पर इंडियन एयरलाइंस द्वारा रद्द की गई उड़ानों का कारण सहित उड़ान-वार ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में की गई बुकिंग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सहारा एयरलाइंस जैसी प्रतियोगी एयरलाइनों ने उड़ानों को रद्द किए जाने और उनकी उड़ान में होने वाले विलंब के लिए क्षतिपूर्ति देने संबंधी योजना की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस की भी ऐसी कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें रद्द करने की

स्थिति से बचाने और उसे निजी एयरलाइंसों से प्रतिस्पर्द्धा लायक बनाने हेतु उसकी दक्षता में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) इंडियन एयरलाइंस ने दिनांक 01.01.2002 से 20.04.2002 तक मुंबई-दिल्ली सेक्टर पर 10-10 उड़ानें प्रचालित की जिसमें इसके साथ-साथ 49 उड़ानें शामिल थीं जो विश्वव्यापी एयरलाइन प्रवृत्ति के अनुरूप अन्य उड़ानों के साथ विभिन्न कारणों से संयुक्त थी। इन कारणों में मौसम, एटीसी देरी, हवाई क्षेत्र की अप्राप्यता तथा अन्य प्रचालनात्मक तथा वाणिज्यिक कारण सम्मिलित हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) यदि उड़ान में एक घंटे से अधिक देर हो जाए अथवा उड़ान रद्द हो जाए तो इंडियन एयरलाइंस निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करती है :-

- यदि यात्री चाहे तो पूर्ण धन की वापसी।
- हवाई यात्रा द्वारा अथवा परिवहन के अन्य साधन यदि उपलब्ध हो तो यात्रियों को गंतव्य स्थल तक ले जाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है।
- चक्करदाय मार्ग द्वारा अनैच्छिक पुनःमार्गीकरण तथा/अथवा यदि सीट उपलब्ध है तो उच्च श्रेणी के लिए अपग्रेड करना।
- समय के आधार पर पेय-पदार्थों, जलपान अथवा भोजन की नि-शुल्क सेवा।

(च) इंडियन एयरलाइंस लगातार अपना समय पर निष्पादन देने में सुधार लाने का प्रयास करती है तथा देरी/रद्दकरण को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

1. सभी देरियों का कारण पता लगाने के लिए उनकी जांच की जाती है तथा जहां आवश्यक हो वहां सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
2. इंजीनियरी संबंधी देरियों का विशेष रूप से उपाय किया जा रहा है। बेस स्टेशनों पर देरी तथा बारम्बार आने वाली बाधा की प्रकृति को जानने के लिए देरी का विश्लेषण किया जाता है। यदि बारम्बार आने वाली बाधा का पता चल जाए तो इस बाधा को हटाने के लिए विशेष अनुसरण कार्रवाई तुरंत शुरू की जाती है।
3. कारपोरेट स्तर पर सेवाओं की समयनिष्ठता को दैनिक आधार पर ध्यानपूर्वक मॉनीटर किया जाता है।
4. प्रत्येक क्षेत्र में, उस क्षेत्र के विमान के लिए प्रणालियों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने हेतु आवधिक रूप से बैठक की जाती है। इस बैठक में विभिन्न विमान प्रणालियों की त्रुटि दर का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है। इसमें बढ़ोत्तरी होने की स्थिति में या तो ओवरहॉल के बीच का समय घटा दिया जाता है अथवा निर्माता तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के परामर्श से उसमें सुधार किया जाता है।

विमानपत्तन पर सुरक्षा अभ्यास

5946. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ान संबंधी समस्याओं के प्रबंधन में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग की जांच करने और जनता का विश्वास जीतने के लिए कोई सुरक्षा अभ्यास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सुरक्षा अभ्यासों के दौरान कितनी कमियों का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, नागपुर तथा बंगलौर में स्थित नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा अपहरण विरोधी सुरक्षा अभ्यास (मोक एक्सरसाइजिज) किए गए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी दिल्ली हवाई अड्डे पर फायर फाइटिंग के साथ-साथ खोज और बचाव प्रक्रियाओं से संबंधित सुरक्षा अभ्यास (मोक एक्सरसाइजिज) किए हैं।

(ग) से (ङ) सुरक्षा अभ्यासों (मोक एक्सरसाइजिज) के दौरान कुछ कमियां भी पाई गई हैं और/या आगे और सुधार लाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। जैसे ही कोई सुरक्षा अभ्यास (मोक एक्सरसाइजिज) पूरा होता है वैसे ही एक व्यापक जांच की जाती है और सभी संबद्ध अभिकरणों द्वारा भविष्य में किसी मूल को दोहराने से बचने के लिए सुधार कार्य करने को कहा जाता है।

सोने की खानों के फालतू कामगारों का पुनर्वास

5947. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री अम्बरीश :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा बन्द की गई सोने की खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में कामगारों को फालतू घोषित किया गया है; और

(ग) ऐसे कामगारों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बीजीएमएल) को औद्योगिक विवाद अभिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) के अधीन 1.3.2001 से बंद कर दिया गया है। यह मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन है। कंपनी को बंद करने के समय इस में 3556 कर्मचारी थे। कंपनी को बंद किए जाने के परिणामस्वरूप कामगारों के पुनर्वास आदि समेत किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर्नाटक उच्च न्यायालय जहां यह मामला न्यायाधीन है, के आदेश के अधीन की जाएगी।

आस्ट्रेलिया के साथ पर्यटन संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

5948. श्री अम्बरीश : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और आस्ट्रेलिया ने पर्यटन संबंधी किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। भारत गणतंत्र की सरकार और आस्ट्रेलिया राष्ट्रकुल की सरकार के मध्य पर्यटन क्षेत्र में सहयोग विषयक एक समझौता ज्ञापन पर दिनांक 22.4.2002 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) इस समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

1. दोनों देशों के इतिहास, संस्कृति और जीवन शैली के बेहतर ज्ञान की दृष्टि से दोनों देशों के मध्य पर्यटन संबंधों में वृद्धि;
2. दोनों देशों के मध्य पर्यटन को बढ़ावा देना और एक दूसरे के अधिकारिक पर्यटन निकायों, उद्यमों, संघ तथा संगठनों, यात्रा प्रचालकों और अभिकर्ताओं, होटल श्रृंखलाओं तथा संस्थानों के मध्य पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करना;
3. दोनों देशों में सरकारों, प्रशिक्षण संस्थानों और पर्यटन से जुड़े उद्योग समूहों के मध्य व्यापक सहयोग के लिए विचार-विमर्श को प्रोत्साहित किया जाना;
4. दोनों देशों के आन्तरिक कानून के अनुसार उद्यमों द्वारा पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना;
5. एक-दूसरे के देशों में मान्य कानूनों तथा विनियमों के अनुसार दोनों देशों के मध्य पर्यटक आवागमन को बढ़ावा देना तथा सुगम बनाना;
6. सामग्री व दस्तावेजों के सीमा शुल्करहित आयात और निर्यात को सुगम बनाना जिसमें पर्यटक प्रचार-प्रसार सामग्री, फिल्म और प्रदर्शनी सामग्री शामिल हैं। इन सामग्रियों का सीमा शुल्क उतना ही होगा जितना आयातकर्ता देश के आंतरिक कानून में प्रावधान होगा;
7. एक-दूसरे के पर्यटन संसाधनों, होटल या अन्य तरह के आवास के प्रबंधन से संबंधित सूचना, जानकारी और अनुभव का आदान-प्रदान करना;
8. एक-दूसरे के देशों में पारिस्थितिकी तथा क्षेत्रीय पर्यटन जैसे विशेष रुचि के पर्यटन के संवर्धन, प्रबंधन तथा विकास संबंधी जानकारी, सूचना और अनुभव का आदान-प्रदान परस्पर हित की दृष्टि से किया जाना;
9. एक-दूसरे के देशों में पर्यटकों को आकृष्ट करने तथा संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों के संवर्धन की दृष्टि से प्रत्येक देश अपने-अपने देश के सांस्कृतिक दलों, कलाकारों, रसोइयों और अन्य उपयुक्त व्यक्तियों के एक-दूसरे के देश के दौरों को सुगम बनाएंगे; और
10. इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों देशों के बराबर-बराबर प्रतिनिधियों वाले एक कार्य दल के गठन को सुगम बनाना जिसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निजी पर्यटन क्षेत्र के सदस्य भी शामिल किए जायें।

[हिन्दी]

गिरता जल स्तर

5949. **श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों में भी जल स्तर तेजी से गिर रहा है जहां पुराना फसल चक्र प्रचलित है और खेत के चारों और बाड़ खड़ी करके खेती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के करमेटा नल कूप सिंचित क्षेत्र जोकि एशिया में सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, भी इसी समस्या का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र में जल स्तर को पुनः उठाने के लिए खेतों के चारों ओर बाड़ बनाकर परम्परागत खेती को बढ़ावा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड देश के भू-जल स्तर का मानीटरन लगभग 15000 मानिटरिंग केन्द्रों के जरिए कर रहा है। सूचना के अनुसार, चावरपाथा खंड में स्थित करमेटा टैप क्षेत्र समेत नरसिंहपुर जिले के भाग में जल-स्तर घट रही है। चावरपाथा खंड में लगभग 32000 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए खुले कूपों एवं नलकूपों के जरिए भू-जल खींचने के फलस्वरूप जल-तालिका में गिरावट आ रही है। पिछले दो दशकों के दौरान शुरू की गई सोयाबीन फसल के अतिरिक्त पारंपरिक फसलें, अर्थात् ज्वार, अरहर, मूंग तथा उड़द उगाई जा रही हैं। सोयाबीन की फसलों ने कुछ पारंपरिक फसलों का स्थान लिया है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने रिसाव के लिए खेतों के चारों और बाड़ खड़ी करके पारंपरिक खेती का प्रस्ताव नहीं किया है, क्योंकि काली कपास मृदा में रिसाव बहुत कम होता है। भू-जल पुनः उठाने हेतु विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत जल-संचयन संरचना, रिसाव टैंक आदि जैसे उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।

[अनुवाद]

वर्षा जल संचयन हेतु योजना

5950. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के प्रत्येक शहरी क्षेत्र विशेषकर बड़े शहरों में वर्षा के जल संचयन हेतु किसी केन्द्रीय योजना को प्रायोजित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में, शहर-वार, क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में ''बड़े शहरों में भूजल संसाधनों का विकास एवं वर्षा जल संचयन'' संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्तावित स्कीम परामर्शी स्तर पर है।

आन्ध्र प्रदेश को चावल जारी करने पर आपत्तियां

5951. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय आंध्र प्रदेश को पांच लाख टन चावल जारी करने पर आपत्तियां जता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत 5 लाख मी. टन चावल आबंटित किया गया है जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान निर्दिष्ट करती है।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

5952. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बालको) के विभिन्न संयंत्र विनिवेश के बाद से ही अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संयंत्र की उपयोगिता की क्षमता का स्तर क्या है और विनिवेश पूर्व की उसी अवधि के लिए उनकी उपयोगिता की तुलनात्मक क्षमता का स्तर क्या है;

(ग) उक्त दोनों अवधियों के दौरान इनमें से प्रत्येक संयंत्र का मात्रा और मूल्य-वार वास्तविक उत्पादन कितना है; और

(घ) उक्त अवधियों के दौरान विनिवेश पूर्व और विनिवेश पश्चात् इनके उत्पादन पर कितना उत्पाद शुल्क, विक्रय कर और अन्य लेवियां उगाही गई हैं और इस प्रकार उगाहे गये राजस्व में कितनी वृद्धि और कमी हुई?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार ने 2.3.2001 से बालको में अपनी इक्विटी का 51% विनिवेश कर दिया है। इसके तुरंत बाद ही कोरबा संयंत्र के कामगार 67 दिन तक हड़ताल पर रहे और कोरबा संयंत्र में 9.5.2001 से पुनः प्रचालन शुरू हो सका।

विनिवेश के बाद से बालको के विभिन्न संयंत्र क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। विनिवेश की अवधि के दौरान और विनिवेश पूर्व की उसी अवधि के लिए प्रत्येक संयंत्र का मात्रा और मूल्यवार दोनों रूपों में क्षमता उपयोग एवं वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार है :-

संयंत्र	क्षमता (एमटी)	वास्तविक उत्पादन (एमटी)/ (क्षमता उपयोग)		वास्तविक उत्पादन-मूल्य (लाख रु. में)	
		2001-02	2000-01	2001-02	2000-01
कोरबा	100000	69872 (69.87%)	86532 (86.53%)	63507.36	77364.80
विधानबाग इकाई	6400	शून्य	2632 (41.12%)	शून्य	2353.17

(घ) वर्ष 2001-02 और 2000-01 के दौरान बालको के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों के रूप में वसूल की गई राशि निम्नानुसार है :-

(लाख रु. में)

	2001-2002	2000-2001
राजकोष को भुगतान	11957.10	15373.88

काजू की खेती

5953. श्री अनन्त नायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में कुल कितने क्षेत्र को काजू की खेती के तहत लगाया गया;

(ख) क्या सरकार को राज्य में काजू की औने-पौने दामों पर बिक्री की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो काजू उत्पादकों के हितों की रक्षा करने और काजू हेतु बाजार को विनियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) उड़ीसा में अब तक 1.110 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को काजू रोपण के तहत लाया गया है।

(ख) और (ग) सरकार को उड़ीसा में काजू की मजबूरी में बिक्री किये जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, कृषि में वृहत् प्रबंध पर केंद्रीय प्रायोजित स्कीम—कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण के तहत गैर-परम्परागत क्षेत्रों में काजू के लिए मण्डी संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास हेतु वित्तीय सहायता सहित काजू के विकास का प्रावधान है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपने कार्यकलापों को प्राथमिकता दे सकती है।

बीजों की पुनः बुआई

5954. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव विविधता संबंधी सम्मेलन में किसानों को बीजों का पुनरुत्पादन करने और उन्हें पुनः बोने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टी.आर.आई.पी. बीजों के पुनरुत्पादन और उनकी पुनः बुआई को अवैध और पेटेण्ट अधिकारों का उल्लंघन मानता है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों के परम्परागत अधिकारों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जैव विविधता संबंधी सम्मेलन जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों में समान हिस्सेदारी, संरक्षण तथा सतत् उपयोग से संबंधित है। यह किसानों द्वारा बीजों के पुनरुत्पादन तथा बिक्री के कार्य को नहीं देखता है।

(ग) और (घ) विश्व व्यापार संगठन के टी.आर.आई.पी. करार बीजों के पुनरुत्पादन तथा पुन: बोने के कार्य से संबंधित नहीं है। बहरहाल, इसमें यह प्रावधान है कि सदस्य देश या तो पेटेंट या अद्वितीय प्रणाली (सुई जिनरस सिस्टम) या दोनों के संयोजन से पौध किस्मों का संरक्षण कर सकते हैं। भारत ने अद्वितीय प्रणाली (सुई जिनरस सिस्टम) को अपनाया है और तदनुसार पौध किस्म एवं कृषक अधिकार अधिनियम 2001 अधिनियमित किया गया है जिसमें किसानों के परम्परागत अधिकारों को पूर्णरूप से संरक्षित किया गया है।

[हिन्दी]

लौह अयस्क भंडार

5955. श्री सोहन पोटाई : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के रावघाट क्षेत्र में लौह अयस्क का एक बड़ा भंडार मिला है जहां पहले ही सर्वेक्षण कार्य हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय उक्त भंडार के दोहन के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खनन कार्य कब से किए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी हां, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के रावघाट क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण और गवेषण कार्य से यह पता चला है कि यहां पर लगभग 730 मिलियन टन के लौह अयस्क के प्रतिलभ्य भंडार विद्यमान हैं।

(ख) और (ग) इस विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) के अनुसार रावाघाट का लौह अयस्क भंडार माल्टा रिजर्व फोरेस्ट के अंतर्गत आता है। उक्त क्षेत्र में खनन क्रियाकलापों के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं और भारतीय खान ब्यूरो को छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श से एक क्षेत्रीय खनिज विकास योजना तैयार करने का कार्य सौंपा है।

[अनुवाद]

टेंकासी में धान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

5956. श्री एस. मुरूगेसन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के टेंकासी में धान उत्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में एक धान अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) टेंकासी, तमिलनाडु में धान अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। टेंकासी से 40 कि.मी. दूर अम्बासमुद्रम में पहले ही एक चावल अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहा है। यह केन्द्र तमिलनाडु के तिरुनेलवेल्ली जिले में चावल की किस्मों के प्रजनन, चावल की खेती के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित करने वाला, एक प्रमुख केन्द्र है। टेंकासी तिरुनेलवेल्ली जिले का एक तालुक है। इस केन्द्र ने चावल की लगभग 20 किस्में, उपयुक्त उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं जो न केवल तिरुनेलवेल्ली जिले में ही नहीं बल्कि पूरे तमिलनाडु में लोकप्रिय हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार कार्यक्रम के तहत कोयम्बटूर में अदूथूरैय में भी केन्द्र स्थित है। टेंकासी में दूसरा चावल अनुसंधान केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

जैव संवर्धित कपास और चावल

5957. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चावल और कपास की कीटों और कृन्तकों से रक्षा करने हेतु कोई अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि परियोजनाओं के तहत शुरू की गई अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जैव संवर्धित उन्नत कपास और चावल किसानों को भी उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने प्रारंभ से कीटनाशी/कृन्तकनाशी/जैव-नाशीजीवनाशी के इस्तेमाल द्वारा कपास और चावल के विभिन्न रोगों, कीट तथा कृन्तक कीटों की प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने तथा इनके नियंत्रण के मापदण्ड पर ध्यान केन्द्रीत किया है। चावल तथा कपास के मुख्य कीटों सहित कृन्तकों के नियंत्रण के लिए सरल रूप से अंगीकरण तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) भी विकसित किया गया है।

(ग) यह परियोजना राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन.ए.टी.पी.) की वित्तीय सहायता से शुरू की गई है और तत्संबंधी संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) महाराष्ट्र हाईब्रिड सीड कम्पनी (माहिको) द्वारा बीटी. कपास की तीन पराजीनी किस्मों नामत: बीटी.एम.ई.सी.एच-12, बीटी.एम.ई.सी.एच.-162 और बीटी.एम.ई.सी.एच.-184 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) द्वारा वाणिज्यिक रूप से रिलीज करने के लिए अनुमोदित कर दिया है।

जहां तक चावल की फसल संबंधी आनुवांशिक अभियांत्रिकी का संबंध है पराजीनी विकास और मूल्यांकन प्रारम्भिक अवस्थाओं में है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	उस स्थान का नाम जहां परियोजना चल रही है
1	2	3
1.	चावल और कपास पारिस्थितिकीय प्रणाली में आई.पी.एम.—प्रौद्योगिकी सुधार, प्रामाणीकरण एवं हस्तांतरण।	टी.एन.ए.यू., मदुराई
2.	चावल के कीट प्रबंध तथा चावल आधारित फसलीय प्रणाली में नीम की जैव-क्षमता और स्थायित्व में सुधार।	टी.एन.आर.आर.आई., तंजावूर
3.	माइक्रोपेस्टीसाइड्स-कपास के प्रमुख कीट-व्याधियों के प्रबंध के लिए उत्पादन का सुधार और प्रौद्योगिकी तैयार करना।	ए.यू., विशाखापटनम
4.	टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए चावल-गेहूं कृषि पारिस्थितिकीय प्रणाली में पोषण खनिजीकरण में माईक्रोबाइवोरस नेमाटोड की भूमिका।	भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली
5.	असम में चावल के नाशीजीवों के प्रबंध के लिए कवक नाशीजीवनाशी तथा बोटनिकल।	ए.ए.यू., जोरहाट
6.	चावल-चावल फसलीय प्रणाली के अंतर्गत शीथ ब्लाईट रोग के लिए समेकित रोग प्रबंध नीति का विकास।	ए.ए.यू., आर.आर.एस., टीटाबार
7.	चावल के रोगजनकों के विरुद्ध फ्लेरोसेंट स्यूडोमोनस से सैकेंडरी मेटाबोलाइटिस का पृथक्करण।	एन.ए.आर.डी.आई., सिकंदराबाद
8.	बारानी चावल आधारित उत्पादन प्रणाली में समेकित कीट प्रबंधन के लिए नया दृष्टिकोण।	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद

1	2	3
9.	चावल-गेहूं फसलीय प्रणाली में आई.पी.एम. अंगीकरण का विकास।	एन.सी.आई.पी.एम., नई दिल्ली
10.	मृदा-बायोटा पर कीटनाशी का प्रभाव तथा चावल में गैर लक्षित आर्गेनिज्म।	बी.एच.यू., वाराणसी-221005 (उत्तर प्रदेश)
11.	कपास में पत्ती कुंचन रोग का नियंत्रण तथा परभक्षी, परजीवी तथा नाशीजीव पैथोजिंस के वृहत प्रगुणन के लिए प्रोटोकोल।	सी.आई.सी.आर., नागपुर-440010 (महाराष्ट्र)
12.	फसल कीट तथा रोगों के लिए मौसम आधारित पूर्व-चेतावनी प्रणाली का विकास।	सी.आई.आर.आई., कटक
13.	बीटी. पराजीनी अरहर, चावल-कपास के लिए कीट प्रतिरोधिता।	एन.आर.सी.पी.बी., आई.ए.आर.आई., नई दिल्ली
14.	चावल में पत्ती-धब्बा बैक्टीरियल प्रतिरोधिता के लिए मौलिक्यूलर मार्कर सहायता का चयन।	सी.सी.एम.बी., हैदराबाद
15.	चावल में आई.पी.एम. प्रौद्योगिकी अंगीकरण के सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिणाम।	टी.आर.आर.आई., अदुथुरई, तमिलनाडु
16.	चावल के रोगजनकों के विरुद्ध फ्लूरोसेंट स्यूडोमोनस से सैकेंडरी मेटाबोलाइटिस का पृथक्करण।	एन.ए.आर.डी.आई., हैदराबाद
17.	अनाजों (चावल, मंडुआ और ज्वार) का तुलनात्मक मानचित्रण करना तथा सूखे, रोग प्रतिरोधिता और उपज के विशेष संदर्भ के साथ सस्य विज्ञान संबंधी उपयोगी जीनों की पहचान करना।	यू.ए.एस., बंगलौर
18.	चावल में राईस हिस्पा (डिक्लेडिस्पा आर्मिजेरा ओलिव) की प्रतिरोधिता के लिए जीन से संबंधित आण्विक चिन्हकों की पहचान करना।	ए.ए.यू., जोरहाट
19.	बालवर्म के विरुद्ध बीटी. पराजीनी द्विगुणित कपास का विकास करना।	सी.आई.सी.आर., नागपुर

वर्षा जल संग्रहण

5958. श्री पवन कुमार बंसल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहन देने और भूजल को ऊपर उठाने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले पांच वर्षों में इससे कितना लाभ होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा IX पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रायोगिक आधार पर "भूमि जल के पुनर्भरण के अध्ययन" संबंधी एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वित किया गया है। भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण तथा वर्षा जल संचयन इस स्कीम का अभिन्न अंग है। इस स्कीम के अंतर्गत किया गया कुल व्यय 23.48 करोड़ रु० था। Xवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए प्रस्तावित योजना आबंटन 200.00 करोड़ रु० है।

(ग) IX पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित स्कीम से लगभग 20,000 हेक्टेयर का अतिरिक्त सिंचाई लाभ होगा। स्कीम के क्रियान्वयन से भूमि जल स्तर तथा पेयजल तथा अन्य उपयोगों के लिए लगातार उसकी उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे राज्यों में संसाधन

बढ़ाने तथा जिन क्षेत्रों में पुनर्भरण व्यावहारिक है, ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान में मदद करेगा जिससे राज्य सरकारें समान तकनीकी को अपना सके।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रियायत

5959. **श्री आर.एस. पाटिल :**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या नागर **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को यात्रा करने हेतु रियायतें दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके साथ जाने वाले व्यक्ति को कोई रियायतें दी जाती है; और

(घ) क्या इन लोगों को टिकट बुक कराते समय वरीयता दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

नागर **विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) :** (क) से (ङ) जी, हां। 16 जनवरी, 2002 से प्रभावी, एअर इंडिया अपने अंतर्देशीय मार्गों पर दृष्टिहीन व्यक्तियों को मूल किराए पर 55 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। उनके साथ जाने वाले व्यक्ति को कोई छूट प्रदान नहीं की जाती है। तथापि, यदि दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ गाइड डांग है तो एअर इंडिया द्वारा डांग को निःशुल्क ले जाया जाएगा। दृष्टिहीन व्यक्ति को टिकट बुक कराने के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाती है।

दृष्टिहीन व्यक्तियों और न्यूनतम 80 प्रतिशत कृष्ठ रोग विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को सामान्य किराए एवं प्वाइंट-टू-प्वाइंट किराए में इंडियन एयरलाइंस 50 प्रतिशत छूट देती है। स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे अक्षम व्यक्तियों को भी विशेष किराया देना होता है।

आंध्र प्रदेश को चक्रवात पीड़ितों हेतु सहायता

5960. **श्रीमती रेणूका चौधरी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अक्टूबर, 2001 के अभूतपूर्व चक्रवात की राहत के लिए तथा पुनरूद्धार और पुनर्वास के लिए लगभग 279 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता तथा चावल और गेहूं की अतिरिक्त मात्रा के आवंटन हेतु अनुरोध किया था;

(ख) यदि हो, तो अब तक क्या सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की गईं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्य राहत उपाय शुरू करने हेतु और अधिक सहायता की मांग की है और विश्व बैंक अथवा अन्य विदेशी सहायता मांगने हेतु अनुमति गांगी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सितम्बर-अक्टूबर, 2001 के दौरान भारी वर्षा/अचानक आई बाढ़ के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 278.26 करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई। इस पर उच्चस्तरीय समिति ने दिनांक 28.12.2001 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया और राज्य सरकार के अनुरोध, केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा उस पर अंतरमंत्रालयी दल की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए उच्चस्तरीय समिति ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए 20.44 करोड़ रुपए की सहायता का अनुमोदन किया और यह राशि राज्य सरकार को जारी कर दी गई है। वर्ष 2001-02 के दौरान, राज्य को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत 16.50 लाख मी. टन खाद्यान्न निःशुल्क आबंटित किये गये थे।

[हिन्दी]

यात्री निवास का निर्माण

5961. **डा० बलिराम :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय स्थान-वार कितने यात्री निवास हैं;

(ख) राज्यों में यात्री निवास के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों को इस संबंध में कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) सातवीं योजना से अब तक उतर प्रदेश में 197.56 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता से इलाहाबाद, अयोध्या, चित्रकूट, वृन्दावन और श्रावस्ती में 6 यात्री निवासों की स्वीकृति दी गयी है। इसके अतिरिक्त, उतर प्रदेश के विभाजन से पहले स्वीकृत चार यात्री निवास अब उतरांचल राज्य में हैं।

(ख) से (घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श कर प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गयी है। इस योजना के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान उतर प्रदेश सहित राज्यों में 1241.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता से 28 यात्री निवासों के निर्माण की भी स्वीकृति दी गयी है।

[अनुवाद]

आईटीडीसी और कुटीर उद्योग इम्पोरियम के मध्य अनुबंध

5962. प्रो० उम्मारेडडी वेंकटेस्वरलु : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईटीडीसी ने प्रमुख विमानपत्तनों पर हस्तशिल्प विक्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु कुटीर उद्योग इम्पोरियम के साथ अनुबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईटीडीसी ऐसे विक्रय केन्द्रों पर महंगे हस्तशिल्पों का प्रदर्शन करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा शुल्क मुक्त व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने केवल दिल्ली स्थित इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डिपार्चर लाउंज में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए एक सुन्दर दुकान खोलने के लिए केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता 2 वर्ष के लिए मान्य है।

(ग) और (घ) इन दुकानों पर बिक्री के लिए काष्ठ/संगमरमर से निर्मित कीमती उत्पादों सहित सभी तरह के हस्तशिल्प/हथकरघा के सामान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ङ) शुल्क मुक्त व्यवसाय के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए/किए जाने वाले अन्य उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :-

- मदिरा और तम्बाकू जैसी त्वरित रूप से बिकने वाली प्रमुख सामग्रियों की कीमतों को संगतपूर्ण बनाना।
- शुल्क मुक्त दुकानों को नया रूप देना।
- वर्षभर "शाप-इन" उत्सव का आयोजन किया जाना।
- बिक्री कार्य में लगे कर्मियों के कौशल में सुधार लाना।
- कर्मचारियों के लिए नकद प्रोत्साहन योजना शुरू करना।

[हिन्दी]

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विमानचालकों की नियुक्ति

5963. श्री वीर सिंह महतो : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विमानचालकों की नियुक्ति करने हेतु कोई विशेष अभियान चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अभियान के दौरान श्रेणी-वार ऐसे कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड ने वर्ष 1991 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षु पायलटों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया था और एअर इंडिया ने नवम्बर, 1996 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग की भर्ती के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया था।

(ग) इंडियन एयरलाइंस द्वारा वर्ष 1991 में चलाए गए विशेष अभियान में 2 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की नियुक्ति प्रशिक्षु पायलट के रूप में की गई थी और वर्ष 1996 में एअर इंडिया द्वारा चलाए गए विशेष भर्ती अभियान में अनुसूचित जाति के 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 अभ्यार्थियों की नियुक्ति प्रशिक्षु पायलट के रूप में की गई थी।

[अनुवाद]

क्लोरमफोनिकोल के उपयोग पर प्रतिबंध

5964. श्री एस० अजय कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कृषि, पशुपालन और जलचर पालन में क्लोरमफोनिकोल, जो अधिक एंटी-बायटिक है, के उपयोग पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हेतु संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की सिफारिश की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन क्लोरमफोनिकोल देश में कृषि में उपयोग हेतु कृमिनाशी के रूप में पंजीकृत नहीं है।

इस संबंध में पशुपालन और जलचर पालन में कार्रवाई हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

खानों में सुरक्षा प्रणाली

5965. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अपने मंत्रालय से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने और खानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकारी शिष्टमंडल ने देश में खानों में सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्य देशों की हाल ही में यात्रा की है;

(घ) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन के साथ किसी तकनीकी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) भ्रष्टाचार की घटनाओं को रोकने की दृष्टि से कोल इंडिया लि० द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है :-

(1) संवेदनशील विभागों में तैनात अधिकारियों का समय-समय पर स्थानान्तरण।

(2) विभिन्न प्रचालनात्मक नियम पुस्तकों का सरलीकरण तथा उन्हें अद्यतन किया जाना।

(3) कंपनी की कार्य प्रणाली के नियमों तथा प्रक्रियाओं का उपयोगकर्ताओं में व्यापक प्रचार।

(4) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार लेखा परिक्षा रिपोर्ट को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सतर्कता को उपलब्ध कराना।

खनन सुरक्षा कानूनों की अपेक्षाओं के अनुपालन के अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :-

(1) भूमिगत खानों के लिए:-

1. जलाप्लावन की रोकथाम के लिए जांच सहसम्बद्ध सर्वेक्षण-पहचान की गई 178 खानों में से 107 खानों में कार्य पूरा कर लिया गगा है और शेष 71 खानों में यह पूर्णता की प्रक्रियाधीन है।

2. सभी खानों के प्लानों को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ना—लगभग पूरा कर लिया गया है।

3. सन्निकट खानों के बीच के बैरियर की मोटाई को जहां कहीं अपेक्षित हो, ड्रिलिंग जैसी सकारात्मक पद्धति से मजबूत किया गया है।

4. चरणबद्ध तरीके से लकड़ी के सपोर्ट को स्टील के सपोर्ट से प्रतिस्थापित करना।

5. रॉक मास रेटिंग (आर.एम.आर) अध्ययन के आधार पर सपोर्ट प्लान बनाये गये हैं।

6. खान पर्यावरण के नियमित प्रबोधन के लिए ज्वलनशील तथा जहरीली गैसों के लिए फ्लेम सेफ्टी लैम्पों के अलावा हाथ से पकड़ने वाले डिजिटल गैस डिटेक्टरों का प्रयोग किया जा रहा है।

7. सतत कम्प्यूटरीकृत पर्यावरणीय टेलिमानिटरिंग प्रणाली (ईटीएमएस) मुहैया कराई जा रही है—इस प्रयोजन

के लिए 36 खानों की पहचान की गई है। ऐसी 8 प्रणालियां प्रचालन में हैं तथा 8 और प्रणालियां अधिप्राप्त की गई हैं तथा अवस्थापित की जा रही हैं।

8. श्रमिकों को खतरों से बचाने के लिए और अधिक एस.डी.एल./एल.एच.डी. का नियोजन तथा पीएसएलडब्ल्यू उपकरण लगाना।

9. प्रत्येक मानसून से पहले, प्रत्येक खानों को सतह तथा भूमिगत खानों दोनों से जलाप्लावन के खतरे की जांच की जाती है और कार्य योजना तैयार की जाती है तथा कार्यान्वित की जाती है।

10. सपोर्ट कार्मिकों तथा दूसरे प्रमुख कार्मिकों जैसे पर्यवेक्षी स्टाफ को गहन विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(2) ओपन कास्ट खानों के लिए :-

1. ओपनकास्ट खानों में तथा सतह पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए व्यापक कार्य योजना बनायी जाती है।

2. ऊपरी मलबे के संरूपण तथा कोल बैन्चों और ओ.बी. डम्प स्लोप की स्थिरता की जांच के लिए विशेष अभियान चलाना।

3. रोशनी में सुधार करना।

4. हॉल रोड के प्रबोधन पर जोर दिया जाता है और वाहनों की सड़क में चलने की उपयुक्तता की पूर्व जांच की जाती है।

5. ओपनकास्ट खानों में ट्रैफिक नियम बनाये गए हैं और उनको लागू किया जा रहा है।

6. विशिष्ट स्थानों पर विश्राम शेल्टरों की स्थापना करना।

7. हैम आपरेटरों, आदि, जैसे कार्मिकों को गहन कार्य —विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(3) सामान्य :-

1. सुरक्षा आडिट नियमित रूप से की जा रही है।

2. निरीक्षणों की गुणवता पर जोर दिया गया है। आई. एस.ओ. द्वारा निरीक्षणों को भी बढ़ाया गया है।

3. श्रमिकों की विभिन्न मंचों पर सहभागिता और प्रशिक्षण, प्रचार और प्रसार तथा विशेष सुरक्षा अभियान आयोजित करके सुरक्षा में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ाया गया है।

4. सी.आई.एल ने अनुषंगी स्तर तथा सी.आई.एल. मुख्यालय दोनों में सुरक्षा स्थिति के प्रबोधन के लिए सुगठित बहु आयामी आन्तरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की है। खान स्तर पर सुरक्षा समिति की मासिक बैठकों, वार्षिक त्रिपक्षीय समिति की बैठकों, क्षेत्र स्तर की बैठकों, सी.आई.एल. सुरक्षा बोर्ड की छमाही बैठकों तथा कोयला खान की सुरक्षा पर स्थायी समिति की छमाही बैठकों के माध्यम से भी सुरक्षा स्थिति का प्रबोधन किया जा रहा है। सुरक्षा उपायों में वृद्धि करने के लिए उपर्युक्त मानिटरिंग एजेंसियों की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है।

5. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे जूते, हैलमेट आदि के अलावा सभी श्रमिकों को फिल्टर सेल्फ रेस्क्यूर्स (एफ.एस.आर.) मुहैया कराने के लिए कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

6. बचाव सेवाओं में सुधार किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

ग्रेनाइट की खानें

5966. श्री भर्तृहरि महताब : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषत: उड़ीसा में ग्रेनाइट खान वाले क्षेत्र की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्थानों पर खनन कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(घ) इससे ग्रेनाइट उद्योग को कितना लाभ मिलने की आशा है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ङ) के तहत, ग्रेनाइट गौण खनिज के रूप में परिभाषित है। अत: इसके लिए खनिज रियायतें, पूर्णत: संबंधित राज्य सरकार की गौण खनिज रियायत नियामवली (एम एम सी आर) से प्रशासित होती है। उड़ीसा में ग्रेनाइट का निष्कर्षण, पहले से ही जारी है।

खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारीतय खान ब्यूरो (आई. बी.एम.) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार, 1.4.1995 की स्थिति के अनुसार भारत में ग्रेनाइट के प्राप्ति योग्य भंडार 1027.4 मिलियन घन मीटर है जिनमें से 7.5888 मिलियन घन मीटर भंडार उड़ीसा में है।

[हिन्दी]

पुष्पकृषि को बढ़ावा

5967. **श्री पी.आर. खूंटे : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुष्पकृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अक्तूबर, 2000 तक वाणिज्यिक पुष्पकृषि पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित की। इस स्कीम में आदर्श पुष्पकृषि केन्द्रों और नर्सरियों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री की उपलब्धता, उद्यमियों को प्रशिक्षण, पादपघरों, खेत पर ही निपटाने वाल एककों तथा क्षेत्र विस्तार का प्रावधान है। यह स्कीम अब केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "कृषि में वृहत प्रबंधन - कार्य योजना के माध्यम से राज्य के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण" में मिला दी गयी है। राज्य इस स्कीम के अधीन पुष्पकृषि के संवर्धन से संबंधित कार्यक्रम को संचालित कर सकते हैं। यह स्कीम राज्यों को अपनी जरूरतों के प्राथमिकीकरण में अधिक लचीलापन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड अपनी स्कीम "उत्पादन और कटाई पश्चात् प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" के अधीन 25 लाख रु. की अधिकतम सीमा तक परियोजना की कुल लागत के 20% की दर से पूंजी राजसहायता के रूप में सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम के अधीन पुष्पकृषि कार्यक्रम शुरू किये जा सकते हैं।

[अनुवाद]

वन अधिकारियों को सुरक्षा

5968. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 मार्च, 2002 को 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में "यूपी फोरेस्ट ऑफिसियल बुक्ड आफ्टर कैचिंग पोचर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार हाल ही में हुई हत्याओं के दृष्टिगत वन अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनकी जान की रक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अशोक होटल को नया रूप देना

5969. **श्री जी०एस० बसवराज : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अशोक होटल को नया रूप देकर एक वर्ष के भीतर घाटे से बाहर निकालने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के पास क्या योजना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : अशोक होटल, नई दिल्ली को फिलहाल विनिवेश की प्रक्रिया से हटा दिया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम ने आगामी दो वर्षों में इसे घाटे से बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित कार्य-योजना तैयार की है :-

- संभाव्य ग्राहकों के सभी खण्डों को लक्ष्य बनाने हेतु एक उत्साही एवं सुनियोजित विपणन अभियान प्रारंभ करना।
- अतिथि सेवाओं में सुधार लाना।
- होटल प्रचालन को सुचारू एवं प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को प्रारंभ करना।
- अतिथि सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए विद्यमान अवसंरचना का सुधार करना।

– बेहतर सेवाओं तथा पुनः आने वाले ग्राहकों के माध्यम से होटल की छवि में वृद्धि करके नाम की पहचान में सुधार लाना।

– नियमित निर्धारित आय प्राप्ति हेतु उपाय करना।

– व्यय पर कड़ा नियंत्रण तथा आय की नियमित मॉनिटरिंग करना।

[हिन्दी]

निर्माण क्षेत्र में कार्यरत महिला कामगार

5970. **श्री लक्ष्मण गिलुवा :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में देश में निर्माण क्षेत्र में राज्य-वार कितनी महिलाएं काम कर रही हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का बहुत शोषण होता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान सरकार को महिलाओं के शोषण के राज्य-वार कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है; और

(घ) उक्त क्षेत्र में महिला कामगारों का शोषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में निर्माण कार्य में लगी महिला कामगारों की संख्या लगभग 4.5 लाख है। राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) निर्माण कार्य में लगे पुरुष एवं महिला कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए, सरकार ने भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 अनिनियमित किया है। निर्माण कार्य में लगी महिला कामगारों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम के विशेष उपबंधों और इसके अंतर्गत बने नियमों में हाथ से अथवा सिर पर अथवा पीठ पर बोझ उठाने की अधिकतम सीमा का निर्धारण महिला कामगारों के बच्चों के लिए क्रेच, कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिला लाभार्थियों को प्रसूति लाभ आदि शामिल हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार की एक अवधारणा है। केन्द्रीय क्षेत्र में निर्माण कार्य में लगी महिला कामगारों का शोषण किए जाने की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार निर्माण कार्य में लगी महिला कामगारों की संख्या (राज्यवार)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	निर्माण कार्य में लगी महिला कामगारों की संख्या
1	2	3
I.	भारत (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर)	446339
1.	आन्ध्र प्रदेश	60380
2.	अरूणाचल प्रदेश	2036
3.	असम	2062
4.	बिहार (झारखंड सहित)	9227
5.	गोवा	3033
6.	गुजरात	23725
7.	हरियाणा	4916
8.	हिमाचाल प्रदेश	3963
9.	जम्मू और कश्मीर	–
10.	कर्नाटक	40062
11.	केरल	20110
12.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	40667
13.	महाराष्ट्र	98127
14.	मणिपुर	1130
15.	मेघालय	1604
16.	नागालैण्ड	757
17.	उड़ीसा	7813
18.	पंजाब	2755
19.	राजस्थान	19729

1	2	3
20.	सिक्किम	1947
21.	तमिलनाडु	50699
22.	त्रिपुरा	594
23.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	15696
24.	पश्चिम बंगाल	11502
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	827
26.	चंडीगढ़	1675
27.	दादर और नगर हवेली	277
28.	दिल्ली	19052
29.	दमन और दीव	457
30.	लक्षद्वीप	60
31.	मिजोरम	264
32.	पांडिचेरी	1253

*मुख्य कामगार और सीमान्त कामगार।

बागवानी अनुसंधान केन्द्र

5971. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के थेनी जिले के अंडीपट्टी क्षेत्र में जूही और अन्य फूलों की प्रचुर मात्रा में पैदावार होने के फलस्वरूप अंडीपट्टी में बागवानी अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबबधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपकरण

5972. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि हवाई अड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा कर्मियों को प्रदान किए गए हैंड-हैल्ड मेटल डिटेक्टर काम नहीं करते और सुरक्षाकर्मी यात्रियों की हाथ से तलाशी लेते हैं;

(ख) क्या मल्टी जोन डोर डिटेक्टर्स के बारे में भी ऐसी ही स्थिति की जानकारी मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे उपकरणों के चयन और उनके रख-रखाव का उचित रिकार्ड नहीं रखने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए अन्य कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों को दिए गए सभी उपकरण जैसे हाथ के मैटल डिटेक्टर और मल्टी डोर डिटेक्टर ढंग से कार्य कर रहे हैं। एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों को यात्रियों की व्यक्तिगत तलाशी लेने की सलाह भी दी गई है क्योंकि कुछ सामान इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की पकड़ में नहीं आता।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) वर्तमान डोर फ्रेम तथा हाथ के मैटल डिटेक्टरों को अत्याधुनिक उपकरणों से चरणबद्ध रूप में बदला जा रहा है।

सरकारी उपक्रमों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

5973. श्री एन०टी० षणमुगम : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अधीन सभी उपक्रमों के लिए एकसमान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) सरकार के निदेशानुसार, संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, विनिवेश के तीसरे और चौथे चरण को शामिल करते हुए, भारत पर्यटन विकास निगम के 14 होटलों के कर्मचारियों के लिए, हाल ही में अधिसूचित की गई है। 14 होटलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। योजना 15 अप्रैल, 2002 से 15 मई, 2002 तक खुली है। स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना विनिवेश की प्राप्तियों से की जाएगी और विनिवेश किए गए होटलों के लिए होगी। पहले, भारत पर्यटन विकास निगम प्रबंधन ने 21 मार्च से 31 मार्च, 2001 तक भारत पर्यटन विकास निगम के अशोक ट्रेवल और टूअर प्रभाग के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की थी। जिसके परिणामस्वरूप, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 98 कर्मचारियों, जिनमें 11 कार्यकारी और 87 गैर-कार्यकारी कर्मचारी थे, ने विकल्प चुना और उन्हें 31 मई, 2001 को कार्यमुक्त कर दिया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विनिवेश के तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत होटलों की सूची जिनके लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अधिसूचित की गई

1. होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो
2. होटल एयरपोर्ट अशोक, कोलकाता
3. होटल मनाली अशोक, मनाली
4. होटल कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर
5. होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना
6. होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद
7. कोवलम अशोक बीच रिजार्ट, कोवलम
8. होटल जम्मू अशोक, जम्मू
9. होटल जयपुर अशोक, जयपुर
10. होटल कनिष्क, नई दिल्ली
11. होटल इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली
12. होटल रणजीत, नई दिल्ली
13. होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी
14. होटल पंजाब अशोक, चण्डीगढ़

आम का उत्पादन

5974. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू मौसम के दौरान आम के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) देश में वर्तमान मौसम के दौरान, आम के उत्पादन में गिरावट की कोई सूचना नहीं है।

(ग) कृषि में वृहत प्रबन्ध पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण के तहत किसानों को आम सहित फलों के विकास के लिए सहायता दी जा रही है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपने कार्यकलापों को प्राथमिकता दे सकती हैं।

डेयरी उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंधन

5975. श्री रामजी मांझी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एन०डी०आर०आई०, करनाल में डेयरी उत्पादन, डेयरी प्रसंस्करण और डेयरी प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य के आधार पर विकसित प्रौद्योगिकियों को व्यवसायिक आधार पर देश के अन्य भागों में हस्तांतरित करने की सुविधा स्थापित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1998-2000 के दौरान इसके सलाहकार बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई जबकि तीन महीने में एक बार इसकी बैठक होनी तय है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) डेरी उत्पादन, डेरी प्रसंस्करण तथा डेरी प्रबंधन के क्षेत्रों में भारतीय डेरी अनुसंधान संस्थान में विकसित प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार के लिए सुविधाएं जुटाई गई हैं तथा इनका प्रसार कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.)/प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र और परामर्शदात्री बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है।

किसानों और अन्य पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) के हित की दृष्टि से परिसर में और परिसर से बाहर पशु पालन, डेरी उत्पादन, डेरी प्रसंस्करण, कृषि, बागवानी, मधुमक्खी पालन, मात्स्यिकी और गृह विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 2777 पशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये जिसमें 50,882 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त, 38 पशु स्वास्थ्य प्रबंधन कैम्प, 42 उर्वरता कैम्प तथा अग्रपंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन किया गया जो सिंचित पद्धति के अंतर्गत चारा फसलों की उपज सुधारने पर लक्षित थे।

संस्थान की परामर्शदात्री सेवाओं से लगभग 234 संगठन लाभान्वित हुए। ये सेवाएं निर्मित करने वाली प्रौद्योगिकियों, उपकरणों व डेरी संयंत्रों को डिजाइन करने, परियोजना रिपोर्टों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, औद्योगिक स्तर पर समस्या के समाधान करने तथा निर्मित प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों और गुणवत्ता-नियंत्रण की विधियों में बहु-आयामी स्तर पर कार्मिकों के प्रशिक्षण से संबंधित थीं।

(ग) जी, नहीं। सलाहकार बोर्ड की वर्ष 1998 तथा 1999 में प्रत्येक वर्ष एक-एक बैठक तथा वर्ष 2000 में तीन बैठकें आयोजित की गईं।

(घ) लागू नहीं होता।

बीज नीति संबंधी समीक्षा दल की रिपोर्ट

5976. **श्री चिंतामन वनगा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीज नीति संबंधी समीक्षा दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समीक्षा दल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) दल ने बीज क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास हेतु विभिन्न उपाय सुझाये, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बीज नीति में सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण मशीनरी का सुदृढीकरण, संगरोध अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण आदि शामिल है।

(ग) और (घ) बीज नीति पुनरीक्षा दल की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने बीज क्षेत्र के संवर्धन और विकास हेतु विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, पौध किस्मों का संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 को लागू करना, बीज क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय बीज नीति का मसौदा तैयार करना, बीजों के उत्पादन, आपूर्ति तथा बिक्री के विनियमन हेतु एक नए बीज अधिनियम का मसौदा तैयार करना, आयात एवं निर्यात को उदार बनाना, संगरोध सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

तिलहनों के अनुसंधान और विकास हेतु धनराशि

5977. **श्री राजो सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान देश में तिलहनों के अनुसंधान और विकास पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या देश के विभिन्न तिलहन संस्थान वर्तमान में तिलहनों पर कोई अनुसंधान कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उन्होंने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं;

(घ) क्या सरकार ने तिलहनों के अनुसंधान और विकास के संबंध में कोई दीर्घकालिक नीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान नौ तिलहनी फसलों नामत: मूंगफली, तोरिया, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन, तिल, रामतिल, अलसी तथा अरण्डी पर अनुसंधान के लिए योजना के तहत 5176.20 लाख रुपये और गैर-योजना के तहत 1908.52 लाख रुपये की राशि प्रदान की थी।

इसके अलावा कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से प्रजनक बीज उत्पादन (रुपये 323.72 लाख) और अग्रश्रेणी प्रदर्शनों (रुपये 573.54 लाख) के लिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत देश की विभिन्न संस्थानों को 897.26 लाख रुपये की राशि प्रदान की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) देश की विभिन्न कृषि जलवायु वाली स्थितियों में बुवाई के लिए कई उन्नत किस्में और संकर किस्में जारी की गई। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई किस्मों और संकरों की सूची नीचे दी गई है।

इन्दिरा सोया 9, हरा सोया

तिल: टी के जी-55, जे टी एस-8

सूरजमुखी: एम एल एस एफ एच-47 (एच)

अरण्डी: ज़ी सी एच-6(एच), दीपक (एच)

अलसी: एल सी के 9216, एम एम एच-62, शीला, शेखर, मीरा, पार्वती

एच-संकर

विभिन्न तिलहनों की प्रतिवर्ष बुवाई में सुधरी किस्मों और संकरों का प्रयोग अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 'मैचिंग' फसल उत्पादन और पौध संरक्षण प्रौद्योगिकियां भी विकसित की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तिलहनों के 25780.60 क्विं. प्रजनक बीज का भी उत्पादन किया गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) तिलहनी फसलों में अनुसंधान का दीर्घकालिक लक्ष्य है तिलहनों और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। नौ पारम्परिक तिलहनों के उत्पादन में गैर परम्परागत तिलहनों जैसे चावल की भूसी, बिनौला, पेड़ों से प्राप्त होने वाले तिलहनों और तेल ताड़ का उपयोग करके वृद्धि की जा सकती है।

महत्वपूर्ण कीटों और रोगों की प्रतिरोधी/सहिष्णु उत्कृष्ट किस्मों और संकरों के विकास पर अनुसंधान फसल सुधार में जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग, आनुवंशिक संसाधनों को बढ़ावा देना, जैविक व अजैविक दबावों के लिए प्रौद्योगिकी, समेकित पोषण प्रबंध, समेकित कीट प्रबंध और गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी कार्यों में तेजी लाई जा रही है।

विमानपतनों पर सुरक्षा हेतु धनराशि का आवंटन

146

5978. श्री वाई.जी. महाजन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय येजना के दौरान विमानपत्तनों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान आवंटित धनराशि पर्याप्त नहीं थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में संरक्षा और सुरक्षा से जुड़े उपस्करों की खरीद हेतु 35.31 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जो कि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त थे।

(घ) इस उद्देश्य हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 297.40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक फसलें

5979. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान घरेलू उत्पादन में गन्ने के अलावा अधिकांश वाणिज्यिक फसलें नई ऊंचाईयों को छुएंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुख्य अनाज चावल और गेहूं के साथ-साथ मोटे अनाजों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय बढोत्तरी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) दिनांक 5.4.2002 के तीसरे पूर्वानुमान के अनुसार ९ तिलहनों, कपास, जूट और मेस्ता तथा चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का उत्पादन 2001-2002 में 2000-2001 की तुलना में अधिक होने की आशा है, जैसाकि नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है:-

(मिलियन टन में)

फसल	2000-2001	2001-2002
नौ तिलहनें*	18.40	21.16
कपास#	9.65	11.30
जूट और मेस्ता##	10.48	10.68
चावल	84.87	90.75
गेहूं	68.76	73.53
मक्का@	12.07	13.18
मोटे अनाज	31.62	33.10

* मूंगफली, एरण्डी का बीज, रामतिल, तिल, तोरिया और सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल है।

\# 170 कि०ग्रा० प्रत्येक की मिलियन गांठें।

\## 180 कि०ग्रा० प्रत्येक की मिलियन गांठें।

@ मोटे अनाज में शामिल।

जबकि वर्ष 2001-2002 में मक्का और चावल के उत्पादन को नई ऊंचाई को छूने की आशा है, ऊपर सूचीबद्ध अन्य फसलों के संबंध में इस वर्ष अनुमानित उत्पादन से अधिक उत्पादन पहले के वर्षों में हुआ है।

वर्गीकरण विज्ञान संबंधी अध्ययन

5980. **श्री रघुनाथ झा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या 5 में यह उल्लेख किया है कि अभी तक संग्रहीत प्रतिदर्शों का वर्गीकरण विज्ञान संबंधी अध्ययन पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां। रिपोर्ट में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेड एस आई) द्वारा प्राणिजात सर्वेक्षण और वर्गीकरण-विज्ञान अध्ययनों को पूरा न किए जाने का उल्लेख है।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर, जहां कानून और व्यवस्था की समस्या है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की 12 पारिप्रणालियों और कई अन्य संरक्षण क्षेत्रों को शामिल करते हुए अनुसूची के अनुसार सर्वेक्षण, सूची तैयार करना एवं वर्गीकरण-विज्ञान अध्ययन पूरे कर लिए हैं। मंत्रालय ने वर्गीकरण-विज्ञान में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को शामिल करते हुए कई कदम उठाए हैं जिनसे अन्तराल क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।

[हिन्दी]

हीरा और कोयला खानों में न्यूनतम मजदूरी

5981. **श्री जयभान सिंह पवैया : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में हीरा और कोयला खानों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) उन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) कोयला और हीरा खानों में नियोजित कामगारों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नहीं की जाती क्योंकि ये खानें अनुसूचित नियोजनों में शामिल नहीं हैं। कोयला खानों में नियोजित नियमित कामगारों की मजदूरी श्रमिक संघों और प्रबंधनों के बीच हुए द्विपक्षीय मजदूरी समझौते के अनुसार निर्धारित की जाती है। जहां तक हीरा खानों का संबंध है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन एम डी सी) द्वारा सूचित किया गया है कि मध्य प्रदेश में एन एम डी सी हीरा खनन परियोजना, पन्ना के कामगारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(3) के अंतर्गत 17 अगस्त, 2001 को एन एम डी सी लिमिटेड के प्रबंधन और उनके कामगारों के प्रतिनिधि के रूप में अखिल भारतीय एन एम डी सी कामगार परिसंघ और उससे संबद्ध श्रमिक संघों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार मजदूरी का

भुगतान किया जा रहा है। निगम ने यह भी सूचित किया है कि इन कामगारों की मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की गई मजदूरी से काफी अधिक है।

सी.आई.एल. द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन

5982. **प्रो० दुखा भगत :** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए कोल इंडिया लि० (सी.आई.एल.) द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या उक्त संतुलन में किसी तरह की कोई कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) कोलफील्ड्स में पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए कोल इंडिया लि० (सी.आई.एल.) द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा निम्नवत है :-

(1) सम्पूर्ण कंपनी में कार्यान्वियन के लिए एक पर्यावरण नीति तैयार की गई है।

(2) प्रत्येक सहायक कंपनी में तथा सी.आई.एल. कारपोरेट कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (पर्यावरण) के ओहदे के वरिष्ठ खनन इंजीनियर के अधीन पर्यावरणीय विभाग बनाया गया है जिसमें ऐसे उपयुक्त इंजीनियर सहायता करते हैं जिन्हें पर्यावरणीय कार्यकलाप करने के लिए चुना/प्रशिक्षित तथा प्राधिकृत किया गया है।

(3) पर्यावरणीय पैरामीटरों को, वायु/जल/ध्वनि तथा विस्फोटन कम्पन के लिए, प्रतिष्ठित पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं द्वारा नियमित रूप से खानों में मानिटर किया जा रहा है।

(4) केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) तथा भारत कोकिंग कोल लि० (बी.सी.सी.एल.) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.एस.आई.) तथा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) सुविधाओं से लैस हैं। कुछ और सहायक कंपनियों की भी उसें प्राप्त करने की योजना है।

(5) पर्यावरणीय प्रशमन के लिए खानों में निम्नलिखित उपाय अपनाए गए है :-

(क) ओपनकास्ट ड्रिलों में डस्ट एक्सट्रैक्टरों की कमीशनिंग करना।

(ख) कोल हैंडलिंग प्रोजेक्टों तथा साइडिंग्स के अलावा हॉल रोड तथा कोयला परिवहन रोड में धूल को दबाने के लिए स्थायी, स्वचालित तथा चल जल छिड़काव यंत्रों की अवस्थापना करना।

(ग) कोयला परिवहन सड़कों की ब्लैक टॉपिंग करना।

(घ) कन्वेयर बेल्टों को कवर करना।

(ङ) हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) वर्कशाप में ऑयल तथा ग्रीस ट्रैप्स लगाना, खानों में माइन डिस्चार्ज शोधन संयंत्र लगाना, खान कालोनियों में मलव्ययन संयंत्र लगाना।

(च) सुरक्षा तथा स्थिरता के लिए ओवरबर्डन डम्पों का पुनरूद्धार करना।

(छ) सुधारे गए क्षेत्रों, सड़कों के किनारे, खाली भूमि तथा वर्कशाप वाशरियों जैसी औद्योगिक इकाइयों के चारों तरफ तथा कालोनियों में वृक्षारोपण करना।

(ज) मशीनरियों का निवारक रखरखाव तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए घिसे-पिटे कलपुर्जों को बदलना।

(ख) स्वीकार्य मानकों के अनुसार पर्यावरणीय गुणवत्ता को बरकरार रखा जा रहा है तथा राज्य प्रदूषण बोर्डों से, किसी प्रकार के उल्लंघन के बिना, उत्सर्जन और निस्सरण के लिए नियमित सहमति प्राप्त की जाती है।

नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० की आठ ओपनकास्ट खानों ने पहले ही आई.एस.ओ. 14001 प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है। कुछ और प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं। संबंधित प्राधिकारी आमतौर से पारिस्थितिकी - अनुकूल एप्रोच से सन्तुष्ट हैं।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

जल संचयन परियोजनाओं के लिए कर्नाटक को सहायता

5983. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान जल संचयन परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को अब तक कितना धन जारी किया गया; और

(ग) उक्त सहायता राशि से राज्य सरकार को उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किस सीमा तक मदद मिली है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) IXवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के रूप में क्रियान्वयन के लिए कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में 43.30 लाख रु. की लागत की दो वर्षा जल संचयन स्कीमों के लिए सहायता मांगी थी तथा अभी तक 28.75 लाख रु. जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में पर्यटक केन्द्रों का विकास

5984. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में अहमदाबाद में इस बात की घोषणा की थी कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही एक योजना बनाएगी जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गुजरात के विभिन्न पर्यटक केन्द्रों का विकास पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की जाने वाली योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) मेरे हाल ही के गुजरात दौरे के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया था कि अभिनिर्धारित पर्यटक परिपथों पर स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों को संरक्षित किया जाएगा।

(ख) और (ग) पर्यटक रुचि के स्थलों को संवर्धित एवं विकसित करने का कार्य लगातार होता रहता है। प्रतिवर्ष भारत सरकार, पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

हवाई मार्गों का निजीकरण

5985. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दश के कुछ हवाई मार्गों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002 से 2005 के दौरान कितने मार्गो का निजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके निजीकरण से यदि राजस्व का नुकसान होगा, तो वह कितना होगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) अनुसूचित प्रचालक (निजी अनुसूचित प्रचालकों सहित सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए, अपने व्यवसायिक निर्णय के अध्यधीन किसी भी मार्ग/सेक्टर पर प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

धन का अन्यत्र उपयोग

5986. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-98 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमताओं और इसके कारगर उपयोग के बीच के अंतराल को पाटने के लिए कमान एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आवंटित निधियों में से 31.03 करोड़ रुपये का नौ राज्यों में अन्यत्र उपयोग किया गया तथा 36.83 करोड़ रुपए को जमा रखा गया जैसा कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की वर्ष 1999 (सिविल) की रिपोर्ट संख्या 3 में इसका उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा उन राज्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने सिंचाई क्षमताओं के विकास के लिए दी गई राशि का अन्यत्र उपयोग किया और जिनके द्वारा उसे जमा रखा गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने 1999 (सिविल) की अपनी रिपोर्ट सं० 3 में प्रश्न के इस भाग में उल्लेख किए गए अनुसार तथ्यों को प्रकाशित किया है। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारें इस पर सहमत नहीं है कि यह निधियों का हस्तांतरण था। राज्य सरकारों की निधि सिविल डिपाजिट में जमा की गई थी और उसे राज्य सरकारों के आदेशों के अनुसार बाद में इसे जारी कर दिया गया। इस संबंध में दी गई कार्रवाई रिपोर्ट इस मंत्रालय द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) से (घ) मंत्रालय निर्धारित मानकों, वित्तीय पद्धति के अनुसार राज्यों को उनकी वास्तविक और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा करने के बाद और बाद में होने वाली वांछित औपचारिकताओं के बाद केन्द्रीय सहायता जारी कर रही है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता जारी करने से पहले व्यय के उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षित आंकड़ों पर भी पहले प्रदान करने होते हैं। इस संबंध में हर वर्ष राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। नान-एडमिसिबल मदों पर व्यय की गई निधियों की प्रतिपूर्ति राज्यों को नहीं की जाती है। इन निधियों को अन्य गतिविधियों पर खर्च किया जाता है अथवा किसी अन्य शीर्ष में डाल दिया जाता है। इस प्रकार राज्य सरकारों द्वारा निधियों का उचित उपयोग नहीं किया जाता है और इसकी वसूली कर ली जाती है। इस कार्यक्रम की कमान क्षेत्र विकास स्कंध तथा केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा गहन मानीटरी की जाती है। राज्यों से नियमित रूप से तथा समय से तिमाही प्रगति रिपोर्टें तथा वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए भी कहा जाता है।

(ङ) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणी के अनुसार, राज्यों से वसूलियां कर ली गई हैं। 31.3.2002 तक की गई वसूलियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों ने वसूल की गई राशि को वापस लौटाने के संबंध में अभ्यावेदन दिया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	अनियमित व्यय के रूप में दर्शायी गई कुल राशि	कालम सं. 3 में केन्द्रीय अंशदान	केन्द्रीय राशि जारी करके वसूल की गई/समायोजित की गई राशि	वसूल की जाने वाली शेष राशि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	3163.55	3144.28	0.00	3144.28	राज्य सरकार से लेखों को समायोजित/भेजने का अनुरोध किया गया था।
2.	उसम	129.92	64.96	5.46	59.50	इसके अतिरिक्त और कोई वसूली नहीं की गई है।
3.	बिहार	2987.18	1439.59	0.00	1493.59	राज्य सरकार के इस विवाद पर कि इस राशि को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार जमा किया गया है और सिविल जमा से जारी किया गया है, सीएजी के कार्यालय से यह विचार

1	2	3	4	5	6	7
						व्यक्त किया गया है कि यह मामला प्रशासनिक स्वरूप का है और यदि आवश्यक हो तो संबंधित मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के परामर्श से कार्रवाई कर सकता है।
4.	गोवा	36.00	18.00	0.00	18.00	कोई राशि जारी नहीं की गई है और आगे जारी की जाने वाली राशि से वसूली कर ली जाएगी।
5.	हिमाचल प्रदेश	249.30	124.65	3.93	0.00	लेखा समायोजित कर लिया गया है।
6.	जम्मू व कश्मीर	51.27	25.64	25.64	0.00	पूरी वसूली कर ली गई है।
7.	कर्नाटक	940.46	470.23	437.00	0.00	पूरी वसूली कर ली गई है।
8.	केरल	357.71	178.93	134.15	44.78	पूरी वसूली कर ली गई है।
9.	महाराष्ट्र	279.00	139.50	139.50	0.00	पूरी वसूली कर ली गई है।
10.	उड़ीसा	363.63	181.82	45.45	136.37	राज्य के सचिव ने अनुरोध किया है कि बकाया राशि की वसूली तब तक न की जाए जब तक कि राज्य की पीएसी इस मामले पर विचार और निपटान न कर ले।
11.	राजस्थान	390.23	195.12	195.12	0.00	पूरी वसूली कर ली गई है।
12.	उत्तर प्रदेश	505.36	252.68	252.68	0.00	पूरी वसूली कर ली गई है। तथापि अनुवर्ती कार्रवाई पर सी ए जी कार्यालय की टिप्पणी के अनुसार मामला अनुशासनिक स्वरूप के होने के कारण, यदि आवश्यक हो तो वित्त मंत्रालय के परामर्श से मंत्रालय अंतिम निर्णय ले सकता है।
13.	पश्चिम बंगाल	31.04	15.52	15.52	0.00	पूरी वसूली कर ली गई है।
	कुल	9484.65	6304.92	1254.45	4929.75	

भूजल के संबंध में अध्ययन

5987. **श्री विजय हान्दिक : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में भूजल की उपलब्धता के लिए आईसीएसएसआर-आईडीपीएडी परियोजना के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक दल द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 1977 की संयुक्त राष्ट्र संघ की उस घोषणा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई व्यापक

योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मौखिक आवश्यकताओं के अनुरूप मात्रा में और गुणवत्ता में जल उपयोग का अधिकार है; और

(ग) यदि हां, तो जल उपलब्धता के संबंध में 1977 की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा से लेकर 2002 में मैक्सिको (मोन्टरी) एजेंडा के संदर्भ में कितनी प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जल संसाधन मंत्रालय को देश में भूजल की उपलब्धता के लिए आईसीएसएसआर-आईडीपीएडी परियोजना संबंधी दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं के एक दल द्वारा किए गए किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) मार्डेल प्लाटा, अर्जेन्टीना में आयोजित विश्व जल सम्मेलन में 1977 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के पश्चात् भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता मुहैया करा के ग्रामीण जल आपूर्ति के वास्ते राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता के लिए वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन (बाद में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के रूप में पुनर्नामित) प्रारम्भ किया। इस मिशन के उद्देश्य हैं—शामिल नहीं की गई, आंशिक रूप से शामिल की गई और गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण बस्तियों को शामिल करना; मिली जुली उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करना; चल रहे कार्यक्रमों का निष्पादन और लागत प्रभावशालिता में सुधार करना; सुरक्षित पेयजल के उपयोग पर जागरूकता सृजित करना और पेयजल की सतत आपूर्ति के लिए संरक्षर्ण उपाय करना।

भारत सरकार ने वर्ष 1987 में अपनी राष्ट्रीय जल नीति को तैयार किया है और इसको स्वीकार किया है जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की सम्पूर्ण आबादी को पर्याप्त पेयजल सुविधाएं मुहैया कराए जाने की योजना है। इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि जल के किसी भी उपलब्ध स्रोत पर मनुष्यों और पशुओं की पेयजल आवश्यकताओं को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह नीति विभिन्न उपयोगों के लिए जल के आबंटन में पेयजल के लिए पहली प्राथमिकता का प्रावधान करती है।

शहरी क्षेत्रों में 88% आबादी को जल आपूर्ति मुहैया कराई गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन ने कुल 1422664 बस्तियों में से अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1237651 बस्तियों को पूर्ण रूप से और 165187 बस्तियों को आंशिक रूप से शामिल किया है। विशेष रूप से जल की आपूर्ति से वंचित क्षेत्रों/आबादी को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार वर्ष 2004 तक सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी को पेयजल मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोसाथली नदी परियोजना के लिए तमिलनाडु को सहायता

5988. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के थिरूवेल्लुर जिले में कोसाथली नदी के जलग्रहण क्षेत्र के निर्माण हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितनी सहायता राशि निर्गत की गई है और कितना काम पूरा हुआ है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत इस समय किसी भी नदी-बेसिन के आवाह क्षेत्र के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के वास्ते कोई स्कीम नहीं है।

सिदुमबार बांध का वनक्षेत्र पर प्रभाव

5989. श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिणी गुजरात के वलसाद जिले में प्रस्तावित सिदुमबार बांध के बन जाने से प्रमुख वनों के विशाल भूभाग के जलमग्न हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख वनों के वास्तविक क्षेत्र और अन्य वन भूक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके उक्त परियोजना से प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) देश में सिमटते वन आलोक्य में कीमती वनों के नुकसान को न्यूनतम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) प्रमुख वन क्षेत्रों के नुकसान की भरपाई के लिए किए जा रहे प्रस्तावित प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) राज्य सरकार द्वारा 1996 में मंत्रालय को वलसाद जिला, गुजरात में सिदुम्बर जलाशय परियोजना के लिए 427.13 हैक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्माव को 17.9.97 को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पुन: अक्तूबर, 1999 में प्रस्तुत किया गया

था। राज्य सरकार से मामले पर पुन: विचार के लिए 22.12.99 को कुछ अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त न होने के कारण इस मामले को पुन: नामंजूर कर दिया गया।

कोयले के जलने से डब्ल्यू.सी.एल. को नुकसान

5990. श्री नरेश पुगलिया : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्मी के मौसम में प्रतिवर्ष वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) में कितना कोयला जल जाता है;

(ख) इसके पणिामस्वरूप डब्ल्यू.सी.एल. को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना नुकसान हुआ; और

(ग) कोयले को जलने से बचाने के लिए क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला भंडार में आग लगने के कारण वेस्टर्न कोलफील्ड्स को कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) कोयले को आग से बचाने के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाए किए जाते हैं :-

(1) गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले कोयला भंडार के स्तर को कम करने के लिए कोयले का अधिक से अधिक प्रेषण किया जाता है।

(2) जहां भी आवश्यक होता है, कोयला भंडारों को सघन बनाया जाता है और उनकी ऊंचाई को कम किया जाता है।

(3) किसी भी अप्रत्याशित आपदा से बचाव के लिए, जहां तक संभव हो, कोयला भंडारों के चारों ओर जलाशय बनाए जाते हैं।

(4) अग्निशमन गाड़ियां, पानी के टैंकर, छिड़काव यंत्र तथा जल भंडारण टैंक तैयार रखे जाते हैं।

(5) अग्निशामकों तथा अग्निशमन उपकरणों को उचित स्थान पर रखने जैसी व्यवस्था की समुचित जांच की जाती है और उनकी तैयारी को सुनिश्चित किया जाता है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

5991. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बीमार कर्मचारियों की चिकीत्सीय जांच साल भर से भी अधिक समय से बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है और यह कब से बंद कर दी गई है;

(ग) 1 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार, बीमारी से संबंधित ऐसे कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) उक्त चिकित्सा सुविधा फिर से बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। इसे बंद नहीं किया गया है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए यह लागू नहीं होता।

(ग) यह एक चालू प्रक्रिया है और मामलों की संख्या में भिन्नता रहती है। 70 मामले जांच की प्रक्रियाधीन हैं।

(घ) बीमार कर्मचारियों की चिकित्सा जांच बंद करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड अथवा कोयला विभाग के कोई निर्देश नहीं हैं।

पशुओं का बीमा

5992. श्री के.पी. सिंह देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुओं का बीमा करने के लिए एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में यह योजना शुरू की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना का विस्तार प्रत्येक राज्य में करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अतंर्गत सभी जिलों को कब तक लाए जाने की संभावना है; और

(ङ) अब तक इस दिशा में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र की गोपशु बीमा योजना वर्ष 2000 में देश के 8 चुनिन्दा जिलों अर्थात् नागौर (राजस्थान), गुमला (झारखंड), रतलाम (मध्य प्रदेश), यवतमाल (महाराष्ट्र), धरमपुरी (तमिलनाडु), महबूबनगर (आंध्र प्रदेश), जयपुर (उड़ीसा) तथा लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) में पायलट आधार पर शुरू की गई थी।

(ग) योजना आयोग ने इस योजना को दसवीं योजना में जारी रखने की मंजूरी नहीं दी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हवाई अड्डों पर मल्टी मॉडल
पैसेंजर और कार्गो हब

5993. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछेक मौजूदा हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय मल्टी पैसेंजर और कार्गो हब के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन हवाई अड्डों का उन्नयन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन हवाई अड्डों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जिनके संदर्भ में रिपोर्ट मिल चुकी है और जिसको अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ङ) क्या नागपुर के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल पैसेंजर और कार्गो हब के संदर्भ में नकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच की जा चुकी है और सरकार द्वारा इसका अनुमोदन किया जा चुका है; और

(च) यदि हां, तो नागपुर हवाई अड्डे पर कब तक काम शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) मार्च, 2002 में ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को नागपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मल्टी-मॉडल यात्री एवं कार्गो केन्द्र के बारे में राज्य सरकार की रिपोर्ट मिली है। चूंकि इस रिपोर्ट पर गहन परीक्षण अपेक्षित है, इस चरण में यह उल्लेख करना संभव नहीं है कि कार्य कब आरंभ होने की संभावना है।

कर्नाटक में हिरेल्ला सिंचाई परियोजना

5994. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री शशि कुमार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक की हिरेल्ला सिंचाई परियोजना की पहचान देश की 14 सिंचाई परियोजनाओं में से एक के रूप में की है जिसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत नव सृजित "फास्ट ट्रैक" योजना में शामिल किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) कर्नाटक सरकार से हिरेल्ला परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत फास्ट ट्रैक कार्यक्रम में शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इमारती लकड़ी से भरे हुए माल
डिब्बों को कब्जे में लेना

5995. श्री एम.के. सुब्बा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इमारती लकड़ी की गैर-कानूनी कटाई और उसके परिवहन को रोकने के लिए कौन-कौन से विस्तृत दिशा-निर्देश/नियम तैयार किये गये हैं;

(ख) अक्टूबर, 1999 से जनवरी, 2000 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में इमारती लकड़ी से भरे हुए डिब्बों को कब्जे में लेने/पकड़ने के संबंध में पायी गयी अनियमितताओं/अवैधताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गयी जांचों के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी पाये गये प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) इमारती लकड़ी की अवैध कटाई और उसके परिवहन को रोकने के लिए राज्य संघ शासित क्षेत्रों ने या तो भारतीय वन अधिनियम, 1927 को अंगीरकार किया है या अपने अधिनियम बनाए हैं।

(ख) से (घ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, वैध इमारती लकड़ी के रूप में अवैध इमारती लकड़ी के परिवहन के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, इमारती लकड़ी से भरे हुए 202 माल डिब्बों का वास्तविक सत्यापन किया गया। वास्तविक सत्यापन और उसके बाद की जांच के दौरान काफी अनियमितताएं और अवैधताएं पाई गयीं। विस्तृत जांच पड़ताल और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एक विशेष जांच टीम (एस आई टी) का गठन किया गया है। जांच-पड़तालों से मालूम हुआ कि बड़े पैमाने पर वैध इमारती लकड़ी के रूप में अवैध इमारती लकड़ी की ढुलाई की गई थी। आवश्यक जांच-पड़ताल, कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद 202 माल-गाड़ियों से संबंधित, विविध अनियमितताओं/अवैधताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने व दण्ड लगाने और अवैध लकड़ी की जब्ती के लिए विशेष जांच टीम द्वारा अंतिम निर्णय लिए जा चुके हैं।

महाराष्ट्र जल आपूर्ति और जल-मल-व्ययन परियोजना चरण-II

5996. **श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 31 जनवरी, 2001 को केन्द्र सरकार को पोशीर बांध सहित महाराष्ट्र जल आपूर्ति और जल-मल-व्ययन परियोजना चरण-II के संबंध में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एक ''प्राणिजगत और वनस्पतिजगत'' संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) परियोजना के लिए शीघ्र पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु और इस परियोजना को वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक को भेजने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) प्राणिजात एवं वनस्पतिजात सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को 05 फरवरी 2001 को प्राप्त हो गई थी। रिपोर्ट पर मंत्रालय की टिप्पणियां महाराष्ट्र सरकार को 06 अगस्त 2001 को भेज दी गई थी। राज्य सरकार को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में संशोधन करने और इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय में गठित विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों पर विचार करते हुए इसे पुन: प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया था। पर्यावरणीय मंजूरी देने का निर्णय पूरी सूचना प्रस्तुत करने के 90 दिनों के भीतर से ले लिया जाएगा।

विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए संशोधित परियोजना अभिनिर्धारण रिपोर्ट को केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन द्वारा तकनीकी दृष्टि से मंजूर कर दिया गया है और इसे योजना आयोग द्वारा सिद्धान्त रूप से अनुमोदित भी कर दिया गया है।

जलचर पालन का विकास

5997. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में जलचर पालन का विकास करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए देश में जलचर पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) देश में जलकृषि क्रियाकलाप को इस उद्देश्य के लिए स्थापित 429 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों (एफ एफ डी ए) और 39 खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों (बी एफ डी ए) के जरिए ताजा जल जलकृषि और समेकित तटवर्ती जलकृषि नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत तकनीकी वित्तीय और विस्तार समर्थन के जरिए बढ़ावा दिया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार स्थापित जलकृषि प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखकर झींगा खेती की परम्परागत और उन्नत परम्परागत प्रणाली में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य खेती की पद्धतियों और पर्यावरणीय सुरक्षा की दीर्घावधि सततता को सुनिश्चित करने के लिए सतत आधार पर ऐसी पद्धतियों में उत्पादन स्तरों को बढ़ाना तथा झींगा जलकृषि के प्रबंधन को उन्नत करना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में रोजगार

5998. श्री पी. कुमारासामी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार हेतु कितने भारतीय विदेश गए;

(ख) सरकार द्वारा इन देशों में इनके शोषण को रोकने के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय लोगों के साथ क्रूरता, शोषण, मृत्यु आदि के कितने मामलों की विदेशों से सूचना मिली?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) वर्ष 1999, 2000, 2001 के दौरान उत्प्रवास संरक्षियों से क्लीयरेंस प्राप्त करने के पश्चात् रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या 7.25 लाख थी।

(ख) और (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय श्रमिकों के संबंध में शोषण और क्रूरता के 31 मामलों की सूचना पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई है। तथापि, क्रूरता और शोषण के कारण हुई मृत्यु के बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इन श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए, जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, भारतीय मिशन और स्थानीय एजेन्टों से हस्तक्षेप करके विवाद का निपटारा कराने के लिए कहा जाता है। इनमें से अधिकांश विवादों का निपटारा कर दिया जाता है। तथापि, यदि स्थानीय एजेन्ट शिकायतों का निपटारा संतोषपूर्ण ढंग से नहीं करवा पाते तो उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त/निलम्बित कर दिए जाते हैं और बैंक गारंटी जब्त कर ली जाती है। चूककर्ता विदेशी नियोक्ता का नाम काली सूची में डाल दिया जाता है और तब सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उस विदेशी नियोक्ता द्वारा आगे भर्ती की अनुमति नहीं दी जाती है।

प्रबंधन तकनीक संबंधी एयरपोर्ट डी पेरिस के साथ समझौता ज्ञापन

5999. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरपोर्ट डी पेरिस (ए.डी.पी.) द्वारा एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया को इसकी बिगड़ती छवि को संवारने के लिए नई प्रबंधन तकनीक प्रदान किए जाने की संभावना है ताकि यह बेहतर यात्री देखभाल सुविधाएं प्रदान कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) अपनी छवि सुधारने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रबधंन की नई तकनीकी दिए जाने हेतु एयरपोर्ट डी पेरिस की सहायता लेने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, विमानपत्तन प्रबंधन और संरक्षा एवं सुरक्षा सहित हवाई अड्डे पर किए जाने वाले कार्य-कलाप के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और एयरपोटर्स डी पैरिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाइसेंस

6000. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में खनिजों का पता लगाने के लिए हवाई सर्वेक्षण के लिए लाइसेंस अथवा निगरानी परमिट बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां राज्य में खनिजों के दोहन का भी कार्य करेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) खान और खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अधीन खनिजों के गवेषण के लिए टोही परमिट अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस केवल भारतीय नागरिक अथवा भारत में पंजीकृत कंपनी को ही प्रदान किया जा सकता है। इसलिए खनन कानून की मौजूदा स्कीम के अधीन एक विदेशी कंपनी को टोही/पूर्वेक्षण प्रचालन कार्य की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा, खान और खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 को धारा 5(1) के अधीन निजी भारतीय कंपनियां (इनमें से अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायक कंपनियां हैं) के पक्ष में 29 टोही परमिटों की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) टोही प्रचालन कार्य और अनुवर्ती पूर्वेक्षण कार्य के आधार पर यदि खनिज प्रमाणित हो जाते हैं तो उनका दोहन खनिज भंडारों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

विवरण

आंध्र प्रदेश राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा जिन निजी भारतीय कंपनियों के पक्ष में टोही परमिट अनुमोदित किए गए हैं इन कंपनियों की सूची

क्र.सं.	कंपनी का नाम	खनिज	टोही परमिटों की संख्या	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)
1.	मैसर्स डी बीयर्स प्राइवेट लि.	सोना, हीरा और सम्बद्ध खनिज	6	9197
2.	मैसर्स फैल्प्स डोइज एक्सप्लोरेशन लि.	तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना बेराइटस, हीरा और संबंधी खनिज	4	6945
3.	मैसर्स सी आर ए एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लि.	स्वर्ण, चांदी, विसमुथ और केडमियम समेत हीरा तथा अन्य मूल्यवान खनिज	4	9330
4.	मैसर्स जिओ-मैसूर सर्विस इंडिया प्राइवेट लि.	स्वर्ण, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, निकल, टंग्सटन, एन्टीमानी, विसमुथ, आरसेनिक, कोबाल्ट, मोल्बिडेनियम, प्लाटिनम समूह की धातुएं और हीरा	7	3425
5.	मैसर्स अमिल माइनिंग इंडिया प्राइवेट लि.	हीरा, स्वर्ण, मूल्यवान पत्थर और सम्बद्ध खनिज	6	6522
6.	मैसर्स एंग्लो अमरीकन एक्सप्लोरेशन (इंडिया) प्राइवेट लि.	तांबा, निकल और सम्बद्ध खनिज	2	5345

समुद्रीय और मत्स्य क्षेत्र का विकास

6001. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र प्रायोजित योजना "समुद्रीय मत्स्य पालन का विकास" के अंतर्गत मछली पकड़ने वाले व्यावसायिक पोतों को एच.एस.डी. तेल की आपूर्ति पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने वर्ष 2001-2002 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के लिए केवल 168 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार, मछुआरा संघ और जन-प्रतिनिधियों ने उक्त उद्देश्य के लिए कम से कम चार करोड़ रुपए स्वीकृत करने हेतु अभ्यावेदन/निवेदन प्रस्तुत किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। "समुद्री मात्स्यिकी का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 2001-2002 के दौरान 20 मीटर से कम लंबाई वाले यांत्रीकृत मत्स्यन जलयानों को आपूर्तित एच एस

डी तेल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 168 लाख रुपए की राशि मंजूर तथा जारी की गई थी।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, 2001-2002 के दौरान इस योजना के तहत एच एस डी तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति की लागत के लिए 288 लाख रुपए जारी करने का महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। किंतु अन्य राज्यों की मांग तथा 2001-2002 के दौरान इस योजना के तहत किए गए सकल केन्द्रीय आबंटन को देखते हुए राज्य सरकार की मांग को आनुपातिक रूप से 168 लाख रुपए तक सीमित कर दिया गया था।

पोवई झील का संरक्षण

6002. श्री किरीट सोमैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सड़क चौड़ा करने के प्रस्ताव के संबंध में मुंबई महानगर पालिका और राज्य सरकार द्वारा पोवई झील की भूमि के प्रस्तावित अतिक्रमण को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है जिसके अंतर्गत पोवई झील का संरक्षण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को जन-प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों से बहुत-सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) उक्त अतिक्रमण को रोकने और पोवई झील का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) सरकार को पोवई झील भूमि के अतिक्रमण को हटाने या सड़क चौड़ा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार अथवा ब्रिहनमुंबई नगर निगम में से किसी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विमानपत्तनों का पुनः नामकरण

6003. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भोपाल विमानपत्तन का नाम बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में अन्य दो विमानपत्तनों के नाम भी बदल दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ऐसे नाम परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को अन्य राज्यों से वहां विमानपत्तनों के पुनः नामकरण के लिए कुछ निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) सरकार ने जनता और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मांग पर और संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों पर पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम बदलकर 'वीर सावरकर हवाई अड्डा', भोपाल हवाई अड्डे का 'राजा भोज हवाई अड्डा' और ग्वालियर सिविल टर्मिनल का 'राजमाता विजयराजे सिंधिया' रख दिया है।

(घ) से (च) सरकार को हाल ही में इन हवाई अड्डों के नाम बदलने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनके नाम उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी, गुजरात में राजकोट और पोरबंदर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, राजस्थान में जोधपुर, महाराष्ट्र में नागपुर, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम, त्रिपुरा में अगरतला और तमिलनाडु में मदुरै हैं। सरकार की नीति है कि जहां तक संभव हो सके शहर के नाम पर ही हवाई अड्डे का नाम रखा जाए। इससे यात्रियों को विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों और अन्य आगन्तुकों को सुविधा होगी।

पर्यटन उद्योग को विशेष प्रोत्साहन

6004. श्री अम्बरीश : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारी धनाभाव से ग्रस्त पर्यटन उद्योग को विशेष प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ एशियाई देशों के सहयोग से पर्यटक सर्किट स्थापित करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार का पर्यटन क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने की दृष्टि से 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित नीतिगत उपाय करने का प्रस्ताव है:–

– पर्यटन को आर्थिक विकास के एक मुख्य यंत्र के रूप में अवस्थित करना;

– रोजगार सृजन, आर्थिक विकास तथा ग्रामीण पर्यटन को बल प्रदान करने की दिशा में पर्यटन के प्रत्यक्ष एवं गुणात्मक प्रभाव में वृद्धि के प्रयास करना;

– घरेलू पर्यटन की ओर अधिक ध्यान देना ताकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास और विस्तार को बढ़ावा मिल सके;

– फैलते विश्व यात्रा एवं व्यापार तथा एक गंतव्य के रूप में भारत की व्यापक अप्रयुक्त संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए भारत को एक विश्व ब्रांड के रूप में अवस्थित करना;

– एक सक्रिय, सुविधाकारक एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे निजी क्षेत्र की सरकार के साथ महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना; और

– राज्यों, निजी क्षेत्र एवं अन्य एजेंसियों की भागीदारी की अद्वितीय सभ्यता, हेरिटेज एवं संस्कृति के आधार पर एकीकृत पर्यटन परिपथों का सृजन एवं विकास।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बालको में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

6005. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बाल्को) के विनिवेश के पश्चात् कितने कामगारों, सुपरवाइजरों और प्रबंधन के अन्य कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) की मांग की है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत इनमें से कितने कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया गया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) बालको के विनिवेश के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाले कामगारों, सुपरवाइजरों तथा अन्य कर्मचारियों का ब्यौरा और इनमें से अब तक सेवामुक्त कर दिए गए कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है:–

	कामगार	सुपरवाइजर	प्रबंधन वर्ग में अन्य	कुल
वी.आर.एस. के लिए प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या	830	बालको में यह श्रेणी मौजूद नहीं है।	157	987
सेवामुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या	47	लागू नहीं	3	50

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

6006. **श्री रामटहल चौधरी :**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री शशि कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जन प्रतिनिधियों से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) किसानों को उचित सेवा प्रदान नहीं करती;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के संबंध में कतिपय परिवर्तनों की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। दावों के निपटान में विलंब, कपास

आदि की उच्चतर प्रीमियम दर, भारतीय साधारण बीमा निगम के फील्ड कार्यालयों में प्रदत्त अपर्याप्त फील्ड स्टाफ, स्कीम का अपर्याप्त प्रचार आदि के बारे में कुछ अभ्यावेदन हैं। सुधारात्मक कदम उठाने हेतु कार्यान्वयक अभिकरणों को समय-समय पर आवश्यक अनुदेश दिए जाते हैं।

(ग) से (ङ) कर्नाटक सहित कुछ राज्यों ने इस स्कीम के अधीन केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय देयताओं की भागीदारी, संग्रह निधि के रखरखाव, ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा के यूनिट क्षेत्र में कमी करने के कारण अधिक संख्या में फसल कटाई प्रयोग (सी. सी.ई.) करने, बीमित राशि की अधिकतम सीमा न होना, छोटे और सीमांत किसानों को दी जाने वाली प्रीमियम राजसहायता को चरणबद्ध करने, बारहमासी बागवानी फसलों इत्यादि को कवर न किए जाने आदि के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की हैं।

राज्यों/कृषक समुदायों से प्राप्त सुझावों एवं प्रतिपुष्टि (फीड-बैक) के आधार पर रा.कृ.बी.यो. की समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

जल प्रबंधन का निजीकरण

6007. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री नरेश पुगलिया :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री ए. वेंकटेश :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल प्रबंधन के निजीकरण के प्रभाव के परिणामस्वरूप देश में कृषि क्षेत्र का पतन होने की संभावना है;

(ख) क्या पंचायतों ने देश में जल प्रबंधन के निजीकरण का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में सरकार द्वारा जल प्रबंधन के निजीकरण का प्रस्ताव है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान किए जा रहे हैं कि किसान और अन्य ऐसे लोगों को पानी के उपयोग के लिए किसी समस्या का सामना न करना पड़े?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) प्रति हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन की लागत बढ़ जाने से कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिंचाई क्षेत्र के लिए निधियों की आवश्यकता बढ़ रही है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण, सरकारें नये क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने में असमर्थ हैं। सिंचाई क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल नीति में जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भूजल संसाधनों का उपयोग करते हुए अब तक देश में आधी सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। किसानों की पहल और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और अन्य सहकारी बैंकों के जरिए स्वयं वित्त पोषण द्वारा लगभग 90% भूजल का विकास हुआ है। कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड, सरदार सरोवर निर्माण निगम लिमिटेड आदि जैसे मामलों में बांडों को जारी करके कुछ मामलों में निजी क्षेत्र से वित्तीय संसाधन सृजित किए गए हैं। राष्ट्रीय जल नीति में निजी क्षेत्र से और निधियां जुटाने के लिए सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोगकर्ता संघों, जल सहकारिता और निजी संस्थानों के कुछ अन्य दावाधारकों जैसे निजी क्षेत्र प्रतिष्ठानों को शामिल करने और प्रोत्साहन दिए जाने की योजना है।

जल उपयोगकर्ता संघों और अन्य किसान संगठनों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों की परस्पर भूमिका का विकास किए जाने की आवश्यकता है। इसका ऐसा ही एक महत्वपूर्ण अंग (इंटरफेस) जल उपयोगकर्ता संघों को अत्यधिक मात्रा में जल मुहैया कराया जाना है, बाद में जिसका प्रबंधन स्वयं किसानों द्वारा किया जाना है। राष्ट्रीय जल नीति में आयोजना की अवस्था से किसानों सहित दावाधारकों को शामिल किए जाने की भी योजना है और इस प्रकार इसमें किसानों के परामर्श से ही किसी निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।

तमिलनाडु में तगिरबारानी नदी परियोजना

6008. **श्री एस. मुरुगेसन :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिंचाई हेतु जलाभाव की समस्या से निपटने के लिए तमिलनाडु में तमिरबारानी नदी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) तमिरबारानी नदी परियोजना के तकनीकी-आर्थिक

मूल्यांकन के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत ऐसी वृहद/मध्यम निर्माणाधीन अनुमोदित परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) जारी की जाती है जो इस कार्यक्रम के मानकों को पूरा करती है।

कारखानों के बंद होने के कारण रोजगारविहीन हुए कामगार

6009. श्री हरिभाई चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार कितने बड़े, मध्यम और छोटे कारखानों और मिलों को बंद किया गया/रुग्ण घोषित कर दिया गया;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने कामगार रोजगारविहीन हो गए; और

(ग) इस स्थिति का निवारण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सूखे पत्तों को जलाया जाना

6010. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सूखे पत्तों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लागू करने में विफल रहा है और देश के सभी भागों में, विशेषकर बड़े शहरों में, सूखे पत्तों को अभी भी जलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या शहरों में नागरिक अभिकरण भी सी पी सी बी की रोक-टोक के बिना सूखे पत्तों को जलाने के कार्य में संलिप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

6011. श्री विकास चौधरी : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में काम करने वाले श्रमिक ऐसे मकानों में रह रहे हैं, जिन्हें आई.बी.सी.सी.आई और एन.सी.डब्ल्यू. ए. द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर घटिया दर्जे का माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो कितने श्रमिक ऐसे मकानों में रह रहे हैं और कब से रह रहे हैं;

(ग) क्या आई.बी.सी.सी.आई. के समझौते के अनुसार इन श्रमिकों को मकान-किराया भत्ता दिया जाता है;

(घ) प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है कि श्रमिकों को उचित दर्जे के मकान दिए जाएं और जिन्हें मकान नहीं मिलते, उन्हें मकान-किराया भत्ता प्रदान किया जाए;

(ङ) क्या नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तिपांग कोयला-खान के कामगारों ने पेयजल की आपूर्ति न होने की शिकायत की है;

(च) यदि हां, तो इन कामगारों की समस्याएं किस प्रकार की हैं; और

(छ) इस कोयला-खान में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एन.ई.सी.) में काम करने वाले लगभग 40% श्रमिक ऐसे मकानों में रह रहे हैं जो सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के मानदंडों के अनुसार उच्चस्तर के नहीं हैं।

(ग) ऐसे कर्मचारियों को छोड़कर जिनको निम्नलिखित प्रकार के मकान व्यक्तिगत रूप से आबंटित किए गए हैं, सभी कर्मचारी जे.बी.सी.सी.आई. समझौते के अनुसार 75/- रु. प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ते के पात्र हैं:—

(1) सामूहिक या अलग शौचालय तथा स्नान-गृह सहित एक क्या अधिक कमरों वाला पक्का मकान।

(2) नयी मकान योजना के अंतर्गत मकान, कम लागत मकान योजना अथवा शौचालय और बाथरूम सहित एक मेहरावदार कमरे वाला वासगृह।

(घ) कंपनी द्वारा, नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के लगभग 97% कर्मचारियों को आवास की सुविधा मुहैया कराई गई है। 2256 मकान उच्च स्तर के हैं तथा उच्च स्तर के मकानों के अतिरिक्त 1566 अन्य मकान हैं। उच्च स्तर के मकानों के अतिरिक्त अन्य मकानों में रहने वाले कर्मचारी, जे.बी.सी.सी.आई. के एन.सी.डब्ल्यू.ए. के तहत प्रावधान के अनुयार 75/- रु. प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ते की अदायगी के हकदार हैं, जैसाकि उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

एच.जेड.एल. और एच.सी.एल. द्वारा अर्जित लाभ

6012. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई : क्या **कोयल और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान स्थित 'हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड' (एच.जेड. एल.), 'हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड' (एच.सी.एल.) और 'खेतड़ी कॉपर कॉप्लेक्स' (के.सी.सी.) में कितने-कितने कामगार काम कर रहे हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में एच.जेड.एल. और एच.सी.एल. ने कितना लाभ कमाया?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) 1.3.2002 की स्थिति के अनुसार, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच जैड एल) तथा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच सी एल) में कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 7239 तथा 8387 थी। खेतड़ी कॉपर कम्पलैक्स हिन्दुतान कॉपर लिमिटेड को एक इकाई है तथा 1.3.2002 को स्थिति के अनुसार, इसमें 4026 कर्मचारी थे।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ तथा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को हुई हानि निम्नवत् थी:—

(करोड़ रु. में)

वर्ष	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ (कर पूर्व)	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को हुई हानि
1999-2000	182.17	147.46
2000-2001	282.22	105.80
2001-2002 (अनंतिम)	67.00 (फरवरी, 2002 तक)	183.39

[अनुवाद]

एअर इंडिया द्वारा विमानों का अर्जन

6013. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने अगले पांच वर्षों के दौरान 23 नये विमानों की खरीद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एअर इंडिया वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अकार्मिक पट्टे पर विमान लेने की अपनी चालू नीति को ही जारी रखेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) एअर इंडिया ने अगले पांच वर्षों के लिए अपने विमान-बेड़ा योजना और मौजूदा/अतिरिक्त मार्केटों में क्षमता विस्तार संबंधी मार्केट अवसरों के एक परिकलन के आधार पर वर्ष 2003-2004 से वर्ष 2007-2008 तक प्रचालनों के पैटर्न को विकसित करने, किसी प्रतियोगी उत्पाद के प्रस्ताव संबंधी आवश्यकताओं, अपने विमान-बेड़े में उपयुक्त रेंज और साइज के विमानों को शामिल करने की आवश्यकता संबंधी परिकलन आदि के लिए एक आंतरिक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति द्वारा रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

(ग) और (घ) एअर इंडिया ने अपने प्रचालन बढ़ाने के लिए 5ए 310-300 विमान ड्राई लीज पर लिए हैं। एअर इंडिया के विमान-बेड़ा युक्तिकरण योजना के एक हिस्से के रूप में अतिरिक्त 3ए 310-300 विमानों को ड्राई लीज पर लेने का प्रस्ताव है तथा इनके शामिल होने पर 2बी 747-200 तथा 3ए 300-बी4 विमानों को फेज आउट करने का प्रस्ताव है। एअर इंडिया ने 3ए 310-300 तक के विमानों को

ड्राई लीज पर लेने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। जिनक वर्ष 2002 तक प्राप्त होने की आशा है। 6 बोलियां प्राप्त की गईं। इन बोलियों के मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है। इसके आंतरिक 2बी 747-400 विमान तक को ड्राई लीज पर लेने के लिए भी एअर इंडिया द्वारा बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

कोयला खानों को बंद किया जाना

6014. श्री सुनील खां :
श्री ई. पोन्नुस्वामी :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) की 22 खानों को अलाभकारी बताते हुए इन्हें बंद करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में उन खानों को बंद करने का विचार है जो घाटे में चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कोयला-खानवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितने कामगारों के रोजगारविहीन हो जाने की संभावना है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) ने, सुरक्षा कारणों, आर्थिक व्यवहार्यता तथा कोयला भंडारों के समाप्त होने आदि को देखते हुए, फिलहाल 22 भूमिगत खानों में चरणबद्ध तरीके से खनन कार्यों को निलंबित रखने का प्रस्ताव किया है। घाटे में चल रही कोयला कंपनियों को लाभप्रद बनाने के लिए खाली भंडारों तथा भारी प्रचालनात्मक लागत वाली आवधिक रूप से रुग्ण हो जाने वाली खानों का बंद किया जाना वांछनीय समझा गया है। ई.सी.एल. प्रबंधन का अपने कार्मिकों तथा मशीनरी का इष्टतम उपयोग करने का प्रस्ताव है और 22 खानों के कार्मिकों तथा मशीनरी को, जिनमें खनन कार्यों को निलंबित रखने का प्रस्ताव है, दूसरी संभावित/लाभ कमाने वाली खानों में परिनियोजित किया जाएगा।

(ग) से (च) किसी भी खान में संकार्यों को बंद करने/निलंबित रखने का निर्णय संबंधित कंपनी द्वारा, कोयला भंडारों के समाप्त होने, सुरक्षा कारण, तकनीकी संभाव्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करने के पश्चात् लिया जाता है।

संकार्यों को निलंबित रखने के लिए अभी तक 49 खानों की पहचान की गई है जिन्हें आने वाले वर्षों में एक साथ न करके विभिन्न चरणों में किया जाएगा। उनकी राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:—

अनुषंगियां	राज्य	
	पश्चिम बंगाल	झारखंड
ई.सी.एल.	20	2
बी.सी.सी.एल.	—	15
सी.सी.एल.	—	12

किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा/छंटनी नहीं की जाएगी। श्रमशक्ति को दूसरी व्यवहार्य/संभावित खानों में परिनियोजित किया जाएगा। तथापि वी.आर.एस. लेने वाले श्रमिकों के मामलों पर विचार किया जाएगा।

विमान दुर्घटनाओं पर वार्षिक प्रतिवेदन

6015. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विमान सुरक्षा निदेशालय विमान दुर्घटनाओं पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करके उनका प्रकाशन करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रतिवेदनों को वार्षिक रूप से प्रकाशित कराने और उन पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ङ) नागर विमानन महानिदेशालय का वायु सुरक्षा निदेशालय, सरकार द्वारा विमान दुर्घटनाओं की रिपोर्ट की स्वीकृति के पश्चात् प्रकाशन हेतु विमान दुर्घटनाओं का वार्षिक सारांश तैयार करता है। वर्ष 1996 का दुर्घटना सारांश भारत की सभी विमानन एजेंसियों में परिचालित किया जा चुका है। वर्ष 1997 और 1998 का दुर्घटना सारांश भारत सरकार प्रेस में प्रकाशनाधीन है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए विमान दुर्घटनाओं की कुल 11 रिपोर्टों पर सरकार द्वारा जांच की जा रही है। सरकार द्वारा इनकी स्वीकृति के पश्चात् ये रिपोर्टें जन-साधारण को उपलब्ध कराई जाएंगी और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

संकट में नारियल-कृषक

6016. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विशेषकर कर्नाटक के नारियल कृषकों के समक्ष आ रही समस्याओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो कीट-नियंत्रण में नारियल-कृषकों की सहायता करने तथा देश में नारियल-कृषि का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एकीकृत नारियल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार नारियल की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं से अवगत है। देश में नारियल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जैसे गुणवत्ता रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण; सहायता प्रदान करके रोगग्रस्त पामों को छंटाई; किसानों के खेतों में प्रदर्शन भूखंड बनाना; जैविक खाद यूनिट के लिए सहायता; पंजीकृत/निजी/अनुमोदित नर्सरियों को सहायता तथा नारियल के अंतर्गत नए रोपण। इसके अलावा, कीटों, कृमियों तथा रोगों के प्रबंध; प्रसंस्करण तथा उत्पाद विविधीकरण एवं बाजार अनुसंधान एवं प्रोत्साहन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए नारियल प्रौद्योगिकी मिशन स्कीम वर्ष 2001-02 से शुरू की गई है। वर्ष 1998-99 से 2001-02 के दौरान केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में खास तौर से नारियल की कुटकी के नियंत्रण हेतु 57.84 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "भारत में नारियल उद्योग का समेकित विकास" के अंतर्गत कर्नाटक को पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्गत केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत है:—

वर्ष	निर्गत सहायता (लाख रुपये)
1999-2000	312.09
2000-2001	841.06
2001-2002	629.84

कामगारों को विदेश भेजने के संबंध में समझौता

6017. **श्री रामदास आठवले :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक, कामगारों को विदेश भेजने के संबंध में सरकार द्वारा कुछ देशों के साथ किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समझौतों में पर्याप्त पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक कामगारों को विदेश भेजने के लिए सरकार द्वारा किसी देश के साथ किसी समझोते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विश्व-बैंक से सहायता प्राप्त प्रदूषण-नियंत्रण परियोजनाएं

6018. **श्री वाई.वी. राव :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में चल रही उन प्रदूषण-नियंत्रण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) क्या इनमें से किसी परियोजना, जिन्हें 31 मार्च, 2002 को समाप्त होना था, को विश्व बैंक द्वारा विस्तारित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस कार्य के अंतर्गत क्या उपलब्धियां अर्जित की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इस समय विश्व बैंक सहायता प्राप्त ''औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना'' का कार्यान्वयन कर रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाकर लागत प्रभावी प्रदूषण उपशमन को बढ़ावा देना; स्वच्छ प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा अपशिष्ट को न्यूनतम करने के लिए औद्योगिक स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए समर्पित निवेश को प्राथमिकता देने को सुविधा देना; और सूचना प्रबंधन और नियंत्रण के आधुनिक उपायों को अपनाने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। यह परियोजना 31 मार्च, 2002 को बंद होनी थी परन्तु इसकी अवधि 30 नवंबर, 2002 तक बढ़ा दी गई है।

(ग) परियोजना की मुख्य उपलब्धियों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की 29 प्रयोगशालाओं में सुविधाओं का उन्नयन और प्रयोगशालाओं के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपस्कर की खरीद शामिल है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस)/भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) की गतिविधियां भी शुरू की गईं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में ''एन्वायरमेंटल आउटरीच'' कार्यकलापों को सफलतापूर्वक किया गया। परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता अनुदान से दो सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों, एक सूरत में और दूसरा बड़ोदरा में, को अनुसमर्थन प्रदान किया गया और मुंबई में एक औद्योगिक अपशिष्ट जल रीसाइकलिंग संयंत्र को भी अनुसमर्थन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न औद्योगिक सैक्टरों में 65 अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्किल स्थापित किए गए। अपने दायित्वों को और प्रभावी ढंग से निभाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, केन्द्रय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्मिकों और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ख्याति प्राप्त संस्थानों द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया।

[हिन्दी]

''मदर डेयरी'' के फलों व सब्जियों के बूथ

6019. **डा. बलिराम :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नई दिल्ली में ''मदर डेयरी'' के विशेषकर उदयन मार्ग, गोल मार्केट और साउथ एवेन्यू के बूथों पर अच्छी गुणवत्ता के फल व सब्जियां उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ''मदर डेयरी'' के बूथों पर फल व सब्जियों को बाजार मूल्य से ऊंचे दामों पर बेचा जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) निर्धारित गुणवत्ता विशिष्टताओं के अनुसार छटे हुए/ग्रेड दिए हुए फल और सब्जियां नई दिल्ली के उदयन मार्ग, गोल मार्किट और साउथ एवेन्यू सहित सभी फल और सब्जी बूथों पर सप्लाई की जाती हैं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तुलनीय ग्रेड्स के लिए बूथों पर फल और सब्जियां प्रतियोगी मूल्य पर बेची जाती हैं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपरोक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

''संकर चावल मिशन'' की स्थापना

6020. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकर चावल के उपयोग को प्रचारित-प्रसारित करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 'संकर चावल मिशन' की स्थापना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का संकर किस्म के चावल का वाणिज्यीकरण करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या संकर किस्म के ऐसे चावल के व्यापार-वाणिज्य से उच्च पैदावार वाले भिन्न-भिन्न किस्मों के चावल की अपेक्षा अधिक लाभ रहेगा;

(ङ) क्या देश में उपलब्ध वर्तमान विस्तार-नेटवर्क, चावल की किसी नयी किस्म के प्रचार-प्रसार के लिए अपर्याप्त है;

(च) यदि हां, तो इस विस्तार नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) उक्त प्रकार के ऐसे 'चावल मिशन' के लिए कितनी धनराशि रखी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) संकर चावल की उच्च उपज क्षमता को ध्यान में रखते हुए चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों से इनकी उपज वास्तव में अधिक होती है। चावल के संकर की मौजूदा अधिक उपज देने वाली किसमों से प्रति हैक्टर लगभग एक टन की उपज (15-20 प्रतिशत) अधिक होती है।

(ङ) और (च) कृषि विस्तार राज्य का विषय है, तथापि भारत सरकार विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों के प्रयासों को समर्थन देती है। इस संबंध में किए गए निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं:–

– किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन दौरे करना;

– गैर-सरकारी संगठनों और कृषक संस्थाओं को सहायता देना;

– किसान मेलों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया गतिविधियों का आयोजन करने में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता देना; और

– सात राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब और उड़ीसा में राज्य कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्थाओं का अग्रगामी परीक्षण किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण का संकेन्द्र राणनीति नियोजन, किसानों निजी क्षेत्र की सहभागिता आदि का सशक्तिकरण करने के माध्यम से कार्य करना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केन्द्रों के एक नेटवर्क के साथ अपने अग्रपंक्ति विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से सरलीकरण संबंधी भूमिका निभाती है, जिसकी गतिविधियों में खेत पर परीक्षण एवं अग्रपंक्ति प्रदर्शनों के माध्यम से अपने संघट्ट का मूल्यांकन और प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना तथा चावल की नई किस्मों का प्रवर्धन करने के लिए किसानों और विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के माध्यम से इसका प्रसार करना सम्मिलित है।

(छ) उपरोक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

चेन्नई में नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

6021. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई में एक नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के संबंध में तमिलनाडु सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) चेन्नई में दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और इसकी जांच की गई है। राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कुछ चुने हुए हवाई अड्डों की पुनर्संरचना दीर्घावधिक पट्टे के आधार पर वैश्विक दर्जे के हवाई अड्डे के रूप में करने का निर्णय किया है। वर्तमान में, चेन्नई सहित चार महानगरों में स्थित हवाई अड्डों पर यह कार्य किया जा रहा है। चेन्नई समेत हवाई अड्डों को दीर्घावधिक पट्टे पर देने की प्रक्रिया को जोर-शोर से कार्यरूप दिया जा रहा है। इस स्थिति में किसी स्वतंत्र प्रमुख विस्तार परियोजना से कठिनाइयां उत्पन्न होगी और इससे दीर्घावधिक पट्टे की पूरी प्रक्रिया जोखिम में पड़ सकती है, जिससे आखिरकार, चेन्नई स्थित मौजूदा हवाई अड्डे को वैश्विक दर्जे का हवाई अड्डा बनाने के प्रयासों पर बुरा असर होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लि. की तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट में दर्शाए गए अनुसार चेन्नई हवाई अड्डे पर यातायात प्रक्षेपणों में काफी विविधताएं हैं। इसलिए तमिलनाडु सरकार से चेन्नई में नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।

हेलीकॉप्टरों के लिए हैंगर

6022. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टरों को खड़ा करने के लिए केन्द्र सरकार से एक हैंगर आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) राज्य सरकार के हेलीकॉप्टरों को रखने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 629 वर्गमीटर की विमानशाला आबंटित करने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध पर विचार किया गया और माह जनवरी, 2002 में पहले ही इसका आबंटन किया जा चुका है।

बंगलौर हवाई अड्डे के विकास हेतु समझौता

6023. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन लिमिटेड ने हवाई अड्डे के विकास संबंधी समझौते का एक मसौदा केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) हवाई अड्डे के विकास संबंधी समझौते को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां। प्रारूप विमानपत्तन विकास करार (ए डी ए) में शर्तें एवं ढांचा, संविदात्मक एवं विनियामक मुद्दे एवं केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों और हवाई अड्डे में विभिन्न कार्यों में अंतर्ग्रस्त होने वाले दूसरे पक्षों के दायित्वों का निर्धारण होगा।

(ग) और (घ) प्रस्तावित विमानपत्तन विकास करार पर भारत सरकार, कर्नाटक सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बेंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच चर्चा की जा रही है। अत: इस चरण में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

गुवाहाटी से अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें

6024. श्री के. येरननायडू : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी हवाई अड्डे से अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया, गुवाहाटी से बैंकाक के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे पर्यटन क्षेत्र को किस सीमा तक प्रोत्साहन मिलेगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ङ) एयर इंडिया ने पहले ही 4 अप्रैल, 2002 से बैंकाक को गुवाहाटी से जोड़ने के लिए सप्ताह में दो हवाई सेवाएं शुरू कर दी हैं। इससे पूर्वोत्तर में पर्यटन सेक्टर के लिए एक सकारात्मक बढ़ावा देने की आशा है। तथापि कुछ समय के बाद ही सही प्रभाव का पता लगा पाएगा।

हवाई अड्डों पर एक्स-रे मशीन

6025. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई हवाई अड्डों में सामान की पूर्ण जांच के लिए आवश्यक एक्स-रे मशीन नहीं है;

(ख) यदि हां, तो देश में उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जहां ऐसे उपकरण लगाए जाने हैं और जहां स्टाफ द्वारा जांच की जाती है;

(ग) सभी हवाई अड्डों पर इस तरह की सुविधाओं को उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रतयेक वर्ष के दौरान सामान खोने के संबंध में यात्रियों से हवाई अड्डावार कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ङ) सरकार द्वारा हवाई अड्डों पर वर्तमान सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) गग्गल तथा देहरादून हवाई अड्डों को छोड़कर सभी हवाई अड्डों पर एक्स-रे मशीनें लगी हैं। अगाती तथा पोरबंदर हवाई अड्डों पर एक्स-रे मशीनें केवल पंजीकृत सामान की जांच के लिए उपयोग की जाती हैं लेकिन हाथ के सामान के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं।

(ग) नवीनतम एक्स-रे मशीनें प्राप्त करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। एक बार उनके प्राप्त हो जाने पर जहां-जहां आवश्यकता होगी उन्हें लगाया जाएगा।

(घ) सूचना सुनिश्चित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिसमें सम्मिलित हैं–

(i) समयबद्ध तरीके से सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगाना।

(ii) मुख्य हवाई अड्डों पर तत्काल प्रतिक्रिया दलों (QRTs) को लगाना।

(iii) यात्रियों की विमान में चढ़ने से पहले सीढ़ियों पर सुरक्षा जांच तथा हाथ के सामान की जांच की अनिवार्यता।

(iv) पैरिमीटर सुरक्षा को मजबूत करना।

(v) एक्स-रे मशीनें, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर तथा हाथ में पकड़े जाने वाले मेटल डिटेक्टर बदलना/लगाना।

निर्धन और शिक्षित युवकों को रोजगार

6026. **श्री टी. गोविन्दन : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में निर्धन और शिक्षित युवकों के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु कोई वित्तीय सहायता देती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगले तीन वर्षों के लिए राज्यवार कितनी सहायता दिए जाने का अनुमान है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत भारत सरकार निर्धनों (शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों) के लिए रोजगार अवसरों का सृजन करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदा के दौरान काम के बदले भोजन कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी) भी वेतन रोजगार सृजन हेतु जनवरी, 2001 से अधिसूचित जिलों में कार्यान्वियनाधीन है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002) इन योजनाओं हेतु आबंटित निधियां एवं इसी अवधि के दौरान किए गए रोजगार सृजन संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चूंकि दसवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है अत: अगले तीन वर्षों हेतु राज्य-वार कोई प्रक्षेपण नहीं दिया जा सकता।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्रमांक	योजना का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002*
1	2	3	4	5
1.	**संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)$**			
	(क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई)			
	(i) कुल आबंटन (केन्द्र + राज्य) (रु. करोड़ में)	2205.58	2192.96	2493.01
	(ii) केन्द्रीय आबंटन (रु. करोड़ में)	1655.00	1645.50	1870.60
	(iii) केन्द्र द्वारा जारी धनराशि (रु. करोड़ में)	1685.28	1381.38	1140.13

1	2	3	4	5
	(iv) रोजगार सृजन (मानव दिवस करोड़ में)	26.83	26.49	9.77
	(ख) रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस)			
	(i) कुल आबंटन (केन्द्र + राज्य) (रु. करोड़ में)	2431.46	1982.27	2496.74
	(ii) केन्द्रीय आबंटन (रु. करोड़ में)	1824.10	1562.00	1873.00
	(iii) केन्द्र द्वारा जारी धनराशि (रु. करोड़ में)	1736.42	1460.27	1068.91
	(iv) रोजगार सृजन (मानव दिवस करोड़ में)	27.86	21.75	9.65
2.	**स्वर्ण-जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई)**			
	(i) कुल आबंटन (केन्द्र + राज्य) (रु. करोड़ में)	1472.34	1332.50	815.66
	(ii) केन्द्रीय आबंटन (रु. करोड़ में)	1105.00	1000.00	622.66
	(iii) केन्द्र द्वारा जारी धनराशि (रु. करोड़ में)	869.55	462.11	320.32
	(iv) सहाय्यित स्व-रोजगार प्राप्तकर्त्ता (संख्या करोड़ में)	0.09	0.102	0.043
3.	**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)**			
	(i) केन्द्रीय आबंटन (रु. करोड़ में)	–	2500.00	2375.00
	(ii) रोजगार सृजन	–	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	**स्वर्ण-जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)**			
	(i) जारी निधि (रु. करोड़ में)	118.77	85.13	38.31
	(ii) शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम के तहत सहाय्यित व्यक्तिया की संख्या (यूएसईपी) (पूर्ण संख्या)	135185	104019	97542
	(iii) शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम के तहत् सृजित कार्य के मानव दिवसों की संख्या (यूडब्ल्यूईपी) (करोड़ में)	1.01	2.20	0.12

1	2	3	4	5
5.	**प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)**			
	(i) लक्ष्य संख्या	220000	22000	220000
	(ii) स्वीकृत मामले			
	(क) संख्या	259088	226316	47577
	(ख) राशि (रु. करोड़ में)	1683.00	1468.00	293.00
	(iii) निपटाए गए मामले			
	(क) संख्या	203454	140700	23931
	(ख) राखि (रु. करोड़ में)	1269.00	869.00	142.00
6.	**कार्य करने के लिए कार्यक्रम**	जनवरी 2001 से प्रभावी है तथा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्य के अधिसूचित जिलों में वेतन रोजगार हेतु केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों की किसी भी कार्यान्वित की जाने वाली योजना का अंग हो सकता है।		

* अनंतिम।

$ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं रोजगार आश्वासन योजना को सितम्बर, 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया।

कार्गो केंद्र की स्थापना

6027. **श्रीमती मिनाती सेन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में 15 कृषि निर्यात जोन बनाने के लिए ए.पी.ई.डी.ए. के माध्यम से कोलकाता में कार्गो केंद्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा कोलकाता में कार्गो केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोलकाता तथा गुवाहाटी हवाई अड्डों में सहज पहुंच वाले शीत कक्ष उपलब्ध कराए गए हैं। बंगलौर तथा हैदराबाद हवाई अड्डों में कार्गो केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। हैदराबाद कार्गो केंद्र की क्षमता 12045 एम टी तथा बंगलौर कार्गो की क्षमता 16060 एम टी है। देश में अब तक 24 कृषि निर्यात जोन अनुमोदित किए गए हैं।

गेहूं की नई किस्म

6028. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह किस्म देश के गेहूं उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि में सहायक होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने वर्ष 2001 के दौरान गेहूं की तीन नई किस्में विकसित की हैं।

(ख) और (ग) समय से बुआई करने वाली सिंचित दशाओं के लिए एच.डी.-2733 तथा पिछेती बुआई करने की सिंचित दशाओं के लिए एच.डब्ल्यू.-2045 किस्मों को बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड,

असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में खेती करने हेतु विकसित किया गया है। एच.डी.-2781 किस्म कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में समय से बुआई करने वाली बारानी दशाओं के लिए है। ये किस्में उक्त राज्यों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करेंगी, क्योंकि उन्होंने परीक्षणों के दौरान नियंत्रकों/मौजूदा लोकप्रिय किस्मों से 10 से 15 प्रतिशत तक की श्रेष्ठता दर्शाई है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत तिलहनों की खरीद

6029. श्री जी.एस. बसवराज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफेड और राज्य सहकारी एजेंसियां आगामी रबी की फसल के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत बाजार से 5 मिलियन टन तिलहन की खरीद करने वाली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या खरीद एजेंसियां कर्नाटक और महाराष्ट्र से रेपसीड, सरसों और सूरजमुखी की बाजार से आने वाली नई फसल की भी खरीद करेंगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कर्नाटक के किसानों को दी जा रही राहत उपायों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कर्नाटक की मंडियों से नारियल गिरि की खरीद जारी रखने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत, कृषि जिन्सों की खरीद के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती। तिलहन के मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर पर पहुंचने तक केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा इन तिलहनों की खरीद करेगा।

(ख) जी, हां। रेपसीड, सरसों बीज तथा सूरजमुखी बीज के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने पर नेफेड द्वारा इन जिंसों की खरीद मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत की जाएगी।

(ग) और (घ) जी, हां। जब भी खोपरे के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरते हैं, नेफेड मंडी हस्तक्षेप करके मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत खरीद की कार्रवाई करेगा। नेफेड द्वारा कर्नाटक में वर्ष 1999-2000 से मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत, खोपरे की खरीद की जा रही है, क्योंकि इसके मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे रहे हैं। नेफेड द्वारा अब तक 2,84,926 मी. खोपरे की खरीद की गई है, जिसमें से अकेले कर्नाटक में 40,573 मी. टन की खरीद की गई है।

हवाई अड्डों पर आई.एल.एस. का प्रयोग

6030. श्री ए. ब्रह्मनैया :
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जहां कोहरे की स्थिति से निपटने के लिए नई इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की स्थापना की गई है;

(ख) क्या यह प्रणाली ठीक तरह से काम कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पंजाब समेत उत्तर भारत के सभी हवाई अड्डों पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के संचालन के लिए निजी विदेशी कंपनियों से प्रस्ताव मांगा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विदेशी कंपनियों को इनका ठेका देने से इनके संचालन में कितनी लागत आएगी;

(छ) क्या भारतीय तकनीकी कर्मी और विमान चालक आई.एल.एस. में पारंगत नहीं हो पाए; और

(ज) यदि हां, तो आई.एल.एस. में महारथ हासिल करने के लिए विमानचालकों और अन्य तकनीकी कर्मचारी वृन्द को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, अमृतसर, अहमदाबाद, औरंगाबाद, अगरतला, भुवनेश्वर, भोपाल, बंगलौर, कोचीन, कालीकट, कोयंबटूर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, इन्दौर, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, खजुराहो, लखनऊ, मंगलौर, नागपुर, पटना, रांची, राजकोट, रायपुर, त्रिवेन्द्रम, त्रिची, उदयपुर, वडोदरा और वाराणसी के हवाई अड्डों पर स्थापित की गई है तथा संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) इस प्रणाली को प्रचालित करने हेतु भारतीय पायलट और तकनीकी कार्मिक प्रशिक्षित एवं योग्य हैं। किंतु अभी हाल ही में शुरू किए गए श्रेणी-III ए आई.एल.एस. भारतीय पायलटों को दिए जा रहे हैं जो कि नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किए गए प्रक्रिया के अनुसार है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

6031. **श्री एन.टी. षणमुगम : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में एक समान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात्, राष्ट्रीय बीज निगम लि. तथा भारतीय राज्य फार्म निगम लि. ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 5 मई, 2000 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा परिचालित संशोधित सेवानिवृत्ति योजना शुरू की थी, जिसमें सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन के वेतन की प्रतिपूर्ति तथा अधिवर्षिता तक शेष सेवा के लिए 25 दिनों के वेतन की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। प्रतिपूर्ति 25,000/- रु. या 250 दिनों का वेतन जो भी अधिक हो, की शर्त पर है। तथापि, इस प्रतिपूर्ति की राशि उस कुल वेतन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो वह कर्मचारी अधिवर्षिता से पूर्व बची शेष अवधि के लिए वर्तमान स्तर पर आहरित करता। राष्ट्रीय बीज निगम लि. ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 6 नवम्बर, 2001 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा बाद में संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि उपर्युक्त उल्लिखित गुजरात पैटर्न या भारी उद्योग विभाग का पैटर्न कर्मचारियों को उपलब्ध होगा। गुजरात पैटर्न के अधीन एक दिन के वेतन के परिकलन की गणना एक माह में 26 दिनों के बदले माह में 30 दिनों के आधार पर की जाएगी। भारी उद्योग विभाग पैटर्न के अधीन कर्मचारीगण सेवा के पूर्ण किए गए प्रत्येक वर्ष के 45 दिनों की परिलब्धियों के बराबर अनुग्रह राशि के भुगतान या सेवानिवृत्ति के समय की मासिक परिलब्धियों को सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख से पूर्व बची सेवा के शेष महीनों द्वारा गुणा की गई राशि जो भी कम हो, पाने के पात्र हैं।

ग्रेनाइट खानों का बंद हो जाना

6032. **डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में कई ग्रेनाइट खानों के बंद होने की कोई रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार और इनके बन्द होने को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के तहत, ग्रेनाइट के गौण खनिज के रूप में परिभाषित होने के कारण, खनिज रियायतें, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, अपनी गौण खनिज रियायत नियमावली (एम एम सी आर) के तहत दी जाती हैं तथा इसलिए, प्रचालनरत/बंद खानों के बारे में केन्द्रीय तौर पर आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

एम.पी.एल.ए.डी.एस. के अंतर्गत परियोजनाओं की समीक्षा

6033. **श्री राजो सिंह : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एम.पी.एल.ए.डी.एस. के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा के दौरान क्या कमियां पाई गईं और सरकार द्वारा उन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ने उक्त योजना को वापस लेने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों का कार्यान्वयन, राज्य सरकार द्वारा स्थापित क्रिया विधि का अनुपालन करते हुए संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत, जिला

अधिकारियों और कार्यकारी अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा योजनाओं का प्रबोधन अपेक्षित है। चल रहे कार्यों के प्रबोधन के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 5.1 में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। ऐसी समीक्षा के ब्यौरे संबंधित जिलों के पास उपलब्ध हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

गन्ना की नई किस्म का विकास

6034. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के लिए गन्ने की नई किस्म विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ परीक्षण किए जा चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या रहा; और

(ङ) गन्ने की नई किस्म के विकास के परिणामस्वरूप किसानों की आय में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के लिए गन्ने की किस्मों का विकास करने हेतु अनुसंधान करना गन्ने की उन्नत किस्मों का विकास करने वाले हमारे नियमित कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

(ख) कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में भी विशेषकर उत्तर-मध्य भारत के लिए अधिक उपजशील तथा जैव/अजैव दवाओं की सहिष्णु उन्नत किस्मों का विकास करना ऐसे अनुसंधानों की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं हैं।

(ग) इस कार्यक्रम के तहत विकसित किस्मों की भा.कृ.अ.प. की अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना तथा किसानों के खेतों में अग्रपंक्ति के प्रदर्शनों के अंतर्गत अनुसंधान केन्द्रों में जांच की गई है।

(घ) गन्ने की 70 टन/हैक्टर से अधिक उपज क्षमता रखने वाली 'सर्यू', 'मोती' और 'गण्डक' जैसी किस्मों को देश के उत्तर-मध्य अंचल में व्यावसायिक खेती करने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान अधिसूचित किया गया है।

(ङ) अग्रपंक्ति प्रदर्शनों में परीक्षित अनेक किस्मों ने 38 से 70 प्रतिशत तक अधिक उपज प्रदर्शित की है।

भगवान महावीर के जीवन से जुड़े स्थानों का विकास

6035. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भगवान महावीर से जुड़े पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भगवान महावीर की 2600वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकारों को इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है जैसा कि हाल में प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भगवान महावीर के जीवन से जुड़े निम्नलिखित स्थानों के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य-सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:—

(i) बिहार में वैशाली (वासोकुंड), पावापुरी, लछुआड़, मंदार हिल, कमल दाह (पटना शहर) तथा नवादा जिले में स्थित गोनावा के श्वेताम्बर तथा दिगम्बर जैन मंदिर।

(ii) आंध्र प्रदेश में महावीर निश्चल वन नामक पर्यावरण तथा पारिस्थिकी—पर्यटन परियोजना का विकास।

(iii) उत्तर प्रदेश में देवरिया तथा श्रावस्ती में जैन तीर्थ स्थल का सौन्दर्यीकरण।

(iv) कर्नाटक में जैन स्मारकों का संरक्षण (किसी स्थान विशेष का उल्लेख नहीं किया गया।)

(ख) प्रतापनगरी, कटक में जैन विरासत संग्रहालय का निर्माण करने के लिए और कटक जिले में चौद्धार लघु स्थल संग्रहालय के निर्माण करने के लिए तथा चार विभिन्न स्थानों पर मूर्तिकला शेडों के निर्माण हेतु उड़ीसा राज्य पुरातत्व, उड़ीसा सरकार को 28.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित निधियां स्वीकृत की गई हैं:—

(i) कोलकाता, हैदराबाद, पटना, वडोदरा, भोपाल, जयपुर, चेन्नई, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, बंगलौर, धारवाड़, त्रिस्सूर तथा लखनऊ

सर्किलों के 54 स्थलों पर केन्द्र द्वारा संरक्षित जैन स्मारकों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 10.97 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

(ii) मध्य प्रदेश में 6 स्थानों, राजस्थान में 10, उत्तर प्रदेश में 6, गुजरात में 3, बिहार में 2 तथा पंजाब, कर्नाटक एवं दिल्ली में एक-एक स्थान पर स्थित जैन तीर्थों के आसपास विकास कार्यों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को 2264.42 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

[अनुवाद]

खुरपका और मुंहपका रोग

6036. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुरपका और मुंहपका रोगों के कारण पशु संसाधन में तेजी से कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग से कौन-कौन से राज्य ज्यादा प्रभावित हुए हैं; और

(ग) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान इस रोग से निपटने के लिए राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र को कितना वित्तीय आबंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) खुरपका तथा मुंहपका रोग पूरे देश में होता है परंतु कम मृत्यु दर के कारण इस रोग की वजह से गोपशु संसाधनों में अधिक कमी नहीं आई है।

(ग) 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों विशेषकर महाराष्ट्र को प्रदान की गई अनुदान सहायता की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(लाख रुपए में)

	2000-2001	2001-2002
सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश	270.33	410.00
महाराष्ट्र	30.00	18.86

चेन्नई हवाई अड्डे पर यात्री सुविधाएं

6037. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अप्रैल, 2002 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'ऐट चेन्नई एयरपोर्ट, योर लांग जरनी बिगिन्स वेन यूलैंड' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हवाई अड्डे की स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत के पूर्व तथा पश्चिम के देशों के एयरपोर्टों पर रात का कर्फ्यू होने के कारण इन हवाई उड़ानों को भारत में रात के समय प्रचालित करने की अनिवार्यता के फलस्वरूप चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ानों के एकत्रित हो जाने के कारण जगह की कमी है। तथापि, एयरपोर्ट पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि वहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ या अफरातफरी न फैले। प्रस्थान पर 12 इमीग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं जबकि आगमन पर 10 इमीग्रेशन काउंटर स्थापित हैं। एयरपोर्ट पर 3 एक्स-रे मशीनें लगी हैं। सामान की जांच तेजी से होती है तथा सुरक्षा जांच कराते समय सामान्यत: लाइन में 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगता। चार कन्वेयर बेल्टों में से 3 पर सीमा शुल्क की एक्स-रे मशीन लगी हैं तथा अपेक्षानुसार सामान की जांच की जाती है। आगन्तुक क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष तथा महिला शौचालय हैं तथा इनके संबंध में प्रमुखता से तीन भाषाओं में सूचना प्रदर्शित है। प्रयोगकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त चिह्न/साइनबोर्ड लगाए गए हैं। जगह की कमी को दूर करने के लिए हाल ही में आगमन कक्ष को बड़ा किया गया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय आगमन एवं प्रस्थान अंतर्देशीय टर्मिनल से भी हैंडिल किए जाते हैं। एक नए अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान परिसर का निर्माण किया जा रहा है जिसके मार्च, 2003 तक पूरा होने की उम्मीद है। तदुपरान्त आगमन कक्ष को बड़ा करके वर्तमान क्षमता को दुगुना कर दिया जाएगा तथा सुविधाओं में भी सुधार लाया जाएगा। एयरपोर्ट का उन्नयन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सेवाओं के स्तर में सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

जल गुणवत्ता और प्रबंधन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

6038. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जयपुर में जल गुणवत्ता और प्रबंधन संबंधी एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) भू-जल स्तर के निरंतर घटने और सतही जल की विषाक्तता के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सम्मेलन में विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। दि इंटरनेशनल लाइफ साइंसेज इंस्टीट्यूट-इंडिया ने ''जल गुणवत्ता प्रबंधन पर दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन'' 11-12 अप्रैल, 2002 को जयपुर में आयोजित किया गया इस सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता मानकों, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मानीटरिंग और निगरानी, जल गुणवत्ता मॉडलिंग; बरबाद हो रहे जल का प्रबंधन, रासायनिक चुनौती और सूक्ष्म जैविकी चुनौतियों के सामुदायिक दृष्टिकोण संबंधी विषयों को शामिल किया गया है।

(ख) इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने ''जल गुणवत्ता संबंधी प्रबंधन विजन 2025 संबंधी जयपुर घोषणा'' को अपनाया, इसमें सुझाव दिया गया है कि अगले दो दशकों में, ऐसी परियोजनाओं की आयोजना और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए जो सभी लोगों को पेय और वैयक्तिक स्वास्थ्य विज्ञान के लिए सुरक्षित, पर्याप्त और दीर्घकालीन जल आपूर्ति मुहैया कराए। इसमें राष्ट्रीय विकास योजनाओं के एकीकृत भाग के रूप में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अंतरिम उपायों का सुझाव देने तथा मध्यकालिक उपायों को अपनाया जाना शामिल है।

(ग) भूजल की निरंतर गिरावट और सतही जल के संबंध में दिए गए सुझाव हैं—भूजल निकासी पर नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाना, भूजल पुनर्भरण, दूषित जल को प्रयोग में लाने और पुन: उपयोग करके जल का बहुविधि उपयोग, खराब जल के सुधार और उपभोक्ताओं से सुधार की लागत को वसूल करने के लिए सभी स्रोतों से जल प्रदूषण का दंड लगाना, प्रदूषण मुक्त ओर जल बचत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली प्रस्तुत करना, समुदाय के सक्रिय सहयोग से जल गुणवत्ता की मानीटरिंग, आंकड़ा बैंकों की स्थापना।

(घ) ऐसे सम्मेलनों में सरकार द्वारा नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में की गई सिफारिशों पर समुचित विचार किया जाता है। तथापि, देश में भूजल विकास के नियमन और नियंत्रण तथा इसके प्रबंधन के लिए, भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1997 में पहले से ही केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी जी डबल्यू ए) की स्थापना की गई है। इसी प्रकार से, जल गुणवत्ता मानीटरिंग प्रणाली को मानकीकृत करने, खराब जल के उचित सुधार को सुनिश्चित करने के उपाय करने, खराब जल को फिर से उपयोग में लाने तथा जल के पुन: उपयोग को बढ़ावा देने, जल निकायों में गुणवत्ता सुधार के लिए कार्रवाई योजना तैयार करने तथा अन्य कार्यों में वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 में जल गुणवत्ता प्राक्कलन प्राधिकरण का गठन किया गया है।

उड़ीसा में कृषि क्षेत्र हेतु नियत की गई धनराशि

6039. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान उड़ीसा में कृषि क्षेत्र हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या वर्ष 2002-03 के लिए कृषि विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य सरकार द्वारा इसे बढ़ाने हेतु कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) वर्ष 2001-02 के दौरान 45.27 करोड़ रु. के आबंटन और 21.34 करोड़ रु. (अनंतिम) की निर्मुक्ति के मुकाबले वर्ष 2002-03 के दौरान अब तक उड़ीसा सरकार को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत 44.98 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान कम आवंटन का मुख्य कारण यह है कि कुछ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य-वार आबंटनों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) का लापरवाहीपूर्ण उपयोग

6040. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रामजी मांझी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ''सी. ए.जी.'' द्वारा की गई नमूना जांचों से अनेक राज्यों में राज्य स्तरीय समितियों का लापरवाही पूर्ण कार्यकरण उजागर हुआ है जैसा कि वर्ष 1999 की इसकी रिपोर्ट संख्या 3 में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आपदा राहत कोष से निकाली गई धनराशि ऐसे लोगों के पास पहुंचे जिनके लिए इस कोष की स्थापना की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने विभिन्न राज्यों द्वारा आपदा राहत कोष तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन. एफ.सी.आर.) से किए गा आबंटनों में से असंगत तथा अस्वीकार्य खर्च के मामले प्रस्तुत किए थे। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी 28वीं रिपोर्ट में, इन निष्कर्षों तथा इन पर की गई सिफारिशों को राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है तथा यह निर्देश दिए गए कि इस प्रकार के प्रत्येक मामले की जांच की जाए और उपचारात्मक कार्यवाही सहित पता लगाई गई गलतियों के लिए विशिष्ट जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। आपदा राहत कोष में राज्य के शेयर का समय पर अंशदान सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। धन के सही उपयोग के संबंध में राज्य सरकारों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

पर्यटन अभियान

6041. श्री सईदुज्जमा : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ''पाटा'' से प्रेरित होकर एक पर्यटन अभियान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने लद्दाख में पैंगोंग झील की एक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो क्या पर्याप्त अवसंरचनात्मक ढांचे और समुचित विमान सेवाओं का विकास कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पर्यटकों को समुचित सुरक्षा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 14 से 18 अप्रैल, 2002 तक नई दिल्ली में पाटा के वार्षिक सम्मेलन के दौरान प्राप्त उत्कृष्ट प्रचार के अनुवर्तन के रूप में, पर्यटन विभाग, भारत में अधिकाधिक पर्यटक आगमन के लिए एक संकेन्द्रित विपणन अभियान चलाने का प्रस्ताव कर रहा है।

(ग) से (ङ) पर्यटक अवसंरचना का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके चुनिंदा अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लद्दाख में पैंगोंग झील के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गईं:—

(i) दूरबाग (पैंगोंग गांव) में पर्यटक बंगला 1993-94

(ii) पैंगोंग झील में तम्बुओं वाली कॉलोनी 1994-95

इंडियन एयरलाइंस पहले ही लेह से दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू और चण्डीगढ़ से जुड़ी उड़ानें प्रचालित कर रही है, और सप्ताह में तीन दिन, दिल्ली-लेह-दिल्ली मार्ग पर 1 जून से 31 अगस्त, 2002 तक एक अतिरिक्त उड़ान का प्रस्ताव है। लेह के लिए निजी एयरलाइनों द्वारा भी सेवा उपलब्ध है।

(च) और (छ) पर्यटकों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के लिए पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को उपयुक्त विधान बनाने और विशेष पर्यटक सहायता बल का गठन करने के लिए कहा है जिससे पर्यटकों की सहायता तथा उनकी सुरक्षा की जा सके। गोवा, केरल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही पर्यटक पुलिस का गठन कर लिया है।

जल संवर्धन परियोजना के लिए ऋण

6042. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री शशि कुमार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार के एक शिष्टमंडल ने जल संवर्धन (तालाबों से गाद निकालना) परियोजना हेतु ऋण के संबंध में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने हेतु वाशिंगटन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकार और विश्व बैंक के बीच कोई समझौता संपन्न हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को कब शुरू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) 11-15 मार्च, 2002 के दौरान वाशिंगटन डी.सी., यू.एस.ए. में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें केन्द्र सरकार एवं कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे, विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श में भाग लिया। ''कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना'' के लिए 98.9 मिलियन अमेरिकी डालर की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) क्रेडिट सहायता पर सहमति हुई है। विश्व बैंक के प्रबंधन बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव पर अपना अंतिम निर्णय अभी देना है।

अल्माती बांध

6043. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओजम बांध में जल स्तर के घटने के कारण महाराष्ट्र सरकार की ओर से कर्नाटक में अल्माती बांध से राज्य को जलापूर्ति किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कर्नाटक और केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जिंक का उत्पादन

6044. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में जिंक का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और केन्द्र सरकार द्वारा जिंक का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) देश में प्राथमिक जस्ते का उत्पादन हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच.जैड.एल.) और बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बी.आई.एल.) द्वारा किया जाता है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के दो जस्ता प्रगालक राजस्थान में स्थित हैं और एक जस्ता प्रगालक आंध्र प्रदेश में स्थित है। बी.आई.एल. का प्रगालक केरल में स्थित है। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में जस्ते का वर्ष-वार उत्पादन निम्नानुसार था:—

(टन में)

वर्ष	आंध्र प्रदेश	राजस्थान	केरल	कुल उत्पादन
1999-2000	34,364	1,11,779	28,814	1,74,957
2000-2001	31,960	1,16,132	29,923	1,78,015
2001-2002	36,816	1,39,232	29,161	2,05,209

(ख) देश में जस्ते का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने विजाग और देबारी स्थित प्रत्येक प्रगालक की संस्थापित क्षमता 10,000 टन के हिसाब से बढ़ा दी है।

(ii) जस्ते के गवेषण के लिए टोही परमिट/पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किए गए हैं जिनके परिणामस्वरूप नए जस्ता निक्षेपों का पता चल सकता है और अंततोगत्वा अयस्क से जस्ते का निष्कर्षण किया जा सकेगा।

उप-समूह द्वारा रिपोर्ट

6045. श्री नरेश पुगलिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुपालन और डेयरी विभाग के एक उप-समूह ने अपनी रिपोर्ट में मांस का निर्यात बढ़ाने की सिफारिश की है और

चर्म क्षेत्र का पोषण करने की आवश्यकता पर बल दिया है तथा गोमांस के निर्यात पर भी प्रतिबंध समाप्त करने का आह्वान किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उप-समूह की संरचना क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस उप-समूह की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है तथा इसे योजना आयोग के पास भेज दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में मांस क्षेत्र के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। मांस निर्यात से प्रतिबंध हटाना न तो पशुधन उत्पादकों के हित में है और न ही राष्ट्र हित में। तथापि, मीट निर्यात के आर्थिक पहलू पर अध्ययन राष्ट्र हित में मीट निर्यात के लाभों की आलोचनात्मक जांच में वांछनीय होगा।

(ख) कुछ राज्यों में भैंसों के वध पर लगे प्रतिबंध को हटाया जा सकता है क्योंकि भैंस संख्या अथवा दुग्ध उत्पादन उन राज्यों में प्रभावित नहीं हुआ था जहां कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) उप समूह xi-मीट क्षेत्र आदेश संख्या 12043/3/2000-कृषि के तहत दिनांक 9 फवरी, 2001 को गठित किया गया था। इसका स्वरूप इस प्रकार है:—

1. श्री इरफान अल्लाना, अध्यक्ष
2. डा. जे.एस. बेरवाल, सदस्य
3. श्री सतीश सभरवाल, सदस्य
4. श्री आर.के. बोयल, सदस्य
5. श्री एन. कोण्डैया, सदस्य-सचिव

(घ) मीट से संबंधित उप-समूह ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए पशुपालन एवं डेयरी संबंधी कार्यकारी समूह को रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ङ) और (च) योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में मीट क्षेत्र के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए मंजूर नहीं किए हैं। तथापि, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 45 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

हवाई अड्डों पर यात्रियों के आवागमन में वृद्धि

6046. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान अन्ना अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल पर यात्रियों के आवागमन में 14.9% और कामराज घरेलू टर्मिनल पर 8% की वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अन्य हवाई अड्डों पर यात्रियों के आवागमन में हवाई अड्डे-वार कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने विमान यात्रियों के समक्ष आने वाली समस्याओं को कम करने हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डों के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान चेन्नई हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में अन्ना अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल में 14.8 प्रतिशत तथा कामराज अंतर्देशीय टर्मिनल में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान यात्रियों की संख्या का हवाई अड्डा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) यात्री सुविधाओं का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह ट्रैफिक आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। विभिन्न यात्री सुविधाओं में चरणबद्ध तरीके से सुधार लाने के कई प्रस्ताव है जैसे—कन्वेयर बेल्टें, अतिरिक्त एयरोब्रिज और अधिक संख्या में रंगीन एक्स-रे बैगेज मशीनें, कार पार्क के क्षेत्र में वृद्धि, सांकेतिक चिह्नों में सुधार के लिए नए प्रदीप्त पिक्टोग्राफ्स, टर्मिनल भवन का प्रकाश स्तर, शौचालयों का नवीनीकरण, उड़ान सूचना संबंधी डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाना, टर्मिनल भवन का विस्तार इत्यादि।

हैदराबाद हवाई अड्डे पर रनवे का विस्तार तथा मजबूत बनाने, पैरलल टैक्सी मार्ग का निर्माण तथा संबंधित कार्य है। राजामुन्द्री हवाई अड्डे पर रनवे की रीसर्फेसिंग का कार्य प्रगति पर है, ऐप्रन का निर्माण तथा

संबंधित कार्य है। हैदराबाद हवाई अड्डे पर केनोपी निर्माण तथा नया कार पार्क बनाने की योजना है, विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर 10,000 फीट का नया रनवे तथा अन्य संबंधित कार्य है, तिरुपति हवाई अड्डे पर डी.वी.ओ.आर. तथा डी.एम.ई. लगाना, विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर रनवे का विस्तार तथा रनवे प्रकाश प्रणाली लगाना तथा नादिरगुल हवाई अड्डे पर रनवे की रीसर्फेसिंग तथा संबंधित कार्य है।

विवरण

1999-2000 से 2001-2001 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री यातायात का हवाई अड्डा क्रमानुसार वृद्धिदर

क्रम सं.	हवाई-अड्डे	वृद्धिदर प्रतिशत में		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	मुम्बई	4.9	5.4	-5.8
2.	दिल्ली	5.5	7.5	-4.9
3.	चेन्नई	3.5	11.5	-6.9
4	कोलकाता	3.1	3.3	-4.6
5.	तिरुवनन्तपुरम	-9.1	-2.2	-5.2
6.	बेंगलोर	8.0	13.4	-7.2
7.	हैदराबाद	4.3	14.2	4.2
8.	अहमदाबाद	6.1	3.4	-9.3
9.	गोवा	7.1	15.5	-6.4
10.	कालीकट	4.7	-8.3	7.4
11.	कोचीन (नीडम्बसरी)	53.9	27.0	7.9
12.	गुवाहाटी	10.2	10.3	-4.0
13.	कोयम्बटूर	3.1	13.9	-9.1
14.	वाराणसी	-11.3	11.7	-24.5
15.	मंगलोर	-2.3	0.5	-3.7
16.	पुणे	9.6	20.6	-10.4
17.	नागपुर	-11.8	2.1	-6.0
18.	वडोदरा	-21.0	19.8	12.7
19.	जयपुर	15.1	2.2	-16.8
20.	श्रीनगर	25.1	3.7	-3.6
21.	लखनऊ	34.1	6.7	-2.0
22.	जम्मू	9.1	-13.2	-17.4
23.	अगरतला	0.5	10.7	-1.9
24.	उदयपुर	26.2	0.0	-13.2
25.	त्रिच्ची	-1.2	-2.5	-11.5
26.	पटना	32.8	4.1	-11.3
27.	इंदौर	2.7	20.0	-5.0
28.	भुवनेश्वर	-0.7	9.6	0.0
29.	इंफाल	18.3	10.0	5.0
30.	औरंगाबाद	5.4	7.1	-12.4
31.	बागडोगरा	16.0	-23.6	20.2
32.	मदुरै	-1.2	9.6	-5.5
33.	विशाखापट्टनम	16.5	5.5	9.7
34.	सिल्चर	-1.4	4.1	0.0
35.	राजकोट	10.0	0.9	-5.4
36.	डिब्रूगढ़	4.7	16.4	1.3
37.	भावनगर	-1.8	12.5	-12.7
38.	खजुराहो	1.5	-14.9	-33.3
39.	लेह	7.8	8.2	8.6
40.	पोर्टब्लेयर	47.9	12.0	13.2
41.	रांची	0.0	14.3	3.6

1	2	3	4	5
42.	भोपाल	2.8	8.7	-5.3
43.	जोधपुर	0.0	2.3	51.1
44.	भुज	5.4	13.6	-11.9
45.	आगरा	2.2	-21.7	-27.8
46.	अन्य	-1.4	37.9	0.4

संग्रहालयों के लिए सहायता

6047. श्री के.पी. सिंह देव : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों में विभिन्न संग्रहालयों को धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या उड़ीसा के किसी संग्रहालय का केन्द्रीय सहायता से नवीकरण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ढेकानाल स्थित संग्रहालय जो भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है के विकास हेतु केन्द्रीय धनराशि प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) भारत सरकार स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, स्थानीय निकायों आदि द्वारा संचालित और "क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण" की स्कीम के अंतर्गत राज्य-सरकारों द्वारा संचालित संग्रहालयों के व्यावसायिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के संग्रहालयों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है—

क्रमांक	संग्रहालय का नाम	अनुमोदित अनुदान
1	2	3
1.	उड़ीसा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर	2,25,000/-
2.	लोक कला तथा जनजातीय कला संग्रहालय, भुवनेश्वर	7,00,000/-
3.	आंचलिका कुंजेश्वरी संस्कृतिका संसद सेवांचल, कनास, पुरी	18,750/-
4.	गंजम लोग कला संग्रहालय, गंजम	1,12,500/-

धेनकनाल में संग्रहालय के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बालको का कार्य-निष्पादन

6048. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयरधारकों के बीच समझौते के अनुसार विनिवेश के बाद महत्वपूर्ण साझेदार मैसर्स लाइट कंपनी द्वारा भारत एल्युमीनियम कंपनी के कार्य-निष्पादन संबंधी कोई रिपोर्ट तैयार की गई है और वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र सरकार को सौंपे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है और कैसा कार्य-निष्पादन रहा है और इससे कितना लाभ अथवा घाटा हुआ है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 2.3.2001 से बालको में अपनी इक्विटी के 51% का विनिवेश कर दिया है। इसके तुरंत बाद कोरबा संयंत्र के कर्मचारी 67 दिन की हड़ताल पर चले गए और कोरबा संयंत्र में 9.5.2001 से ही पुन: प्रचालन आरंभ हो सका। बालको का वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान वास्तविक और वित्तीय कार्य-निष्पादन निम्न प्रकार है:—

बालको का वित्तीय कार्य-निष्पादन	2000-2001	2001-2002 (अनंतिम/गैर-लेखा परीक्षा)
1	2	3
उत्पादन (एम टी)	89164	69872
बिक्री (एम टी)	88990	71792

1	2	3
नेट बिक्री (रुपए लाख में)	77325	62014
ब्याज से पूर्व लाभ (रुपए लाख में)	9510	3319
मूल्यह्रास से पूर्व लाभ और असाधारण मदें (रुपए लाख में)	5572	87

तथापि, बालको द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए लेखा-परीक्षा उपरांत लाभ और हानि लेखा और तुलनपत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर अर्थात् 30 जून, 2002 तक प्रस्तुत की जानी है। वर्ष 2001-02 में कार्य-निष्पादन कम होने के कारण इस प्रकार हैं:-

(i) 67 दिन की हड़ताल के कारण उत्पादन और बिक्री में गिरावट।

(ii) कैप्टिव पॉवर प्लांट की चार यूनिटों में से एक यूनिट के लंबे समय तक बंद रहने के कारण विद्युत लागत में तीव्र बढ़ोत्तरी।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन

6049. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु धनराशि के उपयोग के लिए कोई जवाबदेही तय की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों/परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियां संबद्ध जिलाध्यक्ष को जारी की जाती हैं जिसे सांसद द्वारा अनुशंसित कार्यों को राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्यान्वित कराना होता है। जिला कलेक्टर तथा कार्यकारी अभिकरणों का उत्तरदायित्व होता है कि वे जारी की गई निधियों का उचित उपयोग करें।

(ग) और (घ) जब भी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों के दुरुपयोग के अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उक्त मामले को उपचारी उपायों हेतु संबद्ध जिलों कलेक्टर/राज्य सरकार के समक्ष रखा जाता है।

(ङ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों का संशोधन/परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की लोक सभा एवं राज्य सभा दोनों समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर दिशा-निर्देशों में समय-समय पर संशोधन/परिवर्तन किए जाते हैं।

खान और खनिज अधिनियम में संशोधन

6050. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन क्षेत्र को निवेश के अधिक अनुकूल और विकासोन्मुख बनाने हेतु खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में वर्ष 1994 और 1999 में संशोधन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में खनन क्षेत्र में वर्ष 1999 से कोई प्रगति हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विभिन्न खनिजों की मौजूदा आवश्यकता और उनकी उपलब्धता कितनी है;

(ङ) सरकार द्वारा देश में खनिजों की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं;

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा देश में विभिन्न खनिजों हेतु किए गए सर्वेक्षण और उनके पाए गए भंडार और किस्म तथा प्रमात्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) अब तक उक्त भंडारों से कितनी प्रमात्रा में विभिन्न प्रचार के पदार्थों का निष्कर्षण किया गया है और तत्संबंधी किस्में कौन-कौन सी हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। खनिज क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को 1994 तथा 1999 में संशोधित किया गया है। संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, खनन क्षेत्र को और अधिक निवेशक अनुकूल बनाने के लिए राज्य सरकार को शक्तियों का प्रत्यायोजन, खनिज रियायतें देने की प्रक्रिया का सरलीकरण, विदेशी इक्विटी होल्डिंग को ध्यान में रखे बिना भारत में पंजीकृत किसी कंपनी को खनिज रियायतों के लिए आवेदन करने में समर्थ बनाने के लिए खनन क्षेत्र में विदेशी इक्विटी होल्डिंग पर प्रतिबंध हटाना शामिल है।

फिलहाल, खनन क्षेत्र में विदेशी निवेश सहित निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की नीति के अनुरूप, खनन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु रत्नों तथा हीरों को छोड़कर, जिसके लिए 74% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु स्वतः अनुमति अनुमत्य है, सभी प्रस्ताव स्वतः अनुमोदन के योग्य है। सरकार ने खनन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 70 प्रस्ताव अभी तक, अनुमोदित किए हैं जिनमें 3963 करोड़ रु. के निवेश की संभावना है। वर्ष 2000-2001 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ऐसे सात प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें 248 करोड़ रु. के निवेश की संभावना है।

ईंधन तथा परमाणु खनिजों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की एक अलग नीति लागू होती है।

(घ) खनिजों की आवश्यकता के अनुमान तथा उपलब्धता को पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया के भाग के रूप में तैयार किया जाता है। तथापि, देश में चुनिंदा महत्वपूर्ण खनिजों के प्राप्ति योग्य निक्षेप संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) देश में खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए खनिजों के गवेषण तथा विदोहन को पूर्णतः उदारीकृत किया गया है। इसकी घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ओपन जनरल लाइसेंस के तहत खनिजों का आयात भी किया जा सकता है।

(च) और (छ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) द्वारा संचालित राज्यवार सर्वेक्षणों, नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान प्रमाणित अतिरिक्त खजिन संसाधनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

सर्वेक्षण द्वारा संसाधनों की पहचान तथा ऐसे संसाधनों से खनिज के अंतिम निष्कर्षण के बीच एक समय अंतराल होता है। सर्वेक्षणों द्वारा पहचाने गए नए संसाधनों के लिए अलग से खनन पट्टे नहीं दिए जाते हैं। अतः, पहचान किए गए नए साधनों तथा उत्पादित खनिजों के एक-एक के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण-I

चुनिंदा खनिज धातुओं के प्राप्ति योग्य भंडार

(हजार टन)

खनिज/अयस्क	प्राप्ति योग्य भंडार (1.4.2000 की स्थिति के अनुसार)
कोयला	234114280**
लौह अयस्क	13460000*
बॉक्साइट	2462431*
क्रोमाइट	97076
तांबा धातु	5297
डोलोमाइट	4386855*
कायोलिन (सभी किस्में)	1042468*
सीसा	2381
चूना पत्थर	75678890*
मैंग्नीज अयस्क	167309*
जस्ता धातु	9707

*1.4.1995 की स्थिति के अनुसार प्राप्ति योग्य भंडार।

**1.1.2002 की स्थिति के अनुसार प्राप्ति योग्य भंडार।

विवरण-II

नौवीं योजना अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त खनिज संसाधन

(संसाधन मिलियन टन में, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

क्र.सं.	राज्य	अयस्क/खनिज	नौवीं योजना के पहले चार वर्ष के दौरान खनिज संसाधनों में बढ़ोत्तरी
1.	पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश	कोयला	6103
2.	तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान	लिग्नाइट	111
3.	राजस्थान, मध्य प्रदेश	आधार धातु (क) सीसा-जस्ता अयस्क (ख) जस्ता-तांबा	 (क) 21.47 (ख) 3.15
4.	राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल	स्वर्ण अयस्क	20.56
5.	उड़ीसा	प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स	14.20
6.	उड़ीसा, मध्य प्रदेश	मैग्नीज अयस्क	2.77
7.	तमिलनाडु	मोलिब्डेनम अयस्क	0.484
8.	पश्चिम बंगाल	रेअर मैटल और रेअर अर्थ एलिमेंट्स	0.5% सी एस वाले 79,589 टन रेअर मैटल धारी पैग्मेटाइटिस
9.	मेघालय, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश	चूना पत्थर	5891
10.	बिहार	डोलोमाइट	30.50
11.	केरल	क्ले	510

[हिन्दी]

दालों का मूल्य

6051. **श्री राम टहल चौधरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में दालों की बिक्री इसके समर्थन मूल्य के तिगुने से ज्यादा दर पर की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) देश के चुनिंदा केन्द्रों पर दलहन के थोक मूल्य कुल मिलाकर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर है लेकिन समर्थन मूल्य से तीन गुणा ऊपर नहीं है।

(ख) दलहनों के थोक मूल्यों में वृद्धि प्रमुखतया मांग और आपूर्ति के बीच लगातार अंतर से होती है।

(ग) दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 30 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित कर रही है। इस सकीम के अधीन प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनी-किट, समुन्नत कृषि उपस्करों के वितरण, राईजोबियम कल्चर, सूक्ष्म पोषक तत्वों, समेकित कृमि प्रबंध और छिड़काव यंत्रों का वितरण आदि जैसे आदानों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, देश में आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए दलहन का आयात भी किया जाता है।

[अनुवाद]

मुम्बई विमानपत्तन की देखभाल हेतु अभिकरण का गठन

6052. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **नगार विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई विमानपत्तन की देखभाल करने के लिए एक अभिकरण गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जल प्रबंधन उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रयोग

6053. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जल प्रबंधन उत्पादन प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास संबंधित राज्यों में जल प्रबंधन उत्पादन प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग को शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं, तदर्थ परियोजनाओं और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से सतही जल, भूजल, वर्षा जल और घटिया क्वालिटी के जल संसाधनों के लिए उन्नत जल प्रबंध उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास और प्रचार किया है। इन्हें निम्न के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है:-

(i) प्रत्येक राज्य के लिए रबी और खरीफ कृषि क्रियाओं में उन्नत जल प्रबंध उत्पादन प्रौद्योगिकियों को शामिल करना।

(ii) सिंचित कमानों में खेतों पर सहयोगी जल प्रबंध कार्यक्रम।

(iii) बारानी जल संभरों में व्यावहारिक अनुसंधान परियोजनाएं।

(iv) जल बचाने की तकनीकों जैसे सूक्ष्म सिंचाई के अपनाने पर विशेष बल देना।

(v) बारानी, सिंचित और जलमग्न क्षेत्रों में सहभागिता जल प्रबंध मॉडल।

(vi) मुद्रण और इलैक्ट्रानिक माध्यम से जल प्रबंध उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रसार।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकार की सहायता कर रही है। महत्वपूर्ण स्कीमों में शामिल हैं:-

(i) प्रमुख सिंचाई कमानों (एम.ओ.डब्ल्यू.आर.) के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

(ii) बारानी क्षेत्रों (डी.ओ.ए.सी., एम.ओ.ए.) के लिए राष्ट्रीय विकास परियोजना।

(iii) प्लास्टिकल्चर हस्तक्षेप (डी.ओ.ए.सी., बागवानी प्रभाग, एम.ओ.ए.) के माध्यम से बागवानी के विकास के तहत ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना।

(iv) पूर्वी भारत (फसल प्रभाग, एम.ओ.ए.) में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में जल प्रबंधन।

विमान टिकटों की कालाबाजारी

6054. **श्री ए. नरेन्द्र :**
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 2002 के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''एपेक्स फेयर के नाम पर विमान टिकटों की कालाबाजारी'' शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विमान टिकटों की कालाबाजारी को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) काफी समय से एयरलाइंस द्वारा यह देखा गया है कि एजेंटों में झूठी बुकिंग कराने तथा पूर्वानुमानित मांग पर सीटें ब्लॉक करने की प्रवृत्ति है। बाद में, वास्तव में यात्रा की उतनी मांग नहीं आने की स्थिति में एजेंट अंतिम समय में उसे रद्द कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप उड़ान में कम यात्री होने तथा विश्व वितरण प्रणाली को आरक्षण प्रभार देने के कारण एयरलाइंस को भारी हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार की बुकिंग पर नियंत्रण रखने तथा लगात घटाने के लिए यह मामला सभी एयरलाइनों के साथ एयरलाइंस प्रतिनिधि-मंडल की बैठक में उठाया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि भारत से यात्रा के लिए किराया संरचना में सुधार किया जाएगा। किराया संरचना में सुधार करते समय अग्रिम पर्यटन किराए (Apex) आरंभ किए गए थे जो अधिक सस्ते हैं लेकिन 21 दिन पहले खरीदना पड़ता है तथा इस पर रद्दकरण प्रभार भी लागू किए गए इसके परिणामस्वरूप इन्वेन्टरी का बेहतर उपयोग तथा विश्व वितरण प्रणाली को घटे हुए आरक्षण प्रभार देने होंगे। हवाई यात्रा किरायों के मामले में किसी भी प्रचालक द्वारा किसी भी प्रकार के अनाचार को उचित बोधक कार्रवाई के लिए नागर विमानन महानिदेशालय की सूचना में भी लाया जा सकता है।

[हिन्दी]

पशुपालन एवं डेयरी विकास

6055. **श्री रामदास आठवले :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विकास हेतु राज्यवार कार्यान्वित की गई योजनाएं कौन सी हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत कितना धन उपलब्ध कराया गया है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा किसी अन्य अनुसंधान संस्थान ने इन क्षेत्रों में नवीन तकनीक का विकास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पशुओं की संख्या में लगातार हो रही कमी को रोकने और लोगों के बीच उक्त तकनीकों के बारे में जागरुकता लाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) पशुपालन एवं डेयरी विभाग देश में पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना के लिए आबंटित की गई निधियों का योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्य संबंधित अनुसंधान संस्थान संबंधित गतिविधियों के साथ-साथ अनुसंधान संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों में कार्यरत हैं। ऐसे निरन्तर अनुसंधान के कारण, पशुधन तथा कुक्कुट के बेहतर जर्मप्लाज्म, पशुधन रोगों के इम्युनो नैदानिकी किट, दूध के मूल्य वर्द्धक उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी, मीट तथा अंडा उत्पादों आदि जैसी अनेकों नई तकनीकियां और पद्धतियां समय-समय पर विकसित की गई हैं।

(ङ) सरकार का जोर आणुवंशिक उन्नयन के माध्यम से पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने, स्वास्थ्य कवरेज में सुधार लाने तथा पौषणिक आहार एवं चारा की उपलब्धता में वृद्धि करने पर है। आम लोगों में विस्तार क्रियाकलापों के माध्यम से नई तकनीकों को प्रचलित किया जाता है।

विवरण

नौवीं योजना के विगत तीन वर्षों के दौरान योजना आबंटन संशोधित प्राक्कलन और व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	1999-2000			2000-01			2001-02		
		बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**पशुपालन क्षेत्र**									
	कार्य योजना स्कीमें									
1.	राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन परियोजना	47.00	34.00	33.06	44.00	26.35	24.93	46.00	27.00	41.87
	(i) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी और पी टी पी का विस्तार	35.00	26.00	25.96	32.00					
	(ii) राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	12.00	8.00	7.10	12.00					
2.	राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम	3.00	0.50	0.50	2.50	1.25	1.50	1.25	1.40	2.87
3.	समेकित सूअर पालन के लिए राज्यों को सहायत	6.00	2.50	2.50	3.00	2.00	2.07	2.00	2.00	2.65
4.	राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता	8.00	5.25	4.50	3.00	2.70	1.35	2.70	5.05	5.05
5.	आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	6.50	4.00	4.40	4.00	3.00	3.00	3.00	0.50	1.58
6.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	17.00	7.75	7.79	13.00	8.00	7.21	12.00	12.00	12.00
7.	रोगमुक्त क्षेत्रों का सृजन	1.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	27.00	15.41	0.00
	उप-योग	88.50	54.01	52.75	69.51	43.31	40.06	93.95	63.36	66.02
	अन्य योजनाएं									
8.	केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन	9.00	8.15	7.99	9.00	8.85	7.89	8.85	9.42	7.82
	(i) केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म	6.35	5.50	5.58	6.35	6.35	5.61	6.35	6.85	5.51
	(ii) केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन संस्थान	1.15	1.15	1.03	1.15	1.00	0.73	1.00	1.00	0.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(iii) केन्द्रीय गोयूथ पंजीकरण	*1.50*	*1.50*	*1.38*	*1.50*	1.50	1.55	1.50	1.57	1.49
9.	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	8.22	7.25	6.34	3.50	1.50	1.37	1.50	1.25	1.32
10.	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	6.50	5.22	4.49	6.00	5.71	4.49	5.71	4.96	4.98
11.	केन्द्रीय चारा विकास संगठन	4.50	4.83	4.02	4.83	4.53	4.59	4.53	4.85	5.39
12.	पशु स्वास्थ्य निदेशालय	6.00	1.53	1.47	4.75	4.10	3.70	10.00	5.95	4.79
13.	व्यावसायिक दक्षता विकास	4.00	3.00	2.41	3.00	2.50	2.23	6.00	6.00	6.66
14.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	10.00	5.00	4.92	15.00	13.00	12.31	13.00	11.00	10.21
15.	बूचड़खानों/सी यू सी का सुधार	15.00	1.50	1.50	2.50	2.00	2.20	6.00	5.00	3.63
16.	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	4.00	3.50	3.35	4.00	3.65	3.59	4.40	3.95	3.42
17.	भारवाही पशुओं का विकास	0.80	0.40	0.28	0.40	0.30	0.30	0.30	0.15	0.21
18.	पशुपालन विस्तार कार्यक्रम	2.50	2.00	2.44	2.00	2.00	2.11	2.00	2.00	1.05
19.	पशुपालन प्रभाग का सुदृढ़ीकरण	0.16	0.16	0.06	0.16	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
20.	पशु प्रणाली संबंधी परियोजना	0.75	0.25	0.24	0.25	0.25	0.24	0.25	0.18	0.11
21.	गोपशु बीमा	0.05	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-योग	71.48	47.79	44.51	55.39	48.41	45.04	62.54	54.71	49.59
	पूरी हो चुकी/मंजूर न की गई योजनाएं	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (पशुपालन क्षेत्र)	160.08	101.80	97.26	124.90	91.72	85.10	156.49	118.07	115.61
II	**डेयरी विकास**									
	कार्य योजना स्कीमें									
22	एकीकृत डेयरी विकास परियोजना	45.00	14.00	10.71	20.00	19.50	20.34	19.50	19.50	20.28
23.	सहकारिताओं को सहायता	16.00	4.00	3.80	25.00	17.00	17.00	15.00	9.00	14.20
24.	नई डेयरी सहकारिताएं	4.40	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-योग	65.40	20.00	14.51	49.00	36.50	37.34	34.50	28.50	34.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	अन्य योजना									
25.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश	1.00	1.00	0.85	1.00	1.00	0.88	1.00	1.00	1.17
26.	दिल्ली दुग्ध योजना	1.00	1.12	1.09	1.00	1.95	1.37	1.95	1.95	1.95
	उप-योग	2.00	2.12	1.94	2.00	2.95	2.25	2.95	2.95	3.12
	पूरी हो चुकी योजनाएं	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (डेयरी विकास क्षेत्र)	73.90	22.12	16.45	51.00	39.45	39.59	37.45	31.45	37.60
	कुल (पशुपालन एवं डेयरी विकास क्षेत्र)	233.98	123.92	113.71	175.90	131.17	124.69	193.94	149.52	153.21

*अनंतिम।

[अनुवाद]

कोयला उत्पादन

6056. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 476 मिलियन टन कोयले का खनन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले के उत्पादन संबंधी लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी का मुख्य कारण चालू कोयला-खनन परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब होना है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त कमी से बचने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। इसके बजाय, सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजनावधि के समाप्ति वर्ष अर्थात् 2006-07 तक 405 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जाना निर्धारित किया है।

(ख) और (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के समाप्ति वर्ष अर्थात् 2001-02 के दौरान कोयले का संशोधित लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन (अनंतिम) नीचे दर्शाया गया है:-

(मिलियन टन में)

2001-02	
लक्ष्य	वास्तविक (अनंतिम)
325.65	327.64

(घ) और (ङ) ऊपर (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

आगरा में पर्यावरण संरक्षण

6057. श्रीमती श्यामा सिंह :
डा. रमेश चंद तोमर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा के सभी प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने के बाद भी आगरा के पर्यावरण में न तो एस पी एम स्तर और न ही एस ओ 2 के प्रतिशत में कोई महत्वपूर्ण कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ताजमहल के आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ करने के विभिन्न पहलुओं की पुनः जांच करने हेतु कोई ठोस योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा में प्रदूषण के स्तर की नियमित रूप से मानीटरी कर रहा है जो यह सूचित करता है कि गत वर्षों में सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन-ऑक्साइड और निलंबित धूल कणों के वार्षिक औसत स्तर में कमी का रुख रहा है। ताजमहल की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. ताज ट्रेपेजियम जोन में पर्यावरण सुरक्षा और सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति को मानीटर करने हेतु भारत सरकार ने एक ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन 1999 में किया।

2. ताज के पर्यावरण और इसकी सुरक्षा के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन और मानीटरी के पर्यवेक्षण के लिए मिशन प्रबंध बोर्ड का गठन किया गया है।

3. ताजमहल के भीतर और इसके इर्द-गिर्द स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करवाने के उद्देश्य से ताज ट्रेपेजियम जोन में सतत वायु गुणवत्ता मानीटरी, बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क निर्माण में सुधार की स्कीमें प्रारंभ की गई हैं।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन

6058. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में "संशोधन" करने हेतु विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और विख्यात वन्यजीव विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा करने के उपरांत केन्द्र सरकार ने वन्यजीव (सुरक्षा) संशोधन विधेयक तैयार किया है। प्रस्तावित वन्यजीव (सुरक्षा) संशोधन विधेयक की विशेष बातें निम्नलिखित हैं:—

(i) सुरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सहभागिता और स्थानीय समुदायों के पास विशेषतया उपलब्ध वन्यजीवों के आवास स्थलों के प्रबंधन की प्रक्रिया में उपलब्ध वन भोगाधिकारों का उपयोग करना।

(ii) अधिनियम की दण्डात्मक धाराओं को और अधिक कड़ी और प्रभावी बनाना।

(iii) भारतीय वन्यजीव बोर्ड को एक सांविधिक निकाय बनाना।

(iv) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर लोगों के अधिकारों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना।

बाल श्रमिकों की आयु

6059. श्री के. येरननायडू : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आई एल ओ के अभिसमय के अनुसार भारत में बाल श्रम की न्यूनतम आयु को 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में 14 वर्ष की आयु पूरी न करने वाले व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है।

जून 1999 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 87वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसयम सं. 182 को सर्वसम्मति से अंगीकार किया गया। इस अभिसमय के अनुच्छेद-2 से 18 वर्ष की आयु से कम के सभी व्यक्तियों को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ इस मामले में परामर्श की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, क्योंकि इस अभिसमय के अनुसमर्थन के फलस्वरूप इन मंत्रालयों द्वारा प्रवर्तित कानूनों में बच्चे की आयु को परिभाषित करने वाले मौजूदा कानूनों/अधिनियमों को अनुसमर्थित अभिसमय कि अनुरूप बनाने के लिए कार्रवाई करना आवश्यक है।

नई कोयला नीति

6060. श्री जी.एस. बसवराज : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वास्तविक उपयोगकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कोयले के काला बाजार की ओर विपणन को रोकने हेतु नई कोयला नीति बनाने का है;

(ख) क्या नई कोयला नीति से ईंट-भट्टे एवं लघु उद्योग इकाइयों जैसे गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को समुचित मात्रा में कोयला उपलब्ध हो पाएगा;

(ग) क्या सरकार ने गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की कोयला आवश्यकताओं एवं वास्तविक खरीद के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) कोल इंडियल लि. ने जून, 2001 में, अपनी कोयला कंपनियों को, कोयला विक्रय नीति की अपनी प्रणाली तथा प्रक्रिया को विकसित करने के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय लिया। निर्णय के अनुसार नई नीति का लक्ष्य सरल तथा उपभोक्ता अनुकूल होना है। कोयला कंपनियां नई विक्रय नीतियों के ब्यौरे तैयार कर रही हैं। इसी बीच, कोयला कंपनियों ने, राज्य सरकारों/प्रयोजित करने वाले प्राधिकरणों को नॉन-कोर क्षेत्र के मौजूदा लिंक्ड उपभोक्ताओं की स्थिति को सत्यापित करने के लिए भी लिखा है ताकि अविद्यमान या गैर-प्रचालित इकाइयों को निकाला जा सके। नई नीतियों का उद्देश्य लघु उद्योगों तथा ईंट-भट्ठों सहित नॉन-कोर क्षेत्र के असली उपभोक्ताओं की वास्तविक जरूरतों को संभव सीमा तक बेहतर ढंग से पूरा करना भी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

सर्प-उद्यान

6061. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सर्प उद्यानों की स्थापना करने हेतु बनाए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक देश में स्थापित किए गए सर्प उद्यानों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सर्प-उद्यानों की स्थापना करने हेतु क्षेत्रों की पहचान करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु पहचान कए गए क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में किसी राज्य ने उक्त उद्यानों की स्थापना करने एवं सहायता प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार सभी हिरण उद्यान और सर्प उद्यान चिड़ियाघर की वैध परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। केन्द्र सरकार ने "चिड़ियाघरों को मान्यता नियमावली, 1992" अधिसूचित की है जिनमें जानवरों के आवास, रख-रखाव और स्वास्थ्य परिचर्या के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

(ख) सर्प उद्यानों की स्थानवार और राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (च) चूंकि सर्प उद्यानों सहित चिड़ियाघरों का प्रबंधन कुल मिलाकर वांछित स्तर का नहीं रहा है, अत: केन्द्र सरकार केवल वर्तमान चिड़ियाघरों के सुधार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिए हैं कि न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना कोई नया चिड़ियाघर स्थापित न किया जाए।

विवरण

देश में सर्प उद्यानों की सूची

क्र. सं.	राज्य	सर्प उद्यान का नाम	जिला
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	सर्प उद्यान और एवियरी, पिम्परी, चिंचावाड़	पुणे
2.	महाराष्ट्र	सर्प उद्यान, शिक्षण मंडल	कोलहपुर
3.	तमिलनाडु	चेन्नई सर्प उद्यान	गिंडी, चेन्नई
4.	तमिलनाड	मद्रास मगरमच्द उद्यान	महाबलीपुरम्
5.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता सर्प उद्यान	बदु, 24 परगना (एन)

1	2	3	4
6.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल सर्प उद्यान और प्रयोगशाला	बदु 24 परगना (एन)
7.	केरल	प्रसन्निकादवु सर्प उद्यान, कन्नूर	कन्नूर
8.	पश्चिम बंगाल	सर्प उद्यान सरीसृप अनुसंधान और स्नेक बिट ट्रीटमेंट दीघा	मिदनापुर
9.	केरल	सर्प उद्यान	मालमपुड़ा

दुर्लभ जड़ी-बूटियों का संरक्षण

6062 **श्री एन.टी. षणमुगम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दुर्लभ जड़ी-बूटियों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इन दुर्लभ जड़ी-बूटियों की पैदावार किन-किन राज्यों में की जा रही है;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) नवीं योजना अवधि के दौरान मंत्रालय ने औषधीय पौधों जिसमें दुर्लभ जड़ी-बूटियां भी शामिल हैं समेत गैर इमारती वन उत्पाद के विकास और संरक्षण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की है। जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों के विकास, नीति निर्धारण सतत प्रयोग और उनसे संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय में औषधीय वनस्पति बोर्ड गठित किया है। इसी प्रकार, औषधीय वनस्पति बोर्ड तेरह राज्यों में भी गठित किए गए हैं।

(ख) जिन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी-बूटियों की पैदावार की जाती है उनका राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, उन राज्यों के नाम जहां मंत्रालय द्वारा नवीं योजना के दौरान औषधीय पौधों सहित गैर इमारती वन उत्पाद के विकास और संरक्षण के लिए धन राशि उपलब्ध कराई गई है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इंडियन सिस्टम ऑफ मेडीसन और होम्योपैथी में प्रयुक्त दुर्लभ जड़ी-बूटियों सहित औषधीय पौधों की रोपाई और विकास के लिए औषधीय वनस्पति बोर्ड सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2001-02 में औषधीय वनस्पति बोर्ड ने 133 सरकारी संगठनों व 12 गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान जारी किया है। वन क्षेत्रों के बाहर औषधीय पौधों के विकास व उन्हें बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाता है।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	गोवा
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	जम्मू व कश्मीर
10.	कर्नाटक
11.	केरल
12.	मध्य प्रदेश
13.	महाराष्ट्र
14.	मणिपुर
15.	मेघालय
16.	मिजोरम
17.	नागालैंड
18.	उड़ीसा
19.	पंजाब

1	2
20.	राजस्थान
21.	सिक्किम
22.	तमिलनाडु
23.	त्रिपुरा
24.	उत्तर प्रदेश
25.	पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

हरित क्रांति हेतु अनुसंधान केन्द्रों का खोला जाना

6063. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हरित क्रांति के लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु खोले गए कृषि अनुसंधान केन्द्रों, संकर बीज केन्द्रों एवं अन्य अनुसंधान केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन अनुसंधान केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों को कृषि अनुसंधान केन्द्रों एवं अन्य संबंधित केन्द्रों से लाभ पहुंचाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को प्रशिक्षण तथा आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है।

कृषि विज्ञान केन्द्र के अतिरिक्त कार्यों को शुरू करने के लिए जिन जिलों में जहां कहीं कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है वहां 53 आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ किया गया है।

कृषि के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं को अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए दस प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है।

सहभागिता मोड़ पर आधारित जिसमें बहुत निचले स्तर की एप्रोच में वैज्ञानिक-किसानों का बड़ा संपर्क सुनिश्चित किया जा सके इसके लिए देश के 70 जिलों में एक नवीकृत प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया जिसे ''संस्था-ग्राम संपर्क कार्यक्रम'' कहा जाता है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों/अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और उनके क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र की राज्यवार सूची

राज्य का नाम	संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं का नाम	स्थान
1	2	3
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पोर्ट ब्लेयर
आंध्र प्रदेश	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान	हैदराबाद
	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र	हैदराबाद
	चावल अनुसंधान निदेशालय जिसमें अ.भ.स.अनु.प. चावल शामिल है	
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना—बारानी कृषि	हैदराबाद

1	2	3
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना—ज्वार	हैदराबाद
	नेटवर्क—आर्थिक पक्षी विज्ञान	हैदराबाद
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसधन ब्यूरो	हैदराबाद
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कावूर
	मक्का की बिन-मौसम नर्सरी से संबंधित निदेशालय	हैदराबाद
अरुणाचल प्रदेश	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भ.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	बासर
असम	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान का बारानी निम्न भूमि चावल, का अनुसंधान केन्द्र	गेरूआ
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कोहिकुच्ची
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	जोरहाट
बिहार	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	पटना
	राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केन्द्र	दरभंगा
	अ.भा.स.अ.प.—जल प्रबंध	पटना
	अ.भा.स.अ.प.—भूजल का इष्टतम उपयोग	पटना
	अ.भा.स.अ.प.—दियारा भूमि का प्रबंध	पटना
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर (फसल अनुसंधान केन्द्र)	पूसा
	भा.कृ.अनु.सं.	पूसा
	गन्ना प्रजनन संस्थान	मोतीपुर
चंडीगढ़ (यू.टी.)	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	चंडीगढ़
गोवा	गोवा के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधन परिसर	गोवा
गुजरात	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	भुज

1	2	3
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	वलसाड
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	आनन्द
	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान	गोधरा
हरियाणा	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	करनाल
	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	करनाल
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-लवण प्रभावित मिट्टियों और खारे पानी का उपयोग प्रबंध	करनाल
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	करनाल
	गन्ना प्रजनन संस्थान	करनाल
हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिमला
	राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र	सोलन
	अ.भा.स.अ.प.—सूक्ष्म जैविकीय विघटन	पालमपुर
	अ.भा.स.अ.प.—खुम्बी	सोलन
	अ.भा.स.अ.प.—आलू	शिमला
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	कुफ्री
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	कटराइन
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	टुटीकंडी, शिमला
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अमरतारा, शिमला
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	शिमला
	गेहूं अनुसंधन परियोजना निदेशालय	शिमला
	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	लाहोलस्पीति
जम्मू एवं कश्मीर	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान	श्रीनगर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	श्रीनगर

1	2	3
झारखंड	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	पूर्वी क्षेत्र के लिए भ.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर (एच.ए. एंड एफ. कार्यक्रम)	रांची
	केन्द्रीय बारानी ऊपरांऊ भूमि चावल अनुसंधान केन्द्र	हजारीबाग
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	रांची
कर्नाटक	भारतीय बागवानी अनुसंधन संस्थान	बंगलौर
	जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय	बंगलौर
	अ.भा.स.अ.प.–गौण अनाज	बंगलौर
	नेटवर्क–कृषि एक्रोलोजी	बंगलौर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	हेरेहल्ली
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	विट्ठल
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कीडी
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	बेल्लारी
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	धारवाड़
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	चेथाली
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	. बंगलौर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	जामखंडी
केरल	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कासरगोड
	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान	तिरुवनन्तपुरम
	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान	कालिकट
	अ.भा.स.अ.प.–ताड़	कासरगोड
	अ.भा.स.अ.प.–मसाले	कालिकट
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कयानगुलम
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कन्नारा

1	2	3
	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान	अपनगला
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	त्रिचूर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कन्नानौर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	अगाली
लक्षद्वीप	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	मिनीकॉय
मध्य प्रदेश	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	भोपाल
	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान	भोपाल
	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र	इंदौर
	राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र	जबलपुर
	अ.भा.स.अ.प.—कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.—फार्म उपस्कर मशीनरी	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.—मानव अभियांत्रिकी एवं सुरक्षा अध्ययन	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.—सूक्ष्म गौण पोषण	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.—पावर टिलर	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.—नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.—मृदा परीक्षण फसल अनुक्रिया	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.—सोयाबीन	इंदौर
	अ.भा.स.अ.प.—खरपतवार नियंत्रण	जबलपुर
	आर.एन.ए.एम.—चरण-vi	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.—दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.—जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण	भोपाल
	अ.भा.स.अ.प.—भारतीय मृदा का टिल्लेज प्रबंध	भोपाल
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	ग्वालियर

1	2	3
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	दतिया
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	इंदौर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	आईजीकेवी, अम्बिकानगर
महाराष्ट्र	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नागपुर
	राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केन्द्र	नागपुर
	राष्ट्रीय द्राक्ष अनुसंधान केन्द्र	पुणे
	राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र	पुणे
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पुणे
	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र	शोलापुर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	अमरावती
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नागपुर
मणिपुर	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	इम्फाल
	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.क.अ.प. का अनुसंधान परिसर	इम्फाल
मिजोरम	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	कोलासेब
मेघालय	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	बड़ापानी
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिलांग
	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	पश्चिमी गारो पहाड़ियां
नागालैंड	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	खन्नाखुरू
नई दिल्ली	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि संबंधी सूक्ष्मजीव ब्यूरो	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली

1	2	3
	राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	मक्का अनुसंधान परियोजना निदेशालय	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.—कृषि उप-उत्पाद	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.—कृषि जल निकासी	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.—सक्षम भूमि के लिए अभियांत्रिक नापतोल एवं जल प्रबंध	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.—सूत्रकृमि	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.—कीटनाशी अपशिष्ट	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.—बागवानी फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	नई दिल्ली
	अ.भा.स.अ.प.—कम प्रयोग और कम दोहित पौधे	नई दिल्ली
	समेकित कृषि विज्ञान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय बीज परियोजना	नई दिल्ली
	नेटवर्क स्कीम—भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी	नई दिल्ली
	कृषि मानव संसाधन विकास	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन.ए.टी.पी.)	नई दिल्ली
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	इसपुर
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नई दिल्ली
उड़ीसा	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	कटक
	कृषि में महिलाओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	भुवनेश्वर
	पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र	भुवनेश्वर
	अ.भा.स.अ.प.—कंद वर्गीय फसलें	भुवनेश्वर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	कोरापुट

1	2	3
	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	कटक
पंजाब	केन्द्रीय कटाई के पश्चात की अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	लुधियाना
	अ.भा.स.अ.प.—कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	लुधियाना
	अ.भा.स.अ.प.—कटाई एवं कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	लुधियाना
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	लुधियाना
	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	नाभादा
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	लुधियाना
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	जालंधर
राजस्थान	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	जोधपुर
	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र	अजमेर
	अ.भा.स.अ.प.—बाजरा	जोधपुर
	अ.भा.स.अ.प.—शुष्क क्षेत्र फल	बीकानेर
	अ.भा.स.अ.प.—शुष्क क्षेत्र के फलीदार फसलें	सी.ए.जैड.आर.आई., जोधपुर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	पाली
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	जैसलमेर
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	कोटा
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	आर.ए.यू., मंडौर
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	उदयपुर

1	2	3
सिक्किम	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	गंगटोक
तमिलनाडु	गन्ना प्रजनन संस्थान	कोयम्बटूर
	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र	तिरुचिरापल्ली
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	उदगमंडलम
	राष्ट्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	उदगमंडलम
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	वेलिंग्टन
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अदुतुरइ
त्रिपुरा	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	उ.पू. पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर	लम्बूचेरा
उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान	लखनऊ
	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान	कानपुर
	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	लखनऊ
	अ.भा.स.अ.प.—चना	कानपुर
	अ.भा.स.अ.प.—गुड़ एवं खांडसारी	लखनऊ
	अ.भा.स.अ.प.—सूअर	इज्जतनगर
	अ.भा.स.अ.प.—अरहर	कानपुर
	अ.भा.स.अ.प.—दालें (मूर्लाप)	कानपुर
	अ.भा.स.अ.प.—गन्ना	लखनऊ
	अ.भा.स.अ.प.—सब्जी अनुसंधान	वाराणसी
	अ.भा.स.अ.प.—दियाराभूमि सुधार प्रबंध	मोदीपुरम
	अ.भा.स.अ.प.—उपोष्ण फल	लखनऊ
	राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र	झांसी
	अ.भा.स.अ.प.—कृषि वानिकी	झांसी
	अ.भा.स.अ.प.—चारा फसलें	झांसी

1	2	3
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	मोदीपुरम
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	आगरा
उत्तरांचल	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षणं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	देहरादून
	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अल्मोड़ा
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय शीतोष बागवानी संस्थान	मुक्तेश्वर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	भुवाली
पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान (प्रस्तावित)	मालदा
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	जलपाइगुड़ी
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	केनिंग टाऊन
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	कलिमपोंग
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	कोलकाता

[अनुवाद]

हवाई यात्रा भाड़े में वृद्धि

6064. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से पश्चिमी देशों के लिए उड़ानों के हवाई यात्रा किराए में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विमान सेवाएं आयकर प्राधिकारियों के सकल एवं कुल किराये के अंतर पर स्रोत से कर की कटौती संबंधी अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए मानक आई.ए.आई. कमीशन पर स्रोत पर ही कर की कटौती करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो आयकर प्राधिकारियों के अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन न करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, नहीं। मांग तथा पूर्ति के आधार पर अलग-अलग सीजन (अवसर) पर विभिन्न मार्गों के लिए हवाई यात्रा किरायों में परिवर्तन होता रहता है। अमरीका में 11 सितम्बर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले तथा उसके बाद की घटनाओं के कारण मांग में कमी आने से विभिन्न एयरलाइनों ने छूट प्रदान की थी जो अब पुनर्लाभ को देखते हुए चरणों में समाप्त की जा रही है।

(ग) और (घ) आय कर अधिनियम 1961 की धारा 194 एच के प्रावधानों के अनुसार, 1.6.2001 से प्रभावी कमीशन अथवा दलाली के रूप में किसी भी प्रकार की आय से टैक्स को उसी जगह से काटा जाए। मानक आयटा कमीशन पर धारा 194 एच की प्रयोज्यता अथवा अन्य किसी प्रकार के निर्देश केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी नहीं किए हैं।

पर्यटन अवसंरचना में सुधार

6065. श्री ए.डी.एन.आर. वाडियार : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में पर्यटन से संबंधित अवसंरचना में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2002-03 हेतु कोई धन आबंटित किया गया है और दसवीं योजना के शेष वर्षों के लिए कोई धन नियत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श करके देश में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा अवसंरचना विकास हेतु पर्यटन विभाग को वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 225.00 करोड़ रुपए की राशि और 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2900 करोड़ रुपए की राशि के आबंटन की मंजूरी दी है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को राजसहायता

6066. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रोत्साहन अथवा अनुदान के लिए पात्रता रखने वाले सूचीबद्ध खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी कौन-कौन सी हैं और देश में 31 मार्च, 2002 तक ऐसे कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजसहायता और अन्य सहायता देने में कितना धन लगा हुआ है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा के ऐसे उद्योगों से राजसहायता हेतु उनके मंत्रालय द्वारा कितने आवेदन प्राप्त किए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) नवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मानव संसाधन विकास संस्थानों और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों को स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, बैकवर्ड लिन्केजों को मजबूत बनाने आदि के लिए आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान दिए जाते थे। वर्ष 2001-2002 से सहायता अनुदान ही दिया जा रहा है। 1.1.2002 तक कुल 5569 फल उत्पाद आदेश इकाइयों को स्थापना हेतु लाइसेंस दिए गए।

(ख) पिछले तीन वर्षों में उपर्युक्त स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता के रूप में 9921.87 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए।

[हिन्दी]

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

6067. डा. बलिराम : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली (म.प्र.) के अंतर्गत जयंत, निगाही, खरिया जैसी कतिपय परियोजनाओं में कोयला उत्खनन की गलत विधि के कारण कोल फेस और ओ.बी. फेस का भूमि स्तर 90 डिग्री पर आ गया है जिसके परिणामस्वरूप किसी भी समय गंभीर दुर्घटना हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जयंत परियोजना की ओ.बी. की धंसाव के कारण 8 करोड़ रुपये की लागत की पी. एंड एच. शावेल नं. 8 मशीन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसकी मरम्मत कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस मामले का पूरा अध्ययन कराने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। यह सच नहीं है कि नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन.सी.एल.) की विभिन्न परियोजनाओं में कोयले के निष्कर्षण का गल तरीका अपनाया जा रहा है। विभिन्न परियोजनाओं के पिट स्लोप्स 90 डिग्री पर नहीं आए हैं और पिट सुरक्षित हैं।

(ख) ऊपर भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह सच नहीं है कि जयंत परियोजना का पी. एंड एच. शावेल सं. 8 मलबा खिसकने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। 25 अगस्त, 2001 को मलबे के अचानक खिसकने की घटना हुई जबकि पी. एंड एच. शावेल सं. 8 एक टीले के निकट काम कर रहा था जिसमें एक छिपी हुई दरार थी जिसे नियमित खान निरीक्षण के दौरान नहीं देखा जा सका। शावेल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे मरम्मत के लिए/फिर से चालू करने के लिए घटना के तीसरे दिन बाहर ले जाया गया था।

(घ) और (ङ) शावेल की मरम्मत का काम चल रहा है। मरम्मत का काम, आपरेटर केबिन, मशीन हाउस, प्लेनम चैम्बर एसेम्बली, सीधे हाथ वाले काउंटर वेट बॉक्स, हैच कवर, सेंटर बॉक्स आदि की मरम्मत करने और उनको फिट करने के लिए 20.8 लाख रु. में मैसर्स वोल्टास लिमिटेड (ओ.ई.एम. के भारतीय प्रतिनिधि) को दे दिया गया है। शावेल को फिर से चालू किए जाने के लिए आवश्यक कलपुर्जों की खरीद की जा रही है। कुल व्यय का पता केवल काम के पूरा होने तथा उपकरण के फिर से चालू होने के बाद ही चलेगा।

(च) से (ज) घटना की वरिष्ठ खनन अधिकारियों की एक समिति द्वारा पूरी तरह से जांच-पड़ताल की गई थी और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। जांच के निष्कर्ष के अनुसार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया के साथ समझौता

6068. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया के साथ कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मलेशिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मलेशिया से पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रचार एवं संवर्धन कार्यकलाप किए गए जिनमें सम्मिलित हैं:–

(1) मलेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया पर विदेशी विपणन एवं संवर्धन नीति को पुनः संकेन्द्रित करना।

(2) भारत में प्रतिष्ठित पाटा वार्षिक सम्मेलन, 2002 की मेजबानी करने की प्रस्तावना के रूप में कुआलालामपुर में पाटा वार्षिक सम्मेलन, 2001 की समाप्ति पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विशेष भारत सन्ध्या का आयोजन करना।

(3) इंडिया टूरिज्म, सिंगापुर द्वारा रोड शो-सह-भारत प्रस्तुतिकरण का आयोजन तथा पर्यटन प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(4) भारतीय पर्यटन उत्पाद तथा पर्यटक सुविधाओं की प्रथम जानकारी प्रदान करने के लिए मीडिया तथा टूअर प्रचालकों के सुपरिचितिकरण टूअरों की मेजवानी करना।

(5) मलेशिया में विभिन्न समुदायों के लिए दक्षिण भारत, गोल्डन ट्राएंगल (दिल्ली-आगरा-जयपुर) तथा बौद्ध क्षेत्रों जैसे विशेष टूअर पैकेजों का संवर्धन।

(6) समय-समय पर प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों की रिलीज।

(7) भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा अनिवासी भारतीयों के लिए विशेष मार्गों की खोज करने तथा तीर्थ यात्रा हेतु विशेष टूअर पैकेजों का संवर्धन।

(8) पर्यटन विभाग, भारतीय दूतावास कुआलालामपुर में एक पर्यटन संवर्धन कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

मलेशियाई उड़ानों को उतरने के अधिकार

6069. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशियाई सरकार ने केन्द्र सरकार से और अधिक मलेशियाई उड़ानें उतारने के अधिकार देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) मलेशिया सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि मलेशिया

सरकार को हैदराबाद तक प्रति सप्ताह एक सेवा की जगह तीन सेवाएं प्रति सप्ताह उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति दी जाए। वर्तमान समय में, मलेशिया एयरलाइन्स जिसे भारत के छः हवाई अड्डों अर्थात् दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई, बंगलौर और हैदराबाद में अवतीर्ण होने का अधिकार प्राप्त है, प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह 3900 सीटें प्रचालित करने की हकदार है; और इसके अतिरिक्त इसे भारतीय पक्ष की अनुप्रयुक्त हकदारी से प्रति सप्ताह 1500 सीटों के प्रचालन की अनुमति है। 5400 सीटें प्रति सप्ताह की अपनी कुल हकदारी के भीतर मलेशियन एयरलाइन्स हैदराबाद से बाहर कितनी भी सीटें लगा सकती है परन्तु यह बंगलौर से प्रचालित हो रही न्यूनतम 550 सीटें प्रति सप्ताह की अधिकतम क्षमता के भीतर होगी। जब कभी भी द्विपक्षीय विमान सेवा परामर्श होगा, उस क्रम में और अधिक क्षमता लगाए जाने के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

एयर इंडिया को एयरबस की सुपुर्दगी

6070. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरबस अप्रैल, 2002 माह में एयर इंडिया को तीन, 200 सीटों वाले विमान ए-310 एस की सुपुर्दगी करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक विमान की कुल लागत क्या है; और

(ग) इससे एयर इंडिया को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) एयर इंडिया ने वर्ष 2002 के दौरान आपूर्ति हेतु 3ए 310-300 विमान ड्राई लीज पर लेने हेतु निविदा आमंत्रित की है। छः बोलियां प्राप्त हुई हैं। छः बोलीकर्ताओं में से एक एयरबस है। इन बोलियों का मूल्यांकन प्रगति पर है। इसे प्राप्त करने पर एयर इंडिया अपने प्रचालनों का विस्तार करेगा।

कृषि उत्पादन में वृद्धि

6071. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
डा. जसवंत सिंह यादव :
श्री मानसिंह पटेल :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने और माइक्रो प्रबंधन मोड के अंतर्गत राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्रता और गृहणशीलता प्रदान करने के लिए 27 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इन कदमों ने कृषि उत्पादन में सकारात्मक रुझान प्रदर्शित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख फसलों का वर्षवार कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कृषि तकनीकियों और निधियों को सुधारने और तिलहनों सहित कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) जी, हां। 27 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को समेकित करके वृहत् कृषि प्रबंधन स्कीम बना दिया गया है ताकि राज्यों को कृषि उत्पादन में तेजी लाने के लिए उनकी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यकलापों को चलाने और उनका विकास करने हेतु नम्यता प्रदान की जा सके।

कृषि विकास नियोजन में राज्यों के आधिपत्य को बहाल करने के अनुसरण में विकेन्द्रीकरण प्राप्त करने की दिशा में वृहत् कृषि प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कदम है। स्कीम का उद्देश्य है—राज्यों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं के माध्यम से कृषि में समग्र विकास करना। ये कार्य योजनाएं कृषि क्षेत्र में राज्यों के पहले के कार्यों की समीक्षा करेंगी तथा राज्य में कृषि के विकास हेतु विशेष लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करेंगी। यह सब सामर्थ्यों, कमजोरियों, अवसरों तथा चुनौतियों, प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने के एक विस्तृत विश्लेषण पर आधारित होगा जिससे कि चुनौतियों का सामना किया जा सके तथा विभिन्न प्राथमिकता वाली फसलों के उत्पादकता स्तरों को बढ़ाया जा सके। कार्य योजनाओं में राज्य में विभिन्न फसलों/क्षेत्रों हेतु विशिष्ट सम्मेलन/कार्यकलाप शामिल हैं ताकि उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके तथा समयबद्ध ढंग से इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। वृहत् प्रबंधन स्कीम का उद्देश्य है—कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण करना।

यह स्कीम नवम्बर, 2000 से प्रचालन में है और उत्पादन पर स्कीम के निश्चित योगदान पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। तथापि, यह

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001-2002 के दौरान समग्र कृषि उत्पादन सम्भवत: 211.17 मिलियन टन है। यह रिकार्ड उत्पादन होगा और पिछले वर्ष के 195.92 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 15.25 मिलियन टन अधिक होगा।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य फसलों के कुल उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख फसलों के कुल उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा

फसल	उत्पादन ('000 टन में)		
	1998-99	1999-2000	2000-2001
चावल	86076.7	89682.9	84871.2
गेहूं	71287.5	76368.9	68763.3
ज्वार	8415.4	8684.9	7715.8
बाजरा	6955.6	5782.2	7058.9
मक्का	11147.7	11509.6	12067.9
रागी	2608.1	2289.5	2741.9
छोटे कदन्न	670.8	618.2	600.1
जौ	1537.8	1447.0	1431.5
मोटे अनाज	31335.4	30331.4	31616.1
अनाज	188699.6	196383.2	185250.6
तूर (अरहर)	2708.1	2694.0	2262.4
तूर के अलावा दलहन	2433.2	2122.4	2204.4
चना	6800.7	5118.1	3522.4
चना के अलावा दलहन	2965.3	3483.8	2676.1
दलहन	14907.3	13418.3	10665.3

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण

6072. **श्री के.पी. सिंह देव :** क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के अंगुल जिले के अंतर्गत शाक्य और कैमोप गांवों के निकट नंदिता नाले पर सबमर्सिबल ब्रिज के निर्माण की मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित करने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) अंगुल जिला, उड़ीसा के अंतर्गत शाक्य, सिंघा तथा कर्णपुर गांव के निकट नन्दिरा नाले के ऊपर सबमर्सिबल पुल के निर्माण के लिए एम.सी.एल. को 27.3.2002 को एक मांग प्राप्त हुई है।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि इस मामले को महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) की परिधीय विकास समिति को प्रस्तुत किया जा रहा है जो मई, 2002 में होने वाली इसकी बैठक में इस मुद्दे पर विचार करेगी।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा

6073. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति :**
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक कामगारों को विकसित देशों के कामगारों के बराबर लाने के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समीक्षित योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कामगारों के लिए उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तपोषण के स्रोत का ब्यौरा क्या होगा?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित विद्यमान कानूनों के यौक्तिकीकरण के बारे में सुझाव देने तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संरक्षण का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक

विधान का सुझाव देने के लिए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया है। आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

निर्माण क्षेत्र में कामगार

6074. श्री बी.के. पार्थसारथी :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य में लगे कामगारों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकले?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) केवल सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य में लगे कामगारों के बारे में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, 1991 की जनगणना के अनुमानों के अनुसार सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों सहित निर्माण गतिविधियों में 56 लाख कामगार कार्यरत हैं।

कोयले की मांग

6075. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में कोयले की मांग 412 मिलियन टन की लक्षित मांग से काफी नीचे गिरकर मात्र 354 मिलियन टन रह गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कम संख्या में स्थापित किए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कोयले के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से मंदी तथा परिकल्पित नई कोयला आधारित तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता को मूर्त रूप दिए जाने से नौवीं योजना में अनुमानित कोयले की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(ग) और (घ) दसवीं योजना के कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार दसवीं योजना अवधि के दौरान कोयला-आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता में 19565 मे.वा. की वृद्धि होने की उम्मीद है। क्षमता वृद्धि कार्यक्रम से दसवीं योजना के दौरान कोयले की मांग में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

टिकटों पर मार्केट किराये का प्रकाशन

6076. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बोर्ड और एयरलाइंस ने 1 अप्रैल, 2002 से टिकटों पर मार्केट किराए का मुद्रण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत की अग्रणी वाहक एयर इंडिया उस शुद्ध किराया अवधारणा की ओर अग्रसर हो रहा है जो पूरे विश्व में व्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस पहल से यात्रियों के लिए पारदर्शिता लाने और व्यवसाय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक उक्त शर्त होगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां। बाजार भाव, राष्ट्रीय वाहकों द्वारा तय किए जाते हैं और विदेशी वाहक भी राष्ट्रीय वाहकों के समान स्तरों को ही अपनाते हैं। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किए जाने पर किराया टिकटों पर लिख दिया जाता है।

(ग) से (ङ) जी, हां। बशर्ते विदेशी वाहक इन किरायों पर करार का उल्लंघन न करें।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर शुल्क मुक्त दुकानें

6077. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर शुल्क मुक्त दुकानों की स्वीकृति रूपरेखा को अंतिम रूप नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत पर्यटन निगम को शुल्क मुक्त दुकानों के लिए कब तक वचन प्रदत्त क्षेत्र दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन हॉल में शुल्क मुक्त दुकानों का स्थान बदलने के लिए प्रारूप योजना को अंतिम रूप दे दिया है और संशोधित योजना की सीमा-शुल्क प्राधिकारियों एवं भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) से औपचारिक मंजूरी ली जानी है।

(ख) और (ग) 'वीजा ऑन अराइवल' नामक प्रोसेसिंग की नई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आव्रजन विभाग के लिए स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुल्क मुक्त दुकानों के स्थान परिवर्तन हेतु स्कीम शुरू की गई थी। चूंकि इस स्कीम को स्थगित रखा गया है, इसलिए, पहचान किए गए क्षेत्र को भारत पर्यटन विकास निगम को सौंपने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।

[हिन्दी]

दसवीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगार युवा

6078. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमानतः कितने युवाओं के बेरोजगार होने की संभावना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) योजना आयोग इस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में रत है अतः बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या एवं 10वीं योजना के दौरान रोजगार पा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त दसवीं योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष में 10 मिलियन रोजगार अवसरों के सृजन हेतु उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग के सदस्य, डा. एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेष दल का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं में निवेश

6079. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं वाले कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम लागत वसूली के कारण अधिकतर राज्यों में सिंचाई प्रणाली का अनुसरण और संचालन बिगड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। पिछले 5 वर्षों में सिंचाई क्षेत्र के वित्तीय परिव्यय में निरपेक्षतः लगातार वृद्धि हुई है। बहरहाल, विभिन्न योजनावधियों में कुल सार्वजनिक निवेश के परिप्रेक्ष्य में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं सहित सिंचाई क्षेत्र में निवेश के प्रतिशत में लगातार गिरावट आई है।

(ख) और (ग) सिंचाई प्रणाली की प्रचालन एवं रख-रखाव लागत की प्रतिपूर्ति राज्यों के गैर-योजना बजट से की जाती है। अधिकांश राज्यों में प्रचालन और रखरखाव में गिरावट का मुख्य कारण जल प्रभार पर राजसहायता तथा जल दर की वसूली में कोताही होना है। देश के कुल कृषि क्षेत्र में से केवल 40% क्षेत्र सिंचित है।

(घ) भारत सरकार द्वारा अपनाए गए दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दृष्टिकोण पत्र का उद्देश्य सिंचाई के आधारभूत ढांचे एवं जल प्रबंध में सार्वजनिक निवेश को व्यापक रूप से बहाल करना है। दृष्टिकोण पत्र के अनुसार, चालू सिंचाई स्कीमों को सहायता देने हेतु राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण जरिया है।

खनिज सर्वेक्षण 269

6080. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार देश में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकेल, जस्ता और ग्रेफाइट के कुल कितने भंडार हैं और अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा में संकलित खनिजों तथा कोयले के कितने भंडार हैं; और

(ख) 2001-02 के दौरान विदेशों को तथा राज्य से बाहर भी खनिज-वार इन भंडारों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, देश में, लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकेल, जस्ता और ग्रेफाइट के कुल भंडार और उड़ीसा में उनके भंडार और प्रतिशत निम्नानुसार हैं:-

(मिलियन टन में)

खनिज	देश में कुल भंडार	उड़ीसा में भंडार	उड़ीसा राज्य में प्रतिशत
1	2	3	4
लौह अयस्क :			
हैमेटाइट	10052.00	3294.00	32.77
मेग्नेसाइट	3516.19	–	–
कोयला	234114.28	58012.22	24.78
बॉक्साइट	2462.43	1395.21	56.66
क्रोमाइट	97.07	94.03	96.86
निकेल	188.71	174.48	92.46
सीसा-जस्ता अयस्क	176.84	1.65	0.93
ग्रेफाइट	4.57	1.35	29.55

(ख) सरकार द्वारा खनिजों के निर्यात के संबंध में, राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती है।

चंदन लकड़ी की तस्करी

6081. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन राज्यों में चंदन लकड़ी का उत्पादन होता है;

(ख) क्या इनमें से कुछ राज्य चंदन लकड़ी की तस्करी रोकने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बहुमूल्य चंदन लकड़ी की तस्करों से सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) चंदन लकड़ी मुख्यत: तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें चंदन के वनों को अपने सुरक्षा स्टाफ के माध्यम से संबंधित वन अधिनियमों और अन्य अधिनियमों तथा उसके संबंध में बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा कर रही हैं।

[हिन्दी]

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

6082. डा. बलिराम : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.) की विभिन्न परियोजनाओं में विभिन्न मशीनों के निर्माण तथा मरम्मत पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में प्रत्येक मशीन पर परियोजना-वार कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या विभिन्न परियोजनाओं में क्षतिग्रस्त मशीनों पर खर्च की गई राशि पर रोक लगाने तथा मशीनों के क्षतिग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं में मशीनों की मरम्मत पर पिछले पांच वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। जब कभी मशीन को कोई नुकसान होता है तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समिति का गठन किया जाता है। समिति, दुर्घटना के कारणों, मशीन को हुए नुकसान का गहराई से

विश्लेषण करने के पश्चात्, भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को टालने के लिए सुझाव/उपचारात्मक उपायों आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

मरम्मत का कार्य, मशीन के अनुभाग प्रभारी के मार्गदर्शन में मशीन की स्थिति की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

(घ) और (ङ) अलग-अलग मामलों के लिए गठित समिति द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है और समिति के निष्कर्षों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

पिछले 5 वर्षों में एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में उपभोग किए गए कलपुर्जों सहित, बाहरी एजेंसी द्वारा की गई मशीनों की मरम्मत तथा एन.सी.एल. की केन्द्रीय वर्कशाप द्वारा की गई मशीनों की मरम्मत पर खर्च की गई राशि

(आंकड़े लाख रुपयों में)

उपकरण का ग्रुप	अमलोरी	बीना	दुधीचुआ	जयन्त	झिंगुर्दा	ककरी	खादिया	निगाही	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1997-98					
ड्रैगलाइन	116.91	667.77	401.44	1704.92	0	0	454.53	746.30	4091.87
शावेल	2112.3	942.74	1940.65	3605.04	219.34	443.08	439.21	1317.49	11019.85
डम्पर	763.81	566.84	905.04	1812.53	935.46	639.18	1166.0	977.0	7765.84
डोजर	140.11	110.6	344.27	353.09	91.97	222.51	213.08	300.3	1775.93
ड्रिल	393.91	303.96	304.76	414.27	43.96	55.23	125.74	326.31	1968.18
क्रेन	55.63	19.53	25.95	62.74	0.14	3.48	0	34.18	201.65
अन्य	126.9	178.93	154.41	212.3	1.62	60.46	26.58	110.42	871.59
जोड़-हैम	3709.6	2790.37	4076.54	8164.89	1292.51	1423.93	2425.1	3812.0	27694.91
				1998-99					
ड्रैगलाइन	86.24	747.92	1380.15	727.72	0	0	366.9	423.61	3732.54
शावेल	1331.9	918.87	1306.7	3802.56	388.91	506.7	620.95	1021.0	9897.6
डम्पर	984.6	868.85	1231.85	1609.44	589.57	499.81	1004.9	1106.44	7895.45
डोजर	179.69	204.15	337.13	395.54	101.3	258.94	319.3	294.37	2090.42
ड्रिल	375.79	330.61	252.56	545.64	69.19	88.43	110.52	372.64	2145.38
क्रेन	95.34	20.24	16.77	67.13	0.8	16.28	0	39.92	256.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अन्य	47.32	340.54	155.52	269.03	1.08	45.13	42.15	75.56	976.33
जोड़-हैम	3100.0	3431.18	4680.68	7417.06	1150.85	1415.29	2464.7	3333.55	26994.21
				1999-00					
ड्रैगलाइन	152.76	670.83	1151.24	1879.49	0	0	585.6	1131.71	5571.63
शावेल	843.07	945.37	800.13	4156.37	143.21	445.69	822.76	1243.51	9400.11
डम्पर	1186.4	1041.65	1020.35	1392.71	731.77	613.71	1424.4	975.8	8386.74
डोजर	139.8	234.38	446.98	178.1	86.74	303.83	307.21	256.47	1953.51
ड्रिल	278.02	595.7	278.81	410.39	45.79	141.83	192.18	407.05	2349.77
क्रेन	50.17	20.73	19.0	40.63	0.45	20.32	0	31.90	183.2
अन्य	48.77	532.4	122.13	612.88	1.0	88.29	60.26	96.48	1562.21
जोड़-हैम	2698.9	4041.06	3838.64	8670.57	1008.96	1613.67	3392.4	4142.91	29407.16
				2000-01					
ड्रैगलाइन	617.74	711.96	216.5	1644.03	0	0	625.46	766.55	4582.24
शावेल	2317.90	681.39	1201.97	3409.68	431.99	391.45	701.09	1516.61	10653.09
डम्पर	1150.00	1118.18	1715.89	2181.08	1299.78	777.22	1227.8	2004.79	11474.72
डोजर	113.64	218.55	396.86	299.7	130.44	364.86	327.61	228.62	2080.28
ड्रिल	277.95	532.76	389.43	274.43	97.76	108.08	266.29	502.21	2448.91
क्रेन	108.41	19.22	11.56	37.15	0.58	17.17	0	61.26	255.35
अन्य	68.73	567.96	160.33	313.14	1.03	62.78	60.86	71.66	1306.49
जोड़-हैम	4654.40	3850.02	4092.54	8159.21	1961.58	1721.56	3210.1	5151.70	32801.08
				2001-02					
ड्रैगलाइन	68.89	531.56	1151.84	2847.77	0	0	412.51	487.52	5500.09
शावेल	1112.0	973.22	613.65	9602.92	263.59	474.75	521.34	1217.25	14778.69
डम्पर	1955.2	1222.54	1947.64	1448.63	875.57	728.24	1339.7	1777.18	11294.7
डोजर	210.28	227.6	531.66	278.54	123.27	249.27	304.49	323.17	2248.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ड्रिल	266.41	451.84	286.37	376.57	126.38	89.72	231.65	425.18	2254.12
क्रेन	91.21	66.06	83.12	47.21	10.06	11.99	0	75.95	385.6
अन्य	77.26	484.56	189.16	310.49	15.5	107.95	192.75	125.96	1503.63
जोड़-हैम	3781.3	3957.38	4803.44	14912.1	1414.37	1661.92	3002.4	4432.21	37965.11

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा सीमा-शुल्क अधिकारियों के बीच खींचतान

6083. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अप्रैल, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'एएआई, कस्टम्स लुक्ड इन बैटल ऑफ पोजीशन' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विवाद का समाधान हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जैसा कि समाचार में रिपोर्ट दिया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों के बीच कोई लड़ाई नहीं है। तथापि निगरानी कैमरा लगाते समय कैमरा/काउंटर की स्थान स्थिति के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच कम्यूनिकेशन गैप रहा। इस मुद्दे पर दोनों के बीच समझौता हो चुका है तथा तद्नुसार काउंटर पुनःस्थापित किए गए हैं।

[हिन्दी]

बंद उद्योगों के बेगार श्रमिकों के लिए सुविधाएं

6084. श्री रामदास आठवले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन उद्योगों जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशों के कारण बंद कर दिए गए हैं/जिन्हें बंद किए जाने का प्रस्ताव है, के बेगार श्रमिकों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उन औद्योगिक इकाइयों जो प्रभावित श्रमिकों को सेवा लाभ नहीं दे रहे हैं के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना

6085. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बजट में कृषि क्षेत्र के लिए अतिरिक्त आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश में संशोधन से डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहन मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय को वर्ष 2001-2002 के लिए 2969 करोड़ रुपए के बजट प्राक्कलन एवं 2741 करोड़ रुपए के संशोधित प्राक्कलन की तुलना में वर्ष 2002-2003 के लिए 3242 करोड़ रुपए का बजट प्राक्कलन आबंटित किया गया है। दसवीं योजना अवधि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शून्य बजट सिद्धांत के आधार पर एवं विभिन्न कार्य दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों एवं संचालन समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर कृषि मंत्रालय ने अपनी स्कीमों में परिवर्तन किया है।

(ग) और (घ) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 में किए गए संशोधन को दिनांक 26.3.2002 को दुग्ध एवं दुग्ध उतपाद (संशोधन) आदेश-2002 द्वारा अधिसूचित किया गया है। केवल गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी निर्धारित मानकों के प्रवर्तन के लिए पंजीकरण आवश्यक है। यह आदेश छोटे, भूमिहीन दुग्ध उत्पादकों एवं दुग्ध उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक होगा। यह आदेश न केवल किसानों को उनके उत्पाद अर्थात् दूध का लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायक होगा, अपितु इससे उपभोक्ताओं को भी अच्छी गुणवत्ता का दूध उचित दामों में मिलेगा। डेयरी उद्योग में प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धन हेतु नई क्षमता के सृजन से ग्रामीण गरीबों के लिए भी रोजगार के अवसर बनेंगे।

मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन

6086. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शहद उत्पादन में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस गिरावट का प्रमुख कारण देश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है अथवा कार्यान्वयनाधीन है;

(घ) यदि हां, तो क्या मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है अथवा कार्यान्वयनाधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारत शहद का निर्यात कर रहा है; और

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) जी, नहीं। मूल्य के अनुसार शहद का उत्पादन वर्ष 1998-99 में 32.82 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 40.98 करोड़ रुपए हो गया है। बहरहाल, कृषि मंत्रालय कृषि में वृहत् प्रबंधन-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत राज्य नामित अभिकरणों तथा राज्य सरकारों को मधुमक्खी छत्ते का उत्पादन एवं वितरण, मधुमक्खी पेटिका का वितरण, छत्ते का प्रवजन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शहद उत्सवों के आयोजन आदि जैसे कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 1994-95 से लगभग 1.54 लाख मधुमक्खी के छत्ते किसानों/मधुमक्खी पालकों को वितरित किए गए हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से एक स्टॉक मल्टीप्लीकेशन प्रोग्राम कार्यान्वित कर रहा है।

(च) और (छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान शहद के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु.)
1998-1999	1608	729.88
1999-2000	1920	952.84
2000-2001	1534	812.80

संकर किस्मों के उत्पादन के सहायतार्थ योजना

6087. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विश्वविद्यालयों के विभिन्न क्षेत्रीय चावल अनुसंधान केन्द्रों में बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार प्रदान करने हेतु एक आवर्ती निधि योजना के अंतर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में संकर किस्मों के उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों में आवर्ती निधि स्कीमों के अधीन संकर बीज उत्पादन सहित बीज उत्पादन का समर्थन करती है।

(ख) अनेक आवर्ती निधि स्कीमें चल रही हैं और उनके प्रावधानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में तदर्थ अनुसंधान स्कीमों और आवर्ती निधि स्कीमों (1996) के लिए ए.पी. उपकर निधि उपयोग के लिए सामान्य मार्गनिर्देशों के अनुसार संकर बीज उत्पादन के समर्थन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इस समय देश के विभिन्न राज्यों में कुल 11 आवर्ती निधि स्कीमें चल रही हैं जो चावल सहित ऐसे बीज उत्पादन के लिए हैं जिनमें बहु-फसल की क्षमता है। बीज उत्पादन से संबंधित प्रचलित स्कीम का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

स्कीमों के अधीन कोई नियमित वैज्ञानिक पद नहीं है। पूरी तरह आवश्यक और न्यायसंगत तकनीकी और सहायी स्टाफ सम्मिलित किए गए हैं और इनमें कृषि स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। इस स्कीम में छात्रों को रोजगार दिया जा सकता है और सहायता के रूप में उन्हें उपयुक्त पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

विवरण

बीज उत्पादन पर आवर्ती निधि स्कीमें

क्रमांक	स्कीम का शीर्ष	केन्द्र का नाम	कुल परिव्यय (रु. लाखों में)
1	2	3	4
1.	उपराऊं भूमि में चावल की किस्मों का बीज उत्पादन	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक वास्तविक स्थान केन्द्रीय बारानी उपराऊं भूमि चावल अनुसंधान केन्द्र, हजारीबाग, झारखंड	6.00
2.	जारी की गई किस्मों की मानीटरिंग स्थायित्वता और उनके गुणवत्ता बीज का उत्पादन	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल, हरियाणा	1.25
3.	संकर के फाउंडेशन बीज का उत्पादन	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड, कर्नाटक	29.87
4.	गन्ना क्लोनों के प्रजनक बीज का उत्पादन	गन्ना प्रजनन संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, करनाल, हरियाणा	8.00
5.	विभिन्न फसलों के प्रजनक/न्यूक्लियस/गुणवत्ता बीज का उत्पादन और कायिक प्रवर्धित पादपों के आशाजनक आनुवंशिक भंडारों का बहुगुणन	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	16.00
6.	खाद्यान्नों, मोटे अनाजों, तिलहनों और चारा फसलों के प्रजनक, फाउंडेशन और प्रमाणित बीजों का उत्पादन	इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	15.00

1	2	3	4
7.	सुधरी हुई मूंगफली कल्टीवर्स का न्यूक्लियस/प्रजनक बीज का उत्पादन	अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, पाटनचेरू, आंध्र प्रदेश	25.00
8.	गन्ना किस्मों के प्रजनक बीज का उत्पादन	चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, उचानी, करनाल, हरियाणा	5.00
9.	चारा मक्का बीज उत्पादन	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र	20.00
10.	गन्ना बीज उत्पादन	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र	20.00
11.	चारा ज्वार बीज उत्पादन	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र	8.00

एयरक्राफ्ट मूल्यांकन समिति

6088. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा गठित एयरक्राफ्ट समिति ने कम लागत वाली उड़ानों के लिए ईंधन की कम खपत करने वाले विमानों को प्राप्त करने का कोई सुझाव दिया है.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अधिक हवाई यात्रा करने तथा अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने हेतु कम टैरिफ वाली उड़ानों को चलाने की संभाव्यता के संबंध में कोई लागत संबंधी ब्यौरा तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस शीघ्र ही नो-फ्रिल्स एंड लो टैरिफ उड़ानें शुरू करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल ने दिनांक 27 मार्च, 2002 को हुई अपनी बैठक में 10.089 करोड़ रुपए की निबल प्रोजेक्ट लागत पर 43 विमान लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रस्तुत की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार के पास विचाराधीन है।

(ग) से (ङ) उच्च प्रतिस्पर्द्धात्मक परिदृश्य को देखते हुए इंडियन एयरलाइंस ने 25 मई, 2001 से फ्लैक्सी किराया नीति आरंभ की है। किरायों का स्तर अलग-अलग सेक्टर के लिए बाजार के विभिन्न कारकों जैसे सीजनलिटी, पूर्ति मांग समीकरण, इंडियन एयरलाइंस बनाम प्रतिस्पर्द्धियों के किराए आदि के आधार पर बढ़ाया/घटाया जाता है।

इंडियन एयरलाइंस देर रात में दिल्ली तथा मुंबई के बीच सेवाएं प्रदान करती है जिसमें वह अन्य उड़ानों के किराए की अपेक्षा 43% कम किराया लेती है।

दालों के उत्पादन का लक्ष्य

6089. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 2002 के 'दि हिन्दु' में ''फार्म आउटपुट एस्टीमेटेड एंड 210 मिलियन टन्स'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें बताए गए मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) 2001-2002 के दौरान दालों के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) 2002-2003 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। यह सही है कि वर्ष 2001-2002 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 211.17 मिलियन मी. टन आंका गया है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने 2001-2002 के लिए दलहन उत्पादन का लक्ष्य 15.00 मिलियन मि. टन निर्धारित किया था। इस लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान दलहन उत्पादन 13.79 मिलियन मी. टन आंका गया है, जो गत वर्ष से 3 मिलियन मी. टन अधिक है। बहरहाल, वर्ष 2001-2002 के दौरान दलहन की खेती वाले प्रमुख राज्यों में प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन इसके लक्ष्य से कम रहा।

(ङ) योजना आयोग ने वर्ष 2002-2003 के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य 220.00 मिलियन मी. टन निर्धारित किया है।

[हिन्दी]

नदियों को जोड़ने संबंधी समिति

6090. श्री रामदास आठवले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जल का अधिकतम उपयोग करने और देश में बार-बार आने वाली बाढ़ों को टालने के लिए देश की सभी नदियों को जोड़ने हेतु एक योजना तैयार करने के लिए इंजीनियरों के पैनल सहित विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पैनल गठित कर दिया गया है;

(घ) क्या इस पैनल ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) वर्ष 1980 में जल संसाधन मंत्रालय (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) ने दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली बहुत-सी प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़कर एकीकृत जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण में भी लाभ पहुंचाने की योजना थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिन में जल के हस्तांतरण की संभावनाओं का पता लगाने के वास्ते विद्यमान अधिशेष जल के बेसिन का आकलन करने का विचार है। इस प्रयोजन के लिए प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के जल संतुलन और व्यावहारिकता अध्ययनों को पूरा करने के वास्ते भारत सरकार ने वर्ष 1982 में एक स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत 30 संपर्कों को अभिज्ञात किया है तथा 6 संपर्कों की व्यावहारिकता रिपोर्टें पूरी कर ली हैं। जल स्थानांतरण संपर्कों का क्रियान्वयन केवल तभी संभव होगा जब तक संबंधित सह-बेसिन राज्य जल संपर्क प्रस्ताव पर सहमत होने के साथ-साथ परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अन्य आवश्यक समुचित सहायता तथा निधियों की उपलब्धता पर सहमत हों।

[अनुवाद]

आगमन पर वीजा योजना

6091. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अप्रैल, 2002 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वीजा-ऑन-अराइवल स्कीम गेट्स डिलेड फर्दर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीमा शुल्क विभाग और गृह मंत्रालय ने इस योजना के त्वरित कार्यान्वयन पर आपत्ति प्रकट की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में अधिक पर्यटक आकर्षित करने हेतु आपत्तियों का निराकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वर्तमान सुरक्षा कारणों की वजह से सरकार ने अभी योजना प्रारंभ न करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर शुल्क मुक्त व्यवसाय

6092. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर अपने शुल्क मुक्त व्यवसाय का नवीकरण कर रहा है और विमानपत्तन पर एक विशेष शराब बिक्री केन्द्र और सौन्दर्य प्रसाधन केन्द्र (कॉस्मेटिक बूटिक) खोलने जा रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) जी, हां। शीघ्र बिकने वाली सामग्रियों की बिक्री तथा लाभप्रदता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा मुख्य दुकान में एक "वाइन कार्नर" खोलने तथा डिपार्चर लाउंज में अलग से परफ्यूम और कॉस्मेटिक बूटिक खोलने का निर्णय लिया गया है। इन बिक्री केन्द्रों के निर्माण तथा सुन्दरीकरण का कार्य प्रगति पर है जहां से मई 2002 के अंत तक बिक्री शुरू हो जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय भाषाओं में कृषि प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम

6093. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर भारतीय भाषाओं में कृषि प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में ही चलाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई.सी.ए.आर. में राजभाषा अधिनियम, 1963 लागू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देशभर में प्रत्येक स्तर पर भारतीय भाषाओं में कृषि प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रम चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मुख्यत: अंग्रेजी है। तथापि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि में स्थित विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम से भी शिक्षा का विकल्प है। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी में लिखने की भी अनुमति दी गई है।

(ख) वर्तमान में कृषि शिक्षा और वैज्ञानिक लेखन का माध्यम मुख्यत: अंग्रेजी में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रखा गया है कि विश्वव्यापी सतर पर अधिकतम साहित्य और संचार के तरीके अंग्रेजी भाषा में स्वीकृत किए जाते हैं। तथापि, वैज्ञानिकगण पुस्तकें, कृषि साहित्य और वैज्ञानिक शोध पत्र आदि हिन्दी में भी लिखते हैं। कृषि संबंधी अनुदेशात्मक सामग्री के अलावा विस्तार साहित्य अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) परिषद में राजभाषा अधिनियम, 1963 लागू है।

(घ) और (ङ) कृषि शिक्षा राज्य का विषय है और इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा निर्णय लिया जाना है। यदि राज्य सरकारें हिन्दी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने का निर्णय करती हैं तो परिषद इस संबंध में यथा संभव सहायता भी प्रदान करेगी।

[अनुवाद]

जल विज्ञान संबंधी अध्ययन के लिए विश्व बैंक की सहायता

6094. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान जल विज्ञान संबंधी अध्ययन के लिए विश्व बैंक या विदेशी एजेंसियों से सहायता मांगते हुए कर्नाटक समेत अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक या विदेशी एजेंसियों से कुल कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल विज्ञान संबंधी अध्ययन के लिए कर्नाटक सहित अन्य राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारत सरकार ने जल संसाधन मूल्यांकन और आयोजना तथा प्रबंधन के लिए संस्थागत एवं संगठनात्मक व्यवस्थाओं, तकनीकी क्षमताओं और मापन के लिए उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं में सुधार करने, वैधीकरण, संग्रहण, विश्लेषण, स्थानान्तरण एवं प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विश्व बैंक (आई डी ए) की सहायता से सितंबर, 1995 में जल विज्ञान परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना की कुल संशोधित अनुमानित लागत 616,22 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त इंडो डच के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत नीदरलैंड सरकार परामर्शी सेवाएं एवं विदेशी प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सहायता के रूप में 29.9 मिलियन डच गिल्डर (17.4 मिलियन अमरीकी डालर) की सहायता अनुदान मुहैया करा

रही है। इस परियोजना को 31 मार्च, 2003 को बंद कर दिया जाएगा। इस परियोजना का क्रियान्वयन पांच केन्द्रीय अभिकरणों अर्थात् केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र और भारत मौसम विज्ञान विभाग और नौ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं तमिलनाडु द्वारा किया जा रहा है।

मछुआरों के बीच भुखमरी

6095. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री आर.एस. पाटिल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर दक्षिण पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में मछुआरों के बीच भयंकर भुखमरी की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का मछुआरों को कोई राहत सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। देश में विशेषकर दक्षिण पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में मछुआरों में भयंकर भुखमरी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अंतर्देशीय और तटवर्ती दोनों प्रकार के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने तथा मछुआरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति मे सुधार करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अनेक राज्य/केंन्द्र प्रयोजित योजनाएं क्रियान्वयन के अधीन थी जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:—

1. परंपरागत नौकाओं के मोटरीकरण के लिए राजसहायता;
2. 20 मीटर से कम लंबाई वाले यांत्रीकृत मत्स्यन जलयानों को आपूर्तित एच.एस.डी. आयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर राजसहायता;
3. खारा जल और ताजा जल जलकृषि के लिए राजसहायता; और
4. सामूहिक दुर्घटना बीमा, आवास योजना आदि सहित मछुआरों के लिए कल्याण योजनाएं।

योजना आयोग, वित्त मंत्रालय आदि के परामर्श से दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वियन के लिए उपरोक्त योजनाएं या तो सहायता की संशोधित पद्धति के साथ जारी रखी जाएंगी अथवा अन्य उपयुक्त योजनाओं को उनके स्थान पर रखा जाएगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुरी के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5600/2002)

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5601/2002]

(3) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5602/2002]

[अनुवाद]

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : महोदय, मैं श्री मुनिलाल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वित्तीय प्राक्कलनों और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5603/2002]

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदय, मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) सा.का.नि. संख्या 640(अ) जो 4 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के माध्यम से क्षेत्रीय अन्वेषण तथा अन्य पूर्वेक्षण प्रचालनों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्र के आरक्षण के बारे में हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 5604/2002]

(2) सा.का.नि. संख्या 220(अ) जो 22 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के माध्यम से क्षेत्रीय अन्वेषण तथा अन्य पूर्वेक्षण प्रचालन शुरू किए जाने के लिए आरक्षण के बारे में हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 5605/2002]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिन्शा पटेल–उपस्थित नहीं हैं। श्री सी. पी. राधाकृष्णन–उपस्थित नहीं हैं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

राष्ट्रीय पर्यटन नीति

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि करने तथा अन्य क्षेत्रों के साथ भी आर्थिक एकीकरण में तेजी लाने की दृष्टि से नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति को अंतिम रूप दिया है। ये उपाय इस प्रकार हैं:–

पर्यटन को आर्थिक विकास के एक मुख्य तंत्र के रूप में प्रतिष्ठित करना, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास तथा ग्राम्य पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पर्यटन के प्रत्यक्ष तथा बहुआयामी प्रभाव का उपयोग करना।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5606/2002

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, राष्ट्रीय पर्यटन नीति मात्र वक्तव्य बनकर ही नहीं रह जानी चाहिए अपितु सभा में इस पर वाद-विवाद किए जाने की आवश्यकता है। उन्हें वक्तव्य देने दीजिए। लेकिन आप बाद में इस विषय पर वाद-विवाद करने के लिए समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि वक्तव्य बहुत लंबा है, माननीय मंत्री इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जगमोहन : महोदय, मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति-2002

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि तथा अन्य क्षेत्रों के साथ आर्थिक एकीकरण में तेजी लाने की दृष्टि से नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति को अंतिम रूप दिया है। इसमें निम्नलिखित कार्य करने का प्रयास किया गया है:—

– पर्यटन को आर्थिक विकास के एक मुख्य तंत्र के रूप में प्रतिष्ठित करना;

– रोजगार सृजन, आर्थिक विकास तथा ग्राम्य पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पर्यटन के प्रत्यक्ष तथा बहुआयामी प्रभाव का उपयोग करना है;

– पर्यटन विकास के प्रमुख संचालक के रूप में घरेलू पर्यटन पर ध्यान दिया जाना;

– विश्व के फलते-फूलते व्यवसाय तथा भारत की अपार पर्यटन संभावना का लाभ उठाने के लिए भारत को विश्व मार्का के रूप में प्रतिष्ठित करना;

– निजी क्षेत्र की सरकार के साथ मिलकर कार्य करने के लिए उत्प्रेरक महत्वपूर्ण भूमिका पर बल;

– भारत की निराली सभ्यता, विरासत तथा संस्कृति पर आधारित एकीकृत पर्यटन परिपथ का राज्यों, निजी क्षेत्र तथा अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सृजन तथा विकास; और

– यह सुनिश्चित करना कि भारत में आने वाले पर्यटक शारीरिक और मानसिक, सांस्कृति तथा आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हों तथा "भारत को भलीभांति समझ-परख सकें"।

पिछली नीति वर्ष 1982 में तैयार की गई थी, समय के साथ उसकी संगतता नहीं रही। सिद्धांत जिन पर नई नीति आधारित है और उसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(1) इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि गत चार दशाब्दियों या लगभग इतनी अवधि में विश्व में पर्यटन क्रांति छा गई है। 1964 में विश्व में पर्यटकों की कुल संख्या 100 मिलियन थी। 1974 में यह संख्या बढ़कर 200 मिलियन, 1992 में 500 मिलियन और 2001 में 700 मिलियन तक बढ़ गई। 2020 तक इसकी संख्या 1.5 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है तथा इससे 2000 बिलियन डालर की प्राप्तियां होने का अनुमान है।

यदि भारत को इस क्रांति में सार्थक रूप से भाग लेना है तो इसे अपनी रणनीति तथा कार्यान्वियन के अपने तंत्र और तकनीक को बदलना होगा। इस संबंध में इस बात को गंभीरता से लेना होगा कि लगभग गत दशाब्दी की अवधि के दौरान विश्व पर्यटन यातायात में भारत का भाग 0.38% पर स्थिर रहा है।

(2) संस्थागत स्तर पर सरकार के नेतृत्व में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित तथा सामुदायिक-कल्याणोन्मुख रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। पर्यटन व्यवसाय और उद्योग को नियमित करने, पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा तथा मूल अवसंरचना एवं सवास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक विधायी रूपरेखा प्रदान करनी होगी। निजी क्षेत्र को कार्यकलापों के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करना होगा तथा संरक्षण सहित विकास की प्रक्रिया को गति देनी होगी। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को ही स्थिरता, स्थानीय समुदाय तथा पड़ौसी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक बढ़ोतरी की रक्षा करनी होगी।

(3) पर्यटन के गहरे संबंधों और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और इसे कायम रखा जाए। संरक्षित स्मारकों के सुधार और पर्यावरण के स्तर को बढ़ाया जाए तथा इसके आस-पास के क्षेत्र के पर्यटन उद्योग की धुरी के रूप में माना जाए।

(4) नागर विमानन, पर्यावरण, वन, रेलवे, गृह आदि जैसे विभागों के साथ प्रभावी संबंध तथा घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

(5) निरन्तरता नई नीति के लिए एक मार्गदर्शी सितारे के रूप में कार्य करेगी। विकासात्मक और प्रबंधात्मक रणनीतियों

को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि कुल मिलाकर पर्यटन एक प्रदूषणरहित उद्योग के रूप में कार्य कर सके और इसकी पारिस्थितिकी को यथा सम्भव बचा सके। पर्यटन उद्योग में सीधे संलग्न या अन्यथा संलग्न किसी भी व्यक्ति को क्षणिक लाभ, जिसे पर्यटन का खराब पक्ष कहा जाता है, की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न तो प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन की अनुमति देनी चाहिए और न ही पर्यटन स्थलों की क्षमता को नजरअंदाज करना चाहिए।

(6) इको-पर्यटन पर अधिक बल देना चाहिए जिसका मानदंड प्राकृतिक पयर्यटन से बड़ा होना चाहिए। इसे गरीबी दूर करने, बेरोजगारी मिटाने, नए कौशल का सृजन, महिलाओं का स्तर बढ़ाने, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करने, जनजाति तथा स्थानीय कला को प्रोत्साहित करने और समग्र वातावरण में सुधार करने तथा अधिक सुस्पष्ट और न्यायोचित सामाजिक भाग को बढ़ाने में सहयोग देने में सहायता करनी चाहिए।

(7) ग्रामीण पर्यटन और लघु पर्यटन पर विशेष बल देना चाहिए जहां हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा बड़ी मात्रा में उपलब्ध है।

(8) घरेलू पर्यटन विशेषत: तीर्थ से जुड़े पर्यटन पर पर्याप्त महत्व देना चाहिए और इसकी अवसंरचना इस प्रकार तैयार करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मूल आधार के रूप में काम कर सके।

(9) पर्वतों, गुफाओं और वनों में साहसिक और दूरस्थ गंतव्यों को वरीयता देने वाले युवा पर्यटकों की एक नई श्रेणी उभर रही है। यह श्रेणी 5-सितारा आवास की इच्छुक नहीं है अपितु ठहरने के लिए साधारण और साफ-सुथरा स्थान चाहती है। इस श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए तथा पंचायतों और स्थानीय निकायों एवं संघों के जरिए अतिथि पर्यटकों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(10) योग, सिद्ध आदि सहित भारतीय भोजन के लिए पर्यटकों के विशेष आकर्षण का उपयोग करना चाहिए तथा प्रभावी तौर पर प्रोत्साहित करना चाहिए।

(11) पर्यटन उद्योग और यात्रा एजेंटों को आचार संहिता तैयार करनी चाहिए और स्वैच्छिक तौर पर इसका पालन करना चाहिए तथा टूर और यात्रा संघों को इसे तोड़ने वालों से कड़ाई से निबटना चाहिए।

(12) राज्य पुलिस के एक अनुभाग को पर्यटन पुलिस के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और इसे विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए।

(13) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अहम भूमिका निभानी चाहिए और विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन तथा यात्रा परिषद् एवं भू-परिषद् में अपनी उपस्थिति का आभास कराना चाहिए। अपने सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक विरासत को गौरव से दर्शाना चाहिए तथा जब कभी हमें उपयुक्त अवसर मिले एक महान राष्ट्र के रूप में अपने को उपयुक्त तौर पर ऊंचा उठाना चाहिए।

(14) सभ्यता तथा नागरिक प्रशासन से संबंधित पहलुओं तथा सुप्रशासन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे पर्यटन नीति का एक प्रभावी अंग बनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अच्छी नीतियां बेमन से किए गए क्रियान्वयन से निरर्थक न हो जाएं।

इस विषय पर नई विचारणा प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 30 अक्तूबर, 2001 को पर्यटन पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन भाषण के समय व्यक्त की गई। अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने कहा :

''विश्व के अधिकांश भाग में पर्यटन आर्थिक विकास का प्रमुख साधन है। कुछ देशों से पर्यटन संभावनाओं का पूर्ण उपयोग कर अपनी अर्थव्यवस्था को ही बदल डाला है। पर्यटन में विभिन्न तरह के व्यापक रोजगार सृजित करने की अपार क्षमता है और हम सब यह जानते हैं कि भारत की इस समय की जरूरत रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की है।''

मामले की पृष्ठभूमि तथा नीति के प्रावधान नीति दस्तावेज में अंतर्विष्ट हैं, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, यदि वक्तव्य सभा पटल पर रखा जाता है तो उसकी प्रतियां सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य को सभा पटल पर रखा जा चुका है। इसकी प्रतियां आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नीति पर चर्चा करने हेतु समय निर्धारित किया जाए...*(व्यवधान)* नियम 193 के अधीन इस विषय पर चर्चा कराई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर नियम 193 के अधीन बाद में चर्चा कर सकते हैं।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 3 मई, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 3 मई, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. ए.के. प्रेमाजम, आपने विशेषाधिकार संबंधी सूचना दी है। मुझे वह सूचना प्राप्त हो चुकी है। आपकी विशेषाधिकार संबंधी सूचना तथा मामला मेरे विचाराधीन है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, यह श्री जार्ज फर्नान्डीज के विरुद्ध है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, हम सभा की महिला सदस्या द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार के मामले के बारे में जानना चाहते हैं। प्रो. प्रेमाजम ने किस बारे में विशेषाधिकार का मामला उठाया है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात विधान सभा के अंदर जो स्टेटमेंट...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी विशेषाधिकार संबंधी सूचना प्राप्त हो गई है। यह मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : ग्वालियर में प्रधानमंत्री जी ने उसको नकारा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : नियम 184 के अधीन गुजरात संबंधी चर्चा में भाग लेते हुए, माननीय मंत्री जो भारत सरकार के प्रवक्ता हैं, ने सभा का दुरुपयोग किया है तथा राष्ट्र को गलत संदेश भेजा है... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं। कृपया मामला न उठाएं। कृपया ऐसा न करें। सभा में नया उदाहरण प्रस्तुत न करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, सभा में ऐसा बताया गया है और इसे सभा के कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है। उनके द्वारा दिया गया भाषण सभा के कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित है। सब कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित है। वे इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं। यह एक गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे विशेषाधिकार संबंधी सूचना मिली है। यह मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली, सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लास्ट मनडे से रोज नोटिस दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां तक कि श्री आडवाणी ने भी आपत्ति की है। यह सभा की सम्पत्ति है। वे इस बारे में क्या कहेंगे? क्या वे सभा में कहीं गई बात से इंकार करेंगे?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. प्रेमाजम, आप नए सदस्य नहीं हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपने विशेषाधिकार संबंधी सूचना दी है और मैं उस पर विचार कर रहा हूं। आप उस पर वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। श्री मदन लाल खुराना।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : धन्यवाद। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बुला लिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, प्रो. प्रेमाजम और श्रीमती श्यामा सिंह ने विशेषाधिकार संबंधी सूचनाएं दी हैं। आप उनकी पुष्टि कर

सकते हैं। माननीय रक्षा मंत्री द्वारा कही गई बात को सभा की कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है। लेकिन उन्हें यह स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए कि उन्होंने सूचना क्यों दी है और तत्पश्चात् आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। महोदय, समाचारपत्र से उद्धृत नहीं किया गया है। यह सभा के कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, यदि यह बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित है तो मुझे कार्यवाही-वृत्तांत देख लेने दीजिए। इससे पहले मैं उन्हें किस तरह अनुमति दे सकता हूं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, कोई चर्चा न करें।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, अंततः आपको ही इस बारे में निर्णय लेना है। लेकिन हमारा आपसे केवल यह अनुरोध है कि अंततः अपना निर्णय देने से पहले आपको उस सदस्य को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए जिसने इस विशेषाधिकार के मामले को उठाया है। तत्पश्चात्, उनके द्वारा कही गई बात के गुण-दोष तथा सभा के कार्यवाही-वृत्तांत के आधार पर आप निर्णय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक विस्तृत पत्र दिया है। मैं उस पत्र को पढ़ूंगा और कार्यवाही-वृत्तांत को भी देखूंगा। इसके बाद मैं निष्कर्ष निकालूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप जो कह रहे हैं, उसे मैं पहले ही नामंजूर कर चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, मैं दिल्ली में सी.एन.जी. की आड़ में बसों के किराए बढ़ाने के मुद्दे को यहां रखना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : उन्होंने सभा में वक्तव्य दिया था। किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, जब आप विधानसभा में अध्यक्ष थे, तो क्या तब ऐसा कोई अवसर आया था जब सदस्यों ने आपकी अनुमति के बिना बोला हो?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्ण, मैं अपनी बात कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह : (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, मंत्री महोदय को सभा में दिए गए वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, मंत्री महोदय के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. प्रेमाजम, मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। कृपया जिद मत कीजिए। कृपया आज 'शून्य काल' को बर्बाद मत कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, वक्तव्य देने हेतु मुझे आपकी अनुमति चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, मैं दिल्ली में सी.एन.जी. की आड़ में बसों के किराए बढ़ाने के मुद्दे को आपके आदेश से यहां रख रहा हूं। दिल्ली के लोग पहले से ही बस संकट से पीड़ित हैं...*(व्यवधान)*

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग, खुराना जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। इन्हें आपके संरक्षण की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : क्या गुनाह कर दिया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मि. झा आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष जी, ये सी.एन.जी. का मामला उठाएंगे तो उस पर हमें भी बोलने की इजाजत दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्रीमती श्यामा सिंह : वे असत्य बात बोलकर चले गए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही बता चुका हूं कि विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में क्या करना है।

अपराह्न 12.15 बजे

[हिन्दी]

दिल्ली में सी.एन.जी. की कम आपूर्ति और सार्वजनिक परिवहन के किराए में वृद्धि की संभावना के बारे में

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली, सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि दिल्ली में सी.एन.जी. की आड़ में बसों के किराए बढ़ाने के मुद्दे को आपके आदेश से दिल्लीवासियों के दुखदर्द को इस सदन के माध्यम से सदन के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। पहले ही राजधानी दिल्ली की जनता बसों के संकट से जूझ रही है और आज 6 तारीख से एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। आज 6 मई से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीजल से चलने वाली बसों का जुर्माना, जो पहले 500 रुपए प्रतिदिन था, अब एक हजार रुपए प्रतिदिन हो गया है। इस जुर्माने की राशि बस यात्रियों से वसूल की जा रही हैं। अभी दिल्ली सरकार ने किरायों में बढ़ातेरी 5-10-15 रुपए एनाउंस भी नहीं की है, लेकिन बस वालों ने मिनिमम 5 रुपए किराया अपने आप बढ़ा दिया है। डी.टी.सी. का वार्षिक घाटा जो पहले लगभग 96 करोड़ रुपए था, उसको कम करने के लिए सी.एन.जी. के नाम पर और किलोमीटर सिस्टम को खत्म करके सारी बसें एसटीए को दे दी हैं। इसका परिणाम यह है कि मासिक पास...*(व्यवधान)* किलोमीटर सिस्टम की बसेज को एसटीए बसेज में कन्वर्ट किया गया है। मासिक पासेस पर पहले 8 करोड़ रुपए प्रतिमाह आता था, वह अब दो करोड़ रुपया रह गया है। पासेज पहले किलोमीटर सिस्टम में यूज होते थे।

पहली बात यह है कि सी.एन.जी. से संबंधित आर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुलाई, 1998 में हुआ था और दिल्ली की सरकार नवम्बर, 1998 में आई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को साढ़े तीन साल हो गए, उसके बावजूद भी डीजल और पैट्रोल के स्कूटर और बसें रजिस्टर किए जाते रहे। पिदले दिनों आपने देखा होगा, हैदराबाद की सरकार ने बिना कोर्ट के आर्डर के, लेकिन पोल्युशन दूर करने के लिए स्कूटर, टैक्सी, जो पैट्रोल या डीजल से चलती हैं, उनको रजिस्टर नहीं किया। साढ़े तीन साल तक दिल्ली के अन्दर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद डीजल की बसें रजिस्टर की जाती रहीं। एक-दो साल पहले जिस व्यक्ति ने बैंक से लोन लेकर बस खरीदी है, अब उससे कहा जा रहा है कि वह सी.एन.जी. लगाए। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से दिल्ली सरकार की है। अगर सी.एन.जी. में गाड़ियां रजिस्टर की जातीं और केन्द्रीय सरकार को इन्फार्म करते कि सी.एन.जी. की बसें आ रही हैं और इतना सी.एन.जी. चाहिए, तो उसका प्रबंध किया जाता।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : कौन प्रबंध करता?

श्री मदन लाल खुराना : केन्द्र सरकार करती।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आडवाणी जी, खुराना जी को मंत्री पद नहीं दे रहे हैं, इसलिए यह सब बातें कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : इसमें भारत सरकार का क्या रोल रहा है? सी.एन.जी. किसने प्रोवाइड करनी थी? स्कूटर और बसें तीन-तीन दिन तक खड़े रहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आना एक दृष्टि से ठीक हो सकता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जमीनी हकीकत के साथ सुप्रीम कोर्ट का आदेश मेल नहीं खाता। इस सदन की एक कमेटी ने भी कहा है कि सी.एन.जी. की मोनोपली नहीं होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल में इस तरह से आब्जैक्ट करेंगे, तो मैं सदन एडर्जन कर दूंगा। इनकी बात खत्म होने पर आपको भी मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यहां यही आपत्ति है, बीच में इंटरप्ट करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना के भाषण को छोड़कर और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, मैंने आज आपको सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का चांस भी दिया है।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, प्रत्येक दिल्लीवासी चाहता है कि प्रदूषण की समस्या को हल किया जाए, लेकिन हमारी यह भी मान्यता है, ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) **:** महोदय, यह कितनी देर बोलेंगे। आपने जितना समय इन्हें दिया है, उतना समय हमें भी देंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इनसे ज्यादा समय मिलेगा, अगर आप आराम से बैठेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आज आपको मैंने सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का चांस भी दिया है, आप थोड़ा आराम से बैठने की कृपा करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, प्रत्येक भारतवासी चाहता है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हल हो, लेकिन यह मान्यता है कि केवल सी.एन.जी. की मनोपली नहीं होनी चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। दुनिया में किसी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है, मेरे पास आंकड़े हैं कि आज न्यूयार्क के अंदर 95 प्रतिशत बसें अल्ट्रा लो सल्फर डीजल से चलती हैं, उनके अंदर सी.एन.जी. नहीं है। वहां केवल 4.9 प्रतिशत बसें ही सी.एन.जी. से चलती हैं। पेरिस के महानगर में केवल दो प्रतिशत बसें सी.एन.जी. से चलती हैं और भारत सरकार ने विशेषज्ञों की जो मालेश्वर कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है कि दिल्ली में फ्यूल, जो अल्ट्रा लो सल्फर डीजल बेहतर है, वैज्ञानिकों ने इस बारे में कह दिया।...*(व्यवधान)* मान लीजिए अगर मनोपली हो जाती, ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं, यह बताएं।

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, मैं भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस हाउस की कमेटी ने भी कहा है कि मनोपली न हो और हम भी कह रहे हैं कि ये कानून लाएं। मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना है कि सी.एन.जी. की मनोपली न हो, अल्ट्रा लो सल्फर डीजन का इस्तेमाल भी हो।...*(व्यवधान)* यह अल्टरनेटिव हो, इसके लिए कानून लाएं।

दूसरी बात यह है कि किराए सी.एन.जी. के कारण न बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें जो 1000 रुपया रोज फाइन देना पड़ रहा है, इसके बारे में दिल्ली गवर्नमेंट क्षतिपूर्ति करे, दिल्ली गवर्नमेंट के कारण ही ये सब हो रहा है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) **:** मैं भी खुराना जी की बात का सपोर्ट करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) **:** महोदय, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका इसमें नाम है।

श्री लाल बिहारी तिवारी : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपका नोटिस है तो हम आपको बोलने का समय देंगे।

डा. साहिब सिंह वर्मा (बाहरी दिल्ली) **:** महोदय, नौ लोगों ने ज्वाइंट हस्ताक्षर किए हैं।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि डीजल से जो बसें चलती थीं, जितना खर्चा उस वक्त आता था और अब जो खर्चा आ रहा है, ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मेरा भी इसी से संबंधित मामला है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो नोटिसेस आए हैं, उनमें आपका नाम नहीं है, फिर भी मैं आपको समय दे दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मालूम है, आपने लैटर लिखा होगा। यहां जो नोटिसेस हैं उसके मुताबिक आपका नाम नहीं है, फिर भी मैं आपको बुलाऊंगा। अभी मैंने चतुर्वेदी जी को बुला लिया है।

डा. साहिब सिंह वर्मा : महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साहिब सिंह, मैंने आपसे बोला है कि मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। मैंने श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी को बोलने का मौका पहले ही दे दिया है। मैं आप दोनों को एक साथ बोलने का मौका कैसे दे सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह सरकार जनविरोधी है और इन लोगों का कोई मोरल वैल्यू नहीं है। हम लोगों को कह रहे हैं कि हम सी.एन.जी. का मामला दोहन करने वाले हैं।...*(व्यवधान)*

डा. साहिब सिंह वर्मा : उपाध्यक्ष जी, हमने भी नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहां कहा कि आपने नोटिस नहीं दिया है।

[अनुवाद]

आप मेरी बात भी पूरी तरह से नहीं सुन रहे हैं। क्या आप यह नहीं चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा : क्या इन्होंने नोटिस दिया है? ये बिना नोटिस के बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरे निर्णय को चुनौती दे रहे हैं? यदि आप चुनौती दे रहे हैं, तो हमें यह बताइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि आपको भी बुलाऊंगा। जैसे आपने नोटिस नहीं दिया है उसी तरह से इन्होंने भी नोटिस नहीं दिया है, उसमें क्या हर्ज है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अध्यक्षपीठ पर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं इसके लिए मौका नहीं दूंगा। अध्यक्षपीठ के साथ व्यवहार करने का यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साहिब सिंह, आपको बोलने का मौका मिलेगा। उनके बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा और उस समय आप जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के नागरिकों को पिछले दिनों आवागमन सुविधा की दृष्टि से जो यहां की यातायात व्यवस्था थी उसके कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से चिंतित होंगे। यहां पर एक आरोप लगाया गया कि सारी अव्यवस्था के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। महोदय, मैं इस बात की पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं और तथ्यात्मक बात करना चाहता हूं। अगर स्मरण किया जाए कि दिल्ली में जब जनता पार्टी की सरकार थी तब उसके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया था कि धीरे-धीरे यहां से डीजल बसों को फेज-आउट करके सी.एन.जी. की बसों को लाया जाएगा और डीजल की बसों को हटाया जाएगा जिससे कि दिल्ली के पर्यावरण को सुधारा जा सके। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सवाल है मैं उसके गुण-दोषों पर कोई बात यहां करना नहीं चाहता हूं। उससे किसी को सहमति और किसी को असहमति हो सकती है।

लेकिन जब एक बार अदालत का आदेश आया तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने दो वर्ष तक जब एक भी कदम नहीं उठाया ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, 1998 में फैसला हुआ था, इनको शायद पता नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उस व्यवस्था को सुधारने का कोई प्रयास उनकी तरफ से नहीं हुआ और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी प्रकट की। उसी बीच चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई। उसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए जिसकी चर्चा आज यहां की गई। यहां की प्रदेश सरकार ने, उसके मुख्यमंत्री ने, उसके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस बारे में अपने वक्तव्य दिए और सारी दिल्ली को बताया कि सी.एन.जी. की जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में सी.एन.जी. सप्लाई हो सके, वह आधारभूत संरचना बनाई नहीं गई। यह आधारभूत संरचना केन्द्र सरकार को बनानी थी। पूरा सप्लाई सिस्टम, पाइप-लाइन, मदर-स्टेशन्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट्स। पूरी दिल्ली में जितनी व्यवस्था बनाने की जरूरत थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। केन्द्र सरकार भी उसमें एक पार्टी थी। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वचन दिया कि हम शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था बनाएंगे और पर्याप्त सी.एन.जी. यहां उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन हम और आप रोज देख रहे हैं कि सी.एन.जी. स्टेशनों पर 500-500, 1000 1000 गाड़ियों का काफिला रात-रात भर सी.एन.जी. भरवाने के लिए खड़ा रहता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से बार-बार तारीख एक्सटेंड की लेकिन केन्द्र सरकार ने कोई व्यवस्था सी.एन.जी. की दिल्ली के अंदर नहीं की। अभी जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें केन्द्र सरकार को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है और इनको जिम्मेदार ठहराया है। इनको सी.एन.जी. की पर्याप्त व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन और आधारभूत संरचना करनी थी, जो इन्होंने नहीं की है। जब केन्द्र सरकार सी.एन.जी. की व्यवस्था नहीं करेगी, आप बताइए किस आधार पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? हर चीज के लिए राज्य सरकार पर बात डाली जा रही है।

उपाध्यक्ष जी, जनता ने इनके तर्क को खारिज कर दिया है। पिछले म्युनिसिपल चुनाव में इसकी व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाया गया था लेकिन चुनाव के बाद इनका सूपड़ा साफ हो गया जो इस बात को साबित करता है कि दिल्ली वालों ने इनके तर्क को नकार दिया, धिक्कार दिया। इसलिए सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता और गलत तथ्य देकर राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप भारत सरकार मे क्या चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उनकी समय सीमा के भीतर पूर्ति की जाए। इसके अलावा बुनियादी आधारभूत संरचना डिस्ट्रीब्यूशन पर्याप्त मात्रा में बनाना चाहिए। जब तक वह नहीं बनती है, तब तक इंटरवीन करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति एक्सप्लेन करें। उसके बाद दिल्ली सरकार से संपर्क कर उनकी जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, उन्हें ध्यान में रखें, यह सुनिश्चित करें। उसके बाद दिल्ली सरकार से मिलकर यह उपाय ढूंढें जिससे दिल्ली के नागरिकों को राहत मिले। जब तक पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती, एक इंटैरिम व्यवस्था करना, यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है।

डा. साहिब सिंह वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, श्री चतुर्वेदी जी ने सी.एन.जी. के बारे में जो बातें कही हैं, मैं यही कहूंगा कि दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे हैं। जो वास्तविकता है, वह मैं कहूंगा। इन्होंने कहा कि दो साल हो गए थे जब सी.एन.जी. के बारे में जुलाई में कोर्ट का आर्डर हुआ, उसके बाद उस पर कार्यवाही शुरू की। लेकिन तीन-चार महीने के बाद दिल्ली में सरकार बदल गई। क्या तीन-चार साल तक दिल्ली की सरकार सोती रही? ढाई साल हो गए, कोई मंत्री केन्द्र सरकार के किसी मंत्री से नहीं मिला और न बताया कि कितनी सी.एन.जी. चाहिए। जितने भी पाइंट्स बताए गए, सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने लिखकर दिया कि उसने इतने स्टेशन बनाकर दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन, पाइप लाइन डालने में अड़चनें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर यहां दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनकी जानकारी में सारी बातें हैं, कितने साल से इनके मंत्री या मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार के मंत्री से मिले हैं? इन्होंने कितनी बार केन्द्रीय मंत्री से कहा कि इसकी व्यवस्था करनी चाहिए...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : कई बार कहा है...

डा. साहिब सिंह वर्मा : उपाध्यक्ष जी, हम इनके बीच में नहीं बोले लेकिन ये हमें बोलने नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें परेशान मत कीजिए।

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा : उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कहा गया और अभी कहा जा रहा है कि दिल्ली के यात्रियों पर किराये का भार डाला जाएगा और किराया बढ़ाने की बात चल रही है या सी.एन.जी. का भाव बढ़ गया है, इसलिए कितना किराया बढ़ाया जाएगा? मैं कहना चाहता हूं कि जो डीजल से गाड़ियां चल रही थीं, उस पर प्रतिकिलोमीटर कितना खर्चा है, जो सी.एन.जी. से गाड़ियां चलती हैं, उस पर प्रति किलोमीटर कितना खर्चा है, किस हिसाब से रेट बढ़ाया जाएगा? जो बसें डीजल से चल रही हैं, जब सी.एन.जी. से चलेंगी, उस वक्त कंजम्पशन प्रति किलोमीटर क्या होगा। जब प्रति किलोमीटर घटा है तो किराया कैसे बढ़ाएंगे? यह आधार कैसे बनेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सी.एन.जी. को आधार मानकर सी.एन.जी. का रेट बढ़ गया, इसलिए किराया बढ़ेगा, यह कहना सर्वथा अनुचित है। दिल्ली के लोगों को धोखा देने की बात है। यह कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली सरकार को इस तरह से बसों के किराये बढ़ाए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि दिल्ली की गरीब आम जनता बसों में सफर करती है, इसलिए उन पर भार नहीं डालना चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) **:** उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल श्री खुराना जी ने उठाया था। संबंधित मंत्री बैठे हुए हैं, वे जवाब दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री लाल बिहारी तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में देश के कोने-कोने से लाखों लोग आते हैं। इसके अलावा दिल्ली में झुग्गी-झोंपडी में रहने वाले गरीब लोग तथा दिल्ली का आम आदमी बसों में सफर करता है। दिल्ली की सरकार सी.एन.जी. के बहाने जनता विरोधी नीति के कारण किराये बढ़ा रही है। बढ़ने वाले किराये के स्लैब को हमने विस्तार से देखा है। वह 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये है। अगर इस हिसाब से किराये बढ़ जाते हैं तो दिल्ली के गरीब यात्री इसमें पिस जाएंगे और यह उनके साथ अन्याय होगा। यह ठीक है कि दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार को आपस में मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए, लेकिन इतने अधिक किराये बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली में इतने अधिक यात्री किराये बढ़ाना गरीब लोगों पर बहुत बड़ा अन्याय है, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

डा. (श्रीमती) अनिता आर्य (करोल बाग) **:** उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सी.एन.जी. की आड़ में दिल्ली सरकार गैरकानूनी तरीके से जो यात्री किराये बढ़ा रही है, यह दिलली की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार है और इस अत्याचार का हम विरोध करते हैं। इसके साथ ही हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली में सी.एन.जी. के अलावा अल्ट्रा लो सल्फर डीजल की बसें चलाने की परमीशन देने के लिए एक बिल संसद में लाया जाए, जिससे कि दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यात्री किराये बढ़ाना बहुत ही गलत बात है। दिल्ली सरकार डी.टी.सी. का घाटा पूरा करने के लिए जनता पर बोझ डाल रही है। मेरा कहना यह है कि यदि डी.टी.सी. को ठीक किया जाए तो उसमें कोई घाटा नहीं है। यदि दिल्ली सरकार घाटा नहीं रोक सकती तो अपने पास से सब्सिडी दे। परंतु दिल्ली के करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) **:** महोदय, मैं इस मुद्दे को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देख रहा हूं। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि दिल्ली शहर प्रदूषित होता जा रहा है और उन्हें इस प्रदूषण को कम करने को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाने हैं और सी.एन.जी. इसका समाधान प्रतीत होता है। यदि कार्यपालिका द्वारा इस मामले में समय पर कार्यवाही की जाती तो संभवत: न्यायपालिका के लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि शहर को बचाने के लिए कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इससे यह पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार और अन्य स्तर पर कार्यपालिका एक साथ मिलकर विचार-विमर्श करके और योजना बनाकर शहर में प्रदूषण को कम करने हेतु कुछ कर सकती थी। यह एक दृष्टिकोण है।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि इसमें दो मुद्दे शामिल हैं। एक मुद्दा बसों के किराए और दूसरा मुद्दा सी.एन.जी. की उपलब्धता से संबंधित है। अब किराया बढ़ाया जाए अथवा नहीं, यह मुद्दा है जिस पर राज्य विधानमंडल में ही स्वतंत्र रूप से चर्चा की जानी है। यदि इस पर राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जाती है और यदि इस पर केन्द्रीय विधानमंडल में चर्चा की जाती है तो ऐसा प्रतीत होगा कि हम उनके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्हें चर्चा करने दीजिए। यहां सत्तारूढ़ दल के सदस्य वहां भी बैठे हुए हैं। वे इस मुद्दे को वहां उठा सकते हैं।

वह प्रश्न, जिस पर इस सभा में भली भांति चर्चा की जा सकती है, वह है सी.एन.जी. की उपलब्धता। भारत सरकार को सी.एन.जी. उपलब्ध करानी होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत सरकार थोड़ी समय-सीमा में ही सी.एन.जी. उपलब्ध करा सकती है, जो कि

किसी अन्य एजेंसी द्वारा निर्धारित की गई हो। उसे भी समय लगेगा। इस संबंध में संदर्शी योजना का अभाव है। हम इस तथ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण शहर प्रदूषित हो रहे हैं। इस प्रदूषण को कम करने और लोगों को बचाने के लिए व्यापक योजना होनी चाहिए। क्या कोई योजना है? किसे योजना तैयार करनी होगी? हम केवल दिल्ली में योजना तैयार नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें अन्य शहरों के लिए भी योजना तैयार करनी होगी। हमें पूरे देश के लिए भी एक योजना तैयार करनी होगी। यदि भारत सरकार योजना तैयार नहीं करेगी तो कौन करेगा? यदि पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और यदि भारत सरकार इस पर ध्यान दे रही है, तो इसके लिए योजना क्यों नहीं बनेगी? हम यह नहीं कहेंगे कि पेट्रोलियम मंत्री बहुत थोड़े समय में सी.एन.जी. उपलब्ध नहीं करा पाए आदि। परन्तु मुझे इस तथ्य में कमी दिखाई दे रही है कि इसकी कोई संदर्शी योजना नहीं है, इस तथ्य को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है कि यदि सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ेगी, तो इनसे प्रदूषण होगा और इसके लिए एक योजना तैयार करनी होगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा : उपाध्यक्ष जी, यह क्या कह रहे हैं, अगर यह स्टेट सब्जैक्ट है तो दिल्ली सरकार को इसे स्वयं करना चाहिए और कोई प्लानिंग बनाना चाहिए। इस तरह से तो यह स्टेट सब्जैक्ट की वकालत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस पर वहां डिस्कशन होना चाहिए, यहां डिस्कशन नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

पर्यावरण भी राज्य का विषय है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप कह रहे थे कि एनवायर्नमेंट भी स्टेट सबजैक्ट है। साढ़े तीन साल से वह सरकार में हैं, उन्होंने इस बारे में आज तक क्या किया? वह क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : यदि वे अपनी बात खतम कर चुके हों तो मैं बोलूंगा।

मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। यदि यह राज्य सरकार द्वारा किया जाना है तो इसे राज्य सरकार को ही करने दें। यदि पूरे देश के लिए यह कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है तो इसे केन्द्र सरकार को ही करने दें। मैं यहां बैठे माननीय मंत्री पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं न्यायालय और न ही राज्य सरकार और विधानमंडल पर दोषारोपण कर रहा हूं। परन्तु यदि आप जब तक समुचित रूप से कोई योजना तैयार नहीं करेंगे और समय पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो तब तक इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता।

यदि हम स्वयं, कार्यकारिणी और विधानमंडल के सदस्य, कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो ऐसे आदेशों के लिए हम न्यायपालिका पर दोषारोपण नहीं कर सकते। इस समस्या को समझने, योजना तैयार करने और समय पर कार्यवाही करने के अपने कर्तव्य पालन में असफल रहे हैं। यह वास्तविक समस्या है। पहले हमें इस वास्तविक समस्या को समझना होगा और अब इस समस्या के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए हमें मिल-जुलकर प्रयास करने पड़ेंगे।

हम माननीय मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। निःसंदेह वे योजना मंत्री नहीं हैं परन्तु वे सरकार का एक अंग हैं। वे हमें यह बताने के लिए जिम्मेवार हैं कि वे हमें सी.एन.जी. और अन्य सभी वस्तुएं किस प्रकार से दे पाएंगे। निश्चित रूप से हम उन पर ऐसे कार्यों का बोझ नहीं डालेंगे जिन्हें समय पर पूरा नहीं किया जा सकता परन्तु उन्हें यह बताना चाहिए कि सरकार इस समस्या, जो हमारे सामने खड़ी है, के समाधान के लिए क्या करने जा रही है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) **:** हमारी जनता क्या कहती है वह भी सुनिए। सी.एन.जी. पर हमारे लोग सफर करते हैं, इन लोगों का बस से क्या मतलब? जिसको तकलीफ है उसको सुना जाए। इनके लोग बड़े आदमी हैं, हमारे लोग गरीब आदमी हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए।

महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ कि डीजल को हटा दिया जाए और सी.एन.जी. किया जाए, तो सी.एन.जी. को लागू करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये उसमें विफल रहे और न कोर्ट को समझा सके, न कनविन्स कर सके। इस कारण दो-दो किलोमीटर लंबी लाइनें गाड़ियों की लगती हैं और ड्राइवर हमेशा ऊंघते रहते हैं। सी.एन.जी. के दाम भी अब बढ़ा दिए हैं और रेट बढ़ने की बात है तो उसमें दिल्ली सरकार और भारत सरकार की आपसी राजनैतिक लड़ाई है। सरकार में कुछ मंत्री हो गए बीजेपी के और कुछ नहीं हुए आपसी राजनीति के चलते। जनता को तकलीफ है और इस पर जनता ने चुनावों में अपना गुस्सा दिखा दिया। ऐसा लगता है कि ये लोग आम आदमी को तबाह करके छोड़ेंगे, सी.एन.जी. नहीं देंगे। अगर देंगे तो दाम बढ़ा देंगे। हर हालत में तकलीफ है। यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। सरकार स्पष्ट करे कि गरीब आदमी, मेहनतकश लोग जो बस पर चढ़ते हैं, उनका क्या होगा? मोटर पर चढ़कर—सफारी और बलेरो वगैरह गाड़ी में चढ़कर जो जाते हैं यह उनकी समस्या नहीं

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

है। जो गरीब आदमी बस पर चढ़ता है यह उनकी समस्या है और सरकार उनकी तबाही के लिए यह षड्यंत्र कर रही है। इसलिए सरकार स्पष्ट करे कि बस पर चढ़ने वाले लोगों को कैसे सहूलियत दी जाए?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है अब हम माननीय मंत्री का उत्तर सुनते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : मैं भी खुराना जी की बात को सपोर्ट कर रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। सी.एन.जी. के रेट बढ़ने से बड़ी समस्या पैदा हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक के उत्तर को छोड़कर और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी रिस्पॉन्स करने के लिए खड़े हुए हैं। आप खुराना जी को समर्थन दीजिए मगर ऐसे नहीं बोलिए।

(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने दिल्ली की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और मैं इस विषय पर थोड़ा राजनीति से परे होकर जो स्थिति है, वह बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर इसलिए भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और केवल स्थिति इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल में आर्डर दिए हैं। उनमें यह कहा है कि इसके साथ जो मिली हुई पार्टीज हैं, जिनमें चाहे दिल्ली सरकार है, भारत सरकार है, इन्द्रप्रस्थ गैस लि. है, उन्होंने 9 मई, 2002 तक इसके बारे में क्या किया है, वह अलग-अलग समस्त जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को दें। सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रकार के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए मैं वस्तुस्थिति बता सकता हूं क्योंकि न्यायालय के आदेश के मुताबिक भारत सरकार भी न्यायालय में शपथपत्र दे देगी। इसलिए इस पर कोई टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है।

जैसा माननीय सदस्य शिवराज पाटील जी ने कहा कि इसके लिए पर्सपैक्टिव प्लान होना चाहिए। इस समय यानी आज जो स्थिति है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि 78 सी.एन.जी. के स्टेशन बनाने चाहिए। अब तक 94 सी.एन.जी. के स्टेशन बनाए गए हैं। दूसरी बात यह थी कि सी.एन.जी. के जो स्टेशन्स हैं, उनकी क्षमता बढ़ानी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि कम्प्रैशन के जरिए ज्यादा शक्ति देने हेतु सी.एन.जी. स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने का भी प्रयास चल रहा है।

तीसरी बात जिसमें बहुत कठिनाई आ रही है वह दिल्ली शहर में पाइपलाइन डालने की है। दिल्ली शहर में 23 किलोमीटर पाइप-लाइन डालनी है। इसके लिए अलग-अलग संस्थाओं की ओर से नो ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी था। इन सर्टिफिकेट्स को लेने की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स हुए, उनके अनुसार हमने दो कमेटियों का निर्माण किया है। एक कमेटी दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में बनाई गई है। उसकी एक मीटिंग भी अभी हो चुकी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने में जो कठिनाइयां आती हैं उनमें सबसे ज्यादा कठिनाई की बात यह है कि विभिन्न संस्थाओं से एन.ओ.सी. नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विभिन्न संस्थाओं से एन.ओ.सी. और जो क्लीयरेंस लेनी होती है वह क्लीयरेंस मिल गई है और उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली कमेटी की एक बैठक हो चुकी है। उससे यह जानकारी मुझे मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उनमें एक चीज यह है कि आज जो इन्द्रप्रस्थ गैस लि. कंपनी है, वह कंपनी जाइंट वैंचर की है। कभी-कभी माननीय सदस्यों को लगता है कि वह भारत सरकार की कंपनी है या भारत सरकार की पब्लिक अंडरटेकिंग है। मैं बताना चाहता हूं कि वह भारत सरकार की कंपनी नहीं है और न ही भारत सरकार की पब्लिक अंडरटेकिंग है बल्कि वह एक जाइंट वैंचर है जिसमें भारत पेट्रोलियम, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. और दिल्ली सरकार शामिल हैं। यह अलग बात है कि इसमें दिल्ली सरकार के एक डायरेक्टर भी हैं, लेकिन वे इसकी मीटिंगों

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में कभी-कभी उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें दिल्ली सरकार की भी भागीदारी है। इसलिए यह समझना चाहिए कि यह स्टेट का मिलाजुला मामला है। अतः इन्द्रप्रस्थ गैस लि. का यदि उस प्रकार से विकास करना है, तो उसके लिए और इनवैस्टमेंट की आवश्यकता है जिसके लिए इन्द्रप्रस्थ गैस लि. को 253 करोड़ रुपए और चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्द्रप्रस्थ गैस लि. से जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि लगभग 250 करोड़ रुपए के एडीशनल इनवैस्टमेंट की आवश्यकता है। इसमें कुछ इक्विटी ये दें, दिल्ली सरकार दे, भारत पेट्रोलियम और गेल दे और शेष पैसा फायनेंश्यल इंस्टीट्यूशन्स से लिया जाए। इस बारे में फायनेंश्यल इंस्टीट्यूशन्स पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने यह कहा है कि इस पैसे से कैसे प्रॉफिट कमाया जाएगा, इस बारे में हमें बताया जाए। इन्द्रप्रस्थ गैस लि. ने इसकी वर्किंग पलान बना ली है कि जो धन वित्तीय संस्थाओं से लेंगे उससे कैसे मुनाफा कमाया जाएगा। इसमें 250 करोड़ रुपए ज्यादा इनवैस्टमेंट कराकर यह जो अलग-अलग बातें बताई जैसे कुछ स्टेशन्स की कैपेसिटी बढ़ानी है और कई नए स्टेशन बनाए जाने हैं, वे इस एडीशनल इनवैस्टमेंट से बन सकेंगे।

जहां तक जमीन उपलब्ध कराने का सवाल है, जहां पैट्रोल पम्प अभी उपलब्ध हैं, वहां जो काम करने हैं जो विकास करना है, वह हम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह काम हम आगे चलकर भी करेंगे।

अब बात आ जाती है कि जो मुद्दा यहां से उठाया गया कि उसमें दाम बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। अब दाम बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, यह सवाल निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार इसका उत्तर देगी हालांकि यहां बात निकली है तो मैं आपको बता सकता हूं कि डीजल पर कोई बस चलने के बाद जो खर्चा आता है, आज ज्यादातर बसें डीजल पर चल रही हैं, तो अब सी.एन.जी. का दाम बढ़ाने के बाद भी सी.एन.जी. पर बसें चलाना सस्ती हैं। इसलिए डीजल के दाम की तुलना में जब सी.एन.जी. मिलना शुरू होगा तो बसों के जो किराए हैं, वे कम करने की आवश्यकता है। किराए कम करने की दृष्टि से आप लोगों की जो भावना है, सदन की जो भावना है, उसके बारे में मैं दिल्ली सरकार को बता दूंगा कि सदन यह चाहता है कि डीजल महंगा है और सी.एन.जी. जो सस्ती है, इसलिए किराए बढ़ाने का प्रयास न करें। सदन की इस भावना के बारे में मैं उनको निश्चित तौर पर बता दूंगा।...*(व्यवधान)*

सुप्रीम कोर्ट के सामने नौ मई को हमको एफीडेविट देना है। उस बात को लेकर, जितना संभव है, उतना मैं आपको यहां बता रहा हूं। जहां तक प्रयासों का संबंध है, अब यह प्रयास कितने समय में हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ मर्यादा की बात है। हमने कभी-कभी मजाक में कहा कि कुंए में पानी नहीं होगा तो फिर बाल्टी में पानी कहां से ऊपर आएगा। जितनी गैस उपलब्ध है, मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, उस आदेश के जरिए हम देने का प्रयास करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही है। उसे कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि अब ट्रांसपोर्ट फ्यूल को प्रधानता देनी चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि जहां बिजली बनाने के लिए हम सी.एन.जी. देते हैं, उद्योग के लिए सी.एन.जी. देते हैं, उसे कम करना चाहिए, निकालना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार की कुछ पॉलिसी के अंतर्गत बातें उसमें हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने नौ मई को जाएंगे तो इसके बारे में हमारी जो राय है, उसे हम अपने ढंग से बताएंगे। कुल मिलाकर आज की जो स्थिति है, उसमें अभी जितने वाहन हैं और जितने आने की संभावना के बारे में बताया जाता है, हम यह प्रयास करेंगे कि हम उतने वाहनों को सी.एन.जी. देंगे लेकिन कुछ भी किया, कितना भी किया तब भी दिल्ली-वासियों को लंबी-लंबी कतार सहन करनी पड़ेगी, ऐसी उसकी स्थिति बन गई है। इस स्थिति में से हम सबको मिलकर रास्ता निकालना होगा क्योंकि जब तक उतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, उस समय तक तकलीफ होगी। लेकिन जहां तक मदन लाल खुराना जी ने जो मुख्य विषय किराया न बढ़ाने के बारे में उठाया है तो मैं ऐसा मानता हूं कि किराये बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी.एन.जी. के दाम बढ़ाए गए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : हमारी भावना को, पार्लियामेंट की भावना को दिल्ली सरकार तक पहुंचाइए और फौरन कहिए कि सी.एन.जी. की कीमतें बढ़ने के बावजूद किराए नहीं बढ़ने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सी.एन.जी. पर्याप्त देने की आवश्यकता है, उसके दाम बढ़ाने की क्या आवश्यकता है?...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : इसलिए मैंने कहा कि कुंए में जितना पानी है, उतना निकालकर देंगे। ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन उसकी जो उपलब्धता है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : कुंए का पानी सूख जाएगा तो सी.एन.जी. कहां से आएगा, यह सुप्रीम कोर्ट को बताइएगा।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : बाकी जगहों से सी.एन.जी. कट करनी पड़ेगी। इस प्रकार की यह बात है। हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। इसमें यह कठिनाई है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सी.एन.जी. की कीमत क्यों बढ़ाई गई? उसका क्या लॉजिक है?...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : क्या आपको राजनीतिक उत्तर चाहिए?... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने राजनीतिक तौर पर ही कहा है। आपने आंकड़े ले लिये कि दाम नहीं बढ़ाने चाहिए लेकिन फिर भी सी.एन.जी. की कीमत क्यों बढ़ाई गई?... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : इसका राजनीतिक उत्तर यह है कि आप दिल्ली सरकार को पूछ लीजिए कि उनका डायरेक्टर उस मीटिंग में था या नहीं?... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप यह बताइए कि उस मीटिंग में भारत पैट्रोलियम लिमिटेड का डायरेक्टर था, गैस अथारिटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर था। ये दोनों तो सरकार के अंतर्गत हैं।... *(व्यवधान)* आप ऐसा मिसलीड मत करिए।

[अनुवाद]

यद्यपि भारतीय गैस प्राधिकरण लि. एक निगम है, तथापि यह पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। वे अपनी जिम्मेदारी से कैसे इनकार कर सकते हैं?... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप आधा सच न कहकर पूरा सच कहिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं यह देखूंगा कि दिल्ली सरकार के निदेशक ने बैठक में क्या प्रस्ताव किया है। मैं मंत्री जी से बैठक का कार्यवाही सारांश सभा में प्रस्तुत करने की मांग करता हूं ताकि सभा को यह पता चल सके कि सी.एन.जी. की कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं।

आप कृपया भारत पेट्रोलियम और भारतीय गैस प्राधिकरण लि. की बैठकों का कार्यवाही सारांश सभा पटल पर प्रस्तुत करें ताकि यह पता चल सके कि सी.एन.जी. की कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं और इसके बाद हम इसे स्वीकार करेंगे... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : इंद्रप्रस्थ गैस ने अपनी कमर्शियल कंसीडेशन्स के कारण सी.एन.जी. की कीमत बढ़ाई। उन्होंने जो कीमत बढ़ाई है, उसके बाद भी आज मुम्बई, जहां से गैस आती है या सूरत जहां से गैस का ऐसा उपयोग किया जाता है, में इससे मंहगी सी.एन.जी. है, दिल्ली में उससे सस्ती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यदि इन्फ्रास्ट्रक्चरल ऐक्टीविटीज बढ़ानी होगी तो ज्यादा कैपिटल बनाना होगा और यदि ज्यादा कैपिटल बनाना है तो निश्चित तौर पर तुलना में यदि आप देखेंगे तो 1992 के बाद डीजल, पैट्रोल के दाम कितने बढ़े हैं, उसकी ऐग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन यदि वहां चार गुना बढ़े हैं तो 1992 से सी.एन.जी. का दाम नहीं बढ़ाया गया था। इसलिए पुनर्विचार करके इंद्रप्रस्थ गैस ने कमर्शियल कंसीडेशन्स के तौर पर दाम बढ़ाए। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज भी डीजल से वाहन चलाना सस्ता है और उसके कारण बस फेयर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।... *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : दूसरे राज्यों के लिए आपका क्या प्लान है क्योंकि यह प्राब्लम तो आने वाली है।... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : यह सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में भी लिखा है।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की बात नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

यह नहीं कि हम केवल उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार ही कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का रैफरैंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ शहरों का उल्लेख किया है। अलग-अलग प्रदेश के शहर हैं। हमको इस बारे में प्रदेश की सरकारों से बात करनी होगी, हम बात करेंगे। हमने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा है। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के साथ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वहां की राज्य सरकारों का एम.ओ.यू. साइन हो गया है कि किस प्रकार वहां सी.एन.जी. का उपयोग ऐवेलेबल होगा।

अंत में मैं यह बात बताना चाहता हूं कि जहां गैस की कमी है तो हमने विदेशों से एल.एन.जी. लाने की तैयारी पूरी की है। अब उसका लगभग तीस प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। दाहेज में हम पांच मिलियन मीट्रिक टन का एक टर्मिनल बना रहे हैं जो कटार से सी.एन.जी. लाएगा। अगले साल यानी 2003 तक यह पूरा होगा। उस भूमिका में सारा काम हो रहा है।

[अनुवाद]

दाहेज में तीस प्रतिशत एल.एन.जी. कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। हम यह उम्मीद करते हैं कि यह अगले वर्ष के अंत तक पूरा

होगा। जब यह कार्य पूरा होगा तो गैस उपलब्ध कराई जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मिग क्रैश हुआ था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हां, हम समय बढ़ाएंगे और सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा और उसके बाद सभा स्थगित होगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के सवाल पर इस सदन में 11 मार्च को नियम 193 के अधीन चर्चा हुई, 30 अप्रैल को नियम 184 के तहत इस पर चर्चा हुई और अभी राज्य सभा में नियम 170 के अधीन इस पर चर्चा हो रही है। उस चर्चा में भारत के विदेश मंत्री और उस सदन के नेता श्री जसवंत सिंह ने कहा था कि सरकार प्रस्ताव की मूल भावना के साथ है और संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत सरकार कार्यवाही करेगी। कल ग्वालियर में पत्रकारों से बात करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि गुजरात में अनुच्छेद 355 के तहत कार्यवाही किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)* गुजरात में एक दिन भी खून-खराबा नहीं रुका है। कल भी वहां सात लोग मारे गए हैं। यह अत्यधिक गंभीर मामला है। जिस दिन गोधरा की घटना हुई, उसके तत्काल बाद सरकार यह प्रचार करती रही कि यह घटना पूर्व नियोजित थी। रेलवे सुरक्षा बल के आई.जी. की रिपोर्ट के मुताबिक गोधरा की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। हिन्दुस्तान के गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है, जो एशियन एज में छपा है—आडवाणी रिजेक्ट्स मोदीज रायट थ्योरी (आडवाणी ने मोदी के दंगे के सिद्धांत को अस्वीकार किया।)

अपराह्न 4.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है, जान-बूझकर जांच को प्रभावित करने का काम है। राज्य सभा में जो सरकार की तरफ से श्री जसवन्त सिंह ने पक्ष रखा, उसके विपरीत प्रधानमंत्री दूसरी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन जी, यह गंभीर मामला है तो भारत सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए, यह कहिए। जीरो ऑवर भाषण करने के लिए नहीं है। इस विषय में श्री प्रियरंजन दासमुंशी का एक और नोटिस है, दोनों कहिए कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार कुछ नहीं करना चाहती।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से आप लोगों का विषय नहीं आएगा।

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल अहमदाबाद में था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भी नोटिस है, मैं आपको भी बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री रामदास, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार कुछ नहीं करना चाहती। कल प्रमोद महाजन जी ने अपने भाषण में कहा है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम श्री मोदी को नहीं बदलेंगे। हमें रोज गुजरात का सवाल उठाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार का कोई सकारात्मक रुख नहीं है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही हे और बराबर हिंसा का तांडव जारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा सलाहकार मि. गिल गए हैं, उन्होंने वहां जो पुलिस के आला अफसरान से बातचीत की है, उस बातचीत में पुलिस के अफसरान ने बताया कि हम क्या करते, हमें तो निर्देशित किया गया था कि बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के प्रति आपका रवैया नरम होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कल छपा है, मैं उसे कोट करना चाहूंगा :

"वरिष्ठ पुलिस अधिकारी..."

उपाध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन जी, आप बैठिए। यह जीरो ऑवर है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार इस सिलसिले में क्या कर रही है, यह पूछिए। यह जीरो ऑवर का मामला है, इसे स्पीच बनाएंगे तो क्या होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण मामला है, आप जरा एक मिनट बैठिए न। मैंने कहा है कि 7-8 मैम्बर हैं, जो हर रोज नोटिस देते हैं, उन लोगों को इश्यू रेज करने का मौका मिलना चाहिए। वह खत्म करके हम हाउस एडजर्न करना चाहते हैं। आप बोलते हैं तो ये सब लोग उठ खड़े होते हैं। तब फिर यहां भी यही होगा। यह जीरो ऑवर है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सुनिए, आप बैठिए। रघुवंश जी, बैठिए। इसी सिलसिले में श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने भी नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : मैं दो मिनट लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कल 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपा था, वहां के आला पुलिस अफसरान ने जो कहा है, उसे मैं कोट करना चाहता हूं :

[अनुवाद]

> ''हमें मंद गति से कार्यवाही करने के लिए कहा गया, गुजरात पुलिस ने के. पी.एस. गिल को यह बताया : यह पता चला है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जिनके साथ के. पी.एस. गिल ने शनिवार को कई बैठकें कीं, ने पंजाब पुलिस के पूर्व प्रमुख को यह बताया कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति एकदम चौपट हो गई थी क्योंकि उन्हें बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति नरम रवैया अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।''

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह राज्य द्वारा प्रयोजित हिंसा नहीं तो और क्या थी? यह बहुत गंभीर सवाल है। दो महीने से ज्यादा हो गए, देश की सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है और श्री नरेन्द्र मोदी को हटाया नहीं जा रहा तो आखिर क्या किया जाए? जो लोग हैं, उनका विश्वास टूटा है। आज ही इंडियन एक्सप्रैस में छपा है :

[अनुवाद]

> ''आप अपने घरों को केवल तभी लौट सकेंगे जब आप... बलात्कार का आरोप वापस ले लेंगे, हिन्दुत्व को अपनाएंगे...गुजरात में ग्रामीण लोग मुस्लिमों की वापसी के लिए शर्तें निर्धारित कर रहे हैं।''

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, हम क्या करें, कहां जाएं? इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह एक्शन ले। अगर वहां खून-खराबा होगा, राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा होगी और हम लोग यहां बात भी न करें तो यह कैसे संभव है। दंगा गुजरात की राज्य सरकार ने कराया और जब तक नरेन्द्र मोदी को वहां से नहीं हटाया जाएगा, तब तक वहां स्थिति किसी भी कीमत पर सामान्य नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, उससे साफ है कि प्रधानमंत्री की नीयत गुजरात में मोदी को हटाने की नहीं है। वे नहीं चाहते कि गुजरात में स्थिति सामान्य रहे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने एक सूचना दी है। श्री रामदास आठवले आप कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान निम्नलिखित मामले की ओर दिलाना चाहूंगा।

महोदय, इस सभा में हम सभी लोगों ने गुजरात के मुद्दे पर वाद-विवाद किया है और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हम सभी ने गुजरात में शांति की कामना की है। गुजरात में सभी वर्गों को पुनः गुजराती होने और भारतीय होने का गर्व करना होगा। मैं यहां अपनी पार्टी के लिए कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं आया हूं। दूसरे दिन सभा के सभी वर्गों ने गुजरात की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की है और अब दूसरी सभा में इस पर वाद-विवाद चल रहा है।

मैं आपके समक्ष एक मामला रखना चाहूंगा। इसी सभा में माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरात में शांति बहाल करने की अपील की थी और उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिया था कि वे दृढ़तापूर्वक कार्यवाही करेंगे। माननीय गृह मंत्री श्री अडवाणी ने भी यही बात कही थी। हमने गुजरात के मुद्दे पर एक हल्के प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा की। मैं इसका कारण नहीं जानता हूं, और मैं यह प्रश्न करने के लिए

सक्षम भी नहीं हूं परन्तु, हमें समाचारपत्रों के माध्यम से पता चला है—न तो मुझे इस कार्यवाही के बारे में निश्चित ज्ञान है और न ही मैं दूसरी सभा की कार्यवाही का उद्धरण देने के लिए सक्षम हूं—कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से गुजरात की स्थिति को ऐसा माना है जिस पर अनुच्छेद 355 का उपबंध लागू होता है। अनुच्छेद 355 एक ऐसा उपबंध है जिसके अंतर्गत यह किया गया है कि किसी राज्य में शांति, सौहार्द सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी है, यहां इस मामले में राज्य गुजरात है।

इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने के बाद, हमारे प्रधानमंत्री और सदन के नेता, जिनसे हम अपेक्षा करते हैं, ने ग्वालियर में यह बताया, और मैं 'एशियन एज' से उद्धरण दे रहा हूं, "वाजपेयी टोल्ड रिपोर्टरज ऑन सेटरडे नाईट दैट आलसो देयर वाज ए प्रोविजन टू इश्यू ए नोटिस टू ए स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 355 ऑफ दि कंस्टीच्यूशन, दिस वाज नाट नीडीड देन दि केस ऑफ गुजरात क्येयर दि स्टेट गवर्नमेंट वाज डूईंग रीजनेबली वैल" मेरे विचार से यह वक्तव्य केवल हमारे संविधान पर आघात ही नहीं है बल्कि इससे इस सभा के समष्ट्यात्मक विचार के प्रति आकस्मिक रवैये का भी पता चलता है जिससे एनडीए सहयोगियों सहित समान रूप से यह अपील की गई है कि गुजरात में हो रही घटनाओं का संज्ञान किया जाए और वहां सामान्य स्थिति पुन: वापस लाने के लिए प्रयास किए जाएं। प्रधानमंत्री यह महसूस करते हैं यद्यपि उपबंध है तथापि सूचना दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शाहपुरा की घटना और विभिन्न हिस्सों में एक के बाद एक हो रही घटनाओं से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, मैं यह महसूस करता हूं कि प्रधानमंत्री जी को संविधान के उपबंधों की उपेक्षा करते हुए ऐसी बातें अथवा अपने निजी विचार व्यक्त नहीं करने चाहिए थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। महोदय, मैं केवल आपके माध्यम से यह अपील करता हूं कि राजनीतिक दल संसद से बाहर इसका राजनीतिक लाभ उठाएंगे। तथापि क्या देश के लौह पुरुष, देश के महान देशभक्त और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष नेता सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिष्ठा को कम करना उचित है? गुजरात में नरेन्द्र मोदी को 'बड़ा सरदार' मानने का धुन चल रहा है। यह हमारे राष्ट्रनेताओं की प्रतिष्ठा को कम करने का एक और प्रयास है। इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से सरकार को स्वयं नरेन्द्र मोदी की सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ बराबरी करने की पद्धति की निंदा करनी चाहिए।

महोदय, रामायण में जब भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस लौटते हैं तो एक धोबी कहता है, "भगवान राम मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आप मेरे भगवान हैं। आप अयोध्या का शासन सही मायने में 'प्रजातांत्रिक' ढंग से कर रहे हैं। मैं तो धोबी हूं परन्तु मुझे 'सीता मैय्या' के बारे में आशंका है।" यह सुनकर भगवान राम बोले : "चूंकि तुमने आशंका व्यक्त की है, मैं सीता से अलग रहकर परीक्षा देने के लिए कहूंगा।" जब लोग मोदी की सत्यता पर आशंका व्यक्त करते हैं—जब भगवान राम सीता के साथ ऐसा कर सकते हैं तो क्या श्री वाजपेयी, यदि वे श्री रामचन्द्र के सच्चे अनुयायी हैं तो, मोदी को हटने के लिए नहीं कह सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टई) : क्या आप भगवान राम में विश्वास करते हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अत: मैं आपके माध्यम से यह अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी को इस तथ्य का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, अनुच्छेद 355 लागू करनी चाहिए, सूचना देनी चाहिए और इस संबंध में विशेष निर्देश देने चाहिए जिससे सामान्य स्थिति बहाल हो सके। यह मेरी अपील है जो मैं आपके माध्यम से सरकार से कर रहा हूं और मैं सरकार से इस संबंध में समुचित कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रहलाद सिंह पटेल के अलावा अन्य तीन सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में हुई मिग-21 की दुर्घटना के बारे में सूचना दी है। वे सदस्य हैं, श्री साहिब सिंह वर्मा, श्री रामदास आठवले और जगमीत सिंह बराड़।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मैंने भी सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना है। मैं आपका नाम पुकारूंगा। आज हम इस सूची को समाप्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मिग-21 की दुर्घटनाएं पिछले दस वर्षों से हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं में हमने 40 पायलट खोए हैं और भयानक क्षति हुई है। यह सिलसिला पिछले दस वर्षों से चल रहा है। अभी सरकार ने फैसला किया है कि इसकी जांच कराई जाएगी और उड़ानें रोकी जाएंगी। इन दुर्घटनाओं से अनेक सवाल पैदा होते हैं। मैं तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। हमें यह नहीं पता है कि इसकी जांच के बिन्दु क्या होंगे।

पहली बात—क्या तकनीकी खराबी थी, जिसके कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? दूसरी बात—तकनीक ठीक थी, तो क्या कल-पुर्जे घटिया किस्म के थे? तीसरी बात—घटिया किस्म के कलपुर्जों के बारे

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

में डीआरडीए के अधिकारी, पूर्व में लड़ाई के समय में, सरकार के ध्यान में लाए थे? अगर लाए थे, तो कार्रवाई करने में इतना विलंब क्यों किया गया? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि एक लिखित प्रश्न के उत्तर में जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं, मैं उनको आपकी अनुमति से सदन में रखना चाहता हूं।

सन् 2001 में मिग विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुए, उनकी स्थिति इस प्रकार है—मिग-21 मानवीय भूल से 4, तकनीकी खराबी के कारण 4 और पक्षी के कारण एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसी प्रकार मिग-23 मानवीय भूल से 2, तकनीकी खराबी के कारण एक, मिग-27 तकनीकी खराबी के कारण एक और मिग-29 मानवीय भूल के कारण एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अभी हाल की दुर्घटना दसवीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, यदि घटिया सामग्री लगती रही, तो उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया और कया सरकार में बैठे हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? सरकारी अधिकारियों ने गोपनीयता के आधार पर सारी बातों को सदन से दूर रखा और देश को इतनी बड़ी क्षति उठानी पड़ी। इन दुर्घटनाओं से 117 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जांच के मुद्दों के विषय में सदन को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए कि इस विषय में क्या कार्रवाई की गई है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, मिग-21 विमान हाल ही में जालंधर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एक महीने में तीन दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं के बाद सरकार ने मिग-21 की उड़ानों को बंद करने के बारे में सोचा था, लेकिन विमान उड़ते रहे हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जालंधर में जो दुर्घटना हुई है, उससे बैंक में काम करने वाले गरीब लोगों की मृत्यु हुई है। मेरा निवेदन है कि मृत परिवार के लोगों के लिए भारत सरकार की ओर से 5 लाख रुपए देने की घोषणा करनी चाहिए और केन्द्र सरकार को मिग-21 विमान की उड़ान को बंद करने के बारे में आदेश देना चाहिए।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट) : महोदय, मेरे परम मित्र श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने इस महतवपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं। यह दुखदायी घटना पंजाब की धरती पर हुई और जालंधर में बैंक ऑफ राजस्थान के दस कर्मचारी मारे गए हैं और 20 से ज्यादा लोग इन्जर्ड हुए हैं, इनमें से 8-9 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है। मैं केवल तीन मुद्दे आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। इन विमान दुर्घटनाओं में आज तक 100 से ज्यादा पायलटों की जिंदगी जा चुकी है और 9 वर्षों में 238 एक्सीडेंट हो चुके हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी 29वीं रिपोर्ट में एक महतवपूर्ण बात कही है। उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को इमिडिएटली फेजआउट करने के लिए रिकमेंडेशन दी है। इसके बावजूद भी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। मैं आपके माध्यम से एयरचीफ मार्शल कृष्णास्वामी, चीफ ऑफ दि एयरस्टाफ, ने जो साफ शब्दों में कहा है, उसको कोट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

''ये मिग-21 विमान अभी भी उड़ान भरने के लिए पूर्णतया सक्षम हैं।''

[हिन्दी]

इतना ज्यादा कंट्राडिक्शन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बयानात में है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं—जैसे 1998-99 में दस मिग गिरे, 1999-2000 में 13 गिरे और 2000-2001 में 12 गिरे। इससे कितनी जिंदगियां गई हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सरकार ने एडवांस ट्रेनिंग जेट देने के बारे में कहा था, परन्तु अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। इस बारे में सरकार को तुरन्त इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। वहां जो दुखदायी घटना हुई है, क्योंकि रोज बयान आते हैं कि एमुनिशन डिपोज में भी आग लग रही है। 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। पंजाब के लोग दुश्मन के जहाज गिराने के लिए अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आदमपुर से जब यह फ्लाइट ली गई तो केवल पांच मिनट में इंजन फैल्योर हो गया। इससे बहुत बड़ी डीमोरलाइजेशन इंडियन एयर फोर्स और अवाम में आ रही है। सरकार को बहुत स्पष्ट रूप से पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करके कुछ हल निकालना चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन** (मदुरै) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में भारी संख्या में प्राचीन मंदिर और महल हैं। इन स्थानों में बहुमूल्य पंचोला की मूर्तियां, तराशे गए पत्थर के शिल्प, खुदे हुए तांबे की चादरों और प्राचीन ताड़ पत्रों पर बनाए गई कलाकृतियों के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। ये प्राचीन संपदाएं जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की परिचायक हैं, इन्हें बचाया जाना चाहिए और इसका संरक्षण और परिरक्षण किया जाना चाहिए। तमिलनाडु में सात केन्द्र ऐसे थे जिनका रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलती थी। ये केन्द्र चेन्नई, मदुरै, चिदम्बरम, कोयम्बटूर, तंजावूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली में स्थित हैं। इन सात केन्द्रों में रजिस्टर कार्यालय थे। वर्ष 1987 में निधियों की कमी के कारण इन केन्द्रों की संख्या कम

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

करके चार कर दी गई क्योंकि केन्द्र सरकार से निधियां नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती थीं और अधिकांशत: बहुत विलंब से प्राप्त होती थीं। केन्द्रीय सहायता बहुत ही अनियमित ढंग से जारी की गई थी। इसमें एक साथ दस माह तक रुकावट आ जाती और इसके बाद केन्द्रीय निधि केवल दो माह के लिए जारी की जाती। हमारे प्राचीन भंडारों के संरक्षण के लिए सहायता की इस अनियमित प्रक्रिया के कारण आगे पुरातात्विक पंजीकरण सूचना केन्द्र बंद होने लगे। तमिलनाडु सरकार को 1991 में बाध्य होकर इन चार केन्द्रों में से दो केन्द्रों को बंद करना पड़ा। अब भी केन्द्रीय सहायता नियमित रूप से नहीं मिल रही है। इसीलिए ये वर्तमान दो केन्द्र भी मई माह में लगभग बंद होने वाले हैं। इसके कारण प्राचीन पंचधातु मिश्रित और अच्छी गुणवत्ता वाले ग्रेनाइट पत्थर से बनी बहुमूल्य प्राचीन मूर्तियों को खतरा है। तमिलनाडु में लगभग दो लाख पंचलौह मूर्तियां हैं। परंतु इसमें से लगभग केवल 50,000 ही पंजीकृत एवं संरक्षित हैं। शेष लगभग डेढ़ लाख मूर्तियों का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे इनकी चोरी एवं तस्करी का खतरा है। जब हमारी प्राचीन संपदा पर ऐसे खतरे की स्थिति है तो ऐसी हालत में हमारे शेष दो केन्द्र भी बंद हो रहे हैं। तमिलनाडु में अब तीस जिले हैं। मैं, इस बात पर बल नहीं दूंगा कि प्रत्येक जिले के लिए 30 केन्द्रों की स्थापना करें। यदि 7 केन्द्र, जो 1987 तक कार्यरत थे, को पुन: चालू और संचालित किया जाता तो बेहतर होता। अब ऐसे केवल दो कार्यालय हैं और कर्मचारियों को कलाकृतियों के संरक्षण और परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उनके पंजीकरण हेतु कई स्थानों का दौरा करने के लिए यात्रा भत्ते पर काफी राशि व्यय करनी पड़ी है। कठिनाई और वित्तीय तंगी को देखते हुए तमिलनाडु सरकार विद्यमान दो पुरातात्विक सूचना केन्द्रों को भी बंद करने के लिए बाध्य है। अत: मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करके आकस्मिक उपाय सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं ताकि इन बहुमूल्य सांस्कृतिक वस्तुओं के संरक्षण और परिरक्षण के लिए निधियां उपलब्ध हो सकें। सभी सात कार्यालयों को केन्द्र सरकार की उदारतापूर्वक सहायता के साथ कार्यरत बनाया जाए। अत:, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह विगत में कार्यरत सभी केन्द्रों को पुन: चालू करने के लिए उचित रूप से समय पर निधियां जारी करे। इसके साथ ही, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सभा के ध्यान में एक महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं। विगत शनिवार अर्थात् इस माह की 4 तारीख को माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन का वी.डी. सावरकर विमानपत्तन के रूप में नामकरण किया। अंडमान के सेल्यूलर जेलों में सैकड़ों देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी जीवनपर्यन्त कैद रहे। ऐसे शहीदों का नाम देने की बजाय पोर्टब्लेयर विमानपत्तन को वी. सावरकर का नाम दिया गया...*(व्यवधान)** उस विमानपत्तन को उनका नाम देने का क्या औचित्य है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह टिप्पणी रिकार्ड में शामिल नहीं की जाएगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के लिए लड़ने वाले वीर सावरकर का यहां अपमान हो रहा है और हमें इस बात पर घोर आपत्ति है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि ऐसी बातें कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएंगी।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, सभी पार्टियों ने यह सुझाव दिया था कि इसका नाम शहीद विमानपत्तन रखा जाए ...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, एक प्रकाशन है जिसका नाम ''पेनल सेटलमेंट इन अंडमान्स''। यह रिकार्ड राजपत्र एकक, संस्कृति विभाग, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : देश के लिए आजीवन कारावास भुगतने वाले वीर सावरकर का इस तरह से अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : ...*(व्यवधान)**...इस विमानपत्तन को उनका नाम देने का क्या औचित्य है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप पुन: वही बात उठा रही हैं। जब तक आपके पास इस आदेश की प्रति नहीं होगी, मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. ए.के. प्रेमाजम, आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्यापित होना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल करने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : देश के महान स्वतंत्रता सेनानी का यहां अपमान हो रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, मैं भी यहां बैठा हूं। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। कृपया धैर्य रखिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि 1978-79 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की आबादी पर जिन जन-स्वास्थ्य रक्षकों नियुक्ति की गई थी उनकी माली स्थिति बहुत दयनीय है। भारत जैसे विकासशील देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य के प्रति जनजागरण जैसे अच्छे उद्देश्य को लेकर जन-स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति की गई थी। मात्र 50 रुपये मासिक भत्ता लेकर वे लोग इस कार्य को करते थे। अब 31 मार्च को उनको बताया गया है कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनकी सेवाएं पुन: बहाल की जाएं और उनकी सेवाएं देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार-कल्याण के प्रति लोगों में जागरुकता के लिए, मलेरिया उन्मूलन के लिए तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के तमाम कार्यों में ली जाएं। उनका मासिक भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये मासिक किया जाए और उनकी सेवाएं पुन: बहाल की जाएं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) **:** मैं महन्त जी के विचार का स्वागत करता हूं और उनके साथ अपने को भी सम्बद्ध करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) **:** मैं भी इनका समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरुखाबाद) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान छावनी बोर्डों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां कहीं भी कंटोनमेंट एरिया हैं और वहां से पीडब्ल्यूडी की सड़कें या नेशनल हाई-वे निकलता है वहां देखने में यह आता है कि वहां जो भी ऑफिसर कमांडिंग होता है वह मनमाने तरीके से कोई न कोई व्यवधान वहां खड़ा करता है जिससे वहां से गुजरने में आम आदमियों को बड़ी दिक्कत होती है। मैं फतेहगढ़ छावनी क्षेत्र, उ.प्र. की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां की पीडब्ल्यूडी की सड़कें कंटोनमेंट एरिया से होकर गुजरती हैं। आम आदमियों के लिए वहां का रास्ता बंद कर दिया गया है। वह बड़े लम्बे समय से बंद है जिससे आम आदमियों को बड़ी दिक्कत होती है। वहां के दो मोहल्ले कंटोनमेंट एरिया के तहत आते हैं—दुर्गा कालोनी तथा नगलादीना। उन मोहल्लों के पानी का निकास कंटोनमेंट बोर्ड द्वारा बंद कर दिया गया है। लम्बी दीवार खड़ी करवा दी है। संसदीय स्थानीय विकास निधि से एक पक्का नाला बनाया जा रहा था, अब उस नाले में पानी भरा है, इससे बीमारी फैलने का अंदेशा है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह आफिसर कमांडिंग को निर्देशित करे कि पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) **:** मैं बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हमेशा केवल महत्वपूर्ण बातें ही उठाते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और यह केरल राज्य के आर्थिक विकास के बारे में है। वलापाडम कंटेनर टर्मिनल परियोजना स्वीकृति हेतु काफी समय से नौवहन मंत्रालय के पास लंबित है। इस संबंध में केरल सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद मंत्रालय ने निर्णय नहीं किया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुझे केरल राज्य के मुख्यमंत्री श्री ए.के. एन्थोनी का पत्र मिला है। उन्होंने भी इस मामले को यहां उठाने का अनुरोध किया है। मैं उनका पत्र नहीं पढ़ रहा हूं परन्तु उन्होंने यह कहा है कि इस मामले पर संसद सदस्यों के सम्मेलन में कई बार चर्चा हो चुकी है फिर भी यह मामला अभी भी लंबित है।

सभी पत्तनों का विकास किया गया है और परियोजनाओं को मंजूरी अथवा स्वीकृति दी गई हैं। अब, सही समय आ गया है और इस समय नौवहन मंत्रालय, केन्द्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री इस परियोजना की त्वरित स्वीकृति के लिए विचार करें। मैं केन्द सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना को बिना और विलंब किए स्वीकृत करें। अन्यथा वह केरल राज्य के साथ घोर अन्याय करेंगी क्योंकि इससे राज्य के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अतः, मैं एक बार फिर केरल के मुख्यमंत्री से प्राप्त पत्र के प्रकाश में अपनी ओर से पूरा बल देकर केन्द्र सरकार से इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान 3 मई, 2002 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "50,000 गवर्नमेंट एम्प्लाइज इन उड़ीसा मे बी रिट्रेंच्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहती हूं। इसमें कहा गया है :

"राज्य सरकार के सहयोग से एक दल जिसमें विश्व बैंक और ब्रिटिश सरकार के अंतर्राट्रीय विकास विभाग के संयुक्त तकनीकी मिशन के सदस्य शामिल थे, ने वित्तीय संचालन, शासन और संबंधित सुधारों का अध्ययन किया। राज्य सरकार के पास इस दल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार कार्यवाही करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। उड़ीसा सरकार वित्तीय और शासन संबंधी सुधार हेतु विश्व बैंक से 3000 करोड़ रुपये की सहायता के लिए बातचीत कर रही है।"

इस संदर्भ में मैं यह कहूंगी कि वित्तीय संकट की समस्या केवल उड़ीसा सरकार के साथ ही नहीं है बल्कि अन्य राज्य सरकारों के भी समक्ष है। मैं सभा का ध्यान तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डा. जे. जयललिता के उस पत्र की ओर दिलाना चाहूंगी जो कि उन्होंने 25.3.2002 को माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. सरोजा आपने "उड़ीसा में 50,000 कर्मचारियों की छंटनी" से संबंधित मामले उठाने के लिए सूचना दी है। अब आप किस विषय पर पहुंच गई हैं?

डा. वी. सरोजा : उड़ीसा सरकार ने इस स्थिति से उभरने के लिए 3000 करोड़ रुपये का पैकेज आबंटित करने का अनुरोध किया है। इस संदर्भ में, मैं यह कहना चाहूंगी कि केवल उड़ीसा सरकार ने ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी उनके समक्ष वित्तीय संकट से उबरने के लिए पैकेज हेतु निधियों के तत्काल आबंटन के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पहले ही अनुरोध किया है। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री प्रत्येक राज्य की वित्तीय संकट की स्थिति के बारे में चर्चा करने और स्थिति का जायजा लेने हेतु आकस्मिक बैठक तत्काल आयोजित करेंगे?

इस संदर्भ में मैं यह बताऊंगी कि केन्द्रीय बजट 2002 के बारे में "सिन्हा डेंगल्स 12,300 करोड़ रिफार्म केरेट फार स्टेट्स" शीर्षक के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। अतः, महोदय मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा तत्काल आकस्मिक बैठक आयोजित किए जाने का आग्रह करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात पहले ही रख दी है।

डा. वी. सरोजा : मैं उनसे तमिलनाडु राज्य सरकार को वित्तीय सुधार प्रोत्साहन निधि में से 3000 करोड़ रुपये आबंटित करने का अनुरोध करती हूं।

अपराह्न 1.30 बजे

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के नागपुर, उस्मानाबाद और वर्धा जिलों के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कथित शेयर घोटाले के बारे में

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर-पूर्व) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के सभी अखबारों में पिछले पांच-सात दिनों से महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव बैंक का और शेयर ब्रोकर का एक नया घोटाला लोगों के सामने आया है, उसके बारे में छप रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से डिपाजिटर्स के लगभग चार सौ करोड़ रुपये आज डूबने की स्थिति में है। इसमें महाराष्ट्र के चार बड़े कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, वहां के विभिन्न राजकीय पक्षों के नेता है, ये पैसा उनके बैंकों में डूबने की स्थिति में है। उन्होंने स्टाक ब्रोकर होम ट्रेड को किसी भी प्रकार की रिसीट लिये बगैर पैसा दिया। यह सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के कोऑपरेटिव बैंकों ने भी इस प्रकार से होम ट्रेड के उस ब्रोकर को पैसे दिए। कुल मिलाकर यह घोटाला लगभग छः सौ करोड़ रुपये का होने की संभावना है। इसमें स्माल डिपाजिटर्स का पैसा वापस मिलेगा या नहीं, इस संबंध में केन्द्र सरकार को स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि स्माल डिपाजिटर्स के एक लाख रुपये तक की डिपाजिट पर रिजर्व

[श्री किरीट सोमैया]

बैंक की कंपनी डिपाजिट इंश्योरेन्स गारंटी कारपोरेशन की गारंटी होती है। लेकिन आज तक केन्द्र सरकार ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की है। मेरी प्रार्थना है कि केन्द्र सरकार इस संबंध में तुरंत स्थिति स्पष्ट करे।

इसके अतिरिक्त आज तक जिन बैंकों के नाम आए हैं, उनकी संख्या 17 से ज्यादा हो गई है और इस संबंध में राज्य सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की हे। मैं यह मानता हूं और मैं आज महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने 12 दिन रिजर्व बैंक का अहवाल अपने पास रखने के पश्चात् सत्ताधारी एन.सी.पी. के एम.एल.एज. को अरेस्ट किया। लेकिन केवल यहां तक ही मामला सीमित रहने से काम नहीं चलेगा। मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि एक राज्य से अधिक राज्यों में यह क्राइम हुआ है, इसलिए यह मामला सी.बी.आई. को देना चाहिए। इसके साथ-साथ जो भी संबंधित गुनहगार हैं, उनके पासपोर्ट्स तुरंत जब्त करने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, केतन पारिख के पश्चात् यह दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है। कपूर कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें उन्होंने लिखा है—चार सौ में से 143 कोऑपरेटिव बैंक्स के सभी एकाउन्ट्स का इनवैस्टीगेशन होना चाहिए। मैं केन्द्र तथा राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आर.बी.आई., नाबार्ड और राज्य सरकारों के जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट्स हैं, वे तुरंत इसमें कार्रवाई करें और बाकी और कौन से बैंक्स ने होम ट्रेड को पैसा दिया है, वह जानकारी लोगों के सामने रखी जाए। नागपुर में आज कोऑपरेटिव बैंक्स के बाहर हजारों इनवैस्टर्स अपना पैसा वापस लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं। वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो रही है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि राज्य सरकार ने इसमें जो ढिलाई बरती है, उसमें भी ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार को दूसरी राज्य सरकारों को भी लिखना चाहिए कि वहां के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स को इसमें इनवैस्टीगेशन करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में केन्द्र सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। उसकी ओर से किसी भी प्रकार की स्टेटमेंट नहीं आया है। हमने आर.बी.आई. और सेबी से मुलाकात की है, हम इसमें केन्द्र सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। केन्द्रीय मंत्री माननीय राम नाईक जी और महाराष्ट्र के डिप्टी लीडर यहां मौजूद हैं, इन दोनों को पता है कि वहां किस प्रकार की भयानक स्थिति है। लगभग चार लाख डिपाजिटर्स आज वहां आस लगाए बैठे हैं कि केन्द्र सरकार इसमें क्या भूमिका निभाती है। यह चार लाख परिवारों का मामला है। अगर केन्द्र और राज्य सरकार ने इसमें तुरंत अनाउंसमेंट नहीं किया तो बाकी कोऑपरेटिव बैंकों से लोग अपना डिपाजिट वापस लेने की शुरूआत करेंगे। इस तरह से गुजरात के बाद महाराष्ट्र में पूरा कोऑपरेटिव बैंकिंग सैक्टर भयंकर स्थिति में आएगा। इसलिए केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देकर तुरंत अनाउंसमेंट करना चाहिए। यहां श्री राम नाईक जी मौजूद हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस मामले की क्या स्थिति है, उस बारे में वह बाद में निवेदन करें, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस संबंध में केन्द्र सरकार की ओर से निवेदन होना आवश्यक है। वह बाद में सदन को पूरी स्थिति की जानकारी दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पण्डा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : श्री किरीट सोमैया ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वित्त मंत्री को उनके द्वारा कही गई बात यथाशीघ्र सूचित की जाए।

श्री प्रबोध पण्डा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा और सरकार का ध्यान गुजरात की विशेषकर राहत शिविरों की निराशाजनक स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा। समाचारपत्रों में विशेषकर आज के 'द हिन्दू' दैनिक में राहत शिविरों में दिन-प्रतिदिन स्थिति बिगड़ने की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।

महोदय, विभिन्न राष्ट्रीय मजदूर यूनियनों के सात अथवा आठ नेताओं ने उन शिविरों का दौरा किया है। उन्होंने यह कहा कि राहत शिविरों को किया गया आबंटन अपर्याप्त है। यहां तक कि बच्चों को भी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। उन्होंने यह बताया कि एक शिविर 10,000 व्यक्तियों के लिए केवल 15 शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। एक राहत शिविर से लगभग 132 मौतों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। स्थिति बहुत गंभीर है।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि 150 करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है। इसलिए राहत और पुनर्वास कार्यों हेतु कम से कम 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि एक लाख से अधिक व्यक्ति अपने ही देश में शरणार्थी हो गए हैं। यह हमारे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। मैं एक बार पुन: सरकार से राहत कैंपों हेतु 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से मैं निर्वाचित होकर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैं जानता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान प्रदेश इस समय हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। मेरा अनुरोध है कि जो तारगढ़ी का काम या फैन्सिंग बॉर्डर पर होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। वर्तमान समय में राजस्थान की पाकिस्तान से लगी बाउंड्री पर फैन्सिंग का काम शीघ्रातिशीघ्र होना बहुत आवश्यक है। वहां पर फ्लडलाइट्स लगें क्योंकि वहां से हथियारबंद लोग घुस आते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर में काफी संख्या में ऐसे लोग जिनको हम आतंकवादी या घुसपैठिये कहते हैं, आकर बैठ गए हैं। निश्चित रूप से आप इस संबंध में विचार करें। मादक वस्तुएं पाकिस्तान से भारतवर्ष में आती हैं। वहां की दशा बहुत खराब है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राजस्थान की बाउंड्री जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है उसमें घुसपैठ रोकने के लिए, हथियारों का प्रवेश रोकने के लिए, मादक वस्तुओं को आने से रोकने के लिए शीघ्र ही तारगढ़ी का काम किया जाए, फ्लडलाइट्स लगाई जाएं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने घोषणा की है दसवीं पंचवर्षीय योजना में छः पर्यटन सर्किटों को चुनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको विकसित किया जाएगा। हम सरकार से कहना चाहते हैं और हमारी मांग है कि बुद्धिस्ट सर्किट पहले से चल रहा है, उसका कार्य अपूर्ण रह गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो छः सर्किट भारत सरकार चुनेगी, उसमें एक बुद्धिस्ट सर्किट जरूर रहे और उसके कार्यों को पूरा किया जाए। क्योंकि हाल में दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया में निकला है। वैशाली, केसरिया, लौड़िया, नंदनगढ़, कुशीनगर, लुंबिनी, इन सबको जोड़ने का काम बुद्धिस्ट सर्किट में करें। फिर पांच सर्किट बचते हैं। उसमें सूफी सर्किट लिया जाए। अजमेर शरीफ एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान है। वहां दुनिया भर के लोग जाते हैं। उसी तरह से हमारे यहां कांटी में कांटी मजार, सेरुकाहीं मजार में देश विदेश के लाखों लोग जाते हैं। इसलिए सूफी सर्किट तैयार किया जाए। तीसरे नंबर पर जैन सर्किट, महावीर सर्किट लिया जाए। महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ और निर्वाण पावापुरी में हुआ। देश भर में उज्जैन एक पवित्र तीर्थ के रूप में माना जाता है। इसलिए जैन सर्किट बनाया जाए। फिर महातमा गांधी सर्किट बनाया जाए। जहां-जहां महात्मा गांधी से संबंधित दर्शनीय स्थान हैं, उनका एक सर्किट बनाया जाए। फिर रामायण सर्किट बनाया जाए—राम-जानकी सर्किट। जहां-जहां भी पौराणिक संस्कृति है, उसको जोड़ने का काम हो। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान है जहां पर चंद्रगिरि पर्वत पर 58 फीट ऊंची भगवान बाहुबली की मूर्ति है। उस चन्द्रगिरि पर्वत पर चन्द्रगुप्त मौर्य या भद्रबाहु पाटलिपुत्र से उस जमाने में गए थे।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि इन्द्रगिरि में जो भगवान बाहुबलि की मूर्ति है और जो पर्वतों में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, उसको वर्ल्ड हैरिटेज, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। भगवान बुद्ध का जो स्तूप मिला है, उसे भी विश्व धरोहर घोषित किया जाए। पर्यटन के विकास की दृष्टि से भगवान बुद्ध सर्किट, महात्मा गांधी सर्किट, महावीर सर्किट, जैन सर्किट, रामायण सर्किट और सूफी सर्किट, इन छः सर्किटों का चयन करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानदंडों के अनुसार इन्हें विकसित किया जाए।

महोदय, वर्ल्ड ट्रेड टूरिज्म कौंसिल ने कहा है कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के 70 लाख अवसर पैदा किए जा सकते हैं जिसके अंतर्गत अकेले बिहार राज्य में 3 लाख 60 हजार रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। मेरा आग्रह है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन सर्किटों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा संख्या में मजदूर काम करते हैं, लेकिन उन्हें पांच महीने से वेतन नहीं मिला है। दूसरी तरफ कार्पोरेशन के चेयरमैन और अधिकारी मजदूरों पर अत्याचार कर रहे हैं। चेयरमैन और बड़े-बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं जिनकी जांच चल रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि मजदूरों को शीघ्र तनख्वाह दी जाए और सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के जिन बड़े-बड़े अधिकारियों के ऊपर जांच चल रही है उसकी ईमानदारी से तहकीकात की जाए ताकि भ्रष्टाचार दूर हो सके।

डा. संजय पासवान (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बिहार, बंगाल और असम में मजदूर और किसानों की बड़े बेरहमी से हत्याएं हो रही हैं। खासकर बिहार के बारे बड़ी चिंता की बात यह है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की हत्याएं की जा रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले तीन महीनों में 26 मुखिया, 18 पंचायत सदस्य और प्रमुख लोग और 7 जिला परिषद के लोग मार दिए गए हैं। परसों ही सिवान में पांच दलित मुसलमानों को मार दिया गया। इन सब बातों को सुनकर बहुत दुख होता है। इसलिए कुछ विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और गृह मंत्री जी से बिहार के बारे में विशेष रूप से निवेदन करूंगा

[डा. संजय पासवान]

कि वहां जनप्रतिनिधियों की हत्याएं न हों और असम तथा बंगाल में जो किसान मजदूर मारे जा रहे हैं उसमें भी वे हस्तक्षेप करें ताकि हत्याएं बंद हों, अमन पैदा हो, शांति रहे और सब लोग तरक्की करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराहन 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.42 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.36 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.36 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुई*]

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पैकेटों पर अलग-अलग पहचान चिह्न दर्शाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) **:** सभापति महोदय, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण 20 दिसम्बर, 2001) में सा.का.नि. 908(अ) क्रमांक पर अधिसूचना प्रकाशित कराई है जो शाकाहारी खाद्य पदार्थों से संबंधित है। इसी प्रकार भारत के राजपत्र (असाधारण 4 अप्रैल, 2001) में सा.का.नि. 245(अ) अधिसूचना प्रकाशित कराई थी, जिसमें मांसाहारी खाद्य को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया गया था कि वह पदार्थ मांसाहारी खाद्य है। इस हेतु प्रत्येक पैकेज पर खाद्य पदार्थ के नाम के बिल्कुल नजदीक मुख्य प्रदर्शन पैनल पर वृत्त के व्यास से पुराने किनारे वाली बाह्य रेखा वाले वर्ग के भीतर एस वृत्त होगा जो भूरे रंग (ब्राउन आकार) का होगा।

इसी तरह शाकाहारी खाद्य पैकेज पर हरे रंग (ग्रीन आकार) से प्रतीक चिह्न बनाया जाएगा। परन्तु अभी तक इसका पालन नहीं किया जा रहा है जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाए।

(दो) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उन लोगों को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता जिनकी भूमि उद्योगों की स्थापना के लिए अधिग्रहीत की गई है

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) **:** सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में कई बड़े उद्योग लगे हैं और इन उद्योगों के लगने से कई आदिवासी और किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई जिसके कारण यहां के आदिवासी और किसान जमीन अधिग्रहीत किए जाने के बाद पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए। उनमें से कई लोगों को अभी तक विस्थापित परिवार की हैसियत से संबंधित उद्योगों में रोजगार नहीं मिला है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में कई उद्योग इसी कारण से लाए गए कि इन पिछड़े इलाकों का विकास हो सके। इन पिछड़े इलाकों का विकास तभी ईमानदारी मे हो सकेगा जब यहां के स्थानीय गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यहां स्थित उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए।

(तीन) अहमदाबाद और दिल्ली के बीच दिन में और अधिक उड़ान शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) **:** सभापति महोदय, दिल्ली से अहमदाबाद के बीच दिन में दो फ्लाइट हैं और इन फ्लाइयों में प्रतीक्षा सूची भी ज्यादा रहती है। दिन में कोई भी फ्लाइट न होने से व्यापारियों ओर अन्य लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। लोगों को मुम्बई पहुंचकर दिल्ली आना पड़ता है। गुजरात के लोगों की मांग है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच दोपहर के आस-पास भी एक फ्लाइट आरंभ की जाए। दिल्ली से मुम्बई के बीच एक दिन में 20 के लगभग फ्लाइटें हैं। इसमें कुछ फ्लाइटों को दोपहर के आस-पास अहमदाबाद होकर भी चलाया जा सकता है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच दोपहर में एक फ्लाइट शीघ्र चलाई जाए।

[अनुवाद]

(चार) उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी में औषधीय पौध अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) **:** महोदय, उपहिमालयी क्षेत्र के वनों में औषधीय वनस्पतियों की सात सौ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। औषधीय वनस्पतियों की ये प्रजातियां आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक,

सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की तरह स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के लिए जानी-परखी मान्यताप्राप्त वनस्पतियां हैं।

समुचित संग्रहण, उपयोग, अनुसंधान और विकास न होने के कारण दुर्लभ प्रजातियां की खोज नहीं हो पाई हैं और ये बेईमान लोगों के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण लुप्त होती जा रही हैं। विश्व व्यापार संगठन के साथ हुए समझौते के कारण औषध निर्माण इकाइयां गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। यहां तक कि आवश्यक औषधियां हासिल करने का मानवाधिकार भी खतरे में पड़ गया है। देश ने जो भी आत्मनिर्भरता हासिल की थी वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और पेटेंट कानून में संशोधन के कारण खतरे में है। इसी के साथ-साथ जिन औषधियों का हमारे पास रिकार्ड नहीं है वे हमारे देश से विशेषकर उत्तरी बंगाल के पहाड़ी, तराई और असर के क्षेत्रों से चोरी-छुपे से लाई जा रही हैं।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, मैं सरकार से उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध करूंगी ताकि औषधियों के भरपूर संसाधनों का समुचित संग्रहण, उपयोग, अनुसंधान और विकास किया जा सके। जिससे न केवल रोजगार सर्जित होंगे अपितु इनके निर्यात से आय भी होगी।

[हिन्दी]

(पांच) उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ और जौनपुर में बिजली आपूर्ति की कमी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति न के बराबर है, जिसके कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, उद्योग-धन्धे ठप्प पड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सिचाई और मड़ाई हो पा रही है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र में तत्काल अबाध विद्युत आपूर्ति हेतु मांग के अनुरूप बिजली की आपूर्ति की जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अतिरिक्त बिजली सेंट्रल ग्रिड से उपलब्ध कराई जाए।

(छह) हरियाणा में फतेहाबाद और सिरसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर बाईपास का अविलंब निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, दिल्ली से हिसार, सिरसा होती हुई पंजाब के भटिंडा आदि अन्य सीमांत शहरों से गुजरती हुई राष्ट्रीय नेशनल हाईवे में कुछ आवश्यक सुधार जरूरी हैं। इन सुधारों के अभाव में दरअसल इस मार्ग का उद्देश्य ही विफल होता नजर आ रहा है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की तेज गति की आवश्यकता है, किंतु इस मार्ग के शहरों के बीच से होकर गुजरने के कारण, शहर की यातायात सघनता इन वाहनों की गति को कम कर देती है। दूसरी ओर शहरों का यातायात और राष्ट्रीय राजमार्ग का यातायात जब दोनों एक साथ चलते हैं तो इन शहरों की सड़कें जाम हो जाती हैं और लगता है कि पूरा शहर ही एक जगह थम गया है। कृषि उत्पादक क्षेत्र में हरियाणा का फतेहाबाद शहर है और इस शहर के बीच से राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 10 गुजरता है। यहां एक बाईपास मार्ग की आवश्यकता है, जिससे नेशनल हाईवे का यातायात गुजरता रहे व शहर में यातायात को प्रभावित न कर सके।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि वह अविलंब फतेहाबाद व सिरसा में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 10 पर एक-एक बाईपास मार्ग का निर्माण कराए एवं फोर लेन कार्य भी कराया जाए।

[अनुवाद]

(सात) तमिलनाडु में पित्चवरम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम) : महोदया, तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र चिदंबरम में पिचवरम नामक स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। यह प्राकृतिक बगीचों और नहरों से घिरा एक सुन्दर स्थान है। पर्यटन मंत्रालय यहां नौकाएं, दर्शनीय स्थलों को देखने आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर इसे विकसित कर सकता है जिससे न केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अपितु आसपास के जिलों के भी हजारों लोग निश्चित रूप से इस स्थान की ओर आकर्षित होंगे जिससे सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को इस स्थान को विकसित कर यहां होटल, नौकायन और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि यहां शापिंग कम्पलेक्स का निर्माण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सैकड़ों लोगों को लाभान्वित किया जा सके।

मैं माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री से पिचवरम को पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण स्थल के रूप में विकसित करने का अनुरोध करूंगा, जिससे कि सरकार को राजस्व मिले और इस क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को रोजगार। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

(आठ) मध्य प्रदेश में सागर में बीना नदी सिंचाई परियोजना के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : मेरे संसदीय क्षेत्र सागर (म. प्र.) में 1991-92 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित बीना नदी परियोजना केन्द्र सरकार को भेजी गई थी, जिस पर लगभग दस वर्ष बीत जाने के उपरांत भी अभी तक प्रगति की गति रुकी हुई है। मध्य प्रदेश की यह महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है जिससे सागर एवं विदिशा जिले के हजारों किसान लाभान्वित होंगे तथा जमीन का जल स्तर भी बढ़ जाएगा।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जल संसाधन विभाग को निर्देशित कर प्राथमिकता के आधार पर बीना नदी परियोजना सिंचाई योजना के कार्य को शीघ्र ही प्रारंभ करवाने का सहयोग करें।

(नौ) मध्य प्रदेश में मैहर रेलवे स्टेशन पर ज्ञानगंगा, कामायनी और गंगा-कावेरी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : जबलपुर डिवीजन में मैहर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल होने के साथ ही उद्योग केन्द्र भी है। केवल नवरात्र पक्ष में ही यहां पर दस लाख के लगभग तीर्थ यात्री आते हैं। किंतु यहां से गुजरने वाली गाड़ियों का ठहराव मैहर स्टेशन पर न होने के कारण यहां आने वाले लोगों, विशेषकर तीर्थ यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यदि केवल ज्ञानगंगा एक्सप्रेस वाराणसी, कामायनी एक्सप्रेस वाराणसी और गंगाकावेरी एक्सप्रेस गाड़ियों का मैहर स्टेशन पर ठहराव दो मिनट के लिए दे दिया जाए तो यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों और व्यवसायियों को पर्याप्त राहत मिल जाएगी। मैहर स्टेशन पर गाड़ियों के ठहराव की वहां की जनता पिछले कई वर्षों से मांग करती आ रही है।

मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि मैहर स्टेशन पर ज्ञानगंगा एक्सप्रेस वाराणसी, कामायनी एक्सप्रेस वाराणसी और गंगाकावेरी एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव दो मिनट के लिए देने की व्यवस्था कर वहां आने वाले लाखों लोगों को राहत प्रदान करें।

अपराह्न 2.47 बजे

[अनुवाद]

पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक*–पुर:स्थापित

सभापति महोदय : अब हम विधायी कार्य लेंगे। पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक 2002 पुर:स्थापित किया जाए। श्री राम नाईक।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 6.5.2002 में प्रकाशित।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे उपभोक्ताओं और अस्तित्वों के हितों का संरक्षण करने, देश के सभी भागों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का अबाधित और पर्याप्त प्रदाय सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों का संप्रवर्तन करने के लिए अपरिष्कृत तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिष्करण, संसाधन, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और विक्रय को विनियमित करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे उपभोक्ताओं और अस्तित्वों के हितों का संरक्षण करने, देश के सभी भागों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का अबाधित और पर्याप्त प्रदाय सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों का संप्रवर्तन करने के लिए अपरिष्कृत तेल ओर प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिष्करण, संसाधन, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और विक्रय को विनियमित करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

इस पर श्री वरकला राधाकृष्णन कुछ कहना चाहते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदया, मैं दो कारणों से इस विधेयक का विरोध करने हेतु खड़ा हुआ हूं। पहला कारण इसकी विधिक आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा विधिक अड़चन से संबंधित है। जहां तक इसकी कानूनी आवश्यकता का प्रश्न है मैं कहुंगा कि सरकार पहले ही निर्देशित मूल्य तंत्र को समाप्त करने का निर्णय ले चुकी है। उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों को भी पूर्णतया विनियन्त्रित करने का निर्णय लिया है। जब सरकार अंतिम निर्णय ले ही चुकी है तो इन उत्पादों के वितरण और विपणन में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य आम समझ से परे है। यह एक कारण है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह बताया गया है कि यह बोर्ड केन्द्र सरकार से अलग होकर कार्य करेगा।

यह एक आश्चर्यजनक वक्तव्य है। केन्द्र सरकार का देश-भर में हस्तक्षेप है। क्या इस बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार के साथ मिलकर कार्य करने से आसमान फट जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। बोर्ड केन्द्र सरकार से अलग होकर कार्य करने का अर्थ है कि इसके कार्यकरण में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या संविधि के लक्ष्य बताने का यही तरीका है? इस तरह का वक्तव्य न केवल आश्चर्यजनक है अपितु हास्यास्पद भी है। यह आश्वासन दिया गया है कि बोर्ड केन्द्र सरकार से अलग होकर कार्य करेगा। केन्द्र सरकार सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है और इसके हाथ देश-भर में फैले हुए हैं।

हम उपभोक्ताओं को संरक्षण देने से संबंधित संकल्प पहले ही पारित कर चुके हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। यह सदन उसे अंतत: पारित कर चुका है। इस विधान का मुख्य उद्देश्य संविधि के प्रावधानों के अनुरूप उपभोक्ताओं का संरक्षण देना है। यदि यही बात है तो फिर बोर्ड की क्या आवश्यकता है? सदन के सम्मुख अनुमान के अनुसार 7 करोड़ रुपये का आवर्ती और 3 करोड़ रुपये का गैर-आवर्ती व्यय होगा। मोटे तौर पर प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसके भविष्य में बढ़ने की संभावना है। यह केवल प्राथमिक अनुमान हैं। वास्तविक अनुमान इससे कहीं अधिक होंगे। यह धनराशि बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान करने हेतु है।

कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे। सेवानिवृत्त अधिकारियों को वहां विश्राम गृह मिलेंगे। सेवानिवृत्त नौकरशाह इस बोर्ड के सदस्य बनेंगे। वे 65 वर्ष की आयु तक इसके लाभ भोग सकेंगे। सेवानिवृत्त नौकरशाहों को कुछ रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आवर्ती व्यय के रूप में 7 करोड़ रुपये व्यय करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। केवल यही नहीं गैर-आवर्ती व्यय के लिए भी 3 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस राशि में वृद्धि होने की संभावना है। इसका क्या उद्देश्य है? यह कार्य बोर्ड के मामलों को देखने हेतु एक अधिकारी मात्र की नियुक्ति से भी आसानी से किया जा सकता है। नियंत्रक का कार्यालय ही पर्याप्त होगा। एक नियंत्रक की नियुक्ति के स्थान पर उन्होंने इस योजना में राजकोष से 10 करोड़ रुपये व्यय करने हेतु बोर्ड का गठन किया है। मुझे इस सबका उद्देश्य समझ में नहीं आता। सरकार कहती है कि वह इसे विनियन्त्रित कर रही है। उन्होंने एक आश्चर्यजनक दावा किया है कि निर्देशित मूल्य तंत्र को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा बोर्ड क्यों होना चाहिए? केवल उपभोक्ता मामलों को देखने हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति ही पर्याप्त होगी। उपभोक्ता अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा। एक अलग कानून की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहले ही है। यदि कोई उल्लंघन होता है तो न्यायाधिकरण है, जो कार्यवाही करेगा और उपभोक्ताओं को मुआवजा देगा। अत: इस बोर्ड की आवश्यकता नहीं है।

इस बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के बहाने सेवानिवृत्त लोगों को रोजगार देने के लिए नौकरशाही द्वारा इसका बाद में गठन किया गया है। अत: चूंकि हम ऐसा ही विधेयक पहले पारित कर चुके हैं अत: मैं इसका विरोध करता हूं। इस विधेयक को पारित करने में विधिक अड़चन है। अत: मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का विरोध करता हूं।

श्री राम नाईक : मैं इन मुद्दों को सामने लाने हेतु श्री वरकला राधाकृष्णन को धन्यवाद देता हूं। हालांकि मुझे उनकी सूचना को पढ़ने में बहुत कठिनाई हुई—मैंने उसे पांच बार पढ़ा—मैं उनके लिखे को समझने हेतु व्यक्तिगत रूप से उनके पास गया। उन्होंने जो कुछ कहा है वह विधायी सामर्थ्य से परे है। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस सभा की विधायी क्षमता से परे क्या है। इस स्तर पर, विधेयक के लाभ पर चर्चा नहीं की जानी है परन्तु उन्होंने इस विधेयक के लाभों पर चर्चा करने का प्रयास किया है। तत्पश्चात् उन्होंने यह कहा कि हमने इस संबंध में ऐसा कानून पारित किया है। यदि इस तरह का कानून पारित हुआ है तो निश्चित रूप से यह कानून भी पारित हो सकता है।

इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय सदस्य यह पूछते हैं कि सरकार बोर्ड के कार्यकरण में हस्तक्षेप क्यों करती है। अभी मैं एक मामले का उदाहरण दूंगा। अब इसके बाद, जिन्होंने पेट्रोलियम क्षेत्र को अवसंरचनात्मक कार्यकलापों में 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया है, वे पूरे भारत में खुदरा बिक्री केन्द्र अर्थात् पेट्रोल पम्प लगा सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : डीलरों को कौन नियुक्त करेगा? ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए दो पार्टियों ने आवेदन किया है। एक पार्टी जो सक्षम है वह देश भर में 5000 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करना चाहती है और दूसरी पार्टी 1700 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करना चाहती है। वे ऐसे केन्द्रों की स्थापना कहां करेंगे? प्रत्येक नई पेट्रोल कम्पनी केवल शहरों और राजमार्गों पर ही ऐसे केन्द्र स्थापित करने पर ध्यान देगी। अत:, जम्मू और कश्मीर, असम जैसे दूरदराज के क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र का ध्यान नहीं रखा जाएगा। अत:, हम यह शर्त लगाएंगे कि यदि वे 5000 पेट्रोल पम्पों की स्थापना करना चाहते हैं तो इनमें से 5 अथवा 10 प्रतिशत केन्द्र ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों में अनिवार्यत: स्थापित करने होंगे जहां आमतौर पर पेट्रोल पम्प स्थापित करना वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा। इसी तरह ऐसी कई बातें होंगी जिन्हें विधेयक में इंगित किया गया है।

सभापति महोदय : मंत्रालय भी यह कार्य कर सकता है।

श्री राम नाईक : इसीलिए उन्होंने इस बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार से अलग होकर कार्य करने के बारे में एक अन्य मुद्दा उठाया है। यथासंभव सरकार को ऐसे प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अत:, प्रशासनिक कार्य विनियामक द्वारा विनियमित किए जाएंगे। अत:, यह कार्य सरकार की बजाय बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : आप इसके लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जो इन सभी मामलों की देखरेख करेगा।

श्री राम नाईक : इस बोर्ड की स्थापना का मूल प्रयोजन यह था कि जहां तक संभव हो सके इस कार्य को सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य इस विधेयक का पृष्ठ 18 देख सकते हैं जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति, पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक, 2002 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 117(1)(3) के अंतर्गत सभा में पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक, 2002 को पुर:स्थापित करने और इस पर विचार करने की सिफारिश कर सकता है। अत: इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया और उन्होंने इसे पुर:स्थापित करने और इस पर विचार करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

इसके अलावा मैं दूसरे पहलू पर भी बोलना चाहूंगा क्योंकि इसका संविधान से संबंध है। संविधान में यह परिकल्पना की गई है कि कौन से विषय केन्द्र के हैं और कौन से राज्य के विषय हैं। अब सातवीं अनुसूची में संघ सूची में यह स्पष्टतया बताया गया है कि ये मामले केन्द्र द्वारा विनियमित किए जाएंगे। संघ सूची में, प्रविष्टि 53 में यह कहा गया है :

> ''तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संपत्ति स्रोतों का विनियमन और विकास पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, अन्य द्रव और पदार्थ जिनके विषय में संसद में विधि द्वारा घोषणा की है कि वे खतरनाक रूप से ज्वलनशील हैं।''

अत:, इस विषय पर विधान बनाना संसद के क्षेत्राधिकार में है और इसीलिए हम सभा में यह विधेयक लाए हैं।

मैं अन्य प्रश्नों, जिन्हें उठाया गया है, पर संक्षेप में उत्तर देने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये विधेयक की संविधानज्ञता की तह तक नहीं जाते हैं। इस विधेयक से देश में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार विकसित करने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। जब अधिकाधिक पार्टियां आएंगी तो इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। जब प्रतिस्पर्धा होगी तो सेवा में सुधार होगा और मूल्य भी प्रतिस्पर्धात्मक होंगे।

ये मूल कारण हैं जिनकी वजह से इस विधेयक को पुर:स्थापित किया जा रहा है और मैं यह आशा करता हूं कि जब इस विधेयक पर विचार किया जाएगा तो इसे निश्चित रूप से पारित किया जाएगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> ''कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे उपभोक्ताओं और अस्तित्वों के हितों का संरक्षण करने, देश के सभी भागों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का अबाधित और पर्याप्त प्रदाय सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों का संप्रवर्तन करने के लिए अपरिष्कृत तेल ओर प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिष्करण, संसाधन, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और विक्रय को विनियमित करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नाईक : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक—पारित

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या-11, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2000 पर चर्चा आरंभ करेंगे। इसके लिए तीन घंटे का समय आबंटित किया गया है। श्री अजित सिंह।

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : सभापति महोदया, में प्रस्ताव करता हूं :

> ''कि स्वयं सेवा और परस्पर सहायता पर आधारित जन-संस्थाओं के रूप में सहकारिताओं की स्वैच्छिक विरचना और लोकतांत्रिक कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए और उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के संवर्धन में उन्हें समर्थ करने के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए ऐसी सहकारी सोसाइटियों से, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो एक से अधिक राज्यों में सदस्यों का हितसाधन कर रही हैं, संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2000 का उद्देश्य वर्तमान बहुराज्य सहकारी अधिनियम, 1984 का स्थान लेना है। 'सहकारी सोसाइटियां' राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत राज्य का विषय हैं। तदनुसार राज्यों ने अपने-अपने अधिनियम बनाए हैं। ऐसी सहकारी सोसाइटियों जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है, के संगठन और कार्यकरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से संसद ने संविधान की पहली सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 बनाया है।

सहकारी क्षेत्र से बढ़ती हुई मांग और सहकारिताओं के लोकतांत्रिक और स्वायत्त कार्यकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए, योजना आयोग ने समस्त मामले की जांच हेतु चौधरी ब्रह्मप्रकाश की अध्यक्षता में 1990 में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की गई थी कि राज्यों के लिए एक आदर्श सहकारिता कानून बनाया जाए जिसका उद्देश्य वर्तमान राज्य अधिनियमों में प्रतिबंधात्मक उपबंधों को हटाकर सहकारिताओं को वास्तविक स्वरूप प्रदान करना और समेकित सहकारी ढांचे के निर्माण में सहायता करना है। भारत सरकार ने कृषि एवं सहकारिता विभाग में श्री आर.एन. मिर्धा के नेतृत्व में एक परामर्शदात्री समिति गठित की जो बहुराज्य सहकारिताओं के स्वायत्त कार्यकरण को सुनिश्चित करने से संबंधित मामलों में केन्द्र सरकार को सलाह देगी।

चौधरी ब्रह्मप्रकाश समिति और मिर्धा समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1984 को प्रतिस्थापित करने हेतु एक विधायी प्रस्ताव तैयार किया गया और तदनुसार वर्ष 2000 के शीतकालीन सत्र में इस सम्मानीय सभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2000 पुरःस्थापित किया गया। माननीय अध्यक्ष ने इस विधेयक को जांच हेतु, कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया और समिति ने अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

विधेयक का उद्देश्य वर्तमान बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 में ऐसे पहचान किए गए प्रतिबंधित उपबंधों को हटाना और बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रबंधन उपलब्ध कराना है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार काफी समय से सहकारी समितियों की प्रक्रिया में सुधार पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है। यह आम धारणा है कि सहकारी संस्थाओं पर अनुचित सरकारी हस्तक्षेप और नौकरशाही नियंत्रण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन संस्थाओं को वास्तव में सदस्यों द्वारा संचालित संस्थाएं बनाया जाना चाहिए। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही सहकारिता के इतिहास में एक नए युग की शुरूआत होगी जिसमें वे सदस्यों के पारस्परिक लाभार्थ वास्तविक लोकतांत्रिक ढंग से और स्वायत्त संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगी। इस विधेयक से सदस्यों का इन संस्थानों में विश्वास बहाल हो सकेगा और उनमें जागरूकता बढ़ेगी। सहकारिताओं में छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, कामगार और समाज के कमजोर वर्गों के सदस्य होते हैं। सहकारिता के नए दृष्टिकोण से ये वर्ग व्यापक अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए अपना सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर सकेंगे। यह नया कानून बनने के बाद राज्य सरकारों से अपने अधिनियमों में इसी तरह के संशोधन करने का अनुरोध किया जाएगा क्योंकि अधिकांश सहकारी कार्यकलाप राज्यों में ही होते हैं।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :

(एक) अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सहकारिता सिद्धांतों पर आधारित सरकार की नीति को परिलक्षित करने की दृष्टि से अधिनियम की प्रस्तावना को व्यापक बनाए जाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव है कि अधिनियम की प्रस्तावना को व्यापक बनाया जाए ताकि सहकारिताओं के प्रति सरकार की नीति को परिलक्षित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मूल सहकारी सिद्धान्त पहली अनुसूची में शामिल किए गए हैं।

(दो) पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाए जाने का प्रस्ताव है।

सहकारी सोसाइटियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को छः माह की अवधि को चार माह तक करने और सोसाइटियों अथवा उनके उपनियमों का निर्धारित अवधि में पंजीकृत करने में केन्द्रीय पंजीकरण के विफल होने की स्थिति में मानित पंजीकरण की व्यवस्था करके सरल बनाया गया है।

सोसाइटी के विलय अथवा विभाजन के लिए केन्द्रीय पंजीकरण की पूर्व सलाह अथवा स्वीकृति के उपबंध को हटाने का प्रस्ताव है।

सहकारी सोसाइटियों को आनुषंगिक एकक बनाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि सोसाइटी को अपने कथित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु अनुषंगी संस्थाएं बनाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा जिन्हें उस समय प्रभावी कानून के तहत पंजीकृत किया जाएगा।

संघीय सहकारिताओं को उनसे जुड़े सदस्यों के प्रति अधिक जिम्मेवारियां देने का प्रस्ताव है।

प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आम सभा की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने अथवा ऐसी सोसाइटी के उपनियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम स्तर तक सेवाओं का उपयोग करने में विफल होने की स्थिति में सदस्य को निरर्ह किए जाने के प्रावधान किए गए हैं।

[श्री अजित सिंह]

वर्तमान अधिनियम में निर्धारित निरर्हता के अलावा विधेयक में एक नया उपबंध जोड़ने का प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत यदि कोई केन्द्र अथवा राज्य सरकार में मंत्री का पद ग्रहण करता है तो वह प्रेसीडेंट अथवा वाइस प्रेसीडेंट अथवा चेयरपरसन अथवा वाइस चेयरपरसन बनने के लिए निरर्ह हो जाएगा।

विधेयक में यह प्रस्ताव है कि बोर्ड के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल उपनियमों में उल्लिखित अवधि होगी, लेकिन यह मौजूद विधेयक में दी गई अवधि तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

इसमें यह भी प्रस्ताव है कि चुनाव सोसाइटी द्वारा स्वयं किए जाएंगे तथा ऐसा न होने पर, केन्द्रीय पंजीयक सोसाइटी के खर्चे पर चुनाव संपन्न कराएगा।

बोर्ड में सरकार के नामित व्यक्ति शेयरधारिता के अनुपात के अनुसार होंगे, लेकिन उनकी संख्या तीन अथवा बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

सरकार सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन और सहायता में अपनी भूमिका निभाती रहेगी। सरकार सोसाइटी के अनुरोध पर शेयरपूंजी, ऋण और अग्रिम, गारंटी तथा राजसहायता सहित किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के माध्यम से उनका संवर्धन करने व सहायता देने का कार्य जारी रखेगी।

सोसाइटियों को अपने संसाधन जुटाने और अतिरिक्त धन का उपयोग करने की पूर्ण स्वायत्तता होगी। सोसाइटियों को इस रूप में सक्षम बनाने का प्रस्ताव है कि वे केन्द्रीय पंजीयक के अनुमोदन के बगैर ही अपने उप-नियमों के अनुसार अपनी निधियां बढ़ाने हेतु संसाधन जुटा सके तथा अपनी अतिरिक्त निधियों का उपयोग कर सकें।

सोसाइटियों को अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराने की भी शक्ति प्राप्त होगी। प्रस्ताव यह है कि सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा स्वयं सोसाइटी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी न कि केन्द्रीय पंजीयक द्वारा नियुक्त किसी लोखापरीक्षक द्वारा। तथापि, सोसाइटी द्वारा ऐसा करने में विफल रहने पर केन्द्रीय पंजीयक लेखापरीक्षक की निर्युक्ति कर सकता है।

केन्द्रीय पंजीयक की जांच और निरीक्षण संबंधी शक्तियां सीमित की गई हैं। यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय पंजीयक जांच व निरीक्षण के लिए सिर्फ उसी स्थिति में कह सकता है यदि तत्संबंधी आवेदन केन्द्रीय सोसाइटी अथवा ऋणदाता अथवा सोसाइटी के कुल सदस्यों के कम से कम पांचवें भाग द्वारा दिया गया हो तथा सोसाइटी के प्रबंधन को इसकी यथोचित सूचना पहले दी जा चुकी हो।

इसमें यह प्रस्ताव है कि माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार सोसाइटी के विवादों का समाधान एक विवाचक द्वारा किया जाएगा, न कि केन्द्रीय पंजीयक द्वारा किया जाएगा।

समिति के प्रबंधन को उत्तरदायी बनाने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि अपराध और उसके लिए कठोर दंड के क्षेत्र को बढ़ाया जाए।

यह प्रस्ताव किया गया है कि जिन सोसाइटियों में सरकार की इक्विटी 51 प्रतिशत से अधिक है, केवल उनमें निदेशक मंडल को निदेश देने अथवा इसे हटाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास होगा।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि अधिनियम और नियमों के किन्हीं भी प्रावधानों से सोसाइटी को छूट देने की केन्द्र सरकार की शक्ति को वापस लिया जाए।

अब, मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक पर विचार करे तथा इसे पारित करे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि स्वयं सेवा और परस्पर सहायता पर आधारित जन-संस्थाओं के रूप में सहकारिताओं की स्वैच्छिक विरचना और लोकतांत्रिक कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए और उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के संवर्धन में उन्हें समर्थ करने के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए ऐसी सहकारी सोसाइटियों से, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो एक से अधिक राज्यों में सदस्यों का हितसाधन कर रही हैं, संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब, श्री शिवराज वि. पाटील।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : सभापति महोदया, यह विधेयक संसद को भारत में सहकारी आंदोलन पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है।

जैसा कि ठीक ही कहा गया है, सहकारी समितियां आमतौर पर राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन आती हैं, लेकिन एक या दो स्थानों पर ऐसा उल्लेख है कि यह केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन भी कार्य कर सकती हैं। मैं इन सभी चीजों में नहीं जा रहा हूं।

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2000 हमारे समक्ष है तथा माननीय मंत्री ने इस विधेयक के सकारात्मक प्रावधानों की व्याख्या बड़े ही स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से की है। जैसा कि मैंने बताया,

यह विधेयक बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को स्थानापन्न करने का प्रयास कर रहा है। लोक सभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा ब्रह्मप्रकाश समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में इस विधेयक द्वारा पुराने कानून को स्थानापन्न किया जाना चाहिए तथा हम इस बात से खुश हैं कि इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत किया गया है।

मेरा यह कहना है कि यह विधेयक स्वागत योग्य है। इसमें अनेक प्रावधान अच्छे हैं तथा इससे देश में सहकारी आंदोलन को सहायता मिलेगी। इसलिए, हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले सकारात्मक प्रावधानों का जिक्र करूंगा, तत्पश्चात् इसकी कमियों का तथा उसके बाद मैं उन नीतियों व सिद्धांतों का जिक्र करूंगा जिन्हें देश में सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु अपनाया जा सकता है। तत्पश्चात्, मैं कुछ परिवर्तनों का उल्लेख करूंगा जिन्हें सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए संविधान में समाविष्ट किया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री के इस कथन से सहमत हूं कि यह विधेयक सहकारी समितियों को विलय, विभाजन और अनुषंगी समितियां बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिसके लिए उन्हें केन्द्रीय पंजीयक की पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी। यह अच्छा प्रावधान है और हम इसका सवागत करते हैं। दूसरा अच्छा प्रावधान यह है कि केन्द्रीय पंजीयक की पूर्व स्वीकृति के बिना सहकारी समितियां अपने संसाधन जुटा सकती हैं। बहु-राज्य सहकारी समितियों को संसाधन जुटाने तथा शेयरों में पैसा लगाने के लिए केन्द्रीय पंजीयक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वे आम सभा में लिए गए अपने निर्णयों अथवा सोसाइटी द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ऐसा कर सकते हैं। यह भी एक अच्छा प्रावधान है। वस्तुत:, इन दो प्रावधानों से सहकारी समितियों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। पहला प्रावधान समितियों को प्रबंधकीय स्वायत्तता तथा दूसरा प्रावधान उन्हें वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है। नए कानून द्वारा पुराने कानून को हटाने के पीछे उद्देश्य था समितियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना और इन दो प्रावधानों के माध्यम से इस उद्देश्य को बहुत हद तक प्राप्त किया जा चुका है।

मेरे अनुसार तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि मंत्रियों को बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ राज्यों में ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनके अध्यक्ष मंत्री हैं तथा जब यह प्रश्न आया कि वे सोसाइटी के अध्यक्ष पद को छोड़ेंगे अथवा मंत्री पद को, तो उन्होंने सोसाइटी के अध्यक्ष पद को छोड़ने के बजाय मंत्री पद छोड़ना ही पसंद किया। इसका अर्थ यह है कि यदि वे मंत्री तथा इन समितियों के अध्यक्ष दोनों ही बने रहते हैं तो उनके द्वारा अध्यक्ष के रूप में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। खासतौर पर यह प्रावधान करके इस संभावना को मिटाया गया है कि इन समितियों का अध्यक्ष राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार का कोई मंत्री नहीं होगा। हमने पाया है कि हमारी स्थायी समितियों में भी उनका अध्यक्ष कोई मंत्री नहीं होता। वे संसद सदस्य होते हैं मंत्री नहीं होते। अब, इसी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और यह एक अच्छा सिद्धांत है।

अपराह्न 3.16 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए]

चौथा अच्छा प्रावधान यह है कि कभी-कभी यह पाया जाता है कि समितियों में कार्य करने वाले लोग उनका प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाते हैं तथा वे समिति को अपने साथ बनाए रखने के लिए न्यायालय की शरण में चले जाते हैं तथा विवादों को न्यायालयों में लंबित रखा जाता है और काफी लंबे समय तक विवादों का हल नहीं निकल पाता जिससे शेयरधारकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस विधेयक में ऐसी घटनाओं से बचने का प्रयास किया गया है। इस विधेयक में विवाद समाधान प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है तथा मैं समझता हूं कि यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है। मुझे विवाद समाधान प्राधिकरण के संबंध में मात्र एक आपत्ति है। आपत्ति यह है कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि विवादों को तीन महीने के अंदर निपटाया जाएगा। व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है। यदि इस प्रावधान को स्वीकार किया भी जाए तो फिर इस विधेयक में दूसरा एक प्रावधान यह है कि यदि किसी कारणवश विवाद समाधान प्राधिकरण द्वारा विवादों का निपटारा तीन महीने के अंदर संभव नहीं हो तो वे तत्संबंधी कारणों को प्रस्तुत कर सकते हैं तथा कुछ और अधिक समय लेकर विवादों को हल कर सकते हैं। मेरी समझ में यह प्रावधान कुछ अव्यवहार्य प्रतीत होता है। इस प्रावधान को वास्तविक रूप से लागू करने के लिए कुछ करना होगा। इसका एक तरीका देश में अनेक विवाद समाधान प्राधिकरणों की स्थापना है। विधि में कहा गया है कि केवल एक विवाद समाधान प्राधिकरण नहीं होगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विवाद समाधान प्राधिकरण होंगे। यदि विभिन्न राज्यों में विवाद समाधान प्राधिकरण होंगे और बाद में यदि संभव हो तो विभिन्न जिलों में होंगे तो इन विवादों का निपटारा तय समय-सीमा के अंदर संभव हो सकता है।

अंतिम प्रावधान जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है। अंततोगत्वा, ये समितियां जनता की सहायता करेंगी। माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि सहकारी समितियां ग्रामीण जनता की मदद करती

[श्री शिवराज वि. पाटील]

हैं। जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, जो निजी क्षेत्रों में अपना उद्यम शुरू नहीं कर सकते हैं, जो व्यक्ति वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों से ऋण लेने की स्थिति में नहीं हैं और जिनके पास कम राशि उपलब्ध है, वे सोसाइटी की निधि में योगदान करते हैं तथा इस निधि का उपयोग जनता के लिए किया जाता है। कभी-कभी यह देखा गया है कि इस धन का उपयोग शेयरधारकों के लाभ के लिए नहीं किया जाता है। कभी-कभी गलतियां की जाती हैं और ये समितियां गायब हो जाती हैं तथा इन समितियों में जमा धन भी गायब हो जाता है। इसलिए, यह राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार का दायित्व बन जाता है कि सहकारी समितियों के शेयरधारकों के हितों की रक्षा की जाए जिस प्रकार उन्हें बैंकों में जमकर्ताओं अथवा अन्य संस्थाओं में शेयरधारकों के हितों की रक्षा करनी होती है।

इस विधेयक में यह सही प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार को यह अधिकार होगा कि वह सोसाइटियों को निदेश दे। वे निधियों का इस प्रकार से उपयोग करें कि आम आदमी के हित की रक्षा हो सके। मैं इससे संतुष्ट हूं।

महोदया, अब मैं खामियों पर आता हूं। खामियां क्या हैं? मुझे पता है कि विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है तथा हम चाहेंगे कि इसे संशोधन सहित अथवा बगैर संशोधन के पारित किया जाए। परंतु जहां तक उन खामियों का सवाल है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, यदि संभव और आवश्यक हो तो उन्हें भविष्य के लिए संशोधनों हेतु दिमाग में रखना चाहिए ताकि इस कानून को और प्रभावी तथा उपयोगी बनाया जा सके। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि एक राज्य में केवल एक बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी होगी।

यदि विधेयक में ऐसा प्रावधान नहीं है तो मैं अपनी टिप्पणी को वापस लेता हूं किंतु यदि आप एक राज्य के लिए बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों की संख्या पर प्रतिबंध लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें उनकी संख्या पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए? यदि वहां ऐसा प्रावधान नहीं है, यदि मैंने कानून को गलत पढ़ा है तो मैं अपनी टिप्पणियों को वापस लेता हूं। परंतु यदि ऐसा प्रावधान है तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रावधान को हटा दिया जाए तथा हमें विभिन्न राज्यों में और अधिक बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्थापना की अनुमति दे देनी चाहिए। यदि दो या इससे अधिक बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियां हैं तो इन्हें प्रतिबंधित करने के बजाय इनका स्थगन किया जाना चाहिए।

मुझे इसके बारे में कोई बहुत बड़ा संदेह नहीं है, परंतु कुछ लोग कहते रहे हैं कि यह कानून में यह प्रावधान है कि बचत का वितरण खास तरीके से किया जाना चाहिए। मुझे पता है जिस इरादे से इसे किया गया है—ऐसा शेयरधारकों व कामगारों के हितों की रक्षा करने, सोसाइटियों के आधुनिकीकरण के हितों के रक्षार्थ तथा ऐसी ही अन्य बातों के लिए किया गया है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यदि इस प्रावधान को कठोरता के साथ लागू किया जाता है तो इससे समस्याएं पैदा होने की संभावना है। इसलिए, इसका प्रयोग बहुत ही समझदारी के साथ इस तरीके से किया जाना चाहिए जो वस्तुतः फायदेमंद हो। अब, इस अधिकार का उचित तरीके से प्रयोग करने का प्रश्न उठता है। मुझे इस प्रावधान को लेकर कोई आपत्ति नहीं है परंतु मुझे इस प्रावधान का प्रयोग करने में जिस विवेक का उपयोग किया जा सकता है उसको लेकर आपत्ति है।

मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमने ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं, तालुका पंचायतों और जिला पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी की अनुमति के सिद्धांत को अपनाया है। राज्य विधान सभाओं और संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिए जाने संबंधी विधेयक संसद में लंबित पड़ा है। परंतु कम से कम जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर, नगरपालिका स्तर पर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर इसे अनुमति मिल चुकी है। इसका अर्थ यह है कि हम राजनीतिक लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी की अनुमति दे चुके हैं। तब यही बात आर्थिक लोकतंत्र में भी अनुमति दिए जाने के संबंध में क्यों नहीं होनी चाहिए? यह प्रावधान इस कानून में क्यों नहीं किया गया है? कुद राज्य सरकारों ने इस प्रकार का प्रावधान किया है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान मध्य प्रदेश अधिनियम तथा महाराष्ट्र अधिनियम में भी है।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : हां, वहां यह प्रावधान है।

श्री शिवराज वि. पाटील : यदि इस प्रकार का प्रावधान राज्य के कानून में किया गया है तो इसे केन्द्र के कानून में भी होना चाहिए। यह कानून पश्चगामी कानून नहीं होना चाहिए, इसे राज्यों में उपलब्ध कानूनों से बेहतर होना चाहिए। अतः मेरा अनुरोध यह है कि सहकारी आंदोलन तथा देश के आर्थिक कार्यकलापों में महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों की निर्धन महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस विधेयक को तैयार करते वक्त इस मुद्दे को नहीं भूलना चाहिए था। मेरी नजर में यह एक बहुत ही गंभीर खामी है।

मेरी नजर में दूसरी खामी यह है कि महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम तथा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को मान्यता दी गई है। कानून में यह प्रावधान है कि निदेशक मंडल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। यदि शेयरधारक

उन्हें निदेशक मंडल में चुनते हैं तब तो ठीक है, परंतु यदि बोर्ड में कोई निदेशक न हो तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति को नामनिर्देशित किए जाने का प्रावधान होना चाहिए ताकि वह सहकारी समितियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण करने की स्थिति में हो सके। इन सहकारी समितियों में यह पाया जाता है कि वे व्यक्ति ही इसके सदस्य हैं जिनके पास पैसा है। उनके पास बहुत पैसा नहीं होता। उनके पास सीमित धन होता है। तथापि, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास धन बिल्कुल नहीं होता और ये अत्यधिक गरीब होते हैं। ऐसे लोगों की और सहायता की जानी चाहिए। सहकारी समितियों के माध्यम से उनकी और सहायता करने हेतु बोर्ड में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो निर्णय लिए जाते समय यह सुनिश्चित कर सके कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के हितों के रक्षार्थ उन्हें यथोचित सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) **:** इसमें एस.सी.एस.टी. और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ब्रह्मानंद मंडल जी, आप आसन ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : क्या मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि जब वे अपना भाषण दें तब वे इसका उल्लेख करें। मैं दो बातें कह रहा हूं। मुझे कुछ बातों को दूसरों के लिए भी छोड़ देना चाहिए।

मैं समझता हूं यह बात प्रावधान में शामिल होनी चाहिए थी। मेरा मानना है कि बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक का उपयोग एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी बैंकों की सहायता के लिए किया जाएगा। इसके द्वारा एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी बीमा समितियों की मदद किए जाने की भी संभावना है। मैं समझता हूं कि हमें बहु-राज्य सहकारी बैंकों के लिए इस प्रकार के प्रावधान का स्वागत करना चाहिए। हमोर पास एकल राज्य सहकारी बैंक हैं। मैं समझता हूं हमारे पास बहु-राज्य सहकारी बैंक नहीं हैं तथा ऐसा करने से हमारे पास बहु-राज्य सहकारी बैंक भी ले जाएंगे। बीमा निजी क्षेत्र के लिए खुला है। यदि यह अलग-अलग व्यक्तियों और निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध है तो सहकारी क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए।

मैं अनेक बार दुहराता हूं कि ऐसा होना चाहिए। बहु-राज्य सहकारी बैंक तथा बहु-राज्य सहकारी बीमा समितियां होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं। सहकारी बैंकों में क्या हुआ। आज ही एक माननीय सदस्य ने सभा में बताया कि कुछ सरकारी बैंकों में क्या घटित हुआ। जब हम आम आदमी को बैंक का सदस्य बनने तथा उसके प्रबंधन की अनुमति देते हैं तो हमें निदेशक मंडल को बैंक का प्रबंधन इस तरह से करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिससे कि जमाकर्त्ताओं को कोई कठिनाई हो।

यू.टी.आई. में जो घटित हुआ उसे हम जानते हैं। कुछ सहकारी बैंकों में क्या हुआ उसकी हमें जानकारी है। हम यह भी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में क्या घटित हुआ। यही कारण है कि मैं यह चेतावनी देना चाहूंगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ करना होगा कि सहकारी बैंकों में जमाकर्त्ताओं के हित सुरक्षित हों। ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि आप सभी उपलब्ध आधुनिक युक्तियों जैसे कम्प्यूटर व अन्य का उपयोग करें और यदि प्रतिदिन उस व्यक्ति द्वारा इसकी समुचित निगरानी की जाए जिसे निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया हो तथा यदि बोर्ड प्रत्येक सप्ताह इसकी निगरानी करे तो यह सुनिचित करना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, परंतु इसकी अनुमति इस प्रकार से दी जानी चाहिए ताकि बैंकों में पैसा जमा करने वाले गरीब लोगों को अपनी उस बचत से हाथ न धोना पड़े। सहकारी बीमा समितियों का प्रबंधन सहकारी बैंकों के प्रबंधन से अधिक मुश्किल है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता स्वयं ही अपनी संपत्तियों को सुनिश्चित करेगी। मान लीजिए ये समितियां गायब हो जाती हैं अथवा ये समितियां जनता के अधिकारों और संपत्ति की रक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं तो इससे गरीब जनता प्रभावित होगी।

वर्तमान परिस्थितियों में हमें एक ओर यह सुनिश्चित करना होगा कि उन लोगों को काफी स्वतंत्रता दी गई है जो आर्थिक क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं और काफी सक्रिय होना चाहते हैं, किंतु साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि उन लोगों को भी संरक्षण दिया गया है जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और इसी में से बचत करके इन वित्तीय संस्थाओं में पैसा जमा करते हैं। त्वरित विकास के नाम पर हम उन्हें भुगतने के लिए नहीं छोड़ सकते जिन्होंने परिश्रम से धन अर्जित किया है। हम यह कदम नहीं उठा सकते और यदि हम यह कदम उठाते हैं तो यह आर्थिक न्याय नहीं होगा। अंततः, इसे जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसलिए, मैं चेतावनी देता हूं कि सहकारी बैंकों और सहकारी बीमा समितियों में इस प्रकार के उप-नियम होने चाहिए ताकि जनता के हितों का संरक्षण हो सके। निस्संदेह, कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं, नियम कार्यपालिका अर्थात् सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और उन्हें सदनों के पटल पर रखा जाएगा। यहां तक कि हम नियमों में भी इस एहतियात को बरत सकते हैं। हम नियमों से कहीं अधिक

[श्री शिवराज वि. पाटील]

उप-नियमों में इस एहतियात को बरत सकते हैं। सहकारी बैंकों और सहकारी बीमा समितियों के उपनियम इस प्रकार के होने चाहिए ताकि आम जनता के हितों का संरक्षण हो सके।

बहु-राज्य सहकारी समितियों द्वारा जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्यकलाप शुरू किया जा सकता है, वह है कृषि उत्पादों का पड़ोसी देशों को निर्यात। यह क्षेत्र अभी खाली पड़ा है। इस पर अभी किसी का अधिकार नहीं है। निजी क्षेत्र अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, सरकारी क्षेत्र अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है तथा सार्वजनिक क्षेत्र भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो वास्तविक रूप में खाली है तथा इस क्षेत्र में बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ये एकल-राज्य सहकारी समितियां नहीं होनी चाहिए और ये न केवल बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियां होनी चाहिए बल्कि ये बहुराष्ट्रीय सहकारी समितियां होनी चाहिए। उन्हें इस स्थिति में होना चाहिए कि वे अन्य देशों में भी कार्यकलाप संपन्न कर सकें। ऐसा किए जाने की जरूरत है तथा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया है कि अतिरिक्त कृषि उतपादों का अन्य देशों में निर्यात किया जाए। इस तरह की घोषणा करने मात्र से हमारे लिए अपने अतिरिक्त कृषि उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात करना संभव नहीं होगा। इसलिए, क्या किए जाने की जरूरत है? छोटे किसानों को सब्जी, फूल, फल, अनाज, दालें, तिलहन का उत्पादन करना पड़ेगा तथा किसी को उनके अतिरिक्त उत्पादों को एकत्रित करना पड़ेगा। इन उत्पादों को खेतों से शीतागारों एवं शीतागारों से विमानपत्तन और समुद्री बंदरगाह पर ले जाना पड़ेगा तथा समुद्री बंदरगाह से इन्हें जलयान, वायुयान अथवा यातायात के अन्य साधनों के माध्यम से विदेशों में ले जाना पड़ेगा। उन्हें ये चीजें अन्य देशों में बेचनी पड़ती हैं फिर उससे मिले धन को किसानों को लौटाना होता है। यह गांव में रहने वाले एक छोटे किसान द्वारा आसानी से नहीं किया जा सकता। यह उसके लिए बहुत कठिन होगा। उसके पास पूंजी नहीं है। उसके पास इसकी पर्याप्त ज्ञान नहीं है। यह सब करने के लिए उसमें आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन उसने देखा है कि कैसे चीनी मिलें विकसित हुई हैं, कैसे कताई मिलें विकसित हुई हैं और बैंक कैसे काम करते हैं। उसे इस प्रकार की सहकारी समितियों में विश्वास है और यदि इस प्रकार की सहकारी समितियां अस्तित्व में आती हैं तो मेरे विचार से उपलब्ध रिक्त स्थान को इन सहकारी समितियों से भरा जा सकेगा और उन्हें लाभकारी मूल्य देने, अच्छे मूल्य देने के लक्ष्य को इन वस्तुओं के निर्यात से हासिल किया जा सकेगा।

लेकिन यहां बहुत से कार्य करने पड़ेंगे। केवल इस तरह का कानून बना देने से ही काम नहीं चलेगा। कृषि मंत्रालय को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, विदेश व्यापार से संबंधित मंत्रालय को इस पर ध्यान देना पड़ेगा; पोत-परिवहन मंत्रालय को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और नागर विमानन मंत्रालय को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। वित्तीय संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराना पड़ेगा। एग्जिम (निर्यात आयात) बैंक को इस कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराना पड़ेगा और हमने इसके लिए योजनाएं और कार्यक्रम बना लिए हैं। ये कार्यक्रम और योजनाएं 1983 में ही तैयार कर लिए गए थे और वे तभी से वित्त मंत्रालय में पड़े हैं। उनको देखा जा सकता है और यदि संभव हो और यदि वे वर्तमान परिस्थितियों में भी व्यवहार्य लगें तो उनका उपयोग किया जाना चाहिए। मेरे अनुसार इन कमियों के कारण उन्हें कठिनाइयां हो रही हैं।

अंततः, मैं यह कहना चाहूंगा कि सहकारिता आंदोलन आम लोगों का आंदोलन है। यह अमीरों का आंदोलन नहीं है। यह सरकार का आंदोलन नहीं है। यह आम आदमी का आंदोलन है और यदि वास्तव में आम आदमी की आर्थिक रूप से सहायता की जानी है तो सहकारिता आंदोलन को विकसित किया जाना चाहिए। हमारे सौभाग्यवश महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में सहकारिता आंदोलन ने अपनी जड़ें जमा ली हैं परंतु अन्य राज्यों में सहकारिता आंदोलन अपनी जड़ें नहीं जमा पाया है। यह वहां व्यवहार में नहीं आया और लोग इसके लिए लालायित हैं, वे इसकी मांग करते हैं और हमें वहां सहकारिता आंदोलन को शुरू करने हेतु कुछ करना चाहिए। लेकिन यदि हम उन राज्यों में भी जहां सहकारिता आंदोलन ने अच्छा कार्य किया है उसका विश्लेषण करें तो हमें यह वर्गीकरण करना पड़ेगा कि सहकारिता आंदोलन में कार्य कैसा रहा है।

जहां तक ग्राम सहकारिता आंदोलन का संबंध है यह अच्छा कार्य कर रहा है। जहां तक कताई मिलों और तेल मिलों का संबंध है वे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। जहां तक चीनी उद्योग का संबंध है 60 प्रतिशत उद्योग ठीक काम कर रहा है और 40 प्रतिशत ठीक तरह से नहीं कर रहा। जहां तक बैंकों का संबंध है अभी तक उन्होंने ठीक काम किया है लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे अपने कार्यनिष्पादन के स्तर से नीचे गिर रहे हैं और एक बोझ बन गए हैं।

हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके यह गिरावट न आए। ऐसा क्यों हो रहा है, यह हमें समझना पड़ेगा। मेरे विचार से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरू में जिन लोगों ने यह आंदोलन आरंभ किया था वे वैचारिक स्तर पर सहकारिता आंदोलन से जुड़े थे। उन्हें यह सहकारिता आंदोलन बहुत प्रिय था। वे किसी और चीज की ओर ध्यान नहीं देते थे; वे सहकारिता आंदोलन पर ही ध्यान देते थे और कुछ राज्यों में सहकारिता आंदोलन को अपनाया

भी गया। मैंने उन लोगों को भूखे-प्यासे, बिना सोचे जहां चीनी मिलें बन रही थीं उस स्थान पर काम करते देखा; वे उन चीनी मिलों को अस्तित्व में लाए और वे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं।

दूसरे चरण में ऐसे लोग इस आंदोलन से जुड़े जिनके कार्यकुशल होने की उम्मीद थी, वे इन संस्थाओं को चलाने में सक्षम थे। वह भी अच्छा था। किसी को उस पर आपत्ति नहीं हो सकती।

अब हम तीसरे चरण में हैं जिसमें वे लोग आ रहे हैं जिन्हें इसमें पैसा दिखाई देता है। लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके विचार से वे इस आंदोलन में से कुछ पैसा कमा सकते हैं और न तो इन लोगों के दिल में लोगों के कल्याण की भावना है और न वे कार्यकुशल हैं। ये जोड़-तोड़ करने वाले हैं। वे चुने जाते हैं, यहां आते हैं और गड़बड़ी करते हैं। इन चालबाजियों के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य अपना घर भरना होता है और उसके बाद वे उसे इस या उस कारण से यह कहते हुए छोड़ देते हैं कि सहकारी समिति अच्छा काम नहीं कर रही है। हमें यह देखना होगा कि ऐसा न हो। यह कोई बहुत आसान कार्य नहीं है। यह एक बहुत कठिन कार्य है फिर भी ऐसा करना ही पड़ेगा।

कानून इस बारे में यह कहता है कि यदि इस प्रकृति के लोग वहां हैं तो एक रजिस्ट्रार होगा और उसके साथ उसके अन्य कर्मचारी यह देखेंगे कि ऐसा न हो; और रजिस्ट्रार और उसके साथी कर्मचारी यह सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे कि ऐसा न हो। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं तो रजिस्ट्रार या उसके साथी कर्मचारियों के रूप में सही काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने रुकावटें पैदा की हैं, उन्होंने सहकारी समितियों के धन के गबन को नहीं रोका अपितु वे सहकारी समितियों के गबन किए गए धन में साझीदार बन गए। अत: जब एक व्यक्ति था तो इस पर बुरा प्रभाव रहा। अब दो व्यक्ति हैं तो इसकी पीड़ा और अधिक बढ़ेगी। अत: कुल मामलों में रजिस्ट्रार और अधिकारियों ने मदद की जबकि कुछ मामलों में उन्होंने नहीं की।

तीसरे ये सरकारी समितियां बड़ी सहकारी समितियां राजनैतिक आकाओं की कठपुतलियां बन गई हैं। उनका उपयोग शैक्षिक संस्थाएं, अस्पताल और सांस्कृतिक संस्थाएं बनाने में नहीं होता उनका उपयोग राजनैतिक कारणों के लिए चंदा उगाहने के लिए होता है। वे लोगों के चुनाव के लिए ही पैसा एकत्रित नहीं करते अपितु लोगों को हराने के लिए भी पैसा एकत्रित करते हैं। अब यह हो रहा है।

अत:, अब आपके पास सहकार हैं, अधिकारी हैं और सरकारी तंत्र हैं और ये सब मिलकर इस आंदोलन की असफलता में योगदान कर रहे हैं। इस आंदोलन के हित में यही है कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ऐसा न हो। मैं सुनिश्चित नहीं हूं कि आपके पास इसके लिए कोई रामबाण औषधि है कि नहीं, क्या आपके पास ऐसा कुछ है कि जिसे आप वास्तव में पूर्णतया स्वीकार कर सकें। अब, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सहकारों, रजिस्ट्रारों और सरकार के बीच प्राधिकारों का संतुलन हो।

इनमें आपने एक बात यह की है कि मंत्री इनके अध्यक्ष नहीं बन रहे। केवल इससे गबन और भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं होगा लेकिन इससे कुछ मदद मिलेगी। इस प्रकार इस दिशा में आगे विचार की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। ऐसा केवल सहकारिता आंदोलन के लिए ही नहीं होना चाहिए अपितु इसलिए होना चाहिए कि इस सहकारिता आंदोलन से समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को आर्थिक रूप से मदद मिलती है। इसीलिए यह होना चाहिए। यह बहुत कठिन कार्य है। मैं नहीं जानता कि सरकार ऐसा कैसे करेगी लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यदि इस दिशा में सोचना शुरू किया जाए और इस क्षेत्र के लोग आदान उपलब्ध कराएं तो ऐसा किया जा सकता है।

अंतत: मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान का तिहत्तरवां और चौहत्तरवां संशोधन संविधान में अब तक किए गए सबसे महत्वपूर्ण संशोधन हैं।

इनसे जिला तालुका और ग्राम निकायों को मजबूती मिली है। उन्हें न केवल वित्तीय शक्तियां दी गई हैं अपितु उन्हें राज्य सरकार के किसी भी अवरोध से पूर्णतया मुक्त होकर कार्य करने की शक्ति भी दी गई है। ये संशोधन राजनैतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत बनाने में बहुत उपयोगी रहे हैं। पंचायती राज संस्थाएं राजनैतिक लोकतन्त्र लाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसी प्रकार सहकारिताएं हमारे देश के लोगों को आर्थिक लोकतंत्र प्रदान करा सकने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक हैं। मैं यह सुझाव देने का प्रयास कर रहा हूं कि राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत में केवल एक वाक्य का उपयोग किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत और सहकारिता के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए। इसके लिए केवल एक वाक्य है। आप राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में सहकारिता आंदोलन के समर्पित एक पूरा अलग अनुच्छेद यह कहते हुए क्यों नहीं जोड़ते कि सहकारिता आंदोलन ग्राम से तालुका और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक महत्वपूर्ण आंदोलन है? संविधान में इसके बारे में विस्तार सहित ऐसा कुछ क्यों नहीं जोड़ा जाता जिसके अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकें? अध्याय IX और IXक में पंचायतों और नगरपालिकाओं के बारे में प्रावधान है। इसी प्रकार यदि हम सहकारिताओं की गतिविधियों से संबंधित एक अलग अध्याय जोड़ दें तो मेरे विचार से हम ऐसा कुछ बहुत बुनियादी और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेंगे जिससे कि लोगों को आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त हो सकेगा।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

महोदय, मैं अपना यह विचार माननीय मंत्री जी के विचारार्थ छोड़ता हूं। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि अचानक कुछ हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोगों को आर्थिक लोकतंत्र देना चाहते हैं तो हमें केवल इसी दिशा में सोचना पड़ेगा। केवल राजनैतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है। हमें लोगों को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी प्रदान करनी होगी। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान प्रस्तुत करते समय अपने अंतिम भाषण में कहा था कि राजनैतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है अपितु आर्थिक स्वतंत्रता व सामाजिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। यदि इसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है तो हमारे लिए इस दिशा में बढ़ना बहुत कठिन होगा। मैं यह विचार माननीय मंत्री जी और संसद पर उनके विचारार्थ छोड़ता हूं।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने हेतु धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं।

महोदय, सबसे पहले मैं इस अति-महत्वपूर्ण विधेयक को लाने पर माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। वास्तव में सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े लोगों की यह बहुत समय से मांग रही है। इस विधेयक में सहकारिता क्षेत्र को लगभग पूर्ण स्वायत्तता दिए जाने का प्रावधान किया गया है जिसमें सरकार का आंशिक अंश रहेगा। पंजीयक के माध्यम से सरकार का हस्तक्षेप इतना अधिक था कि सहकारिता क्षेत्र एक स्वायत्तशासी निकाय की भांति कार्य करने की स्थिति में नहीं था जैसा कि उसे होना चाहिए। इस विधेयक में इस क्षेत्र को स्वायत्तता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मैं इस विधेयक को लाने पर माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा।

महोदय, इस विधेयक में सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार की भूमिका में बहुत कटौती होगी जो कि अब तक लगभग तानाशाहीपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा था। इस विधेयक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक सहकारी समितियों में पदाधिकारी रह सकता है। वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति एक समिति का सदस्य है तो वह दूसरी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार अब एक व्यक्ति के पास दो समितियों का सदस्य बनने की स्वतंत्रता होगी और उसके कितनी ही बार पदाधिकारी बनने पर भी कोई रोक नहीं होगी।

महोदय, वर्तमान में सहकारिताओं को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भांति सरकार का संलग्नक समझा जाता रहा है। सहकारिताओं पर बिना यह सोचे बहुत सी सामाजिक जिम्मेदारियां लाद दी गई कि सहकारिताएं भी एक व्यवसायिक संगठन हैं और मूलत: उनका उद्देश्य भी अपने सदस्यों के लिए लाभ अर्जित करना है। वे लाभ कमा सकती हैं और उसका उपयोग अपने सदस्यों की भलाई हेतु कर सकती हैं।

सहकारिताएं सामाजिक जिम्मेदारी के अपने सिद्धांत से बंधी हैं लेकिन वे समाज सेवी संगठन नहीं हैं। इस समय देश-भर में 5,04,000 से अधिक सरकारी समितियां हैं। उनकी सदस्य संख्या 20 करोड़ से अधिक है। इनमें करोड़ों रुपये की पूंजी सम्मिलित है। सरकारी नियंत्रण के कारण ये समितियां अपनी शक्तियों का इस प्रकार से उपयोग नहीं कर पातीं जैसा कि उन्हें करना चाहिए। वे व्यावसायिक तरीके से अपना कार्य करने में सक्ष्म नहीं हैं। इसीलिए यह स्वायत्तता दी जा रही है और यह एक स्वागत योग्य कदम है।

समितियों का पहला उद्देश्य अपने सदस्यों के हित साधना है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि ये समितियां सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हों और व्यावसायिक तरीके से कार्य करें जिससे ये खुले बाजार में प्रतियोगिता कर सकें। जो ऐसा करने में अक्षम हैं उन्हें बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस विधेयक में बहु-राज्यीय सहकारिताओं को कार्यात्मक स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रबंधन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

विवादों के निपटान हेतु वर्तमान विवाद निपटान तंत्र उतना प्रभावी नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए। इस विधेयक में विवादों के निपटान हेतु एक प्रभावी तंत्र बनाने का भी प्रावधान किया गया है। सहकारी-विवाद-निपटान प्राधिकरण के नाम से एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। केन्द्रीय पंजीयक द्वारा विवाद निपटाने की वर्तमान व्यवस्था का स्थान यह नयी व्यवस्था लेगी। ऐसा अनुमान है कि इससे विवादों का निपटान शीघ्र और अधिक न्यायपूर्ण होगा।

राज्य मंत्री या केन्द्रीय मंत्री इनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं होंगे। इस विधेयक में किसी सदस्य द्वारा अपराधों के मुकदमों के लिए शिकायत दर्ज कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें सूचना प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई सदस्य लगातार तीन बार आम सभा की बैठक में उपस्थित नहीं होता है तो उसे सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

मैं इस अतिआवश्यक विधेयक को लाने पर माननीय मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं। इस विधेयक के प्रावधानों को लागू करने से देश में सहकारी क्षेत्र के हितों की समग्र रूप से रक्षा हो सकेगी। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री श्री अजित सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विधेयक

का समर्थन करता हूं। यह देश के सहकारी क्षेत्र की एक लंबे समय से मांग रही है। यह समय की आवश्यकता है।

इस विधेयक को प्रस्तुत करते सयम माननीय मंत्री जी ने विधेयक के उद्देश्य के बारे में बताया है। मूल अधिनियम अर्थात् बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को जम्मू और कश्मीर सहित पूरे देश में लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य बहु-राज्य सहकारिताओं के प्रशासन और प्रबंधन के संबंध में एकरूपता लाना और उन्हें एक सहकारी कानून के अंतर्गत लाना था।

तथापि, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय इसके एक पहलू पर चर्चा नहीं की गई। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 बनाते समय इस बात पर समुचित रूप से चर्चा नहीं हुई थी कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि ये समितियां स्वायत्तशासी और लोकतांत्रिक संगठनों की तरह कार्य करेंगी। इसीलिए यह उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 1984 की इस कमी को दूर किया जाए।

सभापति महोदय, उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 3 में कहा गया है कि :

''इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 में बहु-राज्य सहकारी समितियों को कार्यात्मक स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रबंधन प्रदान करने हेतु प्रतिबंधात्मक प्रावधान करना है।''

इसी कारणवश मैं आज इस विधेयक का समर्थन करना चाहूंगा।

जहां तक सहकारिता का संबंध है आज उसके पीछे क्या मंशा है? मेरे विचार से इसके पीछे तीन बातें हैं जो कि सहकारिता आंदोलन के संबंध में बहुत प्रासंगिक हैं (1) सहकारिताओं के लोकतांत्रिक और स्वायत्तशासी कार्यकरण का वातावरण सुनिश्चित करना, (2) देश के बदलते आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में सहकारिता क्षेत्र से संबंधित ढांचागत सुधार करना और (3) देश में सहकारिता आंदोलन को पर्याप्त व समुचित नीतिगत समर्थन देने हेतु प्रावधान करना। मेरे विचार से आज यह सहकारिता क्षेत्र की मुख्य आवश्यकता है।

महोदय, मैं हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में सहकारिताओं के कार्यनिष्पादन के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। मैं नहीं जानता कि सभी यह जानते हैं कि नहीं परंतु यह तथ्य है कि हमारे देश के शत-प्रतिशत गांव सहकारिताओं में सम्मिलित हैं; 67 प्रतिशत परिवार सहकारिताओं से जुड़े हैं; इन सहकारी समितियों के 230 मिलियन सदस्य हैं और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के पास करीब 1,30,347 रुपये हैं। सभी स्तरों पर सहकारिताओं की संख्या 5,28,249 है।

अतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहकारिताओं की क्या भूमिका है? राष्ट्र-निर्माण में सहकारिताओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारिताओं का हमारे कुल कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने में करीब 50 प्रतिशत यानि, 49.3 प्रतिशत, उर्वरक वितरण में 35.2 प्रतिशत, उर्वरक उतपादन में 23.5 प्रतिशत और चीनी उत्पादन में लगभग 60 प्रतिशत, यानि, 59.73 प्रतिशत का योगदान है। इसलिए पशु चारा, दुग्ध खरीद और विपणन के क्षेत्र में सहकारिताओं ने देश-भर में प्रशंसनीय कार्य किया है।

महोदय, इस परिस्थिति में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरा सहकारी क्षेत्र कुछ वास्तविक समस्याओं का भी सामना कर रहा है। इनमें से एक समस्या है सहकारी प्रणाली में लोकतांत्रिक वातावरण का अभाव। कई बार सरकार द्वारा प्रायोजित सहकारी समितियां होती हैं। कई बार सहकारिताएं निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा चलाई जाती हैं। हम आम लोगों की सहकारिता के बारे में बात कर रहे हैं जहां आम लोग निर्णायक होते हैं। हम सहकारिताओं में वैश्विक सदस्यता, आम लोगों की सदस्यता के बारे में बात कर रहे हैं। जहां तक वैश्विक सदस्यता का संबंध है, क्या एक आम आदमी उसका सदस्य है, हमें इस बारे में कुछ नहीं करना। हम यह कर रहे हैं कि सहकारिता में लोकतांत्रिक प्रणाली के लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन कई बार अधिनियम, नियम, पंजीकरण आदि के नाम पर सरकारी प्रावधानों के कारण सहकारिता प्रणाली के पनपने में अड़चनें पैदा हो जाती हैं। पंजीयक के नाम पर, सचिव के नाम पर भी बहुत-सी रुकावटें हैं।

इसलिए, मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि हमें सहकारिता के क्षेत्र में संभव सर्वोच्च लोकतांत्रिक मानदंडों और प्रावधानों को अपनाना चाहिए।

महोदय, यहां मैं उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 6 में से उद्धृत करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने भी इसके बारे में बताया है। हमारे माननीय साथी श्री शिवराज वि. पाटील ने भी इसे उद्धृत किया है और मैं इस विधेयक के इस रवैये का समर्थन करता हूं। पैरा 6 में लिखा है :

''बहु-राज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन में केन्द्र या राज्य सरकारों का न्यूनतम नियंत्रण और उनका राजनीतिकरण न किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्र या राज्य सरकार का कोई मंत्री ऐसी समितियों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बन सकेगा।''

मैं इसका समर्थन करता हूं।

महोदय, मुझे ज्ञात है कि एक उप-मुख्यमंत्री एक राज्य सहकारी बैंक में अध्यक्ष थे। मेरे विचार से यह सही नहीं है।

[श्री मोइनुल हसन]

मैं पैरा 6 में दिए गए माननीय मंत्री जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकारों को इस संबंध में लोकतांत्रिक स्वरूप और आत्मनिर्भरता की भावना के अनुरूप अपने प्रावधानों में संशोधन करने चाहिए।

सहकारी क्षेत्र के सम्मुख दूसरी समस्या मानव संसाधन विकास की है। आज न केवल सहकारी क्षेत्र अपितु किसी भी संगठन की सफलता हेतु मानव संसाधन विकास की अत्यंत आवश्यकता है। अतः आज सहकारिता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की बहुत आवश्यकता है परंतु सहकारी क्षेत्र इस संबंध में पिछड़ रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रस्ताव करता हूं कि नाबार्ड को इसका हल निकालना चाहिए और सहकारी क्षेत्र को समुचित दिशानिर्देश देने चाहिएं।

मेरा तीसरा मुद्दा व्यवसायीकरण से संबंधित है। सरकारी क्षेत्र में बैंकों को इस समस्या को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने हेतु पेशेवर के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन हम इसे कैसे निपटाएंगे? नाबार्ड ने कहा है कि वह सहकारी बोर्डों में पेशेवर लोगों की सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

मैं महसूस करता हूं कि यह बहुत ही अलोकतांत्रिक है तथा इसे लोकतांत्रिक सिर्फ तभी बनाया जा सकता है जब बोर्ड के पास अपने व्यक्तियों का चयन करने का अधिकार हो। इसलिए मेरी दृढ़ मान्यता है कि सहकारी क्षेत्र को समय के साथ चलना अति आवश्यक है।

दूसरी समस्या दोहरे नियंत्रण के बारे में है। जब हम निचले स्तर पर सहकारी संस्थाओं में कार्य करते हैं तो सोचते हैं कि आखिर इन सहकारी संस्थाओं को कौन नियंत्रित करेगा। क्या भारत सरकार नियंत्रित करेगी? क्या राज्य सरकारें नियंत्रित करेंगी? क्या इसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक अथवा नाबार्ड या किसी शीर्ष संघ के हाथों होगा। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि इस व्यवस्था को विनियमित करना अत्यंत आवश्यक है। हमें इसका समाधान करना चाहिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक को इसे करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री को यह सलाह देता हूं कि वह वर्तमान व्यवस्था से दोहरे नियंत्रण को हटाने के लिए कोई उपाय करें।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण के दौरान चौधरी ब्रह्म प्रकाश का नाम लिया था। श्री शिवराज पाटील ने भी हमें कुछ बताया। जब उन्होंने चौधरी ब्रह्म प्रकाश का नाम लिया। सरकार को एक सुझाव दिया और एक आदर्श अधिनियम सुझाया है। मंत्री महोदय ने श्री राम निवास मिर्धा का भी नाम लिया था। मुझे इन दोनों व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि आदर्श अधिनियम के आलोक में वर्तमान विधेयक में कुछ कमियां हैं। विधेयक में एक ऐसा भी प्रावधान है जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश के आदर्श अधिनियम में नहीं है। इस विधेयक में ऐसी पर्याप्त संभावना है जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों को कम किया जा सकता है।

यहां मैं तीन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। यह बोर्ड में विनियुक्ति, सरकार की ओर से नामित व्यक्ति और विस्थापन हैं। आदर्श अधिनियम में इन तीनों का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने धारा 141 और अन्य में इनका उपबंध किया है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि लोकतांत्रिक अधिकार सीमित न किए जाएं और लोकतांत्रिक रूप से गठित बोर्ड विस्थापित न किया जाए।

मैं वित्तीय क्षेत्र के बारे में बोलने के लिए चंद मिनट लूंगा और सिर्फ दो मुद्दों का उल्लेख करूंगा। पहला मुद्दा सहकारी ऋण और बैंकिंग संस्थाओं को पुनः पूंजी देने हेतु सहायता के बारे में है। बजट प्रस्तावों के समय, हमारे माननीय वित्त मंत्री ने सहकारी संस्थाओं के तुलन पत्रों को ठीक करने हेतु 100 करोड़ रुपये की अल्प राशि का प्रस्ताव किया था। माननीय कृषि मंत्री को यह बात अच्छी तरह से मालूम है। पूरे देश में, सहकारी क्षेत्र की मुख्य मांग तुलन पत्रों (बैलेंस शीट) की खामियां दूर करना है। मेरी समझ से इस प्रश्न में पड़ने के बजाय कि यह राज्य का विषय है अथवा केन्द्र का हमें सहकारी संस्थाओं के लिए कुछ करना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

वित्त मंत्री ने सांकेतिक रूप में 100 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वह सहकारी ऋण और बैंकिंग संस्थाओं का पुनः वित्त-पोषण करने के लिए, अन्य संस्थाओं को दी गई निधियों की भांति, पर्याप्त निधि मुहैया कराएं।

मेरा दूसरा मुद्दा ऋण की सामान्य सीमा के बारे में है। 18 वर्ष के बाद यह 1200 करोड़ रुपये से केवल 5700 करोड़ रुपये तक पहुंची है। मेरा सुझाव है कि इसे 10,000 करोड़ रुपए किया जाए। इस सरकार का अनुमान है कि कृषि संबंधी प्रयोजनों हेतु दिए जाने वाले ऋण में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कैसे संभव है यदि ऋण की सामान्य सीमा नहीं बढ़ाई जाती है। इसलिए, मैं कृषि मंत्री से इस सीमा को बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

आम जनता को सहकारी क्षेत्र में शामिल होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में, सार्वजनीन सदस्यता का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल सरकार

ने सदस्यता शुल्क का 50 प्रतिशत अपनी ओर से प्रदान किया है। इस व्यवस्था के तहत लाखों लोग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग सहकारी क्षेत्र में शामिल होते हैं। श्री शिवराज पाटील ने एक अच्छा प्रस्ताव रखा है तथा मैं इसका समर्थन करता हूं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को भी सहकारी क्षेत्र के बोर्ड में शामिल करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह समय की मांग है।

मैं और समय नहीं लूंगा तथा सिर्फ प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा है :

"सहकारिता सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती। यदि इस पर अच्छा या बुरा कोई भी सरकारी नियंत्रण है तो यह अन्य कुछ भी हो परंतु सहकारिता बिल्कुल नहीं है।"

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं अपने तथा अपने दल, शिवसेना की ओर से कुछ सुझावों सहित इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सहकारिता आंदोलन आम आदमी का आंदोलन है। यदि हमें इस आंदोलन को परिभाषित करना होता तो हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं "सभी के लिए एक तथा एक के लिए सभी"। संक्षिप्त में हम इसे यह कहते हुए परिभाषित कर सकते हैं कि इस संगठन के माध्यम स्वसहायता को प्रभावी बनाया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रत्येक संशोधन आम आदमी के हित में होना चाहिए। मैं विधेयक पर धारा-वार बात करूंगा।

इस विधेयक की धारा 23 में कहा गया है :

"कोई व्यक्ति, सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसने न्यूनतम स्तर से कम सेवाओं का उपयोग किया है अथवा लगातार तीन साधारण अधिवेशनों में भाग नहीं लिया है।"

यह अस्पष्ट है। विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि न्यूनतम सेवा क्या है। कभी-कभी कोई सदस्य उचित कारण से विरोध कर रहा होता है लेकिन न्यूनतम सेवा के नाम पर उसकी सदस्यता इसलिए छीन ली जाती है क्योंकि वह विरोध कर रहा होता है। इसलिए इस न्यूनतम सेवा की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए।

दूसरा, जब वह वार्षिक साधारण अधिवेशन में लगातार तीन बार शामिल नहीं होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। महाराष्ट्र का मेरा अनुभव यह है कि साधारण निकाय की प्रत्येक कार्य-सूची में यह जिक्र होता है कि गणपूर्ति के अभाव में, एक घंटे के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाहियां संपन्न की जा सकेंगी। इसका सहकारिता आंदोलन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। अंततः, वह एक आम आदमी है। वह सोसाइटी का संस्थापक सदस्य है। यह सोसाइटी कोई बैंक, चीनी मिल, कताई मिल, ऋण सोसाइटी अथवा दूध उत्पादक सोसाइटी हो सकती है। आम आदमी इन समितियों के सदस्य होते हैं। विवादास्पद मुद्दा धारा 38 में है जिसमें कहा गया है :

"एक छोटा निकाय साधारण निकाय की शक्तियों का प्रयोग करेगा।"

साधारण निकाय कोई छोटी निकाय नहीं हो सकता। साधारण निकाय का अर्थ साधारण निकाय ही है। विधेयक में यह विवादास्पद विषय है। इस विधेयक की धारा 50 में कहा गया है :

"प्रत्येक तीन मास में बोर्ड का कम से कम एक अधिवेशन अवश्य होगा तथा अध्यक्ष के अनुपस्थित होने की स्थिति में, बोर्ड अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए किसी अन्य सदस्य को चुन सकता है।"

आम सदस्य निदेशकों का चयन करते हैं। निदेशक चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन का चयन करते हैं। यदि चेयरमैन नहीं है तो वाइस-चेयरमैन स्वतः ही अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और कार्यवाही का संचालन करेगा। किसी को अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुनना आवश्यक नहीं है। दूसरा, इस संबंध में कि एक तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होना चाहिए, मैं सहकारी बैंक जैसे वित्तीय संस्थान का उदाहरण लेना चाहूंगा। यदि मुझे धन की आवश्यकता है और मैंने ऋण के लिए आवेदन किया है तो इस प्रावधान के होने से मुझे कम से कम तीन महीने तक ऋण नहीं मिलेगा। इसीलिए, आज प्रावधान है कि बोर्ड को महीने में कम से कम एक बार अधिवेशन करना चाहिए। अन्यथा, इससे आम लोगों का हित बुरी तरह प्रभावित होगा। यह संशोधन वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू नहीं होना चाहिए तथा उनके लिए यह प्रावधान होना चाहिए कि बोर्ड महीने में कम से कम एक अधिवेशन करे।

धारा 63 में कहा गया है :

"दस प्रतिशत से अनधिक रकम अकल्पित हानियों को पूरा करने के लिए आरक्षित निधि में जमा की जाएगी।"

इस उद्देश्य के लिए 25 प्रतिशत भविष्य निधि के अंतरण का प्रावधान पहले से ही है। अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रदान करने से इसका संस्थाओं के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ेगा? यह अनावश्यक प्रावधान है। 25 प्रतिशत अंशदान करना अनिवार्य है परंतु और 10 प्रतिशत क्यों?

[श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल]

धारा 67 में उल्लेख है :

"सोसाइटियां अपनी समादत्त शेयर पूंजी के पच्चीस प्रतिशत के बराबर असंप्रवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकेंगी।"

मेरा सुझाव है कि वे अपनी स्वयं की निधि पर शेयरपूंजी के बदले में डिबेंचर हेतु धन मुहैया करा सकती हैं।

धारा 69 कहती है :

"सोसाइटियां अपने कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए अभिदायी भविष्य निधि स्थापित कर सकेंगी।"

यह एक अच्छा प्रावधान है।

परंतु साथ ही साथ, यही प्रावधान कर्मचारियों के उपदान पर भी लागू होना चाहिए। धारा 78 वित्तीय संस्था को बुरी तरह प्रभावित करेगी; इसलिए, इसमें यथोचित संशोधन किया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। सहकारी विवाद समाधान प्राधिकरण के लिए एक प्रावधान है। प्राधिकरण में नियुक्ति न्यायपालिका से होनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक उच्च न्यायालय प्राधिकृत हो सके।

अब, मैं धारा 112 और 114 पर आता हूं। कुर्की तथा डिक्री के न्याय निर्णयन के लिए बैंक अधिकारियों को केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्ति देने के लिए प्रावधान होना चाहिए। इससे समय और लागत में बचत होगी। यह मेरा सुझाव है। सदस्य विशेष द्वारा लेखा-बहियों की जांच का प्रावधान है। वित्तीय संस्थाओं में हमेशा आंतरिक लेखापरीक्षा होती है। वहां सरकारी लेखापरीक्षा तथा बाद में रिजर्व बैंक द्वारा भी लेखापरीक्षा की जाती है। इस प्रकार वहां दोहरा नियंत्रण हैं। एक ओर, राज्य में सोसाइटी अधिनियम के समुचित कार्यान्वियन हेतु सहकारी समिति विभाग का नियंत्रण है तथा बैंकिंग नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक है। इसी तरह जब लेखापरीक्षा की व्यवस्था है, वार्षिक प्रतिवेदन है, आम सभा है तो सदस्य विशेष की जांच की क्या आवश्यकता है। मैं समझता हूं इससे बैंक की गोपनीयता पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए यह प्रावधान भी खासकर बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों के लिए उचित नहीं है। धारा 128 में प्रावधान है कि बैठक के कार्यवाही-वृत्तांत को किसी पुस्तक में पेस्टिंग द्वारा नहीं जोड़ा जाएगा। यदि किसी अधिवेशन का कार्यवाही-वृत्तांत समय पर तैयार नहीं हो पाता है तब पेस्टिंग की जाती है। तत्पश्चात्, कार्यवाही-वृत्तांत लिखा जाता है और रजिस्टर पर उसकी पेस्टिंग की जाती है। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या बुराई है। यह एक उचित तरीका है। इसके अलावा जांच और अन्य बातें हैं।

माननीय शिवराज पाटील जी ने एक काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। सोसाइटी अधिनियम में महिलाओं, कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी के लिए सदैव प्रावधान रहा है। कम से कम महाराष्ट्र में तो ऐसा है। सोसाइटी अधिनियम के अनुसार यह अनिवार्य है। अंतिम बात, जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, वह है कर्मचारियों की भी भागीदारी होनी चाहिए। इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के सोसाइटी अधिनियम में कर्मचारियों की भागीदारी बोर्ड में निदेशकों की संख्या के अनुसार है। मान लीजिए, यदि बोर्ड में दस सदस्य हैं तो एक सदस्य कर्मचारी वर्ग से होगा, यदि बोर्ड में 11 सदस्य हैं तो दो सदस्य कर्मचारी वर्ग से होंगे, यदि बोर्ड में 21 सदस्य हैं तो कर्मचारी वर्ग से 3 सदस्य होंगे और यदि बोर्ड में 31 सदस्य हैं तो कर्मचारी वर्ग से 4 सदस्य होंगे, इस तरह से सदस्यों की संख्या होगी। महाराष्ट्र के सोसाइटी अधिनियम में यह बात काफी स्पष्ट रूप से बताई गई है। मान लीजिए कि वहां कोई यूनियन नहीं है तो सहकारी विभाग की सहायता से इस विशेष प्रयोजनार्थ चुनाव कराएं जाने चाहिए। यदि वहां यूनियन है तो यूनियन का एक मान्यताप्राप्त प्रतिनिधि बोर्ड में होना चाहिए। इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

इन्हीं सब बातों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी मेरी कही बातों पर ध्यान देंगे और आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : सभापति महोदय, हमारे समक्ष जो यह परिवर्तनकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। जब श्री राजीव गांधी ने 'पंचायती राज' को सांवैधानिक स्वीकृति देने के लिए संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित किया था तो उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि राजनैतिक सशक्तिकरण हेतु 'पंचायती राज' के लिए आवश्यक है कि उसे सहकारी आंदोलन के माध्यम से आर्थिक शक्तियां भी प्रदान की जाएं और साथ ही ग्रामीण स्तर पर 'न्याय पंचायत' के माध्यम से न्याय मिल सके। पंचायतों के द्वारा राजनैतिक सशक्तिकरण से सहकारी सोसाइटियों के लिए विधान बनाने के एक अनिवार्य सम्पूरक कदम की ओर बढ़ने में एक दशक से भी अधिक समय लग चुका है और यह प्रक्रिया अभी भी रुकी हुई है। निःसंदेह, हमारे समक्ष प्रस्तुत विधेयक सहकारी आंदोलन के केवल एक खंड अर्थात् बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों से संबंधित है। लेकिन इस विधेयक के माध्यम से कुछ वैध महत्वपूर्ण अवधारणाएं एकल-राज्य सहकारी सोसाइटियों के संबंध में अनुसरण करने हेतु राज्यों के लिए मॉडल प्रस्तुत कर सकती है।

मैं सभा का ध्यान विशेष रूप से धारा 7(1)(ख) की ओर आकृष्ट करता हूं जिसमें यह प्रावधान है कि केंद्रीय रजिस्ट्रार को स्वयं इस बात की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि सहकारी सोसाइटियों के उप-नियम "सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप" हों। धारा 11(7)(ख) में यह प्रावधान है कि किसी भी उप-नियम में तब तक कोई संशोधन

स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि प्रस्तावित संशोधन ''सहकारी सोसाइटी के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है।'' लेकिन इन उपबंधों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण धारा 24(1) है जिसमें यह निर्धारित है कि संघीय सहकारी सोसाइटियों को सहकारी सोसाइटियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक कार्यकरण को सरल बनाना चाहिए।

लेखा परीक्षा, विलय, विभाजन, स्वप्रबंधन, मुख्य कार्यकारी अभिकारी तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के संबंध में, मेरे विचार से बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक एक ऐसा पथ-प्रदर्शक है जो न केवल संसद में अपितु राज्य विधानसभाओं में भी हमारा मार्गदर्शन करता है। मेरे विचार से हमें इन सहकारी सोसाइटी के सिद्धांतों के महत्व पर बल देने की आवश्यकता है क्योंकि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सहकारी आंदोलन का दुरुपयोग काफी हद तक सहयोग के तीन मूल सिद्धांतों अर्थात् स्वैच्छिक संबद्धता, लोकतांत्रिक स्वरूप और स्वशासी कार्यकरण के सिद्धांत का उल्लंघन है। जब तक हमारे देश में लाखों सहकारी सोसाइटियां अपने स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक और स्वशासी होने की लिटमस परीक्षा पास नहीं कर लेतीं, तब तक, मुझे डर है कि भारत, जो कि सहकारी सोसाइटियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे अग्रणीय है, में सहकारी सोसाइटियों की संख्या कई गुणा बढ़ाने मात्र से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सहकारी सोसाइटियां सहकारी सोसाइटी के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगी।

सहकारी सोसाइटियों के सिद्धांतों का अनुसरण किए बिना बनाई गई सहकारी सोसाइटी कोई सोसाइटी नहीं है। सहकारी सोसाइटी के सिद्धांत डेढ़ सौ वर्ष से भी पहले वर्ष 1847 में इंग्लैंड में हुई 'रॉचडेल कांफ्रेंस'' में निर्धारित किए गए थे। उसके बाद से, विशेष रूप से 'रेफीसेन' के बाद से इस पर काफी अधिक ध्यान दिया गया है और प्रगति की गई है और अब हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस) के माध्यम से 1937 में और फिर 1966 में संचालित इन सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि नि:संदेह आईसीए संहिता हमारी वास्तविकताओं के प्रिज्म द्वारा अपवर्तनीय होनी चाहिए जिससे वे हमारे कार्यनिष्पादन को आंकने के लिए एक उपयोगी मानदंड निर्धारित करते हैं। पर अफसोस की बात है कि जब हम ऐसा करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने अपने कार्यनिष्पादन का आकलन नहीं किया। इस बात का प्रमाण दो महत्वपूर्ण समितियों की रिपोर्ट में देखने को मिलता है जिसकी ओर मैं अपने प्रतिष्ठित केंद्रीय कृषि और सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नि:संदेज राम निवास मिर्धा समिति की 1996 की रिपोर्ट के अलावा अर्द्धनारीश्वरण समिति की 1987 की रिपोर्ट और ब्रह्म प्रकाश समिति की 1991 की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप यह विधेयक हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अर्द्धनारीश्वर समिति ने इस बात पर बल दिया था :

''सहकारी सोसाइटियों के लिए अनिवार्य विशेषता है—स्वैच्छिक सहकारी सोसाइटियां जो लोकतांत्रिक होनी चाहिए और इसलिए स्वशासी भी।''

ब्रह्म प्रकाश समिति का भी यही विचार था और अपने इन अनिवार्य विशेषताओं के कथित 'उत्तरोत्तर ह्रास' की ओर ध्यान आकृष्ट किया। फिर भी हमारे देश में सहकारी सोसाइटियों में यह समस्या है कि अधिकांश सहकारी सोसाइटियां स्वैच्छिक नहीं हैं क्योंकि प्रमुख सोसाइटियों को राज्य सरकारें विलय करने और अमीबा की भांति विभाजित होने के लिए बाध्य करती हैं, इसलिए नहीं कि प्रमुख सोसाइटियां अपनी इच्छा से ऐसा करना चाहती हैं बल्कि इसलिए कि राज्य सरकार रजिस्ट्रार के माध्यम से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करती है। जैसा कि लोकतंत्र के लिए सहकारी सोसाइटियां किसी भी तरह लोकतांत्रिक नहीं हैं जैसा कि ब्रह्म प्रकाश समिति ने कुछ अपरिष्कृत ढंग से यह बताया है, क्योंकि प्रबंधन बोर्ड और सहकारी सोसाइटियों की प्रबंधन समितियों में राजनीतिज्ञों ने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए गलत तरीके से उनका उपयोग किया है, यही पूर्णत: सही है।

सहकारी सोसाइटियों में लोकतंत्र का उद्देश्य छल-प्रपंच से निहित स्वार्थों को पूरा करना रह गया है और स्वायत्तता को अलविदा कर दिया गया है क्योंकि भारतीय सहकारी सोसाइटी व्यवस्था में रजिस्ट्रार ही सहकारी आंदोलन का सर्वे-सर्वा बन गया है। यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है। मैंने इंग्लैंड के आईसीएस अधिकारी, एडवर्ड मैकलगान द्वारा 1915 में प्रस्तुत रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें उन्होंने कहा है :

''जब हम भारत में सहकारी सोसाइटियों के बारे में सोचते हैं, तो हम मानवतावादी और परोपकारी रेफीसेन को याद नहीं करते अपितु सहकारी सोसाइटी के लालची रजिस्ट्रार को याद करते हैं।''

1954 की गोरवाला रिपोर्ट में इस बात को दृढ़ता से कहा गया है कि ''सहकारी सोसाइटी असफल हो गई है। सहकारी सोसाइटी को सफल बनाना होगा।'' मैंने यह लगभग 40 वर्ष पहले विश्वविद्यालय में पढ़ा था। यह देश की त्रासदी है कि वस्तुत 40 वर्ष से और मैकलगान के समय से लगभग 100 वर्ष बाद भी हमारी सहकारी सोसाइटियां भ्रष्टाचारी रजिस्ट्रारों और उनके राजनैतिक स्वामियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई हैं। इसीलिए मैं बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी संबंधी इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं जो स्वैच्छिक संबद्धता, लोकतांत्रिक स्वरूप और स्वशासी ढंग से कार्य करने के तीन महत्वपूर्ण मानदंडों को पूरा करता है।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

हमारे प्रतिष्ठित मंत्री महोदय के लिए इस विधेयक को पारित कराना कोई बड़ा काम नहीं है—जो कि मुझे विश्वास है कि आज बाद में इसे पारित कर दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण काम तो यह सुनिश्चित करना है कि तीनों मूल सिद्धांत इस कानून में शामिल कर लिए जाएं।

इसके लिए आवश्यक है कि वह सांवैधानिक संशोधन भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जितना कि भाग-नौ और भाग-नौ 'क', जो श्री राजीव गांधी द्वारा की गई ऐतिहासिक पहल के अंतिम परिणाम के रूप में संविधान में लाए गए थे।

सहकारी सोसाइटियां राज्य का विषय हैं और राज्य विधान को दुरुस्त बनाने का एकमात्र तरीका है राज्य विधानमंडलों से सांवैधानिक आवश्यकताओं का अनुसरण करने के लिए कहना। चूंकि सहकारी समितियों के लिए पर्याप्त रूप से विस्तृत स्वरूप की कोई संवैधानिक मंजूरी नहीं है, इसलिए हमने एक दशक से भी अधिक समय से ब्रह्म प्रकाश मॉडल राज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक का भविष्य समाप्त होते देखा है जिसमें कोई भी व्यक्ति चौधरी ब्रह्म प्रकाश के मॉडल को अपने मॉडल के रूप में स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए हमें पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए क्रमश: भाग-नौ और भाग-नौ 'क' की तर्ज पर संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता है।

संविधान के माध्यम से ऐसी कार्यवाही की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है क्योंकि न्यायाधीश ओ. चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा अनुच्छेद 19(1)(ग) के संबंध में दिए गए क्षुब्धकारी निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 19(2) के साथ पढ़ा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय में मुख्य रूप से इस बात पर विचार किया गया था कि अनुच्छेद 19 में 'सहकारी सोसाइटी' शब्द स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया था और इसलिए राजनैतिक दलों, गैर-सरकारी संगठनों, मजदूर संघों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को दी गई संगम की स्वतंत्रता का अधिकार सहकारी सोसाइटियों को नहीं दिया गया है। मैं निर्णय में दोष नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुसार कार्य करना होता है। मेरा यह सुझाव है कि चूंकि चिन्नप्पा रेड्डी के निर्णय में हमारे संविधान में इन कमियों की ओर स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है, इसलिए संसद को इस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा अनुच्छेद 19(1)(ग) में 'सहकारी सोसाइटी' शब्द जोड़ने मात्र से किया जा सकता है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से इस आश्वासन की उम्मीद करूं कि वस्तुत: सरकार ऐसे सांवैधानिक संशोधन पर विचार करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेगी? तथापि, अनुच्छेद 19 में यथाप्रस्तावित संशोधन करने से सहकारी सोसाइटी के एक सिद्धांत—कि संबद्धता स्वैच्छिक होनी चाहिए, को सांवैधानिक स्वीकृति मिल सकती है लेकिन उससे वह सब नहीं होगा जो लोकतंत्र और स्वायत्तता के दो अन्य मुख्य सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए अपेक्षित है।

कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद के तत्वावधान के अंतर्गत हमारे समूह जिसमें संयोगवश राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वर्तमान संयोजक अपनी निजी हैसियत में तथा स्वयं मैं (ताकि आप देख सकें कि कभी-कभी दो व्यक्ति भी एकमत हो सकते हैं) और अन्य लोगों के अलावा प्रतिष्ठित विधिवेत्ता और सहयोगी श्री राजीव धवन, श्री राजेन्द्र सच्चर तथा श्री एल.सी. जैन भी शामिल थे, द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर संविधान में एक नया भाग नौ ख जिसमें दो नए अनुच्छेद यथा अनुच्छेद 243 य ज तथा अनुच्छेद 243 य झ का प्रस्ताव करने के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 19(1), (ग) और (छ), अनुच्छेद 31(क)(2) तथा अनुच्छेद 40 में संशोधन करने हेतु कुछ प्रारूप संशोधन तैयार किए थे।

हमारे समूह ने अपना कार्य कभी पूरा नहीं किया लेकिन मुझे माननीय कृषि मंत्री के साथ आरंभिक सुझावों पर चर्चा करने में अधिक प्रसन्नता होगी ताकि शायद सी.डी.एफ. समूह के कुछ और अधिक सुविज्ञ सदस्यों के शामिल होने से कार्य में प्रगति हो सके।

मैं सी.डी.एफ. समूह से एक कदम आगे बढ़कर सुझाव देता हूं कि यदि हम इस देश में वास्तव में प्रभावी सहकारी आंदोलन चलाना चाहते हैं तो हमें माननीय श्री शिवराज पाटिल तथा इस सभा के अन्य अनेक सदस्यों के साथ प्रस्तावित संविधान संशोधन में जहां लागू हो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा सार्वभौमिक रूप से महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध शामिल करना चाहिए जैसा कि संविधान के भाग नौ तथा नौ क के अंतर्गत पंचायत तथा नगरपालिकाओं के मामले में इन्हें आरक्षण दिया गया है।

अत:, मौजूदा विधेयक की सही दिशा में उठाए गए एक कदम के रूप में इसका स्वागत करते हुए अंत में, मैं सत्तापक्ष के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि क्या हम इस ऐतिहासिक घटना का उपयोग संविधान की महत्वपूर्ण समीक्षा प्रक्रिया शुरू करने हेतु कर सकते हैं?

महोदय, अंत में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा मौजूदा उत्पादक सहकारी सोसाइटियों को उत्पादक कंपनियां बनाने के संबंध में प्रधनमंत्री को क्रमश: अगस्त, 2000 तथा सितम्बर, 2000 को लिखे गए दो पत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं। हमें उत्पादक कंपनियां बनाने में कोई समस्या नहीं है। उत्पादक सहकारी सोसाइटियां बंद होकर स्वयं को उत्पादक कंपनियों के रूप में पुनर्गठित

करना चाहें तो हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस उपबंध पर विचार किया जा रहा है कि मौजूदा उत्पादक सहकारी सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों पर दबाव डालकर उसे उत्पादक कंपनियों में बदल सकती हैं। संयुक्त स्टॉक कंपनियां सहयोग के सिद्धांतों के ठीक विपरीत हैं। अत:, इससे यह पता चलता है कि हमें इस मामले में धीरे-धीरे बढ़ना है। वस्तुत: इस देश में बहुत तरह की सहकारी सोसाइटियों के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादक सहकारी सोसाइटियां, जैसे महाराष्ट्र चीनी सहकारी सोसाइटियां तथा लघु विपणन सहकारी सोसाइटियां, जो कृषि तथा उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों में आदान के लिए बनाई गई हैं, के बीच बहुत अधिक अंतर है। हमें इन दो बातों में अंतर करने की आवश्यकता है। इसलिए सहकारी सोसाइटियों को उत्पादक कंपनियों में परिवर्तित करने के लिए किसी भी तरह के बहुउद्देशीय उपबंध के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है...*(व्यवधान)*

महोदय, यह मेरा आखिरी मुद्दा है क्योंकि मैं देख सकता हूं कि मेरे द्वारा अधिक समय लिए जाने के कारण आप परेशान हैं। अपनी बात पर आते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि उसी पत्र में श्रीमती गांधी ने राष्ट्रीय सहकारी बैंक की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने जब प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा था तब माधवपुर बैंक घोटाला और हाल ही का नागपुर घोटाला नहीं हुआ था। यह स्पष्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों की उस तरह से निगरानी करने में बिलकुल असमर्थ है जिस तरह की निगरानी की आवश्यकता वास्तव में होती है। इस तरह के द्वितंत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के जिम्मेदार होने के नाते तथा राज्यों में रजिस्ट्रार के भी जिम्मेदार होने के कारण वे एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं इसलिए इस संबंध में हमें कुछ करना चाहिए। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य हूं। हम इस बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक इनकी निगरानी करने में बिल्कुल असमर्थ है। वे स्वयं हमारे सहकारी बैंकों की उचित निगरानी जारी नहीं रखना चाहते हैं। जब तक हमारे पास उचित निरीक्षण और निगरानी प्रणाली नहीं होगी तब तक हम सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को उचित रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अत: यह अत्यंत आवश्यक है कि माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री विशेषरूप से उत्तरप्रदेश की चिंता करना छोड़ दें जैसाकि वे पिछले तीन माह से कर रहे हैं और अपने मंत्रिपद की जिम्मेदारियों की ओर ध्यान देना शुरू करें जिसमें सहकारी सोसाइटियों से संबंधित संवैधानिक संशोधन तथा राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना पहला कार्य होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, सहकारिता आंदोलन आम आदमी का आंदोलन है और गरीब से गरीब, पिछड़े हुए, सुदूर इलाकों के तमाम लोगों की आशाएं सहकारिता के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। मुझे याद है कि जब मालगुजारी का समय था तो प्राइवेट मनीलैंडर्स के द्वारा किसानों की जमीनें और उनकी धन-संपत्ति नीलाम कराई जाती थीं, बर्बाद हो जाती थी, लेकिन जब से सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ, लोगों को इससे राहत मिली है। इसको और ताकतवर बनाने के लिए माननीय मंत्री जी जो बहुराज्य सोसाइटी विधेयक लाए हैं, मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं और इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

इन सोसाइटीज का कारोबार किसी एक राज्य में नहीं, अनेक राज्यों में फैला हुआ है, उसमें एकात्मकता और एकरूपता लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है, ताकि लोकतांत्रिक पुट उसके भीतर आए और उसमें कोई राजनैतिक मनमानी न हो, इस बिल में इन सारी बातों का विचार किया गया है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उन्होंने अपनी सिफारिशों में अपने जिस आशय को रखा था, उस समय यह कार्य पूरा नहीं हो पाया था, उस कमी की पूर्ति करते हुए, उसमें और संशोधन करते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में सारी बातों का समावेश करते हुए इस विधेयक को लाकर माननीय मंत्री जी ने हमारे देश में यह एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया है।

मान्यवर, देखने में आया है कि अनेक संस्थाओं में गिने-चुने लोग ही बार-बार कभी उस पद पर और कभी इस पद पर आते रहते हैं। इस कारण यह सहकारिता आंदोलन कुछ लोगों के कब्जे में हो गया है। इसलिए इसके ऊपर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए मंत्री जी ने बिल में प्रावधान किया है कि मंत्री उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बन सकते। राजनीति को दबाव कम करने की इन्होंने कोशिश की है। नैफेड, एन.सी.यू.आई. और एपेक्स को ज्यादा ताकत देने की आवश्यकता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जैसे हमने ग्राम पंचायतों में और अन्य जगहों पर महिलाओं को, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा ओ.बी.सी. वर्ग को आरक्षण दिया है, यहां भी संवैधानिक रूप से उनके हितों का संरक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि सहकारिता के क्षेत्र में भी ये वर्ग उभर सकें। मंत्री जी ने इस विधेयक के द्वारा जो सहकारिता में नया प्राण फूंकने का काम किया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौडा (कनकपुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। विशेषरूप से इस विधेयक पर कोई मतभेद नहीं है लेकिन कतिपय मुद्दों के संबंध में माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[श्री एच.डी. देवगौडा]

विधेयक का संचालन करते समय उन्होंने कुछ प्रारंभिक टिप्पणियां की हैं। यह विशेष विधेयक दूसरी अनुसूची में उल्लिखित संस्थानों पर लागू होगा। उन्होंने सही कहा है कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाएगा कि वे इस विधेयक की मुख्य बातों को क्रियान्वित कर सकें क्योंकि प्रत्येक राज्य का अपना अधिनियम है। इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकारों को सहयोग करना होगा। श्री मणि शंकर अय्यर ने कुछ बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। पंचायती राज संस्थानों के मामले में तिहत्तरवां और चौहत्तरहवां संवैधानिक संशोधन लाया गया है। अंततः सभी राज्यों को तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधनों के आधार पर कार्यवाही करनी होगी। लेकिन यहां आप अनुरोध करेंगे।

ये राज्य कितना सहयोग करेंगे? राज्य की अपनी मजबूरियां हैं। मैं यहां राजनीति नहीं करना चाहता हूं। समिति के अनेक प्रतिवेदन हैं। मैं विभिन्न समितियों द्वारा पूर्व प्रतिवेदनों अथवा उनमें की गई सिफारिशों की बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आपको इस विधेयक को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उचित संवैधानिक संशोधन करने हेतु पुनः विचार करना होगा। इसका समग्र सहकारी प्रणाली के क्रियान्वयन पर दूरगामी सकारात्मक प्रभाव है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, अधिकांश अर्थव्यवस्था केवल सहकारी सोसाइटियों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर निर्भर करती है। चाहे वह विपणन, ऋण, उर्वरक, बीज तथा गन्ना हो। ये सभी मुद्दे कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु ही उठाए गए हैं।

मैं कुछ अर्थशास्त्रियों के कथनों को उद्धृत करना चाहूंगा। एक अर्थशास्त्री ने कहा है :

"हमारे जैसे राष्ट्र के लिए यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। कृषि उत्पादों में सीमित मूल्यवर्धन तथा कृषि वित्त प्रदान करने में असमर्थता को इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण बताया गया है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि में स्थायी विकास प्राप्त करना है तो कृषि की कभी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। सेवा क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता कृषि क्षेत्र को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।"

मैं, अनेक अन्य कृषि अर्थशास्त्रियों के विचार उद्धृत करके सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं।

महोदय, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि श्री अजित सिंह इस विधेयक का संचालन कर रहे हैं। वे ऐसे किसान के पुत्र हैं जिन्होंने किसानों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। इस विधेयक का संचालन करते हुए माननीय कृषि मंत्री ने विधेयक की कुछ मुख्य विशेषताएं बताई हैं। विधेयक का खंड 44 राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के किसी मंत्री को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष पद धारण करने का निषेध करता है। यह स्वागतयोग्य कदम है।

महोदय, जहां तक नामित सदस्यों का संबंध है, खंड 48 के अंतर्गत ऐसे नामित सदस्यों की संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या से अनाधिक होगी। इसमें नामित सदस्यों के अधिकार भी विदित हैं। लेकिन मैं माननीय कृषि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या नामित सदस्य बहुराज्य सहकारी समिति का अध्यक्ष बन सकता है अथवा केवल निर्वाचित सदस्य ही अध्यक्ष बन सकता है। इस विधेयक में यह बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। विधेयक के खंड 44 में केवल यह कहा गया है :

"बोर्ड का कोई सदस्य किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष या प्रधान या उपाध्यक्ष या उप-प्रधान के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा यदि ऐसा सदस्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में मंत्री हो।"

एक नामनिर्दिष्ट सदस्य के सोसाइटी का अध्यक्ष बनने पर कोई रोक नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अपने एक संदेह का स्पष्टीकरण चाहूंगा।

निदेशक मंडल के संबंध में खंड 41(3) में कहा गया है :

"बोर्ड में निदेशकों की संख्या उतनी होगी जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए।

परंतु किसी भी दशा में निदेशकों की संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी।"

यह ठीक है। लेकिन जहां तक नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या का संबंध है, खंड 48 के अनुसार यह बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। इसका यह अर्थ हुआ कि सरकार सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने जा रही है। इसका क्या अर्थ है? क्या बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के कार्यकरण में सरकार द्वारा यह एक राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है? मैं इसे समझ नहीं पाया हूं। माननीय मंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि बोर्ड में सात सदस्य क्यों नामनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए। खंड 48(1)(क) में कहा गया है :

"जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा धृत निर्गमित साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम कुल निर्गमित साधारण शेयरपूंजी के छब्बीस प्रतिशत से कम है, बोर्ड का एक सदस्य..."

यदि यह 26 प्रतिशत से अधिक होती है तो दो सदस्य होंगे। इसके बारे में आगे बताया गया है कि :

"(ग) जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा धृत निर्गमित साधारण शेयर पूंजी का कुल रकम कुल निर्गमित शेयर हिस्सा धारण पूंजी का इक्यावन प्रतिशत या अधिक है, बोर्ड के तीन सदस्य :"

एक आशंका है कि आपको लगभग एक तिहाई अर्थात् सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार मिल जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे अपने उत्तर के दौरान इसे स्पष्ट करें।

मैं अध्यक्ष के बारे में भी सरकार के विचार जानना चाहूंगा। आप कृपया इन दों मुद्दों को स्पष्ट करें।

अध्यक्ष की शक्तियों का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। आपने खंड 49 में बोर्ड की शक्तियों का और खंड 52 में मुख्य कार्यकारी की शक्तियों का उल्लेख किया है। अध्यक्ष के पास कौन-कौन सी शक्तियां होंगी इसका कहीं प्रावधान नहीं किया गया है।

आप खंड 141 के अंतर्गत सोसाइटी को भंग करना चाहते हैं। भंग करने की शक्तियां केन्द्र सरकार को मिलने वाली हैं। लेकिन ब्रह्म प्रकाश समिति की सिफारिशें और ऐसी ही अन्य चीजें इस संशोधन विधेयक या निरसन विधेयक में पूर्णतया सम्मिलित नहीं की गई हैं।

यहां तक कि राज्य के स्तर पर भी एक सहकारी सोसाइटी को किसी संस्था को भंग करने का अधिकार है। फिर उप-रजिस्ट्रार है, संयुक्त रजिस्ट्रार है और फिर रजिस्ट्रार है। इन सबके बाद यह मंत्री जी हैं। आप कह रहे हैं : "मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा।" क्या सभी राज्य इसे एक आदर्श विधेयक मानेंगे? उनकी अपनी राजनैतिक बाध्यताएं हैं। आप जानते हैं कि वहां क्या चल रहा है। ये कुछ मुद्दे हैं।

यहां तक कि बोर्ड के भंग होने की स्थिति में भी सारी शक्तियां मुख्य कार्यकारी को दे दी जाती हैं। सभी शक्तियां मुख्य कार्यकारी के पास होती हैं। बोर्ड तो केवल नाम के लिए है। वे एक तिमाही के बाद मिलते हैं क्योंकि बोर्ड का कार्यकरण ही ऐसा है। उनके पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं हैं। सारे अधिकार मुख्य कार्यकारी के पास हैं। आप बोर्ड को भंग क्यों करना चाहते हैं? आप न केवल उस अधिकारी को निलंबित करें अपितु आगे उसे दंड देने हेतु कार्यवाही करने के लिए भी आगे कदम उठाएं। यदि आप सारी शक्तियां मुख्य कार्यकारी को दे देना चाहते हैं और आपको बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों या अध्यक्ष पर कोई विश्वास नहीं है तो आप कैसी स्वायत्तता देने जा रहे हैं? ये कुछ मुद्दे मेरे मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। कृपया जब आप बहस का उत्तर दें तो इन्हें भी स्पष्ट करें।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : सभापति महोदय, मैं आपको मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। सहकारिता अंदोलन की उत्पत्ति 1901 में हुई थी। हम 100 साल बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक ला रहे हैं—हालांकि अभी भी कुछ संशोधनों के साथ।

मैं कुछ आपत्तियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करने हेतु खड़ी हुई हूं। भारत के राष्ट्रपति, भारत रत्न डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था :

"हम कष्टों से ही सीखते हैं।"

क्या यह सत्य है कि हम 100 वर्षों के पश्चात् इस सहकारिता आंदोलन के सम्मुख आ रही समस्याओं और कठिनाइयों से सीखने का प्रयास कर रहे हैं? कम से कम अब हमें इस विधेयक का आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करना चाहिए और सही प्रयोजन से हम इस विधेयक पर बहस कर रहे हैं। क्या हमें इन संशोधनां से वांछित परिणाम मिलेंगे?

यदि हां, तो क्या हम विधेयक के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सभापति महोदय, अब मैं सीधे मुद्दे की बात पर आती हूं। एक अच्छे सहकारिता कानून के मुख्य घटक क्या हैं? प्रथमत: इसे सहकारिता के सिद्धांतों से मूल रूप से संबद्ध होना चाहिए। दूसरे यह केवल कागजों पर न होकर समर्थ भी होना चाहिए। तीसरे, जहां जनहित को खतरा हो तो उसकी रक्षा करना—सामानयत: यह अन्य कानून का विषय है—सहकारिता कानूनों से संबंधित मामलों को सदस्यों और इनकी उपविधियों पर छोड़ देना चाहिए। चौथे सहकारी कानूनों का दोहराव नहीं होना चाहिए जिससे अन्य कानूनों द्वारा उन्हें बदला जा सके। अनेक बार सहकारी कानूनों द्वारा गलत कार्यों का संरक्षण किया जाता है। पांचवें सहकारी कानूनों के माध्यम से चुने हुए नेताओं और वरिष्ठ प्रबंधकों को सहकारी सोसाइटियों से संबंधित मामलों के लिए उसी प्रकार जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जैसे कि ये सहकारी सोसाइटी उनकी अपनी हों। इस विधेयक में एक अच्छी सहकारी सोसाइटी के आवश्यक सभी तत्वों का समावेश है?

मेरे विचार से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इस विधेयक में सम्मिलित होने से रह गए हैं। महोदय, इस महत्वपूर्ण सहकारिता आंदोलन में सम्मिलित मैं एक महिला सदस्या हूं। मैं इस प्रतिष्ठित सदन से अपील करती हूं कि स्वतन्त्रता के 52 वर्ष पश्चात् भी सभी मानव संसाधन और अन्य उपलब्ध संसाधनों के होते हुए भी हमने वह हासिल नहीं किया है जो हमें हासिल कर लेना चाहिए था। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि यह सहकारिता आंदोलन पूर्णतया महिला-उन्मुखी हो जाए

[डा. वी. सरोजा]

तो मेरे विचार से हम लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहेंगे। मुझे विश्वास है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक इसके परिणाम हमारे सामने होंगे। महोदय, हम पांच वर्ष बाद उन उपलब्धियों का जायजा ले सकते हैं। मैं इस प्रतिष्ठित सदन के सभी सदस्यों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील करूंगी; इसे भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए; और इसके लिए एक अलग अध्याय होना चाहिए।

मेरे माननीय वरिष्ठ नेता ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बारे में कहा। सहकारिता आंदोलन में शत-प्रतिशत महिलाएं होने की स्थिति में भी हम आरक्षण के भीतर आरक्षण दे सकते हैं। मैं सभी नेताओं से, सभी राजनैतिक दलों से इस सदन में और इस सदन के बाहर भी इस मुद्दे का आलोचनात्मक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने की अपील करूंगी और इस एक मुद्दे पर हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरी दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि इस सहकारिता आंदोलन में हम सब एक हैं।

महोदय, इस विधेयक में कुछ सकारात्मक बातें हैं। बहु-राज्यीय सहकारिता अधिनियम के अनुसार उप-नियम बनाए जा सकते हैं। चुनाव कराने की जिम्मेदारी सदस्यों और निदेशक-मंडल की है। पदाधिकारी बनने पर लगी शर्त समाप्त कर दी गई है। महोदय, यह एक स्वागतयोग्य बात है। अनुषंगी इकाइयों और संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देने जैसे अन्य चीजें भी हैं, जिनसे और अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बहु-राज्यीय सहकारिता अधिनियम में वापस-खरीद नीति भी है; मानद पंजीकरण और उप-नियमों के संशोधन की भी बात है। महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसकी मैं प्रशंसा करूंगी, यह है कि अच्छा कार्यनिष्पादन न करने पर बोर्ड के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

इस एक बात से, मेरे विचार से, जागरूकता पैदा होगी और सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों के मन में समय पर चुनाव कराने और वित्तीय रिपोर्टें तैयार करने के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी। समय पर लेखा-परीक्षा नहीं कराई जा रही है। इस तथ्य के बावजूद कि लेखा परीक्षकों को उनकी फीस शुल्क से अधिक भुगतान किया जा रहा है, फिर भी लेखा-परीक्षा रिपोर्टें समय पर सभा पटल पर नहीं रखी जा रही हैं।

बहु राज्यीय सहकारी सोसाइटी विधेयक सोसाइटियों को अपने चुनाव आयुक्त चुनने का अधिकार देता है जो कि एक स्वागतयोग्य कदम है। खंड 27 में सदस्यों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। सहकारिता आंदोलन में लगभग 21 करोड़ सदस्य हैं। पांच लाख सहकारी स्टोर देश की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं जिनमें से सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से 43 प्रतिशत ग्रामीण ऋणों का निर्गम होता है। उर्वरकों के संबंध में यह 37 प्रतिशत है, चीनी उत्पादन के संबंध में 55 प्रतिशत, सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से 51 प्रतिशत खाद्य तेलों का उत्पादन होता है और सहकारिता सोसाइटियों के माध्यम से 63 प्रतिशत भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। दुग्ध उत्पादन और डेयरी के क्षेत्र में सहकारी सोसाइटियों ने भारत को शत-प्रतिशत सक्षम बनाया है। पुन: इसका कारण महिला सशक्तिकरण है। वे इसे हासिल करने हेतु अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। खंड 27 में सहकारिता आंदोलन के 21 करोड़ सदस्यों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। मैं सदन का ध्यान बजट-आबंटन की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

व्यय बजट, 2002 में माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2001-2002 के लिए 13.75 करोड़ रुपए के योजना बजट की घोषणा कर दी है। वर्ष 2002-2003 में बजट आबंटन 37.70 करोड़ रुपये है। सहकारिता आंदोलन इसके सदस्यों के कल्याण हेतु है। मैं इस प्रतिष्ठित सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह अपील करूंगी कि सदस्यों के कल्याा का ध्यान रखा जाना चाहिए और अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए?

जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो क्या हम इससे संबंधित अधिनियमों और उनमें किए गए संशोधनों के प्रति चिंतित नहीं हैं? वर्ष 2001-2002 में माननीय वित्त मंत्री जी ने सहकारी सोसाइटियों को करों में छूट दी थी। उन्होंने करों में लगभग 30 से 35 प्रतिशत तक की छूट दी थी।

मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वह इस सम्मानीय सभा के समक्ष आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाएं क्योंकि सहकारी आंदोलन सहकारी समितियों के सदस्यों के कल्याण के लिए है। यह वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि एक आयकर (संशोधन) अधिनियम लाया जाए। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि वित्त मंत्रालय के तहत बैंकिंग प्रभाग में एक अलग प्रकोष्ट होना चाहिए जो संबंधित मुद्दों की पहचान करेगा तथा सदस्यों के कल्याण हेतु समय पर समितियों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। यह भी इस सम्माननीय सभा के विचारार्थ है। क्या मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में एक उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक जवाब की उम्मीद करूं कि क्या यथाशीघ्र इन संशोधनों को शामिल कर लिया जाएगा?

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि खंड 142 केन्द्र सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है।

अपराह्न 5.00 बजे

पुन:, यदि आप नियम बनाने की शक्ति सरकार को सौंपते हैं तथा उसे सहकारी समितियों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण का न्यौता दे रहे हैं तो इस विधेयक का उद्देश्य पूर्णत: विफल हो जाएगा।

महोदय, खंड 84 से खंड 103 में सहकारी विवाद समाधान प्राधिकरण के बारे में उल्लेख है। क्या एक ऐसे प्राधिकरण का गठन संभव है जिसमें अध्यक्ष, सचिव और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों सहित काफी संख्या में स्टॉफ हो। जब माध्यस्थम् और सुलह के माध्यम से विवादों का निपटारा हो जाता है, मैं समझ नहीं पाती कि आखिर सहकारी विवाद समाधान प्राधिकरण की आश्यकता क्या है। मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री अपने जवाब के दौरान इस संबंध में बताएं।

जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि यदि 20 प्रतिशत शेयर हैं तो वहां एक व्यक्ति होगा, यदि 20 से 50 प्रतिशत शेयर हैं तो दो व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है, 50 प्रतिशत से अधिक शेयर होने की स्थिति में तीन व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है और यदि शेयर 15 प्रतिशत से कम हैं तो हम सहकारी समिति में किसी को नामित नहीं कर सकते। मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय कृषि मंत्री इस पहलू पर प्रकाश डालें।

महोदय, मैं खंड 43(3) को उद्धृत करना चाहती हूं क्योंकि मैं आरक्षण को लेकर काफी व्यथित हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. वी. सरोजा, कृपया समाप्त करें।

डा. वी. सरोजा : महोदय, मैं अभी-अभी समाप्त करती हूं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18 प्रतिशत और एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए।

महोदय, अंतत: मैं खंड 7(1)(घ) का उल्लेख करना चाहूंगी। मैं इस खंड को हटाने की पुरजोर अपील करती हूं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

अपराह्न 5.03 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) **:** महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री को इस प्रकार का परिवर्तनकारी विधेयक लाने हेतु धन्यवाद देता हूं। मैं विपक्ष की ओर से पहले वक्ता श्री शिवराज वि. पाटील को भी धन्यवाद देता हूं। वह सहकारी आंदोलन के लिए एक पथ-प्रदर्शक हैं। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मैं उन्हें उनके सुझावों के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं महाराष्ट्र अथवा गुजरात जैसे किसी राज्य का निवासी नहीं हूं जहां सहकारी आंदोलन काफी गहरी जड़ें जमा चुका है। मैं उड़ीसा जैसे राज्य का निवासी हूं जहां सहकारी आंदोलन को सरकार का उद्योग माना जाता है। संसद सदस्य बनने तक मैं यह समझता था कि सहकारी आंदोलन का अभिप्राय कोई सरकारी विभाग है। इसके प्रति मेरी यह धारणा थी। यह तो सिर्फ यहां आकर मैंने समझा कि यह बिल्कुल अलग चीज है। मैं ऐसे राज्य से हूं जहां सरकारी निकायों के चुनाव नियमित रूप से अनियमित होते हैं। मैं ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां राजनीतिक नेताओं में सहकारी निकायों के निदेशक अथवा अध्यक्ष के रूप में नामित होने के लिए होड़ लगी रहती है। किंतु मैंने सिर्फ यहीं आकर पाया कि सहकारी आंदोलन के पास अनेक सिद्धांत और लक्ष्य हैं।

महोदय, सहकारी आंदोलन की जरूरत क्यों है? पहला, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों को संपन्न करने में केन्द्र और राज्य सरकारों के योजनागत प्रयासों को संपूर्ण करता है। दूसरा, यह कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु बीजों, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं आदि की आपूर्ति करता है। तीसरा, यह निजी क्षेत्र की शोषण की प्रवृतियों को कम करके सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है।

चौथा, यह ग्रामीण क्षेत्र को रियायती ब्याज-दर पर समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने का एक स्रोत है।

अंतत: जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, यह प्रबंधन कुशलता से सुधार ला रहा है तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी नेताओं और सदस्यों के लिए शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से कार्यबल को प्रशिक्षित कर रहा है।

ये इस देश में सहकारी आंदोलन के बुनियादी सिद्धांत हैं। वस्तुत: सहकारी आंदोलन को कौन-सी बात पीड़ा पहुंचाती है। उस सहकारी आंदोलन की समस्या क्या है? सहकारी संगठन वस्तुत: सरकारी संगठन बन गए हैं — जैसा कि मैंने आपको बताया, सहकारी समितियों की सरकारी संरक्षण पर पूर्ण निर्भरता की वजह से सच्चे अर्थों में इसने अपनी अलग पहचान और आत्म-निर्भरता खो दी है। समय-समय पर सहकारी समितियों को धन का वितरण, सहकारी अभिकरणों के बदले में कृषि उत्पादों का प्रापण, उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण तथा कतिपय विस्थापित समूहों को राहत प्रदान करने जैसे सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु, साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। पिछले दिनों उड़ीसा में शोर मचना शुरू हुआ कि यदि भारतीय खाद्य निगम किसानों से धान नहीं खरीद रहा है तो स्वयं सहकारी समितियों को किसानों से धान खरीदना चाहिए। यह कैसे संभव है? सहकारी विभाग किसानों से धान खरीदेगा और यदि छ: महीने के भीतर इसे बेच नहीं दिया

[श्री खारबेल स्वाइं]

जाता तो सहकारी समिति बर्बाद हो जाएगी। परंतु हर व्यक्ति चाहता है कि सहकारी समितियां ऐसे कार्य करें।

मैं विधेयक के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि माननीय सदस्यगण पहले ही इनका उल्लेख कर चुके हैं। माननीय मंत्री ने अपने प्रारंभिक भाषण में पहले ही बता दिया है कि उन्होंने सहकारी विभाग से नौकरशाही का हस्तक्षेप समाप्त करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं उनसे पूर्ण सहमत हूं। चूंकि मैं आरक्षण के संबंध में इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उड़ीसा में सहकारी निकायों के लिए महिलाओं, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नामित व चयनित करने का प्रावधान है। इसलिए, मुझे पता नहीं है कि आखिर और आरक्षण की क्या आवश्यकता है। मुझे मालूम नहीं कि जब यह नियम पूरे भारतवर्ष में लागू है, परंतु उड़ीसा में प्राथमिक समितियों व जिला समितियों में महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नामित किए जाने का प्रावधान है।

अब मैं इस मुद्दे पर आता हूं कि आखिर ब्रह्म प्रकाश समिति की वे कौन-कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मेरी बात सुनें क्योंकि जो मुद्दे छूट गए हैं, मैं उनके विषय में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

इस विधेयक में, नियम बनाने की शक्ति अभी भी विभाग के पास ही रखी गई है। सरकारी विभाग अभी भी नियम बनाएंगे। पहले, सरकारी विभाग किस प्रकार से नियम बना रहा था? विगत में, विभाग इस शक्ति का उपयोग निरंकुशतापूर्वक तथा कानून के दायरे के बाहर कार्य करने के लिए करता था। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग भी अब वैसा बर्ताव न करे जैसा वह पहले किया करता था। यदि नौकरशाही का हस्तक्षेप समाप्त करना चाहते हैं तो फिर उन्हीं नौकरशाहों के हाथ नियम बनाने की शक्ति देने की जरूरत क्या है? अतएव, मेरा पहला मुद्दा यह है कि आप इस संबंध में ध्यान दें।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि इस विधेयक में यह प्रावधान जारी रखा गया है कि सरकार को बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों की इक्विटी में अंशदान करने का अधिकार होगा। बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों में अभी भी सरकार की इक्विटी रखने की क्या जरूरत है। वे इसे पूर्ण स्वतंत्रता क्यों नहीं देते? इसे स्वयं संसाधन जुटाने दें। इसकी अपनी स्वयं की इक्विटी हो। सरकार को सहकारी समितियों में हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है। यदि सहकारी समिति में सरकार की इक्विटी होगी तो निश्चित रूप से नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप होगा। अतएव, यदि आप चाहते हैं कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न हो तो आपको इस प्रावधान को हटाना होगा।

तीसरा मुद्दा यह है कि प्रस्तावित विधेयक में घाटे के लिए किसी उत्तरदायित्व का प्रावधान नहीं है। यदि घाटा होता है तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा?

माननीय कृषि मंत्री को इस बात पर भी विचार करना चाहिए। प्रस्तावित विधेयक आदर्श अधिनियम की भावना के विपरीत है। यह दो से अधिक बहु-राज्य सोसइटियों में पदाधिकरी बनने पर पाबंदी लगाता है। माननीय मंत्री को इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए।

एक दूसरा मुद्दा भी है जिसे मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। प्रस्तावित विधेयक सहकारी समितियों पर अपनी निधियों का निदेश करने तथा फालतू निधि का निपटान करने की शक्ति पर पाबंदी लगाता है। इसने पूंजी जुटाने की अनुमति दी है। इस विधेयक ने पूंजी जुटाने के लिए स्वतंत्रता दे रखी है। किंतु, निधियों का निदेश करने और अतिरिक्त राशि का निपटान करने के लिए क्या किया गया है? बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों को यह विशेषाधिकार भी दिया जाना चाहिए।

जहां तक कार्य-क्षेत्र की बात है, प्रस्तावित विधेयक कार्यरत बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के कार्य-क्षेत्र में किन्हीं नई बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों के सांचलन पर पाबंदी लगाता है। माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटील ने भी यह बात कही है। यदि किसी राज्य में कोई एक बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी कार्यरत है तो वहां दूसरी सोसाइटी क्यों नहीं हो सकती? इसकी अनुमति दी जानी चाहिए तथा इसे सिर्फ एक सोसाइटी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए।

महोदय, मैं एक या दो मिनटों में एक-दो सुझाव दूंगा और तब अपनी बात समाप्त करूंगा। अनेक माननीय सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाया जा चुका है और मैं भी इस मुद्दे को उठा रहा हूं। कृपया सहकारी समितियों पर से राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा नाबार्ड के दोहरे नियंत्रण को समाप्त किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति पिछले प्रतिभूति घोटाले में लखनऊ शहरी सहकारी बैंक की भूमिका से वाकिफ है। कोई फार्म भरे बगैर ही बैंक से ऋण लिए गए थे। बैंक के निदेशकों ने इस तरह से बर्ताव किया जैसे यह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हो। उन्होंने फार्म आदि पर हस्ताक्षर किए बगैर ही स्वयं ऋण ले लिया। कोई समानांतर सिक्योरिटी नहीं रखी गई। कोई औपचारिकता नहीं की गई।

जब आपने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा तो उन्होंने कहा कि : ''हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ नीतिगत निर्णयों तक ही सीमित हैं।'' जब इसके बारे में जिलाधिकारी अथवा राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा : ''हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है।'' केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इन सहकारी समितियों द्वारा की गई सभी तरह की अनियमितताओं की जांच कैसे करेगा? इसलिए, कुछ उत्तरदायित्व का होना जरूरी है। इसकी निगरानी के लिए कौन उत्तरदायी होगा। सहकारी समितियों का राज्यीय रजिस्ट्रार उत्तरदायी होगा अथवा भारतीय रिजर्व बैंक? अत: माननीय मंत्री को इस पहलू पर गौर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पर एकल नियंत्रण हो न कि दोहरा नियंत्रण।

बैंककारी कार्यकरण के संबंध में यदि कोई सहकारी बैंक है तो बैंककारी कार्यकरण को बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत लाया जाए। राज्य सरकारें सहकारी सोसाइटियों की सवतंत्रता सुनिश्चित करें ताकि वे प्रगतिशील सहकारी अधिनियम ला सकें।

अंत में, अब मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं। सहकारी सोसाइटी अब कृषकों को ऋण प्रदान करती हैं। ये सोसाइटियां नाबार्ड से ऋण प्राप्त करती हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपने कुल ऋण का 18 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र और किसानों को प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। परंतु वे ऐसा नहीं करते हैं। वे यह राशि नाबार्ड को देते हैं और नाबार्ड यह राशि सहकारी सोसाइटियों को प्रदान करता है और सहकारी सोसाइटियां राज्य सहकारी सोसाइटियों को ऋण प्रदान करती हैं जो जिला स्तर की सोसाइटियों को उपलब्ध कराती हैं और उसके बाद प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों को ऋण मिलता है। सभी लोग थोड़ा प्रशासनिक शुल्क लेते हैं और अंतत: ब्याज की दर बढ़कर 22 प्रतिशत हो जाती है। क्या आप यह विश्वास कर सकते हैं कि कोई 22 प्रतिशत की ऊंची ब्याज दर पर राशि लौटा सकता है? यह कैसे संभव है? पहले ही दिन जब आप किसान को ऋण देते हैं तो आप यह देखते हैं कि वह बीमार पड़ जाता है, वह चूककर्ता हो जाता है और ऋण चुका नहीं पाता है।

अत:, माननीय मंत्री से मेरा यह अनुरोध है, यदि आप सचमुच में यह चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र का सुधार हो, किसान राशि लें और इसे कृषि क्षेत्र में निवेश करें, तो किसान को ऋण उस दर पर दीजिए जिसे वह चुका सके; आप उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक हर मामले में ब्याज दर कम कर रहा है। आप यह सुनिश्चित कीजिए कि ब्याज दर कम हो।

इन्हीं शब्दों और सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक 2000 पर चर्चा करते समय, मैं मंत्री जी का ध्यान सहकारी सोसाइटीज की दुर्दशा की ओर खींचना चाहता हूं। खासकर उत्तर प्रदेश में जितनी भी कोआपरेटिव कोल्ड स्टोरेज हैं या सहकारी चीनी मिलें थीं, उनकी हालत अत्यंत खराब चल रही है। इसी तरह इन सोसाइटीज के माध्यम से किसानों को जो खाद दी जाती थी या जो भी उनसे गेहूं क्रय किया जाता है, उसमें निहायत भ्रष्टाचार की बू है। हम वहां का हाल देखते हुए कहना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटीज बनी हैं या जो आगे बनेंगी, उनकी भविष्य में क्या दशा होगी? कैसे उनको कंट्रोल किया जाएगा? आपने विधेयक में लिखा है कि हम उन पर कंट्रोल करेंगे। जो उदाहरण कुछ दिन पहले आए हैं, बहुत सी बीमा कंपनियां खुली हैं। इसके अतिरिक्त जगह-जगह और भी बैंक खोले गए हैं, प्राइवेट सैक्टर में खोले गए हैं। उनमें व्यापक स्तर पर जिन लोगों ने पैसा जमा किया है, उनके पैसे की लूट हुई है। जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज थीं, वे भी भाग गई हैं। हमें डर लग रहा है कि ये जो सोसाइटीज गठित होंगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं तो कोई बात नहीं लेकिन जो राज्य सरकार की हैं, उनमें भी यही दशा रही, तो जो आम जनता की, किसान की या मजदूरों की पूंजी इसमें लगेगी, वह डूब जाएगी। सोसाइटी के चेयरमैन ने अगर उस पूंजी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम से कम इतना शिकंजा जरूर रखें।

वैसे आपने इसमें कहा है, हमने इस विधेयक को सारा तो नहीं पढ़ा लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसके हिसाब से आपने इसके लिए उसमें कुछ नियंत्रण करने की कोशिश की है। मैं आपको कुछ राय देना चाहूंगा। मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हम कुछ इन्फोर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित कोआपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम सभी लोग जानते हैं और उससे सभी परिचित हैं। वह खाद पैदा करने का काम करती है। जितना शोषण उस सोसाइटी में होता है, उतना शायद कहीं भी नहीं होगा। वहां सारे सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उस सोसाइटी में आठ-दस साल से जो लोग काम कर रहे हैं, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। जो करोड़ों रुपये की मशीनें मंगाई जा रही हैं, उसका कहीं कोई टैंडर नहीं है, केवल वर्क आर्डर पर पूरी की पूरी कंपनी, प्लांट का प्लांट खरीद लिया गया है। इस प्रतिष्ठित कंपनी के अंदर जिस तरीके से घपले हो रहे हैं, उसे देखकर मुझे ताज्जुब हुआ है। जब कभी मुझे मौका मिलेगा तब मैं सदन के सामने यह बताऊंगा कि इन सोसाइटीज का क्या हाल है? वह बीमा कंपनी में प्रवेश करने जा रही हैं। इस तरीके से सब कामों में ऐसा होगा तो क्या दशा होगी? इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर थोड़ा ध्यान रखें और

[श्री धर्म राज सिंह पटेल]

इन सोसाइटीज में जो आठ-दस साल से लोग काम कर रहे हैं या उनमें जो मशीनें खरीदी जा रही हैं, जो लाखों-करोड़ों रुपये का सामान लगाया जा रहा है या बिक्री की जा रही है, उस पर नजर रखें कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। भविष्य में कहीं ऐसा न हो जैसे यू. टी.आई. घोटाला हुआ या और बड़े-बड़े कांड हो जाएं तब आपको पता चले। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि भविष्य में होने वाले घपले या जनता के पैसे के दुरुपयोग की तरफ भी सरकार का ध्यान रहे। इसी के साथ मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

हमारे उप-नेता श्री शिवराज वि. पाटील, श्री मणि शंकर अय्यर और पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौडा ने मूल्यवान सुझाव दिए हैं। इसी प्रकार मैं भी अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

कर्नाटक में सहकारिता आंदोलन सबसे पहले गडग, हुबली में शुरू हुआ। आज भी उस समूचे क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका के लिए इन सहकारी संगठनों के ऋणी हैं। मैं माननीय मंत्री की एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि राजनीतिक हस्तक्षेप ही एक ऐसा कारण हैं जिसके कारण सहकारिता उद्योग प्रभावित हो रहा है। इसी के कारण यह चल नहीं पाएगा। सहकारिताओं को राजनीतिक पार्टियों के चंगुल से बचाना होगा। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को निदेशक मंडल में सदस्यों के रूप में रहने दीजिए। इस विधेयक से खंड 48 को हटाना होगा क्योंकि केवल तब ही सहकारिता आंदोलन बच पाएगा।

सभापति महोदय, तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधनों के माध्यम से आपने ऐसे उपबंध किए हैं ताकि सभी वर्ग स्थानीय निकाय के चुनाव में भाग ले सकें। इसी प्रकार सहकारिता क्षेत्र में भी आपको कुछ संशोधन करने होंगे ताकि चुनावों में सभी कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। कर्नाटक में यह पहले से ही विद्यमान है। वहां प्राथमिक सोसाइटियों में महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लिए भी आरक्षण है। जब वहां ऐसे उपबंध हैं तो नामांकन की क्या आवश्यकता है? पहले नामांकन की आवश्यकता थी क्योंकि उस समय कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई उपबंध नहीं थे। अब, जबकि ऐसा उपबंध है तो नामांकन के रूप में सरकार द्वारा हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है चाहे उनका शेयर अथवा राशि का अंशदान कितना भी हो। सहकारी सोसाइटी अर्द्ध-सार्वजनिक संस्था है।

सरकार का सोसाइटी में हिस्सा हो सकता है परंतु केवल हिस्सा होने के नाते उनको संगठन पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार सत्ता में आती है वह अपने सदस्यों को सोसाइटी के बोर्ड में मनोनीत करती है और प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर देती है। मैं इसकी गहराई में जाना नहीं चाहता हूं। एक बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि कार्यकारिणी की शक्तियों को सीमित किया जाए। सोसाइटियों का एक लोकतांत्रिक ढांचा है यदि बोर्ड कोई गलती करता है तो सोसाइटी के पास इस पर नियंत्रण रखने का प्राधिकार होना चाहिए। सरकार को इसके लिए उचित तंत्र स्थापित करना होगा। परंतु सोसाइटियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। गांव में परिवार के किसी भी एक सदस्य के पास पासबुक हो और जब वह चाहे तब सोसाइटियों में जाकर उर्वरक बीज और जो कुछ भी उसे अपेक्षित हो, वह ले सकेगा और उसे सोसाइटी को देय राशि लौटानी होगी। अत: सोसाइटियों को चलाने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सोसाइटियां राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण प्रभावित होती हैं। इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा खंड 41, 48 और 51 पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा इन खंडों में थोड़े परिवर्तन किए जाने और सहकारिता आंदोलन पर नया बल दिए जाने की आवश्यकता है। कृषि समुदाय के लोगों और खेतिहर मजदूरों को सोसाइटियों का सदस्य बनाया जाए। सहकारिता आंदोलन में इन लोगों की भागीदारी आवश्यक है। सरकार द्वारा बोर्ड में सदस्यों के नामांकन पर रोक लगाई जाए। इन परिस्थितियों में ही सहकारिताओं का संगठन चल पाएगा। सरकार को ऐसे उपाय करने होंगे जिससे सहकारिता क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप रोका जा सके और यह सुनिश्चित हो कि इन सहकारिताओं के बोर्ड में कृषि समुदाय और खेतिहर मजदूरों में से सदस्यों के रूप में नामांकन द्वारा सहकारिताओं को नया बल और दृष्टि प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर, कृषि मंत्री जी जो बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ब्रह्म प्रकाश जी की समिति बनी थी और मिर्धा जी की समिति बनी थी। उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, उन सुझावों को इस बिल में माना गया है। सन् 1984 में यह विधेयक लाया गया था, पर इस विधेयक में कमी थी, इसलिए उस कमी को दूर करने का काम इन दो समितियों ने किया है। केन्द्रीय सरकार ने ऐसी सहकारिता सोसाइटीज, जिनका उद्देश्य का विस्तार एक सा हो और एक राज्य तक सीमित न हो, उनको इस बिल में डालने का प्रयास किया है।

यहां पर और सारी बातों का विवेचन तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन चार माह तक यदि रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति को सूचना न मिले

तो वह ऑटोमेटिकली वह सोसाइटी रजिस्टर्ड मानी जाएगी, माननीय मंत्री महोदय ने इस बिल में यह बात कही है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति तीन मीटिंग में उपस्थित नहीं होगा तो उसको अनुपस्थित मानकर उससे हटा दिया जाएगा। एक और जो इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है, वह यह है कि सोसाइटियों में कोई भी मंत्री, चाहे वह राज्य का हो या केन्द्र का हो, दोनों ही प्रकार के मंत्री सोसाइटी के अध्यक्ष नहीं होंगे। यह भी एक अच्छी बात है, जो जनतांत्रिक तरीके से की गई है। इससे मंत्री का किसी प्रकार का दखल नहीं होगा, चाहे वह राज्य का मंत्री हो या केन्द्र का हो। यह भी एक सुन्दर बात कही गई है।

इसी प्रकार से जो लेखा परीक्षा होगी, जो ऑडिट सिस्टम होगा, वह भी उस कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा, यह बात भी इसमें कही गई है। इसके साथ-साथ एक-दो सुझाव, जो हमारे पिछले माननीय स्पीकर थे, उन्होंने दिए हैं कि बहुराष्ट्रीय सहकारी समिति में भी कहीं किसी प्रकार का अभाव है तो इस संबंध में भी हम विचार करें। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होना बहुत ही आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इसमें इसका प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। यह बात भी हो और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब तबके के लोगों के प्रतिनिधित्व का भी इसमें प्रावधान किया जाए, यह भी बहुत आवश्यक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री भार्गव आप अपनी बात आधे घंटे की चर्चा के बाद जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 5.30 बजे

[अनुवाद]

आधे घंटे की चर्चा

बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 16, आधे घंटे की चर्चा आरंभ करेगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी। आप संक्षिप्त वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) **:** सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री श्री खंडूड़ी के उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूं। वे सरकार के सर्वोत्तम मंत्रियों में से एक हैं जो संसद सदस्यों के प्रश्नों का समान रूप से उत्तर देते हैं। मैं उनकी निष्ठा के लिए उन्हें एक बार पुन: धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय आपने जनहित के इस महत्वपूर्ण मुद्दे—राष्ट्रीय राजमार्ग—के बारे में आधे घंटे की चर्चा करने की अनुमति दी है और मुझे बोलने का मौका दिया है इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

इससे पहले 21 मार्च, को माननीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31, 34 और 35 के चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण और एशियाई विकास बैंक की सहायता के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे लिखित उत्तर दिया था। मंत्री जी ने 21 मार्च के अपने पत्र में मुझे यह लिखा :

> ''चूंकि मंत्रालय देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों की आरोहन गुणवत्ता में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है अत: बाढ़ प्रवण खंड में सुधार जैसी समस्याएं स्थगित कर दी गई हैं।''

यह आधे घंटे की चर्चा राष्ट्रीय राजमार्गों को बाढ़ द्वारा हुई क्षति के बारे में है। मैं इस मामले पर विशेष ध्याने देने की आवश्यकता के इस मामले को उठाता हूं।

यदि माननीय मंत्री भारत का मानचित्र देखते हैं, अब तक तो राष्ट्रीय राजमार्गों, जो बाढ़ प्रवण क्षेत्रों से होकर निकलते हैं, का मानचित्र उनके हाथ में पहले ही होगा, वह यह पाएंगे कि राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति पहुंचाने में, मेरी समझ से, तीन मूल कारण हैं। भारी मानूसन के दौरान जल भराव, चाहे वह नदी के अधिक बहाव अथवा नदी की गहराई के कम होने के कारण हो, से बाढ़ आती है। जल बहाव का रास्ता नहीं होता और पानी राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास जमा हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप सड़क के दोनों किनारे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ संकरी सड़कों पर पटरियों, जिनका काफी पहले निर्माण किया गया, पर अब अतिक्रमण हो गया है। सड़क को चौड़ा करने का कार्य, यदि सरकार इसे करना भी चाह ले, तो भी इसमें पुराने पेड़ों के होने अथवा सड़क के आसपास के स्थानों पर अतिक्रमण होने के कारण रुक जाता है।

एक अन्य कारण सड़क का स्तर है। ऐसी कई सड़कें हैं जिनका निर्माण 20 से 40 वर्ष पहले किया गया। उस समय नदी का स्तर अलग था। अब नदी का स्तर, क्षरण और अन्य कारणों से बढ़ गया है और इसका पानी सड़कों पर पहुंच जाता है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्गों की ऊंचाई पर्याप्त नहीं है, अत: पानी इस पर बहता है और इससे खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती है।

सभापति महोदय, मैं तीन जिलों—दक्षिण दीनाजपुर, उत्तर दीनाजपुर और मालदा और मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्सों—का प्रतिनिधित्व करता हूं और इनमें होकर मैं कोलकाता पहुंचता हूं। प्रत्येक मानसून में कई

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

महीनों तक मेरे राज्य के ये चारों हिस्से बाढ़ से प्रभावित होते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी अवरुद्ध हो जाती है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पानी बहने के कारण ट्रकों को आवाजाही नहीं हो सकती। राष्ट्रीय राजमार्ग और सरकारी राजस्व के साथ-साथ यहां के लोगों को, पीड़ित समुदाय को इतनी क्षति हुई है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूं। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मामले को समझने की कोशिश की और स्थिति को बेहतर बनाने हेतु गंभीर प्रयास किए।

एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से फरक्का से रायगंज तक की पश्चिम बंगाल कोरिडोर विकास परियोजना पैकेज तीन के रूप में शीघ्र ही शुरू की जाए। इससे वर्तमान सड़क विशेषकर मालदा जिले में 334 कि.मी. से 335 कि.मी. तक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में सुदृढ़ होगी। इसके अलावा, मैं मंत्री जी का ध्यान निम्न कमजोर क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं जो बाढ़ प्रवण हैं और जिनके लिए प्रशासन की सहायता की आवश्यकता है। 'कमजोर क्षेत्रों' से मेरा यह अभिप्राय है कि ऐसे स्थानों पर सड़क तो ठीक है परंतु सड़क की ऊंचाई का स्तर इतना कम हो गया है कि जब यह विशिष्ट कमजोर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होता है तो पूरी सड़क प्रभावित होती है। ये क्षेत्र हैं—361-362 कि.मी.—100 मीटर दूरी; 363-364 कि.मी.—250 मीटर लंबाई; 405-407 कि.मी.—700 मीटर की लंबाई; 418-419 कि.मी.—800 मीटर भाग; 419-420 कि.मी.—700 मीटर भाग; 426-427 कि.मी.—120 मीटर भाग।

[अनुवाद]

ये सभी तथ्य कल मेरे राज्य में जिला कलेक्टर और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एकत्रित किए गए। पश्चिम बंगाल का मालदा जिला, मुर्शिदाबाद का समग्र जगींपुर उपमंडल, दक्षिण दिनाजपुर तथा उत्तर दिनाजपुर के जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

अनेक कारणों ये राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध पड़े हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तर उस जल स्तर से नीचे है जो बाढ़ के दौरान नदियों से यहां आ जाता है। उन सड़कों की चौड़ाई कम है। मालदा में मोयना, उत्तर दिनाजपुर में रूपाहार और बोटाबरी जैसी जगहों में सड़कों की ऊपरी परत इतनी अधिक कमजोर है कि सड़कों में दरार आ जाती है तथा नदी जल के बहाव के कारण भू-कटाव होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान अत्यधिक प्रासंगिक मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। कूलिंग ब्रिज जो उत्तर दिनाजपुर, रायगंज के मुख्यालय पर राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर है, अब कमजोर पड़ रहा है और किसी भी समय कोई भी घटना हो सकती है। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास पहले से इस पुल के नुकसान के बारे में जानकारी और तथ्य हैं और ये इस बारे में कोई योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं। यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मैंने इसके तथ्य के बारे में पहले भी बताया है। लेकिन आज की आधे घंटे की चर्चा में मेरे स्पष्ट मुद्दे निम्नलिखित हैं:—

क्या माननीय मंत्री कार्यवाही के प्रथम चरण में एक छोटा-सा दस्तावेज तैयार करेंगे जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश आदि के भाग में उन बाढ़-प्रवण क्षेत्रों का उल्लेख हो जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं?

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है अथवा राज्य सरकारों द्वारा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां दो पृथक व्यवस्थाएं हैं।

तीसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एशियाई विकास बैंक तथा मंत्रालय द्वारा अपने बजट से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता मानसून पूर्व स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त है। यह मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि कई बार निविदा संबंधी शंकाओं का समाधान किया जाता है और मानसून के दौरान तथा मानसून पूर्व आंशिक रूप से कार्य शुरू किया जाता है। इसके बाद यह कार्य बेकार चला जाता है। इसलिए, उन्हें इस संबंध में निश्चित रूप से योजना बनानी चाहिए कि निविदा कार्य तथा अन्य निर्माण कार्य या तो मानसून पूर्व अथवा मानसून पश्चात् समाप्त हो जाए ताकि सरकार का धन बचे और कार्य बेहतर रूप से पूरा हो सके। मैंने माननीय मंत्री को मेरे जिले यथा उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद तथा दक्षिण दिनाजपुर के क्षेत्रों के बारे में बताया है जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि यह पूर्वोत्तर राज्य का गलियारा है। आप जो भी माल दिल्ली अथवा मुम्बई अथवा भारत के किसी भाग से पूर्वोत्तर क्षेत्र में भेजते हैं तो इस सड़क के बिना आप अपना माल यहां नहीं भेज सकते हैं। इसलिए जब बाढ़ के दौरान ये चार सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं तो समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रभावित होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी इस सड़क से कोई सहायता नहीं मिलती है।

मैं माननीय मंत्री का आभारी रहूंगा यदि वे इन मुद्दों यथा (क) सड़कों की चौड़ाई सुनिश्चित करने, (ख) सड़क का स्तर ऊपर उठाने (ग) सड़क आधार को नुकसान पहुंचाए बिना शीघ्र प्रभावित होने वाले स्थानों से जमा पानी को निकालना सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देंगे। इस संबंध में राज्य के सिंचाई विभाग के परामर्श से कोई सुरंग अथवा पाइप लाइन बनाई जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके

कि जमा हुआ पानी राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए खतरा न बने और इन्हें और सुदृढ़ किया जाए।

महोदय, यदि माननीय मंत्री इन तीन पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के सामान्य दैनिक कार्य करने के अतिरिक्त बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की सहायता हेतु विशेष प्रकोष्ठ नियुक्त करते हैं तो मेरे विचार से वे राज्य तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सहायता करने का भारी कार्य करेंगे।

महोदय, मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 1999 में आई बाढ़ के दौरान जब भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने इस क्षेत्र को कुछ राहत भेजने की योजना बनाई तो वे राहत सामग्री को रेलगाड़ियों से नहीं भेज पाए क्योंकि कुछ भागों में रेल की पटरियां इस स्थिति में नहीं थीं कि रेलगाड़ियों से भारी सामग्री वहां पहुंच पाती। तब सरकार ने राहत सामग्री ट्रक से भेजने का निर्णय लिया। लेकिन उन सभी ट्रकों को मोइना तथा गाजोल के बीच एक स्थान पर रुकना पड़ा। छह माह तक गांव वालों ने उन ट्रक ड्राइवरों को खाना खिलाया क्योंकि उन्हें बाहर से भोजन सामग्री नहीं मिल पाई और सभी तरह की राहत सामग्री उन ट्रकों में पड़ी रह गई। कुछ ट्रकों को तो लूट लिया गया। गंभीर रूप से हिंसा भड़की। आखिरकार आठ माह के बाद ही वे सड़कें यातायात के लिए खुल पाईं।

महोदय, असम, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों तथा नदी से सटे क्षेत्रों में भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। इसलिए, माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध हैं कि वे अपने मंत्रालय की सहायता से यह देखने के लिए एक और टिप्पण तैयार करें कि उन क्षेत्रों के निकट वे कौन सी नदियां है जिनके कारण बाढ़ आती है ताकि स्थिति से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। वे राज्य सिंचाई विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग तथा जल संसाधन मंत्रालय की सहायता और सहयोग से इस स्थिति से भली-भांति निपट सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि बांध, बराज के संबंध में कौन-सा तंत्र लागू किया जा सकता है; नदियों के सुधार के बारे में क्या किया जा सकता है; इन क्षेत्रों में सुरंगों आदि द्वारा जल की निकासी के लिए सिंचाई विभाग द्वारा क्या प्रबंध किए जा सकते हैं तथा उनके मंत्रालय की ओर से सड़कें बनाने अथवा चौड़ी करने तथा उनका स्तर ऊपर करने के लिए क्या प्रबंध किए जा सकते हैं।

यदि सभी मंत्रालयों के सहयोग से ये कार्य किए जाते हैं तो सेना का काफी अधिक अनुभव रखने वाले ये मंत्री इन राज्यों में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की जनता के लिए वास्तव में अच्छे कार्य करेंगे।

मैं, माननीय मंत्री से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या वे भारत के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों विशेषरूप से मेरे राज्य तथा जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया है, उनके लिए कार्य-योजना बनाने हेतु जल संसाधन मंत्रालय तथा राज्य सरकार के सिंचाई विभाग और लोक-निर्माण विभाग को एक साथ काम करने के मेरे सुझाव पर विचार करेंगे। दूसरा, यदि हां, तो क्या वे इस संबंध में किसी नीति अथवा योजना की घोषणा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्गों के बाढ़-प्रवण क्षेत्र—जो सीमित संख्या में है लेकिन निश्चित रूप से समग्र राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षतिग्रस्त करते हैं—जो राष्ट्रीय राजकोष की लागत पर बनाए जाते हैं, में बाढ़ को किस तरह रोका जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे। सामान्यत: चार माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन आज प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज आप अपने उत्तर में पूरे भारत के बारे में बता सकते हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : महोदय, ठीक है। मैं, दो बातों के लिए श्री दासमुंशी का आभारी हूं। पहला, राष्ट्रीय राजमार्गों की समस्या पर प्रकाश डालना क्योंकि प्रत्येक कई ये राष्ट्रीय राजमार्ग देश में बाढ़ आने के कारण प्रभावित अथवा क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और सड़क प्रणाली को भारी क्षति पहुंचाने के अलावा वहां की जनता के लिए अत्यधिक असुविधा अथवा परेशानी पैदा कर रहे हैं। दूसरा, मैं इसलिए भी उनका आभारी हूं कि उन्होंने सड़क क्षेत्र के संबंध में मेरे मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की है।

हमारे देश में बाढ़ रोजमर्रा की बात बन गई है। प्रतिवर्ष हमारे देश के किसी न किसी भाग में बाढ़ आती है। कुछ भागों में सामान्य मानसून भी बहुत अधिक होता है जिसके कारण भी सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा, प्रतिवर्ष हमारे देश के विभिन्न भागों में भीषण बाढ़ आ रही है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश में फैले हुए हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त और अवरुद्ध हो जाती हैं और विशेष रूप से मानसून के दौरान मरम्मत का समय भी नहीं मिलता। मानसून भी 2-3 माह तक चलता है। इसलिए सड़कें क्षतिग्रस्त और अवरुद्ध हो जाती हैं। अत:, यह समस्या प्रतिवर्ष उत्पन्न होती है।

प्रत्येक वर्ष हम शीघ्र कार्यवाही करने की कोशिश भी करते हैं, हम थोड़ी बहुत मरम्मत करते रहते हैं। लेकिन इन समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान पर निश्चित रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है जैसा कि श्री दासमुंशी ने सुझाव दिया है।

यह कहने के पश्चात् मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग समस्याएं हैं। चाहे बाढ़ हो अथवा सामान्य वर्षा अथवा अन्यथा पश्चिम बंगाल में पानी से सड़कों को होने वाली क्षति

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]

संबंधी समस्याएं एक तरह की हैं। बिहार में अलग प्रकार की समस्याएं हैं। कतिपय नदियां नेपाल की ओर से आती हैं जहां कोई बांध नहीं है और इससे अप्रत्याशित समस्याएं पैदा होती हैं क्योंकित अचानक भारी मात्रा में पानी आ जाता है। असम राज्य जैसे कतिपय क्षेत्रों में बड़ी नदियों जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के कारण समस्याएं आती हैं। ये प्राकृतिक समस्याएं हैं जिनके लिए विगत वर्षों में उचित ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा और भी अन्य समस्याएं हैं।

श्री दासमुंशी पहले भी यह प्रश्न पूछ चुके हैं। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है कि हमें हर बार इसे स्पष्ट करना पड़ेगा। वर्तमान में देश में 58,112 कि.मी. लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये सभी राज्य राजमार्ग थे जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया गया है। अब पहली बार एक नई एजेंसी अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यक्रम के अंतर्गत नई सड़कें बना रही है। हम नए डिजाइन के अनुसार 13,000 कि.मी. की नई सड़क का निर्माण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कुछ मौजूदा सड़कों को भी बेहतर बनाया जा रहा है। कई बार राज्य सड़कों का स्तर राज्य राजमार्ग स्तर से कम होता है लेकिन हमने राज्यों से इनके रखरखाव का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए समस्या बदतर हो जाती है।

श्री दासमुंशी ने सड़कों की ऊंचाई का प्रश्न उठाया है। यह बहुत स्पष्ट और एकदम सही भी है। इससे पहले भी उन्होंने एक बार यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने उन्हें आंकड़े भी दिए थे। यदि हमने शुरू से सड़क का डिजाइन बनाना है तो सड़क के ग्रेड से लेकर टॉप अथवा ब्लैक टॉप तक विभिन्न ढांचे हैं। आज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण डिजाइन बना रहा है। सब-ग्रेड सड़क का सबसे निचला भाग है और हम वह बनाते हैं। उस क्षेत्र में सड़क न्यूनतम 0.6 मीटर से लेकर अधिकतम बाढ़ स्तर से 1 मीटर ऊपर होनी चाहिए। इसलिए जैसा कि आपने बताया है कि यदि सामान्य बाढ़ वाले क्षेत्र में सड़क बनाई जानी हो तो उन्हें अधिक ऊंचा नहीं बनाया जाना चाहिए। पानी को सड़कों पर नहीं बहने देन चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दुर्भाग्य से ये सड़क पहले बनाई गई है। ये सड़कें तदर्थ आधार पर डिजाइन विनिर्दिष्टियों के अनुसार बनाई गई हैं। अब हमने उनका कार्यभार ले लिया है।

यदि मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुसार सभी सड़कों को, जिनकी लंबाई 58,000 किलोमीटर है, बदलना पड़े तो यह एक बहुत बड़ा कार्य होगा। तीन वर्ष पूर्व एक अध्ययन किया गया था। उस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कम अर्थात् 45000 किलोमीटर थी और उनके लिए 1,65,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। इसलिए हम केवल साधारण सड़कों की देखरेख कर रहे हैं या बाढ़ से होने वाले नुकसानों से निपटने का प्रयत्न कर रहे हैं। तदर्थ आधार पर प्रबंध किए जा रहे है। मैं इसे त्वरित कार्यवाही कहता हूं। प्रतिवर्ष किसी न किसी कारण से नुकसान हो रहा है। मेरे मंत्रालय का बजट लगभग 1500 करोड़ रुपये है और हम प्रतिवर्ष 100-120 करोड़ रुपये बाढ़ के लिए रखते हैं। इससे बाढ़ से हुए नुकसान, जो कि एक हजार करोड़ रुपये तक का होता है, की पूर्णतया भरपाई नहीं होती। इसलिए, हम वरीयता वाले क्षेत्र ढूंढ़ने का प्रयास करते हैं और मरम्मत आदि का कार्य करते हैं।

बाढ़ राहत देने हेतु क्या प्रक्रिया है? आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। अब, चूंकि मेरा ध्यान भी इस विषय की ओर आकर्षित किया गया है। अत: मैंने अपने आपसे पूछा है कि मैं क्या कर सकता हूं। क्या मैं कोई योजना बना सकता हूं? वर्तमान में योजना यह है कि बरसात के मौसम में जो कुछ भी नुकसान होता है हम उससे दो तरीकों से निपट सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि जब भी किसी राज्य से ऐसी कोई आपातकालीन मांग आती है कि कोई सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और हमें इतनी धनराशि की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए गत वर्ष एक राज्य ने सहायता के रूप में 5 करोड़ रुपये की मांग की लेकिन हमने उन्हें तत्काल किए जाने वाले मरममत कार्यों को शुरू करने हेतु 2 करोड़ रुपये दिए। बरसात के मौसम में यह आपातकालीन आवश्यकता है क्योंकि नुकसान तो पहले ही हो चुका है।

दूसरा तरीका बरसात के समाप्त होने के बाद के बारे में है। राज्य सरकार अपने अभियंता नियुक्त करती है और हमारे क्षेत्रीय अधिकारी उनके साथ बैठकर योजना बनाते हैं। इस योजना में दो से तीन माह का समय लगता है। तब तक दिसंबर आ जाता है। फिर वे अपनी आवश्यकता बताते हैं। यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहता है और कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता तो अगली जनवरी तक पैसा जारी कर दिया जाता है। उसमें से वे जो कुछ भी उस वर्ष व्यय कर पाते हैं वह तो ठीक अन्यथा बकाया धनराशि अगले वर्ष के लिए अग्रेषित कर दी जाती है। अत: पूरी व्यवस्था इस प्रकार की है कि धन उपलब्ध होने के बावजूद भी इसका मरम्मत कार्यों के लिए संतोषजनक तरीके से उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार हम उन्हें बता देते हैं कि चूंकि बरसात का मौसम आ रहा है अत: जो भी मरम्मत कार्य किए जाने हैं वे उन्हें अभी कर सकते हैं। इस प्रकार हालांकि हम जनवरी में धनराशि जारी करते हैं फिर भी राज्य द्वारा कुछ धनराशि का पहले ही उपयोग कर लिया जाता है क्योंकि वे मरम्मत कार्य तो आरंभ कर ही चुके हैं और उस पर कुछ व्यय भी हो चुका होता है और जब भी धनराशि जारी की जाती है उसे समायोजित कर दिया जाता है। कभी-कभी इस धनराशि का या तो पूर्णतया उपयोग नहीं हो पाता या फिर समुचित रूप से उपयोग नहीं हो पाता। हमारे सामने इस प्रकार

की समस्याएं आती हैं। इसलिए हम निश्चित रूप से आपके सुझाव को देखेंगे और कोई तरीका खोजने का प्रयास करेंगे।

प्रत्येक जगह बाढ़ से हुए नुकसान का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि आपने सुझाव दिया है, कुछ क्षेत्र बाढ़ संभावित क्षेत्र होते हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण नुकसान होता है लेकिन तथ्य यह है कि यदि बरसात से पूर्व ही कुछ प्राथमिक कार्य कर लिया जाए तो हम समय की बचत कर सकेंगे और धनराशि का भी समुचित रूप से उपयोग हो सकता है। वस्तुत: ये मूल समस्याएं हैं।

आपने कहा कि मुझे सेना में बहुत अनुभव मिला है। हां, और मैंने, विशेषकर बिहार में बहुत सा बाढ़ राहत कार्य किया है। 1971 में मेरे पास एक रेजीमेंट थी। पटना-साहिबपुर-कमाल और पूर्वी क्षेत्र तक का सारा क्षेत्र पूर्णतया प्रभावित था। पटना से आगे इस क्षेत्र का देश से कोई रेल संपर्क नहीं था। हम छोटे मीटर लाइन मार्ग पर जा रहे थे। वहां बड़ी लाइन नहीं थी। पूरा जन-जीवन अस्त-व्यस्त था। इसलिए, वहां कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त होते हैं।

कुछ क्षेत्रों में जल-निकासी प्रणाली समुचित नहीं है या वहां सिंचाई नहरें हैं। सिंचाई नहरें अधिक गाद जमा होने जैसे विभिन्न कारणों की वजह से अवरुद्ध हो जाती हैं अथवा उन्हें लोगों द्वारा जानबूझकर अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अवरुद्ध कर दिया जाता है। आप एक समान को अवरुद्ध कर देते हैं ताकि पानी मुड़कर दूसरे क्षेत्र में चला जाए। अत: कोई व्यक्ति या लोगों का समूह जल निकासी प्रणाली पर्याप्त न होने के कारण पानी को अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर मोड़ देने का प्रयास करते हैं। इससे भी सड़कों को नुकसान पहुंचता है।

जैसा कि मैंने कहा, जब सड़कों का निर्माण किया गया था तब भी पुलियाओं की संख्या पर्याप्त नहीं थी। इसलिए हमें अतिरिक्त नहरों का निर्माण करना चाहिए जिससे कि पानी की निकासी हो सके। हमारे सम्मुख इस प्रकार की समस्याएं हैं। समस्याएं बहुत बढ़ी हैं। जैसा कि मैंने कहा हमने प्रतिवर्ष बाढ़ राहत कार्यों पर 120 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रयास किया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आपको कुछ विशेष क्षेत्र और विशेष सड़कों का उल्लेख किया है। अंतिम संसदीय प्रश्न के बाद मैंने आपको आपके निर्वाचन क्षेत्र और पूर्णरूप से पश्चिम बंगाल, जहां-जहां हमने धनराशि उपलब्ध कराई है के बारे में सूचना भी दी थी। मुझे आशा है कि आपको वह सूचना मिल गई होगी। यहां तक कि अभी समाप्त हुए वर्ष में हमने पश्चिम बंगाल को 10.13 करोड़ रुपए दिए हैं। उनकी मांग और अधिक की होगी। इसलिए राजय सरकार इस धन का अपनी वरीयताओं के अनुसार उपयोग करती है। कमोबेश, वे ही वरीयताएं तय करते हैं। अत: अधिक धन की आवश्यकता के अतिरिक्त हमें एक व्यवस्था विकसित करने की भी आवश्यकता है।

आपने विशिष्ट क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याएं बताई हैं। मैं उन्हें देखूंगा। आपने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 का भी उल्लेख किया था। एशियाई विकास बैंक के ऋण की सहायता से एक बहुत अच्छी योजना है। इस परियोजना में तेजी से प्रगति की जा रही है। प्राथमिक चरण पूरे हो चुके हैं। परामर्शदाताओं की पहचान कर ली गई है; निदेश पदों को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब हम निविदाएं आमंत्रित करने आदि संबंधी कार्य करने जा रहे हैं। एक बार इस कार्य के आरंभ हो जाने के पश्चात् उत्तरी बंगाल की तरफ से जोड़ने वाली सड़कें, कम से कम सिलीगुड़ी से डलखोला तक की सड़कें काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। अत: इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है।

आपने मुझसे दो विशेष प्रकार के प्रश्न भी पूछे हैं। पहला सड़कों के स्तर से संबंधित है। अभी हम इसे टुकड़ों में कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना ही पैसा है। मुझ सहित प्रत्येक माननीय संसद सदस्य यह चाहता है कि उसके निर्वाचन क्षेत्र की सड़कें राज्यीय-राजमार्गों से राष्ट्रीय-राजमार्गों में परिवर्तित हो जाएं। आज यदि हम राज्यीय-राजमार्ग में से एक किलोमीटर सड़क लें और यदि वह अच्छी हालत में भी हो तो भी हमें उस पर भारी धनराशि व्यय करनी होगी। हम सभी यह जानते हैं और मैंने पहले कहा भी है कि हमने ऐसी सड़कें भी ली हैं जो कि न केवल राज्यीय-राजमार्ग के स्तर की हैं अपितु वस्तुत: गांवों की सड़कें हैं। हम सभी जानते हैं कि विभिन्न कारणों से इनको परिवर्तित किया गया है। यदि मुझे राज्यीय-राजमार्ग के स्तर की एक सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर की सड़क में परिवर्तित करना पड़े तो मुझे प्रति किलोमीटर 1 करोड़ रुपये से 1.5 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अत: हमें 1,65,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इतनी धनराशि उपलब्ध ही नहीं है। एक ओर तो हम अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग चाहते हैं और दूसरी ओर हमारे पास धन नहीं है। इसलिए, साधारण रख-रखाव का कार्य भी नहीं हो पा रहा है। हमें सड़कों पर परिवहन की स्थिति सुधारने हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता है क्योंकि इनमें बहुत से गड्ढे हैं। चाहे सड़क की चौड़ाई कितनी भी क्यों न हो, उसकी सतह अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ ही यह भी मांग रही है कि हमें इन्हें एक लेन से दो लेन की बनाना चाहिए और राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो लेन ही होनी चाहिए। इसलिए, बजटीय प्रावधानों में जो 1400 करोड़ रुपये से 1500 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है, उसे हमें इस प्रकार विभाजित करना है कि उसका इस प्रकार ईष्टतम उपयोग किया जा सके ताकि हम थोड़ा-थोड़ा पैसा सबको दे सकें।

महोदय, गत दो-तीन वर्षों से हमने सुधार और आरोहण की गुणवत्ता वाली परियोजनाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। हम सड़कों को थोड़ा और चौड़ा भी करना चाह रहे हैं जिससे कि कुछ इंटरमीडिएट लेन की सड़कों को दो लेन वाली सड़कों में और कुछ एक लेन

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]

वाली सड़कों को इंटरमीडिएट लेन की सड़कों में बदला जा सके। अत: हमारे सम्मुख इस प्रकार की समस्या है।

आपने सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने के बारे में कहा है जिसका अर्थ है पूरे ढांचे को पुन: बनाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सड़क की सबसे निचली सतह से सड़क की सबसे ऊपरी सतह तक यह औसतन 1.3 मीटर होती है। हमें विभिन्न प्रकार से 1.3 मीटर ऊंचाई निर्मित करनी पड़ती है। पहले जमीन, फिर ठोस की गई मिट्टी, फिर तारकोल और फिर मोटा तारकोल और अंतत: अंतिम परत चढ़ाना। अत: बाढ़ के स्तर से 1.3 मीटर ऊपर सड़क निर्मित करनी पड़ेगी। अब, यदि आपको यह विभिन्न स्थानों पर करना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। अत: इससे निपटना एक मुद्दा है।

इसके बाद बाढ़ नियंत्रण और इससे हुए नुकसान का पता लगाने का प्रश्न उठता है। इसके लिए आपने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं राज्य सिंचाई विभाग के कुछ लोगों और केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण के लोगों को इसमें सम्मिलित करूंगा और यदि हम कोई तरीका निकाल पाए तो यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम अपने मस्तिष्क का उपयोग करेंगे और जो कुछ भी संभव हो सकेगा निश्चित रूप से वैसा करेंगे।

आपने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे सहमत हूं। ऐसा दो कारणों से है। जो भी उपलब्ध जल निकासी प्रणाली हे वह अपर्याप्त है। कई बार, वर्तमान जल निकासी प्रणाली अवरुद्ध हो जाती है, कहीं कुछ उग आता है और कुछ स्थानों पर विभिन्न कारणों से विभिन्न चीजें हो जाती हैं। जैसा कि आपने कहा कहीं-कहीं अतिक्रमण भी हुआ है।

इसलिए, इन चीजों से हमारी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। अतिक्रमण अपने आप में ही एक अलग समस्या है और शायद बाढ़ से भी बड़ी समस्या। हमारे देश में सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या इतनी गंभीर है कि हम आज सड़कों के संबंध में चाहे जो भी प्रयास करें, वह दो से तीन वर्षों में ही व्यर्थ हो जाता है। मैंने स्वयं जाकर अपनी आंखों से देखा है कि यदि हम आज एक बाई-पास का निर्माण करते हैं तो दो-तीन वर्षों में ही उसके पूरे होने से पहले ही उस पर अतिक्रमण की समस्या हमारा ध्यान केन्द्रित कर लेती है। इस प्रकार अतिक्रमण की इस समस्या से बाढ़ की समस्या और विकराल हो जाती है।

श्री दासमुंशी ने मुझसे दो विशेष प्रश्न पूछे हैं। पहला समन्वय के बारे में है, हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा है कि क्या मेरी किसी सड़क विशेष हेतु कोई विशेष योजना हे। मेरे लिए इस स्तर पर कुछ भी कहना बहुत कठिन होगा। लेकिन मैं राज्य सरकारों से परामर्श करके उन क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास करूंगा जो अक्सर बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं। हम उनके द्वारा दिए गए अन्य सुझावों पर भी ध्यान देंगे।

मैं राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय राजमार्गों का कुछ हिस्सा बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होता है। हम निश्चित रूप से इस तथ्य की ओर ध्यान देंगे कि क्या उन क्षेत्रों के बारे में विशेष रूप से विचार कर वहां कुछ विशेष विकासकारी कार्य किए जा सकते हैं। इसी के साथ मेरे विचार से तो कुछ भी माननीय संसद सदस्य ने पूछा था मैं उस सबका उत्तर दे चुका हूं।

सभापति महोदय : तमिलनाडु के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के बारे में बताइए?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : इसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करके चार लेन वाला बनाया जा रहा है। आपको उसके संबंध में कोई समस्या नहीं होगी।

सभापति महोदय : मदुरै से तूतीकोरन तक की पूरी सड़क मूसलाधार वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : एक बार जब इसे राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया जाएगा तथा सड़क का निर्माण हो जाएगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत इसका निर्माण होने जा रहा है जिसमें इसकी चौड़ाई चार लेन की होगी। आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर सड़क की खुदाई भूमि तल से चार-पांच फुट नीचे की जा रही है। इसलिए, इस परिवर्तन के पश्चात् आपको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं माननीय मंत्री का ध्यान डालखोला पर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इसका जिक्र किया है। बात यह है कि पूरी सड़क प्रणाली बाढ़ों के दौरान ध्वस्त हो जाती है जिसकी वजह से लेवल क्रॉसिंग पर जाम लग जाता है। डालखोला के नजदीक एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर, चार लेनों वाली सड़क का कार्य चल रहा है। इस सड़क को चार लेनों वाली बनाने के साथ-साथ एक सड़क उपरिपुल और एक रेलवे लेवल क्रॉसिंग के निर्माण हेतु विचार व निरीक्षण किए जाने की जरूरत है ताकि भविष्य में यदि कहीं बाढ़ का खतरा हो तो उपरिपुल सारे यातायात का भार ले सके तथा उसे पूर्वोत्तर और कलकत्ता की ओर मोड़ सके। मैं इस पहलू के संबंध में माननीय मंत्री को एक पत्र पहले ही दे चुका हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह जांच करके संभावना का पता लगाएं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मैं ऐसा करूंगा।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : पूर्वी तट मार्ग पांडिचेरी से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा नहीं हुआ है।

सभापति महोदय : आपने सूचना नहीं दी है, किन्तु इसकी अनुमति दी जाती है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : धन्यवाद, महोदय।

सभापति महोदय : हम बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक पर चर्चा पुन: आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अच्छा उत्तर दिया है। हम उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि बाढ़ के कारण हर साल रोड्स खराब होती हैं, जिसके कारण आपके विभाग को उनकी रिपेयर पर फिर से पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसा कि माननीय दासमुंशी जी ने बताया कि जहां फ्लड्स आती हैं वहां फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है। हर साल आप बाढ़ से क्षतिग्रस्त रोड्स की रिपेयर करते हैं, मगर बहुत जगह पर आपके अधिकारी सर्वे करते हैं, तथा कई बार बाढ़ के कारण जो रास्ते खराब नहीं होते हैं, उनके बारे में रिपोर्ट दी जाती है कि रास्ते बाढ़ के कारण खराब हुए हैं। इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करके जांच करने की आवश्यकता है कि रोड्स बाढ़ के कारण खराब हुए हैं या किसी और कारण से खराब हुए हैं। अपने देश में सभी नेशनल हाईवेज उल्टे-सीधे हैं। आप मिलिट्री के आदमी हैं और मिलिट्री के आदमी को सीधा चलना चाहिए। अपने देश में नेशनल हाईवेज बहुत टेढ़े-मेढ़े हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : सभापति महोदय, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : हमारा इतना ही कहना है कि खराब रोड्स को आज अच्छा करने की बहुत आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : किसी ने भी प्रश्न पूछने की सूचना नहीं दी है। छ: बजने में एक मिनट बाकी है। इसलिए, यदि आप चाहते हैं कि मंत्री महोदय जवाब दें तो अब आप बोलना बंद कीजिए और मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिए। मंत्री जी अब अपना जवाब दे सकते हैं।

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी : सभापति महोदय, जो चर्चा हो रही है उस पर हमें भी बोलने दीजिए, मंत्री जी सबका एक साथ जवाब दे दें। सभापति जी, यह जो चर्चा हो रही है नेशनल हाइवेज पर हो रही है। नेशनल हाइवेज को आप कितना भी ऊंचा करते जाएं लेकिन जब तक ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो कितना भी ऊंचा कर दें, एक तरफ तो समुद्र सा हो जाएगा और दूसरी तरफ पानी नहीं होगा। इसलिए निवेदन है कि नदियों का गहरीकरण करना चाहिए जो काम आज तक नहीं हुआ। साइड में जो ड्रेनेज है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए और जब ऊपर से ऊंचा करेंगे तो बीच-बीच में पानी निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए नहीं तो एक तरफ पानी हो जाएगा और दूसरी तरफ नहीं होगा। यह भी उसके साथ जुड़ना चाहिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : सभापति जी, माननीय सदस्यों ने दो सवाल पूछे हैं। पहला तो कहा है कि सड़कें फ्लड्ज से खराब हो रही है या भ्रष्टाचार से, क्या हमने जांच की है। भ्रष्टाचार शब्द इस्तेमाल तो नहीं किया है लेकिन वह आपका मतलब था कि सड़कें फ्लड्ज से खराब नहीं हो रही हैं लेकिन रिपोर्ट इस तरह की आ जाती है। मैंने शुरू में कहा था कि हमारे यहां फ्लड से इतना नुकसान होता है कि उधर भ्रष्टाचार करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन प्रक्रिया यह है कि जब भी कोई रिपोर्ट प्रदेश से आती है कि इस जगह पर बाढ़ से नुकसान हो गया है तो उनकी टीम वहां पर जाती है, हमारा एक रीजनल अधिकारी हर प्रदेश में है, वह भी साथ में जाकर देखता है।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा कि टेढ़ी-मेढ़ी सड़कें हैं। इन पर जहां-जहां संभव है, उनको ठीक करने का, चौड़ा करने का और एक्सीडेंट कम करने की व्यवस्था बराबर चलती रहती है।

बहनजी ने कहा कि नदियों का गहरीकरण करना चाहिए। मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा क्योंकि यह भी सही है कि ड्रेनेज ठीक नहीं है और दासमुंशी जी ने कहा है सिल्टिंग ज्यादा हो गई है और पानी नदी में जाने के बजाय वापस सड़कों पर आता है। इसलिए अगर नदियों का गहरीकरण हो सके तो मैं सड़क विभाग की ओर से बहुत आभारी रहूंगा क्योंकि हमारा बहुत सा पैसा बचेगा। यह पूरा सामूहिक कार्य है और दासमुंशी जी ने कहा कि सब लोगों को मिलकर, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट को मिलकर यह बात सोचनी चाहिए और इस पर सोचने की कोशिश की जाएगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने विशेष मामले के रूप में उन सदस्यों को अनुमति दी है जिन्होंने मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पूर्व सूचना नहीं दी है। इसको उदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तथा मैंने स्वयं के लिए भी अनुमति दी है !

अब, श्री भार्गव अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, अब सभा के समय को बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) **:** महोदय, आप सभा के समय को कैसे बढ़ा सकते हैं? आप सभा की कार्यवाही को कैसे जारी रखेंगे?

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभा रात्रि 8.00 बजे तक चर्चा जारी रख सकती है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट इंतजार कीजिए। वह स्थिति का पता लगाएं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जो सदस्य बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) **:** कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट परिचालित नहीं की गई है। मुझे सभा द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी नहीं है। परिपत्र कहां है?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) **:** आज सर्कुलर आया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने खोजा है। नहीं मिला है हम लोगों को। कैसे बीएसी में 8 बजे तक बैठने का तय कर देते हैं? किसने तय किया है?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आज बुलेटिन में यह आया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगर सभा चाहती है तो क्या मैं चर्चा जारी करूं?

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) **:** नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) **:** अब आप सभा स्थगित कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* यदि सभा का समय बढ़ाया जाता है तो बोलने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, क्या पास हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोगों को नहीं मिला। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, सभी सदस्यों ने चर्चा जारी रखने के लिए अपनी सहमति जतायी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में रात्रि 8 बजे तक सभा की कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमने इस विषय पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा की है तथा हमने महसूस किया कि यदि हमें इस तरह के किसी महत्वपूर्ण मामले को निपटाने के लिए सायं छः बजे के बाद भी बैठना पड़े तो हम देर तक बैठ सकते हैं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि अन्य वक्ताओं को इस चर्चा में शामिल करते हुए आज इस विधेयक को पारित किया जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : सभापति जी, यह कोआपरेटिव का मामला है तो इसलिए हाउस को चलाने के लिए हमें भी कोआपरेट करना चाहिए। अगर हम इस पर कोआपरेट नहीं करेंगे तो हाउस कैसे चलेगा। इसलिए इस कोआपरेटिव बिल को आगे चलाने के लिए हम हाउस में कोआपरेट करते हैं।

सायं 6.05 बजे

[अनुवाद]

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक—*जारी*

सभापति महोदय : अब सभा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2000 पर चर्चा जारी रखेगी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) **:** माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक पारित कराने हेतु सदन में लाए हैं। मैं इसका पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसका समर्थन करने हेतु इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि केन्द्रीय सरकार की ऐसी सहकारी सोसाइटियों, जिनके उद्देश्यों का विस्तार एक राज्य तक सीमित न हो और एक से अधिक राज्यों में ऐसी सोसाइटियों के सदस्य हों, उनका हितसाधन करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान व्यवस्थाओं में एकरूपता की कमी और अपर्याप्तता थी। इसको संतुलित करने के लिए केन्द्र सरकार इस प्रकार का बिल लाई है। इसके लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

महोदय, चौधरी ब्रह्म प्रकाश और श्रीराम निवास मिर्धा जी की समितियां बनीं, उन्होंने ये सुझाव दिए हैं। मेरा कहना है कि इन बातों को तय करने के लिए, छूट देने के लिए, अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए, रजिस्ट्रार की आवश्यकता न पड़े और ये सोसाइटियां बिना रजिस्ट्रार को बीच में लाए अपने संसाधनों को बढ़ा सकती हैं, यह बात इसमें कही गई है। इसका मैं स्वागत करता हूं। कहीं यदि किसी जगह डिस्प्यूट हो जाए, तो सहकारी विवाद समाधान प्राधिकरण बनाए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। इस बिल में निश्चित रूप से अनेक बातों का समाधान किया गया है। कोई व्यक्ति चाहे वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्री हो, वह सोसाइटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बन सकता है। यह बहुत अच्छी बात इस बिल में दी गई है। इसी प्रकार से तीन सामान्य बैठकों में यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहेगा, तो उसको हटा दिया जाएगा, यह बात भी इस बिल में ठीक कही गई है।

महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें किसी को विरोध नहीं होगा। विरोध के बारे में कहा गया है कि केन्द्र सरकार जो न्यायाधिकरण बनाया जाएगा, वह उस विवाद का निपटारा करेगा और निर्णय देगा। इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। केन्द्र सरकार इसे नियुक्त करेगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलकर सारा काम करेंगे। मेरा निवेदन है कि इस बिल में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं और इस संशोधन के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन मेरा यहां पर कहना यह है कि इस बिल के बारे में यहां कई अच्छे सुझाव भी आए हैं जिन्हें इसमें समाविष्ट किया जाना चाहिए।

महोदय, बहुराज्यीय सहकारी समितियों का निश्चित रूप से इसमें प्रादुर्भाव हो, महिलाओं की सहभागिता हो, राज्य सरकार और नगर पालिकाओं में महिलाओं की भागीदारी हो, केन्द्र सरकार 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का बिल ला रही है, इसलिए इसमें महिलाओं का समावेश किया जाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का इसमें समावेश नहीं किया गया है। उनके हितों की रक्षा करने के लिए इस बिल में निश्चित रूप से उनके समावेश के बारे में क्लाज जोड़ा जाना चाहिए।

महोदय, सहकारी बैंकों में लोगों का जो पैसा जमा है, मैं समझता हूं कि ग्रामीण इलाकों के लिए हमको छूट होनी चाहिए और छूट देकर जो रकम उनमें जमा कराई है, उसका ठीक प्रकार से प्रयोग हो सके, उस पैसे का कोई गबन न कर सके, वह किसी अन्य कार्य पर व्यय न हो सके, इस पर जरूर विचार करना चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी बहुत मेहनत करके सोसाइटियों की उन्नति करने के लिए बहुत बड़ा बिल लाए हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और जिन बातों के मैंने सुझाव दिए हैं जैसे महिलाओं के बारे में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के बारे में और जब यह जनान्दोलन हो गया है, तो लोगों का पैसा सेफ रहे, सुरक्षित रहे और बैंकों तथा सोसाइटियों में गबन न हो और गबन करने वाले अधिकारियों को पर्याप्त रूप से सजा मिले, इस संबंध में आप अवश्य विचार करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देते हुए इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि वे बहुत अच्छा बिल लाए हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) **:** सभापति जी, यह मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है इसलिए यह बिल भी मल्टी स्टेट कोआपरेटिव है। मुझे लगता है कि यह बिल आने में विलंब हुआ है। चूंकि 1990 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी बनी। उस कमेटी ने 1991 में अपनी रिपोर्ट दे दी लेकिन आज तक वह लागू नहीं हुई। लगता है कि यह सरकार मल्टी नेशनल के प्रभाव में थी इस कारण इस बिल के आने में विलंब हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें इतना विलंब क्यों हुआ? हमारा कहना है कि मल्टी नेशनल कम्पनीज कोआपरेटिव के खिलाफ हैं और वह चाहती हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को खत्म कर दिया जाए। हमारा कहना है कि गरीब, बेरोजगार युवक की जो स्थिति है, बिना सहकारिता आंदोलन से उनका सुधार संभव नहीं है।

इसी तरह श्री राम निवास मिर्धा कमेटी बनी। स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल को रैफर किया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने जो अनुशंसा दी,

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

उस अनुशंसा को सरकार ने पढ़ने तक का काम नहीं किया। उसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था। उसको आपने क्यों नहीं लागू किया? आपने इस बिल को लाने में क्यों देरी की? जब आपने उस अनुशंसा को ही नहीं मानना, उसकी वाजिब बात को ही नहीं मानना तो फिर इस बिल को लाने में देरी क्यों की? हमारा कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टी के लोग रहते हैं। जब उस स्टैंडिंग कमेटी ने अनुशंसा की है तो फिर कौन-सी शक्ति लगी हुई है कि आपने उस स्टैंडिंग कमेटी की अनुशंसा को जिसमें अनुसूचति जाति-जनजाति, पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था, आपने इस बिल में उसका प्रावधान क्यों नहीं किया? मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने उस अनुशंसा की अवहेलना करने की कैसे हिम्मत की? इस पर हम अंत तक लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। हम देखते हैं कि यह बिल उनको आरक्षण दिए बिना कैसे पास हो जाएगा। जब सब सदस्य बोल रहे हैं, इस बिल में अगर अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ी जाति और महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा तब इस कोआपरेटिव सोसाइटिज का कोई मतलब नहीं है। यह पाकेट संस्था हो जाएगी। कुछ लोगों की पाकेट में यह संस्था रहेगी। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी की अनुशंसा की जो अवहेलना हुई है, उसके लिए सरकार सुधार करे अन्यथा हम देखते हैं कि यह बिल कैसे पास हो जाएगा। हमारे पास जनमत है। हमने सारे सदस्यों को सुना है इसलिए हमारा कहना है कि जनमत के बिना ये इस बिल को कैसे पास कर लेंगे। इसके लिए हमने अमेंडमेंट भी मूव किया है। बिना वोटिंग के यह पास होने वाला नहीं है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट, श्री राम निवास मिर्धा की रिपोर्ट और फिर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई। किसी ने भी नहीं कहा कि चेयरमैन की पोस्ट पर अगर कोई आदमी दो टर्म से ज्यादा रहेगा तो उसे तीसरी बार नहीं रहने दिया जाएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे यह अमेंडमेंट कैसे लाए हैं? हमने एक अमेंडमेंट दिया है कि नियम 44 में इन्होंने जो संशोधन दिया है कि जो आदमी दो बार चेयरमैन रहेगा, वह तीसरी बार नहीं होगा, वह आप किस आधार पर ऐसा करना चाहते हैं। कमेटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या यह अमेरिकन प्रेजीडेंट की पोस्ट है? एम.एल.ए. और एम.पीज. आठ या दस बार जीत सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो यह कौन सी ऐसी भारी पोस्ट है जिसको आप दो बार से ज्यादा नहीं रख सकते। हमारा कहना है कि आप इसे दो टर्म से ज्यादा क्यों नहीं रखना चाहते? बिना किसी कमेटी की अनुशंसा के आप यह अमेंडमेंट लेकर आए हैं इसलिए हमने इसके खिलाफ अमेंडमेंट दिया है। आप तर्क से यह साबित कर दीजिए कि किस कारण आपने ऐसा किया है कि एक आदमी दो टर्म से ज्यादा चेयरमैन की पोस्ट पर नहीं रह सकता। अगर किसी आदमी को दो टर्म के लिए रहने के लिए कहा जाएगा तो फिर वह अच्छा काम क्यों करेगा? वह सोचेगा कि हमको दो टर्म रहना है, इसलिए हेरा-फेरी करके चला जाएगा। लेकिन उसमें यदि फिर से जीतने की क्षमता है और आप उसे बनने नहीं देंगे तो वह अपनी पत्नी, अपने कर्मचारी को बना देगा, क्या इससे कोआपरेटिव्ज का काम ठीक चलेगा। अगर आप कोआपरेटिव्ज में सुधार चाहते हैं तो उसे नान-ऐलीजिबिलिटी में रखिए, यह प्रावधान रखिए कि यदि कोआपरेटिव घाटे में गई तो उसे दुबारा चुनाव नहीं लड़ने देंगे। यदि ऐसा कानून बनाएंगे कि दो बार से ज्यादा बनने ही नहीं देंगे तो कोई व्यक्ति कितना अच्छा काम करेगा। आपने ऐसा किसलिए किया है। इसलिए हमने अमेंडमेंट दिया है। यदि हम गलती पर हैं तो आप तर्क से हमें समझा दें, हम अपनी गलती मान लेंगे, नहीं तो मैं जो तर्क दे रहा हूं, उस पर विचार कीजिए। जो कानून आप बनाएंगे, उसमें यह प्रावधान करें कि यदि किसी व्यक्ति के चेयरमैन होते हुए कोआपरेटिव 50 प्रतिशत घाटे में है ओर उसके जाने के बाद घाटा बढ़ गया, कम नहीं हुआ तो उसको दुबारा चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और आप उसे दो बार से ज्यादा चेयरमैन नहीं बनने देंगे तो उसका प्रतिफल खराब निकलेगा। इसलिए मंत्री जी इस बारे में पुनर्विचार करें और अपने अमेंडमेंट को वापिस लें, नहीं तो हमें समझा दें कि क्या दो बार के बाद उसे चुनाव लड़ने से वंचित करना चाहते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो किसी व्यक्ति का उत्साह खत्म हो जाएगा, वह सोचेगा कि दो बार के बाद बनना नहीं है तो अच्छा काम क्यों करें। इसलिए इसे परफार्मैंस से जोड़ना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति की अवधि में कोआपरेटिव अच्छा काम कर रही हैं तो वह दुबारा बन सकता है, अगर अच्छा काम नहीं कर रहीं तो उसे दुबारा नहीं बनने देंगे।

लोग दस-दस रुपये के शेयर लगाकर कोआपरेटिव्ज पर कब्जा करने के लिए सदस्य बन जाते हैं जबकि कोआपरेटिव्ज से उनका कोई मतलब नहीं होता। एन.डी.डी.बी. की कोआपरेटिव में यह प्रावधान है कि जो किसान तीन महीने तक उनको दूध की सप्लाई करेगा, उसी को वोटिंग राइट होगा।...*(व्यवधान)* इसमें भी उसी तरह की वोटिंग राइट का प्रावधान किया जाना चाहिए कि जो सदस्य उसकी सर्विस लेते हैं, उसमें इन्वॉल्वड हैं, उन्हीं को वोटिंग राइट दिया जाएगा। बिहार, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश—इन चार प्रदेशों में मॉडल कोआपरेटिव्ज वाला कानून लागू है। हाल ही में बिहार में सुधार किया गया है। बिहार में कुल 2600 कोआपरेटिव्ज-मॉडल कोआपरेटिव्ज की तरह काम कर रही हैं। यह ठीक है कि अभी जो राज्यों का बंटवारा हुआ है, यह कहा गया है कि कोआपरेटिव्ज के बंटवारे की जरूरत नहीं है, मल्टीस्टेट कोआपरेटिव्ज कानून के तहत फिर से उनका रजिस्ट्रेशन

करवा दिया जाएगा। अभी जो कानून बन रहा है, यह दावा किया जाता है कि इसमें सरकारी हस्तक्षेप को कम करेंगे, खत्म करेंगे। उसमें डेमोक्रेटिक होगा और ऑटोनोमी इसकी होगी, यह बात ठीक है, लेकिन इनका जो नेशनल कोआपरेटिव डवलपमेंट कारपोरेशन है और नाबार्ड है, उन्होंने कानून बनाया हुआ है कि हम तभी लोन देंगे, जब स्टेट गारंटी होगी। अब आप स्टेट की कोआपरेटिव को खत्म कर रहे हैं, स्टेट का हस्तक्षेप आप खत्म कर रहे हैं तो कोई भी स्टेट गारंटी क्यों देगा। जब आप कोआपरेटिव से स्टेट के हस्तक्षेप को खत्म कर रहे हैं तो स्टेट गारंटी नहीं देगा, इसलिए एन.सी.डी.सी. और नाबार्ड में भी तदनुसार इनको संशोधन लाना पड़ेगा और जो प्रावधान है कि स्टेट गारंटी की अनिवार्यता है, उसको खत्म करना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि आप कोआपरेटिव के मामले में हस्तक्षेप को खत्म करना चाहते हैं और उसको ऑटोनोमी देना चाहते हैं। ऑटोनोमी कैसे हुई, जब सरकार गारंटी नहीं देगी, तब तक एन.सी.डी.सी और नाबार्ड उनको लोन नहीं देगा और लोन नहीं देगा तो सरकार का अधिकार उसमें खत्म हुआ तो फिर उसको लोन कैसे मिलेगा, इसलिए इसमें माननीय मंत्री जी एन.सी.डी.सी और नाबार्ड के कानून में संशोधन का प्रावधान करें, फिर जो छोटे-छोटे गांवों में बसने वाले हैं, उनको लोन का इनके पास क्या प्रावधान है? उनको कैसे ऋण मिलेगा, इसलिए पैक्स में जमा वृद्धि योजना हम लोगों के यहां बिहार में है, जिसमें पैसा जमा करने का और छोटे-छोटे लोन किसानों को देने का प्रावधान किया है और यह प्रयोग बड़ा सफल रहा है, लेकिन बार-बार आर.बी.आई. और नाबार्ड से उसकी चिट्ठी जाती है कि आप क्यों बैंक का नाम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसमें प्रावधान होना चाहिए, नहीं तो यह किसान विरोधी सरकार का तो यह काम हो सकता है कि किसानों को छोटे-छोटे ऋण मिलें वे वहीं पैसा जमा कर दें। उनको गांव में ही ऋण मिले, पैक्स जमा वृद्धि योजना का अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसमें केन्द्रीय सरकार के संस्थान अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, यह अवरोध खत्म होना चाहिए। फिर सरकार ने इंटीग्रेटिड कोआपरेटिव डवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, लेकिन दसवीं पंचवर्षीय योजना में ये उसके प्रावधान को घटा रहे हैं। हमारा आरोप है, सरकार की गतिविधियों में मैं देख रहा हूं कि किसान विरोधी और गरीब विरोधी व्यवहार हो रहा है। जब इंटीग्रेटिड कोआपरेटिव डवलपमेंट प्रोग्राम (समेकित सहकारिता विकास कार्यक्रम) है तो इसमें और जोर देना चाहिए, इस पर बल देना चाहिए, कोआपरेटिव पर खर्च बढ़ाना चाहिए, लेकिन यह नहीं कर रहे हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन्होंने खर्च घटाने का काम किया है, इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है।

अभी बिहार में भोजपुर, सारन, सिवान, खगड़िया और कैमूर का आई.सी.डी.पी. में प्रस्ताव आया हुआ है, उसको मंजूर करने के लिए हम मांग करते हैं। देश-भर में 381 सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक हैं, जिनमें से 141 की हालत खराब है और 60 को नोटिस दिया गया है कि आप बैंक बंद करिए। भारत सरकार ने और इनके संस्थान ने कामर्शियल बैंक और ग्रामीण बैंक की बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए दस हजार करोड़ रुपया दिया है। लेकिन जो सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक और छोटे स्टेट कोआपरेटिव बैंक हैं, उनके लिए आपने कोई मदद नहीं दी कि वे भी अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त करें, उसके लिए आपने प्रावधान क्यों नहीं किया है। एक तरफ 10 हजार करोड़ रुपये और कोआपरेटिव बैंक को एक पैसा नहीं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक मरें नहीं, इसलिए उनके लिए भी आप बैलेंस शीट दुरुस्त करें, जिस ढंग से आपने कामर्शियल बैंक और ग्रामीण बैंक की बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए मदद की है। उसी तरह से सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक को भी आप मदद करिए। आपने कहा ही है कि देश भर में एक नेशनल सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक बनाया जाएगा, उसका गठन होना चाहिए।

अंत में, आर.बी.आई. में कपूर कमेटी बनी है, कपूर कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए केवल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान क्यों हुआ है? उसको आगे बढ़ाने के लिए आर.बी.आई. की जो कपूर कमेटी की सिफारिशें हैं, उनको लागू करना चाहिए। मैंने जो यह चार-पांच सवाल किए हैं, इन पर मंत्री जी से स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं, नहीं तो मैं मानूंगा कि यह सरकार किसान विरोधी है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति विरोधी है। सभी किसानों का कैसे भला हो, सहकारिता आंदोलन कैसे सफल हो, मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज कैसे सफल हों और सरकार का कैसे हस्तक्षेप कम हो, इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। जो क्लाज आप लाए हैं, उसको वापस लें, नहीं तो हम वोटिंग के लिए आग्रह करेंगे।

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, मैं बहुराज्यीय कोआपरेटिव सोसाइटी विधेयक 2000 का समर्थन करता हूं। हम सब जानते हैं कि अपने देश में सहकारिता का बहुत महत्व है। सहकारिता के माध्यम से इस देश में निजी लोग मिलकर पूंजी एकत्र करके, संगठन बनाकर कृषि के क्षेत्र में, गृह निर्माण के क्षेत्र में और अन्यान्य क्षेत्रों में चाहे बैंकिंग के क्षेत्र में हो, अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार की संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें इस संबंध में काफी प्रावधान हैं, जिनका मैं समर्थन करता हूं।

कुछ बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वे इस दिशा में अगर थोड़ा सतर्क होकर नियम बनाते समय ध्यान रखेंगे तो जो छोटी-मोटी विसंगतियां विपक्ष के माननीय सदस्यों को दिखाई देती हैं, उनका भी निदान हो जाएगा।

[श्री थावरचंद गेहलोत]

सायं 6.28 बजे

*[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** पीठासीन हुए]*

सभापति महोदय, जब आप वहां बैठे थे, तो आपने कहा था कि ब्रह्म प्रकाश समिति की रिपोर्ट 1990 में आ गई थी। 1990 के बाद उसमें जानबूझकर विलंब हुआ। कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आरोप आपने बोलते हुए लगाए थे कि उनके प्रभाव में आकर इस विधेयक को नहीं लाया जा रहा था। आप अगर उधर होते तो मैं आपसे पूछता, इस वक्त आप आसन पर हैं, फिर भी मैं पूछ लेता हूं कि जब आप 1996-97 और 1997-98 में सरकार में केबिनेट मंत्री के रूप में रहे, आपके सहयोगी भी रहे और आपके खासमखास प्रधानमंत्री रहे, उस वक्त आपने इस विधेयक को लाने का कष्ट क्यों नहीं किया? अब जब यह विधेयक आया है, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। जो छोटी-मोटी खामियां हैं, शंकाएं हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें प्रावधान है कि यह विधेयक अमल में लाया जा सके। इसलिए सरकार को नियम बनाने के अधिकार होंगे। नियम बनाते समय जो भी छोटी-मोटी खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए नियमों में प्रावधान किया जा सकता है।

मैं एक बात से जरूर सहमत हूं कि इसमें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, यह इस विधेयक में नहीं है। या तो अभी से इसमें स्वीकार कर लिया जाए कि इसको कर लें या मंत्री जी अगर नियम बनाते समय इसको करने में सक्षम हों, कानूनी दृष्टि से उसका अध्ययन करते समय अपना जवाब देते हुए बताएं। इस विधेयक को यहां लाने के पूर्व देश के सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। सहकारिता क्षेत्र में जो प्रमुख लोग हैं, संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, नौकरशाहों में अधिकारी के रूप में जो रहे हैं, उनमें कुरियन जी जैसे भी लोग हैं, इन लोगों के साथ विचार-विमर्श हुआ था। उसमें एक बात की शंका व्यक्त की गई थी और वह यह थी कि जिस रजिस्ट्रार को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया है, उसमें प्रतिबंध यह है कि अगर समान उद्देश्य को लेकर एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है और दूसरे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन करता है, तो उस सोसाइटी को रजिस्टर नहीं करना चाहिए। यह प्रतिबंध इसमें है, लेकिन इसके लाभ-हानि दोनों हो सकते हैं। एक यह कि सहकारिता के क्षेत्र में कम्पीटीटर तैयार हो जाएगा और इससे हो सकता है कि जो सोसाइटी पहले से काम कर रही है, उसको दूसरी सोसाइटी के कारण नुकसान हो सकता है और दूसरा, अगर एक सोसाइटी अच्छा काम नहीं कर रही है और दूसरी सोसाइटी उस क्षेत्र में आ गई है, तो उसको देखकर प्रतिस्पर्धात्मक काम को गति मिल सकती है। इस कारण लाभ-हानि दोनों हो सकते हैं। फिर भी हम चाहेंगे कि इस विषय में सरकार सतर्क रहे और ध्यान दे। एक सोसाइटी के बाद दूसरी सोसाइटी को रजिस्टर करने पर रोक लग जाती है, तो उस सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह सोसाइटी ठीक से काम कर सकेगी या नहीं, इस गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए।

इस विधेयक में एक और भी अच्छी बात है और वह बात यह है कि अगर पहले कोई विवाद होता था, तो मामले न्यायालयों में जाते थे। परंतु अब न्यायिक प्राधिकरण बनाकर विवादों को जल्दी से जल्दी हल करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान स्वागतयोग्य है। इसके अलावा एक से अधिक कार्यालय खोलने पर भी विचार करना चाहिए। बहुराज्य सोसाइटी के लिए एक राज्य में कार्यालय खोलने के लिए प्रावधान किया गया है, अगर दो राज्यों में कार्यालय खोलना चाहती है, तो सरकार को इसमें ऐतराज नहीं करना चाहिए। ज्यादा अच्छा होगा, दो जगहों पर अपने प्रधान कार्यालय खोलना चाहें, तो सदस्यों को लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही मंत्रियों को अध्यक्ष या प्रधान पद प्राप्त करने का अधिकार इसमें नहीं किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। परंतु निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्षेत्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में प्रावधान कर दिया, परन्तु राज्यों में आज भी सहकारिता क्षेत्र में जितनी संस्थाएं हैं, मध्य प्रदेश में तो दुग्ध संघ में तो कैबिनेट मंत्री बैठे हैं और कोआपरेटिव बैंक या किसी अन्य संस्थान में, सभी जगह मंत्री बैठे हैं। अगर आप इसमें मंत्रियों पर रोक लगा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि इस पर पूरे देश के आधार पर विचार करना चाहिए और राज्य के सहकारिता मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि राज्यों में जो एक्ट हैं, उनमें भी राज्यों के किसी मंत्री को किसी पद को धारण करने का अधिकार न रहे। इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो यहां तो आपने कर दिया और वहां वही चलता रहेगा, तो सहकारिता आंदोलन को ठेस पहुंचेगी और सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, जब आप मुझसे पहले बोल रहे थे, तो आपने कहा था कि दो बार से अधिक किसी को भी पद पर नहीं रहना चाहिए, ऐसा सरकार ने क्यों प्रावधान किया और आपने क्लाज 44 का उल्लेख किया था। वह क्लाज 44 नहीं है, क्लाज 46 है।

सभापति महोदय : अमेंडमेंट दी गई है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : अमेंडमेंट क्लाज 42 में है और प्रावधान क्लाज 46 में है। मैं बताना चाहता हूं कि आपने अमेंडमेंट क्लाज 42 में दी है, तो गलत दी है और क्लाज 44 में दी है, तो अलग बात है।

सभापति महोदय : पहले बिल में प्रावधान नहीं था, माननीय मंत्री महोदय ने अमेंडमेंट दी है। आप कृपा कर उसको देख लें।

श्री थावरचन्द गेहलोत : क्लाज 44 में है, लेकिन आपने उल्लेख क्लाज 42 का किया है।

सभापति महोदय : क्लाज 44 में है।

श्री थावरचन्द्र गेहलोत : इसमें क्लाज 46 में है। अगर आप कहें, तो मैं पढ़कर सुना देता हूं।

महोदय, मैं कुछ अन्य बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सहकारिता के क्षेत्र में ठेस पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में जनता सहकारी बैंक देवास में मर्यादित है और इसकी स्थापना 21 जुलाई, 1940 में हुई थी। उसका पंजीयन 24 दिसम्बर, 1941 को हो गया। फिर बाद में उसने बैंकिंग के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया और उस क्षेत्र में काम करने के लिए यह जो कंपनी एक्ट है, उसका सैक्शन 22 है, उसके अंतर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन किया और यह आवेदन 28 अप्रैल, 1966 को किया। मैं इस तरफ इसलिए खास ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि 1966 से वह आवेदन निरंतर विचाराधीन रहा, उसका निर्णय 13 मार्च, 2002 को हुआ। उसका 40 साल तक कोई निर्णय नहीं हुआ, यह निर्णय श्री पी.बी. माथुर, जो एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आरबीआई कंट्रोल आफिस में हैं, इन्होंने एक निर्णय दिया और वह आवेदन निरस्त कर दिया। आवेदन निरस्त करने के साथ-साथ एक आदेश भी दे दिया कि आप जो बैंकिंग का काम कर रहे हैं, लेन-देन कर रहे हैं, उस पर रोक लगा दें। 16 मार्च से उस पर रोक लग गई।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सहकारी समिति के लगभग 49 हजार सदस्य हैं और लगभग 21 हजार खातेदार हैं, जिनक पैसा भिन्न-भिन्न योजनाओं में है—चाहे वह एफडी हो या सेविंग एकाउंट हो, उसमें जमा है और उसमें एक महीने से लगातार प्रतिबंध लगने के कारण लेन-देन नहीं हो पा रहा है। वहां लिक्वीडेटर बैठाने के आर्डर किए हैं। जब एक समय पहले इस सोसाइटी के चुनाव नहीं हुए थे और लिक्वीडेटर बैठाया था तो उस शासकीय अभिकारी ने सब चौपट कर दिया था, उसने बैंक को घाटे में लाने का काम कर दिया था और निर्धारित मापदंड से ज्यादा लोन दे दिया था और जो लोन से वापस रिकवरी का परसेंटेज होना चाहिए, वह भी नहीं किया था। अगर फिर से वह लिक्वीडेटर नियुक्त कर दिया जाएगा तो इस संस्था को भारी नुकसान होगा। इसके विरुद्ध हमने यहां वित्त मंत्रालय के ज्वाइंट सैकट्री के यहां अपील की है। आपका वहां सीधे-सीधे हस्तक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि सहकारिता विभाग आपके पास है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करके इन संस्थाओं को राहत दिलाने की कृपा करें।

महोदय, मैं आपका ध्यान दो बातों की तरफ और दिलाना चाहूंगा—जैसे मार्केटिंग सोसाइटियां राज्यों में हैं, इनके माध्यम से केन्द्र सरकार की योजनाएं क्रियान्वित होती हैं। हमारे यहां से राशन का खाद्यान्न सामान भेजा जाता है, कई जगह उनके माध्यम से वितरण वगैरह किया जाता है या खरीदा जाता है। समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा जाता है। उसे व्यापार मानकर उस पर इंकम टैक्स लगाया जाता है, इंकम टैक्स लगाने के कारण उन्हें काफी नुकसान होता है, पहली बात यह है। दूसरी यह है कि जैसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में आडिट करने के लिए बोर्ड को अधिकार दिया है। बोर्ड निर्णय करेगा, आडिटर नियुक्त करेगा और वह आडिटर आकर कर लेगा, परंतु वहां आडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी कराना पड़ता है और शासन के विभागीय अधिकारियों से भी कराना अनिवार्य है। उनसे जब सोसाइटी निवेदन कर देती है तो छः-छः, आठ-आठ, दस-दस महीने तक सरकारी एवं विभागीय अधिकारी आडिट करने के लिए आते नहीं हैं। इस कारण इंकम टैक्स की तरफ से नियम में जो प्रावधान है, उसे मानकर इस प्रकार की सोसाइटियों पर कहीं पैनल्टी लगाई जा रही है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसलिए उस दिशा में भी ऐसी व्यवस्था करवा दी जाए कि या तो समयानुसार विभागीय अधिकारी आकर आडिट कर दें या फिर चार्टर्ड एकाउंटेंटे, जिसका निर्णय सोसाइटियों ने किया है, उनसे करवाकर वे प्रस्तुत कर दें तो उसे मान्यता मिल जाए। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी तो ठीक होगा, अन्यथा सहकारिता के आंदोलन को काफी नुकसान होता रहेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों की तरफ भी आप ध्यान देंगे और प्रयास करेंगे कि राज्यों के साथ बैठकर एक और कॉम्प्रीहैंसिव बिल लाया जाए ताकि केन्द्र के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, अधिनियम बनने वाला है, वह और राज्यों के अधिनियम में किसी प्रकार का कोई अंतर न हो और हम सहकारिता में तेज गति से अग्रसर हो सकें। अगर सरकार इस प्रकार का प्रयास करेगी तो उत्तम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : नियम 46 में दो सोसाइटियों में एक साथ पद धारण नहीं कर सकते।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं। हमारे देश के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में और जब हमारा देश कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, जब हमारा आर्थिक क्षेत्र करीब-करीब

[श्री प्रबोध पण्डा]

पूर्णतया निगमित क्षेत्रों की शोषणकारी पूंजी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी एकाधिकारों और अनिवासी भारतीयों के चंगुल में है, हमारे माननीय कृषि मंत्री ने इस विधेयक को इस सम्मानीय सभा में पारित कराने हेतु पेश किया है। मेरी समझ से, इसे पहले बनाया जाना चाहिए था।

महोदय, सहकारी समितियों को और अधिक स्वायत्तता दिए जाने पर मुख्य जोर है। विलय, विभाजन तथा सहकारी समितियों को चलाने हेतु कर्मचारियों को चयनित करने के संबंध में इन समितियों को और स्वायत्तता दी जानी चाहिए थी। विधेयक में इस बात का उल्लेख किया गया है तथा माननीय मंत्री ने भी अपने भाषण के दौरान यह बात कही है कि मंत्रालय और नौकरशाहों का हस्तक्षेप समाप्त करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसीलिए, कोई मंत्री सहकारी समिति का अध्यक्ष नहीं होगा। किंतु मुझे यह समझ में नहीं आया कि क्या वह निदेशक मंडल का सदस्य होगा अथवा नहीं। यदि बोर्ड का अध्यक्ष बनने पर प्रतिबंध है और दूसरी ओर, निदेशक मंडल का सदस्य बनने पर प्रतिबंध नहीं है तो फिर बात वही होगी।

अतएव, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आवश्यक रूप से यह प्रावधान किया जाए कि कोई भी मंत्री निदेशक मंडल का सदस्य नहीं होगा तथा कोई नौकरशाह भी इसका सदस्य नहीं होगा। निचले स्तर पर क्या होगा? आजकल, स्थानीय स्व-शासन को ही सरकार माना जा रहा है। क्या स्थानीय निकायों के प्रमुख जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं इस बोर्ड का सदस्य होंगे अथवा नहीं तथा क्या वे इस बोर्ड का अध्यक्ष बन सकते हैं अथवा नहीं। यदि कोई मंत्री सहकारी समितियों का अध्यक्ष नहीं बन सकता तो फिर यही प्रावधान स्थानीय निकायों के प्रमुखों के मामले में क्यों नहीं लागू किया जा सकता। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से उस पहलू पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

एक दूसरा प्रावधान है। मेरी भी यही राय है कि महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि हमारी सरकार सहकारिता आंदोलन तथा सहकारी क्षेत्र को भी बढ़ावा देना चाहती है। महोदय, परंतु क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि जहां तक नाबार्ड का संबंध है, वे कृषि क्षेत्र को 18 प्रतिशत ऋण भी नहीं दे रहे हैं। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वे सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को न्यूनतम 18 प्रतिशत ऋण प्रदान करेंगे।

अगला मुद्दा ब्याज दरों के बारे में है। इस सभा में अनेक माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है तथा मैं भी इसी मुद्दे को उठा रहा हूं। मंत्री जी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि नाबार्ड सहकारी समितियों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान करे ताकि ब्याज का बोझ कम हो सके। अन्यथा, सहकारी समितियां मजबूत नहीं होंगी तथा ब्याज का भार साधारण किसानों और गरीब लोगों पर पड़ेगा।

इस विधेयक के बनने से सहकारी आंदोलन को मजबूत करने हेतु नयी संभावना खुलेगी। मैं इस बात से सहमत हूं। यह मुख्य रूप से छोटे किसानों, सीमांत किसानों, मझले किसानों तथा बेरोजगार युवकों के लिए सहायक होगा। सहकारी समितियां उनकी उन्नति में सहायक होंगी। यह बिल्कुल सही है। पंचायत प्रणाली के बारे में यह कहा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में पंचायत प्रणाली लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को उभारने का एक प्रभावी माध्यम है। यह बात बिल्कुल सही है। परंतु सहकारी प्रणाली को मजबूत किए बगैर पंचायत प्रणाली आगे नहीं बढ़ सकती। इस प्रकार, ये एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। पंचायत प्रणाली की मदद करने के लिए, पंचायत प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहकारी प्रणाली को मजबूत किया जाना जरूरी है। इसलिए आजकल ऐसा करना बहुत महत्वपूर्ण है।

पंचायत को और अधिक शक्ति दिया जाना सही बात है, परंतु पंचायत को अधिक शक्ति दिए जाने का अभिप्राय किसानों को और अधिक शक्ति दिए जाने से नहीं है। किसान और अधिक शक्ति तब पा सकते हैं जब सहकारी आंदोलन मजबूत होता है। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में, वचन व कर्म दोनों से, सहकारी समितियां विकास करेंगी तथा यह प्रस्तावित विधेयक सहकारी आंदोलन को व्यापक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगा। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री मेरे प्रस्तावों पर विचार करेंगे औरउनका जवाब देंगे।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का एक सपना पूरा होता है। भारत में प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर में अंतर्निभरता और सहयोग का सिद्धांत लागू होता है। संयुक्त परिवार का कर्ता सोसाइटी में चेयरमैन की तरह होता और वह—खाद्य, आराधना और संपदा की संयुक्त रूप से देखरेख करता है। यह हिन्दू परिवार की भावना है। जैसा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है, "जो व्यक्ति किसी प्रकार की सहकारी संस्था से दूर रहता है, वह अपने नौकरों और बैलों को कार्य पर भेजेगा, उसका व्यय में हिस्सा होगा परंतु उसका लाभ में कोई हिस्सा नहीं होगा।" भारतीयों की जीवन-शैली ऐसी है। हमारी संस्कृति पर आक्रमण हुए हैं और सीमाओं पर अन्य देशों द्वारा आक्रमण भी किए गए हें परंतु हमने अपनी संयुक्त परिवार प्रणाली की जीवन-शैली और पंचायती राज प्रणाली को नहीं छोड़ा है। अत:, अंग्रेजों द्वारा इतिहास में उल्लिखित यह सहकारी प्रणाली हमारे लिए नई है क्योंकि जहां सहकारी सोसाइटी

बनाई जाती है तो मन में यह बात आती है कि इसे बनाने का एकमात्र उद्देश्य ऋण प्राप्त करना अथवा इसी तरह का कोई अन्य लाभ पाना है।

भारतीयों की जीवन-शैली ऐसी नहीं है। भारतीयों की जीवन-शैली में धर्म है, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा के वे एकजुट होते हैं, एक साथ रहते हैं और एक समुदाय, समाज, गांव और एक देश बनाते हैं। भारतीयों का जीवन ऐसा है।

जब हम भारत का इतिहास देखेंगे तो यह पाएंगे कि सर होरेल प्लंकेट ने सहकारी प्रणाली को ''संगठन द्वारा प्रभावी बनाई गई स्व-सहायता के रूप में'' बताया है। इसी तरह हुबर्ट कलवर्ट ने निम्न प्रकार से बताया है :

''सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए समानता के आधार पर मनुष्य के रूप में स्वेच्छा से स्वयं एक साथ संगठित होते हैं।''

यह अंग्रेजी सोच है जिसने हमें हमारे अपने सहकारी सोसाइटी अधिनियम बनाने को बाध्य किया है। जब 1892 में मद्रास प्रेसीडेंसी सरकार द्वारा सर एफ. निकोलसन को उस राज्य में कृषि अथवा यू-बैंक की प्रणाली शुरू करने की व्यवहार्यता के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने एकत्रित किए गए आंकड़े दो खंडों में प्रस्तुत किए और उन पर सिफारिश की। उनकी सलाह पर, उस समय की भारत सरकार ने 1899 में एच. डूपरेनेक्स को नियुक्त किया जिन्होंने ''पीपुल्स बैंक फार नार्थन इंडिया'' का गठन किया। उन्होंने संयुक्त राज्यों में ग्राम बैंकों के साथ सफल प्रयोग के आधार पर 1899 में इसका गठन किया। इसी प्रकार हम यह देख पाए कि 1901 में मद्रास प्रेसीडेंसी में पहली बार, सहकारी उपक्रमों के मूल्यांकन से पहले ही, यह स्वदेशी व्यवस्था निधि के रूप में पहले ही उपलब्ध थी जिसका गठन किया गया था और इसके अंतर्गत पारस्परिक ऋण दिए जाते थे। कुल 36,000 सदस्यों, जो इसके अंशदाता थे के साथ लगभग 200 निधियां अथवा संस्थाएं बनाई गई थीं और मद्रास में ऐसी निधियों द्वारा दो करोड़ रुपये की राशि की बचत की गई।

इसी तरह हम यह देख सकते हैं कि दो भीषण अकाल के बाद मई, 1901 में सर एफ. निकोल्सन की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया गया जिसने जून/जुलाई, 1901 में परस्पर ऋण संघ के लिए अपनी सिफारिश दी है। उन्होंने एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया और शिमला में माडल नियम बनाए गए जिसके परिणामस्वरूप सहकारी ऋण सोसाइटी अधिनियम बना जिसे 25 मार्च, 1904 को कानून बना दिया गया। यह इंग्लिश फ्रैंडली सोसाइटी एक्ट की तर्ज पर बनाया गया।

देश में अंग्रेजों के शासन के दौरान उनकी यह सोच थी कि देश में सरकार और ग्रामीणों के बीच व्यापक दूरी है और इस दूरी को करने के लिए यह सोसाइटी बनाई गई ताकि अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता की जा सके। उस अधिनियम में यह कहा गया है कि एक ही गांव अथवा कस्बे में रहने वाले एक ही वर्ग अथवा जाति के दस लोगों के लिए सदस्यों में बचत और स्व-सहायता को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी सोसाइटी पंजीकृत की जा सकती हैं। 1901 में पहले अधिनियम का यह उद्देश्य था।

इसके बाद 1902 में सहकारी अधिनियम दो के द्वारा और व्यापक दृष्टिकोण लाया गया। तत्पश्चात् 1984 का अधिनियम लाया गया और अब वर्ष 2002 में हम यह अधिनियम ला रहे हैं। जब हम इन भावनाओं और आज के संगत पहलुओं को लेते हैं तो हमें खुशी होती है कि यह व्यापक अधिनियम लागू हुआ है जिसे इस सरकार द्वारा लाया गया है और जिसे सरकार ने पिछली सिफारिशों के आधार पर अब यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

इसका प्रत्येक पहलू 1984 के पिछले अधिनियम पर आधारित है जिसमें लगभग 14 अध्याय और 110 धाराएं थीं। इसमें सुधार करते हुए 15 अध्याय और 144 धाराएं हैं। परंतु इसके साथ ही हम यह महसूस करते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। मुझे इन्हीं बातों को पुनः दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह विशिष्ट खंड 88(क)(1) एक नई सोच प्रदान करता है। विवाद निपटान प्राधिकरण के लिए जहां उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अध्यक्ष हो सकता है, इस प्रयोजनार्थ 'बार' के सदस्य के बारे में इसमें उचित रूप से विचार किया गया है। अतः, यह उपबंध करने के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि ''यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्ह हो'', तो ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष भी हो सकता है।

इसी तरह मैं कई बातें दिखा सकता हूं जिससे यह पता चल सके कि इस अधिनियमन में बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि तमिलनाडु में सहकारी आंदोलन बहुत शक्तिशाली है परंतु यह इसके साथ ही सरकार के नियंत्रणाधीन है। इस अधिनियम से यह भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि सहकारी प्रणाली से नौकरशाही दूर हो और लोगों को अपनी पारदर्शी और सशक्त सहकारी आंदोलन चलाने की अनुमति दी जाए। इससे लोग आर्थिक दृष्टि से स्वयं का विकास कर पाएंगे और वे सृजन, अंशदान, भागीदारी, हानि को बांटने और सहने के मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर पाएंगे। इसके साथ ही वे अन्य सभी क्षेत्रों में भी विकास कर पाएंगे।

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान (नवादा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो पिछली कई बार से दुर्भाग्य से टेकअप नहीं हो रहा था। आज इसको लिया गया है और हम सबको मिलकर इसे पास करना है। सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है और देश के लिए अच्छी बात है कि यह होने जा रहा है।

महोदय, यह देश सहकारिता पर आधारित रहा है। सहकारिता यहां की रग-रग में रही है। यह कोई नई बात नहीं है, यह कोई आयातित दर्शन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में जुड़ा रहा है। सहकारिता का संस्कार यहां शुरू से रहा है। हम सब जानते हैं कि इस देश में जितना ही राज्य का नियंत्रण कम रहा, उतनी ही यहां की अर्थव्यवस्था अच्छी रही—चाहे 19वीं शताब्दी में हो या 20वीं शताब्दी में। दुष्परिणाम तब आने लगे जब सरकार का नियंत्रण बढ़ गया, हम सब सरकार पर ज्यादा निर्भर रहने लगे। इसलिए आज सरकार इस बात का अनुभव कर रही है कि एक अच्छी शुरूआत हम इसमें कर रहे हैं कि दुनिया की रफ्तार से हमे चलना है। यह बात अलग हो सकती है मगर जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारी मान्यताएं रही हैं, उस मान्यता के अनुकूल यह बात है।

आजादी के बाद से या अंग्रेजों के आने के बाद से लोग इस बात में घिर गए कि प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, मगर सही मायने में हम इस देश में पीपल्स सेक्टर को भूल गए जो प्राइवेट भी नहीं और पब्लिक भी नहीं। इसको रिवाइव करने के लिए कोआपरेटिव का जो बिल लाया गया है और सही मायने में जो भारतीय व्यवस्था थी, जो मृतप्राय हो गई थी, उसको भारत में कृषि मंत्री महोदय और सरकार ने जीवित किया है। यह अलग बात है कि सहकारिता नीति अलग से बने, उस पर चर्चा हो, व्यापक नीति बने, व्यापक बहस छिड़े और जिन क्षेत्रों में सहकार नहीं गया है, वहां भी उसके लाभ दिखाई दें। यह बिल उस ओर बढ़ाया गया कदम है। इससे निश्चित तौर से समाज को लाभ होगा और जिन क्षेत्रों में शुरू से चल रहा है, आप जानते हैं कि जो बजट इस साल का आया, इसमें भी विलंब से ही सही, मगर सरकार की नजर किसानों की ओर गई है। दुनिया में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें हम सब कैसे सरवाइव करें। आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसमें अधिकांश मेनस्टे एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर में जो कोआपरेटिव हैं, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके आने से लाभ मिलेगा और जो कुछ बंदिशें थीं, जो सीमित थीं, जो दरवाजे हमने बंद रखे थे, उनको कुछ माध्यमों से खोला गया है और जो कोआपरेटिव माफिया थे जिसके कारण सारा सिस्टम जीर्ण-शीर्ण हो गया था, वह तो नहीं हो सकता है मगर इस पर हमला भी किया है। इसलिए इस बिल से जो आम लोगों की भागीदारी है, उसको भी एक गति मिलेगी और दिशा मिलेगी।

साथ-साथ हम चाहेंगे कि इस समय जो एन.डी.डी.बी. और अमूल का मॉडल है और हमारे देश के बाहर थाइलैन्ड में जो कोआपरेटिव का मॉडल खड़ा किया है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं।

सायं 07.00 बजे

उसके माध्यम से जो आज डिफरैंस है, उसको देखा जाए और मिटाया जाए। आज आन्ध्र प्रदेश में जो एक्ट है, वह इस एक्ट से ज्यादा एडवांस एक्ट है। कोआपरेटिव क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र में काफी तरक्की हुई है, लेकिन देश के शेष भागों में जिस प्रकार से कोआपरेटिव मूवमेंट दम तोड़ रहा है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। किसी देश में सहकारिता आन्दोलन के कारण बहुत तरक्की हुई है और किसी प्रदेश में बिलकुल तरक्की नहीं हुई है। इस प्रकार से देश में क्षेत्रीय असंतुलन बनता है। कहीं कोआपरेटिव के कारण कन्फ्रंटेशन न हो जाए, विषमता पैदा न हो जाए, राज्यों को कोआपरेटिव के लाभ समान रूप से पहुंच सकें, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं विशेष रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वीकर सैक्शन हैं, हैल्प सैल्फ ग्रुप हैं उनको और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को माइक्रो क्रैडिट सिस्टम के माध्यम से ऋण की सुविधा को हम कैसे आम जनता तक पहुंचा सकते हैं, यह अहम प्रश्न है। इस पर विचार किया जाना नितान्त आवश्यक है। कोआपरेटिव के माध्यम से समाज में पूंजी निर्माण के लिए, समाज में असैट फार्मेशन के लिए एक नई गति पैदा करें, ऐसी मेरी कामना है।

महोदय, जो वर्तमान नेतृत्व है और मंत्री महोदय का जो दृष्टिकोण है, उससे हमें लाभ मिलेगा और व्यापक फायदे होंगे जिससे निश्चित रूप से अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा और दुनिया में हम एक सार्थक भूमिका निभाएंगे। इसके फायदे हमें आने वाले समय में हमें मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और असम जैसे क्षेत्र जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं, उन्हें इसका लाभ मिले, ऐसा मेरी उम्मीद है और मैं यह आशा भी करता हूं कि सभी राज्यों को इसका समान लाभ मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, 6, मई, 2002 हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि तेरहवीं लोक सभा सर्वसम्मति से सरकार के सहयोग से एक विधेयक पारित करने वाली है जो,

माननीय मंत्री के शब्दों में, सहकारी सोसाइटियों को प्रतिबंधों और नौकारशाही नियंत्रण से निर्युक्त करता है। इसमें अट्ठानवे वर्ष लग गए हैं। 1904 से जब अग्रेजों द्वारा सेवा सहकारी सोसाइटियां बनाई गई थी तो भी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम था, इसके विकास में अठ्ठानवे वर्ष लग गए हम इसे पूरी तरह से निर्मुक्त नहीं कर रहे हैं बल्कि काफी हद तक कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री को स्थायी समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लेने के लिए बधाई देता हूं। मैं उनके पूर्ववर्ती मंत्री को पिछले वर्ष इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं जिसे श्री अजित सिंह द्वारा यहां लाया जा रहा है। यदि मैं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज वि. पाटील को बधाई नहीं दूंगा तो मेरे कर्त्तव्यपालन में कमी रह जाएगी जो स्थायी समिति वे उद्भव के लिए जिम्मेवार रहे थे। 45 सदस्यों वाली स्थायी समिति जिसमें दोनों सभाओं के डा. कुरियन, श्री एस.एस. सिसोदिया और कई अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों जैसे सदस्य थे, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2000 की समग्र दृष्टि से व्यापक छानबीन करके बहुमूल्य योगदान किया है। आज यह विधेयक इन्हीं प्रयासों का फल है।

एक बात मुझे स्पस्ट नहीं हो पायी है और मैं यह अपेक्षा करूंगा कि इसे माननीय मंत्री स्पष्ट करें। अत:, मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जोकि कार्यसूची पत्र में तीसरे स्थान पर है। जब आप "निर्मुक्त करने और लोकतांत्रिक कार्यकरण के नए दौर में प्रवेश करने" की बात कर रहे हैं तो आप हमारी 50 प्रतिशत जनसंख्या, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, जिनमें 42 प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाएं हैं को क्यों छोड़ रहे हैं? ये लगभग 57 प्रतिशत तक हैं। मैं एक संयुक्त समिति मे सम्बध हूं जिसने संविधान (चौहत्तरवां) संशोधन विधेयक, जिसे श्री शिवराज वि. पाटील ने सौंपा था, की जांच की थी।

जब तत्कालीन बहुमुखी और युवा प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करके इन्हें पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं को देना चाहते थे और जिला परिषदों और पंचायतों में महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अधिकार दिलाना चाहते थे, यह सरकार महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए विशेष उपबंध करने में संकोच क्यों कर रही है? माननीय महोदय, जब आप विपक्ष में थे तो आपने यही बातें बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की थी। यह सरकार उनके लिए विशेष उपबंध करने से क्यों इनकार कर रही है जब इस संसद - जो पिछले 50 वर्षों से अपने अस्तित्व में है और जो हम 13 मई, 2002 को मनाने जा रहे हैं—ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए विशेष उपबंध किए हैं, तो यह सरकार उन्हें ऐसे अवसर से क्यों इनकार कर रही है? मैं इस विषय पर माननीय मंत्री से स्पस्टीकरण चाहूंगा।

मैंने इस विषय पर एक संशोधन भी दिया है वह पृष्ठ संख्या 18 पंक्ति 17 पर है— '21' के स्थान पर मैंने '31' कहा है ताकि इसमें सभी क्षेत्र लाए जा सकें। पुन: पृष्ठ 18, पंक्ति 18 और 19 के स्थान पर "परन्तु यह और कि बोर्ड पहले परन्तुक में निर्धारित 31 निदेशकों के अलावा चार निदेशकों को सहयोजित कर सकेगा जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं में से होंगे" प्रतिस्थापित किया जाए। यह मेरी कल्पना नहीं है। यह बात स्थायी समिति के रहते प्रतिवेदन में कही गई है जिसे अगस्त, 2001 में संसद में प्रस्तुत किया गया था।

महोदय, अब मै अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि यदि मैं कुछ और कहूंगा तो वह मेरे प्रतिष्ठित सहयोगियों द्वारा कही गई बातों की पुनरावृत्ति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर समाज के निर्धन लोगों में आर्थिक विकास और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सहकारिता महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

महोदय, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसे संपूर्ण संसद, 13वीं लोक सभा सर्वसम्मति से पारित करने जा रही है। प्रबंधन क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ, श्री पीटर ड्क्कर, जिनकी पुस्तकें सभी प्रबंधन कालेजों में पढ़ी जाती हैं, ने कहा है कि प्रबंधन का सर्वोत्तम प्रतिपादक है—सामान्य भारतीय गृहिणी। यह बात के.पी. सिंह देव जी नहीं कह रहे हैं बल्कि यह बात तो श्री पीटर ड्क्कर ने कही है। इसलिए, यह सरकार भारतीय गृहिणी को इस अधिनियम में यह विशेष प्रावधान क्यों इंकार कर रही है? श्री कुरियन ने बताया है कि किस तरह गुजरात की गृहिणियों ने सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने कम्प्यूटरों के द्वारा अमुल को आज इस स्थिति में पहुंचाकर प्रशंसनीय कार्य किया है। अब यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिर्स्पधा कर रही है। डा. अलग ने भी बीमा क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र के बारे में बताया। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मुद्दे को स्पष्ट करेंगे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को यह विधेयक लाने के लिए भी बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2000 का ड्राफ्ट 14 नवम्बर 2000 को जब श्री नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री थे, तब बनाया गया था। इसके छ: महीने बाद श्री अजित सिंह कृषि मंत्री बने। क्योंकि ये कृषि में ज्यादा इंटरेस्ट

[श्री रामदास आठवले]

लेने वाले हैं, किसानों की समस्याएं जानने वाले हैं इसलिए शायद यह विधेयक आपके हाथों से इस हाउस में आया है। जो को-आपरेटिव मूवमैंट है, जब तक हम उस मूवमैंट को मजबूत नहीं करेंगे तब तक देश मजबूत नहीं हो सकेगा। किसान हो, खेत मजदूर हो या छोटे-छोटे गरीब लोग हों, अगर इनको इकनोमिकली, सोशियली डेवलप करना है तो को-आपरेटिव मूवमैंट को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए आज जो विधेयक लाया गया है, वह उनकी सामाजिक उन्नति और आर्थिक उन्नति के संवर्द्धन के बारे में विचार करता है। को-आपरेटिव संस्था एक राज्य में नहीं अनेक राज्यों में काम कर रही है। उनके मैम्बर दूसरे राज्यों में हैं, उनको स्ट्रैन्थन करने के लिए इस विधेयक का बहुत अच्छा उपयोग होने वाला है। मेरा सुझाव इतना ही है कि जब यह विधेयक यहां आया है, अपने देश के संविधान में ओ.बी. सी. को रिजर्वेशन नहीं मिला, मगर अनुसूचित जाति-जनजातियों को संविधान में रिजर्वेशन मिला और ओ.बी.सी. को मंडल कमीशन में रिजर्वेशन मिला है।

जब भी सरकार इस तरह का विधेयक लाती है तो इंडियन कौन्सटीट्यूशन की गाइडलाइन्स पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि कोआपरेटिव्ज को मजबूत बनाना है तो पहले नीचे के लोगों को मजबूत बनाने का संदर्भ होना चाहिए। श्री अजित सिंह जो विधेयक लाए हैं, उसमें एस.सी., एस.टीज को रिजर्वेशन देने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खडा हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि इसमें एस.सी., एस.टीज़ के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हम एक अमैंडमैंट भी लाए हैं कि इसमें 6 मैम्बर्स लेने की आवश्यकता है जिनमें से 3 अनुसूचित जाति, 1 या 2 मैम्बर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं में से लेने चाहिए।

जब हम कोआपरेटिव्ज को मजबूत करते हैं तब भ्रष्टाचार भी बढ़ता जाता है। डायरैक्टर्स फाल्स सर्टीफिकेट देकर वहां का ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं। ऐसा बहुत जगहों पर हो रहा है। जब हम कोआपरेटिव मूवमैंट को मजबूत करते हैं, कोआपरेटिव बैंक को मजबूत करते हैं लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार को भी मजबूत करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्ट लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी विधेयक में कुछ अमैंडमैंट लाने की आवश्यकता है। आपने 4 मैम्बर बताए हैं लेकिन 4 मैम्बर्स से काम चलने वाला नहीं है। इसका चेयरमैन मंत्री नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को मंत्री पद मिला हुआ है, वह इसका चेयरमैन क्यों बनेगा। इसमें 15 मैम्बर्स करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय रजिस्ट्रार के ऑफिस में 13 कर्मचारी बताए गए हैं। बेरोजगारी काफी बढ़ती जा रही है, इसलिए कम से कम 50 लोगों की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)* यदि ऑल इंडिया कोआपरेटिव मूवमैंट पर कंट्रोल रखना है तो उसमें 50-60 लोगों को रखने की आवश्यकता है।

इसमें चपरासी के बारे में लिखा गया है। मुझे लगता है कि चपरासी शब्द अच्छा नहीं लगता इसलिए चपरासी शब्द को बदल कर सेवक शब्द रखने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कोआपरेटिव ऐग्रीकल्चर का काम शुरू होना चाहिए। छोटे-छोटे सहकारियों को इकट्ठा करके कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा मदद करने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि आप जो यह बिल लाये हैं, यह बहुत अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने की आवश्यकता हैं। खाली कानून लाने से सब कुछ एकदम ठीक हो जायेगा, ऐसा नहीं है, इसलिए किस तरह से हम कंट्रोल रख सकते हैं, इसके बारे में भी सरकार को गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। यह बिल हिस्टोरिक है, मगर काम भी हिस्टोरिक होना चाहिए, नहीं तो बिल हिस्टोरिक और काम कुछ भी नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। आप मिनिस्ट्री को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। आप शायद उधर नहीं जाते तो आपको यह मिनिस्ट्री भी नहीं मिलती और नीतीशकुमार जी के हाथों से यह बिल आता। आप एक अच्छे मंत्री के माध्यम से यहां बोल रहे हैं।

मैं फिर से इस बिल का समर्थन करता हूं। जो भी एमेंडमेंट्स यहां पर आये हैं, उन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे, मैं यह आशा करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदय, आपने मुझे बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2000 के संबंध में इस बहस में भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

महोदय, खंड 1 के उप-खंड (2) में कहा गया है कि यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा। इसीलिए मैं इस अवसर पर इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

महोदय, यदि आप दंड प्रकिया संहिता को देंखे तो पायेंगे कि यह जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होगा। वह अधिनियम जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होगा। उस अधिनियम का विस्तार जम्मू और कश्मीर तक नहीं होगा। यदि आप भारतीय दंड संहिता को देखें तो पायेंगे कि इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर तक नहीं होगा। यदि आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखें तो पायेंगे कि इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर तक नहीं होगा। हमारा भारतीय संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता।

लेकिन यहां, यह बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक जम्मू और कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर लागू होगा।

महोदय, यह ऐसा विधेयक है जिसमें संपूर्ण भारत का एकीकरण किया गया है। हम सभी जानते हैं सहकारी सोसाइटियों का उद्देश्य निम्नलिखित सात सिद्धांतो पर आधारित है। एक है स्वैच्छिक और सभी के लिए सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक निश्चित प्रयोजनार्थ आता है और सदस्य बन जाता है। वह सोसाइटी का कार्य करता है और उसका लाभ भी प्राप्त करता है इससे सोसाइटी को भी लाभ मिलता है और समुदाय को भी। हमारे देश में कृषि सहकारी सोसाइटी श्रमिक सहकारी सोसाइटी आदि हैं। हमारे यहां अलग-अलग रूप में अलग-अलग सोसाइटी हैं।

महोदय, निहित स्वार्थों को हतोत्साहित करने के लिए, सहकारी सोसाइटियों के नियंत्रण हेतु सत्ता में बने रहने के लिए यह विधेयक एक स्वागत योग्य उपाय है। दो सेवा अवधि का निर्धारित कार्यकाल अथवा दो सेवा अवधियों के बाद कार्यकाल की समाप्ति स्वागतयोग्य उपाय है। उदाहरण स्वरूप मैं कहता हूं कि मेरे नेता डा. एम. जी. आर., जब वह मुख्य मंत्री थे, को दो विश्वविद्यालयों में संघ (सिंडिकेट) की सदस्यता के लिए दो सेवा अवधियों के लिए कार्यकाल निर्धारित करने हेतु विधेयक पारित करना पड़ा था क्योंकि वहां एक सदस्य लगभग आठ-नौ बार तक सिंडिकेट का लगातार सदस्य रह चुका था। इसीलिए निहित स्वार्थों की बात बीच में आ जाती है।

इसलिए, हमारी विविध शक्तियों को निहित स्वार्थों से विकेंद्रीकृत करने के लिए यह विधेयक स्वागतयोग्य उपाय है। फिर इसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से सदस्य के नियंत्रण की बात आती है। सोसाइटी पर प्रत्येक सदस्य का नियंत्रण होता है। इसलिए वहां सदस्यों की आर्थिक भागीदारी भी है। वे धन भी निवेश करते हैं। इसीलिए खंड 44 में मंत्री की शक्तियों को स्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि "बोर्ड का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा यदि ऐसा सदस्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में मंत्री हो।" इसलिए किसी भी मंत्री को चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सहकारी सोसाइटी के प्रेजीडेंट को चेक जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसीलिए एक मंत्री की कार्यकारी शक्तियां एक राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी के प्रेजीडेंट से कम होती हैं।

आप इस सभा के प्रति जवाबदेह हैं और सहकारी सोसाइटी का प्रेजीडेंट सदस्यों, समाज और समुदाय के प्रति जवाबदेह है।

अब मैं स्वायत्तता और इसके एक स्वतंत्र भाग की बात करता हूं। कोई भी न्यायालय सहकारी सोसाइटियों के मामले में अनुच्छेद 226 के आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसी भी न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार में शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। यह स्वतंत्र और स्वायत्त स्वरूप का है। रिट याचिका में सहकारी सोसाइटी के किसी भी आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। उप-रजिस्ट्रार अथवा जिला रजिस्ट्रार अथवा सहकारी सोसाइटी के सर्वोच्च अधिकारी के आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती।

इसके बाद, इस विधेयक में सामुदायिक सहकारी सोसाइटियों का काफी ध्यान रखा गया है। सदस्यों की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए ये सहकारी सोसाइटियां सदस्यों द्वारा स्वीकार्य नीतियों के माध्यम से समुदायों के सतत् विकास के लिए कार्य करती हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि यह विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। इसमें एक-दो खामियां हो सकती हैं लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह स्वागतयोग्य उपाय है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

जब मैं विधेयक की दूसरी अनुसूची देख रहा था तो मुझे इसमें तमिलनाडु अथवा चेन्नई की कोई राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी देखने को नहीं मिली। उस सूची में मुम्बई और दिल्ली शामिल हैं। तमिलनाडु सहकारी सोसाइटियों में अग्रणी है और यह बात हम सभी जानते हैं। हमारे यहां एक बड़ी सहकारी आवासीय सोसाइटी और एक बड़ा सहकारी बैंक है। इसलिए इसका विकास आनन्द डेयरी अथवा किसी अन्य सहकारी संगठन जैसी राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों के स्तर पर किया जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि यह सोसाइटी ही स्त्री-पुरुष, जाति धर्म आदि को ध्यान में रखे बिना ही सदस्य बना सकती है। इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो कहूंगा कि सहकारी सोसाइटियां समुदाय के साथ सहयोग कर रही हैं।

महोदय, आपने कहा है कि हमारे देश में बहुदलीय सरकार और बहुदलीय प्रणाली है। इससे पहले हमारे यहां एक दलीय शासन होता था लेकिन अब हमारे देश में अलग-अलग दल शासन कर रहे हैं। इसलिए सहकारी सोसाइटियां सरकार के लिए बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। उसी क्रम में सरकार समूचे देश के लाभ के लिए यह विधेयक लेकर आई है।

मैं सोसाइटियों में शिक्षा और सहयोग की बात पर आता हूं। सहकारी सोसाइटियों में भी सहयोग की भावना है जो किसी भी अन्य क्षेत्र में नहीं है। सभी विभिन्न सहकारी सोसाइटियां समान रूप से सहयोग कर रही हैं। कांचीपुरम में हमारी सबसे बड़ी बुनकर सोसाइटी है। हमारे यहां सबसे बड़ी आवासीय सोसाइटी भी है। हमारे यहां चेन्नई उच्च न्यायालय में वकीलों की एक छोटी सोसाइटी है। प्रत्येक सदस्य के पास कार्य करने के लिए अपनी-अपनी इकाई है। उस रूप में यह विधेयक सहकारी आंदोलन का विकास करने में सहायक होगा।

[श्री पी.एच. पांडियन]

यह विधेयक सहकारी आंदोलन को अपने सदस्यों की इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए सक्षम बनाएगा और उसकी रक्षा करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि प्रत्येक दल के माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि यह विधेयक इसलिए लाया गया है चूंकि अधिकांश राजनैतिक दल ऐसा चाहते थे। कई सहकारी सोसाइटियों के सदस्य भी यह विधेयक चाहते थे। वस्तुत: इसमें काफी विलंब हो चुका है, इसे काफी पहले ही पारित कर दिया जाना चाहिए था।

मुझे खुशी है कि इस सत्र में यह विधेयक पारित होने जा रहा है। यह सत्र इस कारण से ऐतिहासिक होगा क्योंकि इसमें यह विधेयक पारित होने जा रहा है।

इसके अलावा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति उसके बाद मिर्धा समिति और फिर स्थायी समिति ने इस विधेयक पर विचार किया था। इसलिए बहुत कम विवादास्पद मुद्दे बचे हैं, उनमें से अधिकांश मुद्दों का समाधान कर लिया गया है।

सायं 7.24 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

सभी सदस्यों ने इसका हार्दिक समर्थन किया, इसका एक कारण यह भी है। लेकिन इस संबंध में कुछ आशंकाएं और प्रश्न पूछे गए हैं। मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा।

श्री शिवराज पाटील ने चर्चा शुरू की और कई प्रश्न पूछे। अधिकांश सदस्यों ने वही प्रश्न और कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे। पहला प्रश्न यह है। मैं श्री पाटील जी की इस गलतफहमी को दूर करना चाहूंगा कि एक ही उद्देश्य वाली और एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एक से ज्यादा सहकारी सोसाइटियां नही हो सकतीं। उस खंड का लोप कर दिया गया है अब एक ही क्षेत्र में एक ही उद्देश्य वाली एक से अधिक सहकारी सोसाइटियां बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वस्तुत: हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सहकारी सोसाइटियां बनें। वस्तुत: मैं यह बता दूं कि सरकार ने दुग्ध आरक्षण आदेश भी समाप्त कर दिया है ताकि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में और अधिक दुग्ध सहकारी सोसाइटियां कार्य कर सकें।

श्री शिवराज पाटील और कुछ अन्य सदस्यों ने बीमा सहकारी सोसाइटियों और सहकारी बैंकों के बारे में प्रश्न पूछा था। प्रस्तावित विधेयक के अतंर्गत सरकार के केन्द्रीय रजिस्ट्रार का नियन्त्रण केवल सोसाइटी आदि के पंजीकरण तक सीमित है। द्वैत नियंत्रण के बारे में प्रश्न पूछा गया था। इसलिए सहकारी बैंकों के मामले में रजिस्ट्रार के प्राधिकार, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, चुनाव लेखापरीक्षा तथा बैठकें आदि तक ही सीमित हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत सभी वित्तीय संचालन, बैंकिंग संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाते हैं। बहुराज्य सहकारी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को कतिपय शक्तियां भी दी गई हैं अर्थात् वह निदेशक मंडल के एकीकरण, विभाजन, तथा प्रतिबंध लगाने का निदेश दे सकता है। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम तथा बहुराज्य सहकारी अधिनियम दोनों के अंतर्गत सहकारी बैंकों को विनियमित करने की प्रर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए यह आशंका सहकारी बैंक ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) **:** बहुराज्य सहकारी बैंकों को इन दोनों अधिनियम के अंतर्गत नहीं रखा जाना चाहिए...(व्यवधान) हमने अभी-अभी उत्सुकता व्यक्त की है उन्हें सफल होना चाहिए।

श्री अजित सिंह : मैं जानता हूं। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। चाहे सहकारी बैंक हों अथवा अनुसूचित बैंक, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य करना होता है। अत:, रजिस्ट्रार की कार्यवाही अथवा नियंत्रण अत्यधिक सीमित है क्योंकि वे सहकारी सोसाइटी हैं। चूंकि वे बैंक हैं इसलिए वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाते हैं। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

श्री खारबेल स्वाइं : लेकिन भारतीय रिजर्व का कहना है कि केवल नीति संबंधी निर्णय लेने के अतिरिक्त उन्हें कोई शक्ति प्राप्त नहीं हैं।

श्री अजित सिंह : जी हां, बहुराज्य सहकारी बीमा सोसाइटियों के संबंध में माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटिल ने कहा है कि इसकी जांच करने हेतु सहकारी सोसाइटियों के पास काफी गुंजाइश हैं। इसलिए, बीमा विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद बीमा सोसाइटियों को सहकारी बीमा सोसाइटियों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। विधेयक अभी भी लंबित है। इस समय सहकारी सोसाइटियों को बीमा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बीमा कार्य करने की अनुमति नहीं है।

वस्तुत: अनेक बहुराज्य सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं। इनमें से 31 बैंक शहरी सहकारी बैंक हैं और गोवा में भी एक राज्य सहकारी बैंक है जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत आता है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : पश्चिमी देशों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा बीमा कम्पनियों के रूप में सफलतापूर्वक कार्य करने के अनेक उदाहरण सामने आए हैं।

श्री अजित सिंह : बीमा अधिनियम के अंतर्गत वे बीमा सहकारी सोसाइटियों के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। इस विधेयक के पारित होने के बाद ही उन्हें सहकारी सोसाइटियों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। शायद वे सोसाइटियों के रूप में पंजीकृत हों।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में पूछा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का आशय सहकारी सोसाइटियों को स्वतंत्रता प्रदान करना है। चूंकि सदस्य एक साथ मिलकर निदेशक मंडल के स्वरूप का निर्णय लेते हैं इसलिए सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधन में प्रतिनिधित्व के संबंध में दिखावटी प्रतिबंध वांछनीय नहीं होंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनेक बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां संस्थान आधारित होगी न कि व्यक्तिगत आधारित। यदि आप इसमें आरक्षण की व्यवस्था करते हैं तो उनमें अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा महिलाएं अध्यक्ष अथवा प्रधान पद पर अपेक्षित संख्या में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां आरक्षण करना इतना आसान नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ब्रह्म प्रकाश समिति ने सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश नहीं की थी। ये केवल महिलाओं अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहकारी सोसाइटी हो सकती हैं। वस्तुत: यहां अनेक महिला स्वसहायता समूह बन रहे हैं जिनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती है और वे सहकारी सोसाइटी बन जाते हैं। इसलिए, उन पर किसी तरह का नियंत्रण रखना तथा उनसे यह पूछना कि उन्हें किस तरह के निदेशक चाहिए, उचित नहीं होगा। हम उन्हें रोक नहीं रहे हैं। किसी भी सहकारी सोसाइटी के उपनियम हो सकते हैं और वे अपनी इच्छानुसार किसी भी तरह के आरक्षण का उपबंध कर सकते हैं। हम तो केवल यह कह रहे हैं कि हम यह बात उन पर थोप नहीं रहे हैं। लेकिन यदि सहकारी सोसाइटी गठित की जाती है और वे आरक्षण करना चाहते हैं तो उनके उपनियम इसका उल्लेख कर सकते हैं और वे आरक्षण कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डां. रघुवंश प्रसाद सिंह : स्टैंडिंग कमेटी ने रिजर्वेशन के लिए अनुशंसा की है, आप क्यों स्टैंडिंग कमेटी की अनुशंसा को न मानने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं।

श्री अजित सिंह : रघुवंश प्रसाद जो, हम जिद पर नहीं अड़े हुए हैं। मैंने आपको एक तो प्रेक्टिकल समस्या यह बताई कि जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड मल्टी-स्टेट कोआपरेटिव्स हैं, जो फेडरेशन यहां पर अपेक्स बॉडी हैं, जिसकी मल्टी-स्टेट कोआपरेटिव है, उसके जो मेम्बर्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें वोट उसके चेयरमैन का यहां पर होना है। अगर उसमें रिजर्वेशन नहीं है तो यहां रिजर्वेशन आप कैसे एनफोर्स करेंगे, एक तो यह प्रेक्टिकल प्रोबलम है। दूसरी यह है कि हम उन्हें मना नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सहकारी सोसाइटी का अर्थ है कि लोग एक साथ मिलकर निर्णय लें कि वे क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं तथा किस तरह का प्रबंधन वे चाहते हैं। यदि आप किसी तरह का सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते हैं और यदि हम किसी तरह का सरकारी नियंत्रण रखना नहीं चाहते हैं तो उन्हें निर्णय लेने दीजिए। यदि वे सहकारी सोसाइटी अथवा कोई अन्य विशेष सामाजिक समूह अथवा अन्य आर्थिक समूह गठित करते हैं तो उन्हें उपनियमों में उल्लेख करने दीजिए कि वे महिलाओं अथवा अन्य पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण चाहते हैं। वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए हम उन पर आरक्षण नहीं थोप रहे हैं। इसके अतिरिक्त गांव में कुछ छोटी सहकारी सोसाइटियां बनाई जा सकती हैं जिनमें अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व न हो। हम उन पर यह बात क्यों थोपना चाहते हैं कि उन्हें आरक्षण करना ही होगा? जैसाकि मैंने कहा कि ऐसी भी सहकारी सोसाइटियां हो सकती हैं जिनमें सिर्फ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ही लोग हों। इसलिए लोग कतिपय प्रयोजन और उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं। हम चाहते हैं कि वे स्वयं निर्णय करें कि उन्हें किस तरह की सदस्यता तथा प्रबंधन रखेंगे। यही एक कारण है। जैसाकि मैंने कहा कि वे उपनियमों में आरक्षण करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे दो सदस्य चुन सकते हैं और यदि निदेशक निर्णय करें तो वे इनमें से किसी को निदेशक के रूप में चुन सकते हैं।

श्री के.एच. मुनियप्पा : यदि एक तिहाई नामांकन राज्य अथवा केन्द्र से होता है तो सहकारी सोसाइटियों का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा।

श्री अजित सिंह : मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं क्योंकि यह मुद्दा माननीय श्री देवगौड़ा ने भी उठाया था। यह आशंका थी कि इससे सरकारी निदेशकों की संख्या बढ़ जाएगी। विधेयक के उपबंध के अनुसार यहां अधिकतम सरकारी निदेशकों की संख्या तीन अथवा निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई जो भी कम हो सकती है। यदि इसमें सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से अधिक है तो इसके

[श्री अजित सिंह]

हितों का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा नामनिर्दिस्ट निदेशन करेंगे। ऐसे मामलों में भी इनकी अधिकतम संख्या तीन है। यदि इनमें सरकार की शेयरधारिता 26 प्रतिशत और 51 प्रतिशत है तो निदेशकों की अधिकतम संख्या दो होगी और यदि यह शेयरधारिता 26 प्रतिशत से कम होगी तो वहां केवल एक नामित निदेशक हो सकता है। फिर भी इनकी संख्या, निदेशकों की कुल संख्या की एक तिहाई संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। यदि यहां छह निदेशक हैं और सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत है तो भी वहां दो निदेशकों से अधिक निदेशक नहीं रह सकते हैं। इसलिए यह आशंका कि सरकार द्वारा नामित निदेशकों का प्रभुत्व हो सकता है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। लेकिन सरकार की इसमें कोई भी शेयरधारिता तो उसके हितों का किसी अन्य को प्रतिनिधित्व करना होगा और इसलिए विधेयक में सरकार द्वारा नामनिर्दिस्ट निदेशकों को शामिल करने का उपबंध है।

यह भी उल्लेख किया गया था कि हमें संविधान में बदलाव करना चाहिए ताकि यह कानून सब जगह लागू हो सके। हम रज़ामंदी से ऐसा करना चाहते हैं।

हाल ही में मंत्रियों के समूह की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सात मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया था। वे काफी उत्साहित थे। सहकारी सोसाइटी से संबंधित कानून में बदलाव करने का उनका विरोध समाप्त होता दिख रहा था। कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि ब्रह्म प्रकाश मॉडल कानून को कहीं भी नहीं बनाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम चार राज्य आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा कर्नाटक ने कानून बनाया है। मैं बिहार को भी शुभकामना देना चाहता हूं जिसका सहकारी सोसाइटी संबंधी कानून बहुत अच्छा है। इस तरह ये राज्य सहकारी सोसाइटी संबंधी कानून पहले ही बना चुके हैं। हम अन्य राज्यों से ऐसा करने का अनुरोध करेंगे और उन्हें राजी करेंगे। इतने सारे राज्य ऐसा कर रहे हैं इसलिए मुझे विश्वास है कि रक्षामंत्री यह कानून बनवाने का बेहतर तरीका है। यदि आप इस प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो इसकी यहां चर्चा न करके अलग मंच पर चर्चा की जाए।

हमारे पास पहले से ही सहकारी सोसाइटी संबंधी राष्ट्रीय नीति है जिसे सभापटल पर रखा गया है और एक कार्य बल का गठन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस नाति को किस तरह किर्यान्वित किया जाये और यह भी कि राज्य इस मॉडल कानून को कियान्वित करें।

यह जानने हेतु कुछ प्रश्न पूछे गए थे कि सरकार द्वारा नामित व्यक्ति सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष हो सकता है अथवा नहीं। श्री देवगौंडा ने यह प्रश्न उठाया था। इस पर कोई रोक नहीं है। चूंकि वे सदैव अल्पसंख्या में होते हैं इसलिए इस बात का कोई खतरा नहीं है कि सरकार अपना सभापति उन पर थोप पाएगी। अध्यक्ष के कर्त्तव्य परिभाषित नहीं हैं क्योंकि यह निर्णय लेना निदेशकों अथवा निर्णय लने वाले निकाय पर निर्भर करता है कि वे अध्यक्ष को मौन से मृत्यों की अनुमति देते हैं अथवा उन्हें क्या शक्तियां प्रदान करेंगे और उन्हें क्या निदेश देंगे। यह निर्णय करना प्रबंधन निकाय का काम है कि वे अध्यक्ष को कौन से विशिष्ट कार्य अथवा शक्तियां देना चाहते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को चिंता थी कि सरकार सहकारी सोसाइटियों को सीधे धनराशि क्यों नहीं देती है और राज्य को हस्तक्षेप क्यों करने दिया जाता है। एन.सी.डी.सी. के संशोधन का काम अभी भी लंबित है। जब इसमें संशोधन हो जाएगा तो उनके द्वारा पूछे गए अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और एन.सी.डी.सी. सहकारी सोसाइटियों को सीधे धनराशि दे पाएगा जिसमें राज्य मध्यस्थ नहीं होगा।

सदस्य की निरर्हता के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ ने इनकी सराहना की है तो कुछ इसके विपक्ष में हैं। लेकिन सच यह है कि आज भारत में सहकारी सोसाइटी के साथ समस्या यह है इसके अनेक सदस्यों को पता ही नहीं है वे सदस्य हैं। जैसाकि शिवराज पाटील ने कहा कि उनका फायदा उठाया जा रहा है। उन्हें सदस्य बना दिया जाता है लेकिन वे सहकारी सोसाइटियों के क्रियाकलापों में भाग नहीं लेते जिससे सहकारी सोसाइटियों में हर तरह का कदाचार फैल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि कोई सदस्य आम सभा की लगातार तीन बैठकों में भाग नहीं लेता अथवा सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों की सहायता करने के इसके उद्देश्य को पूरा नहीं करता अथवा वह सहकारी सोसाइटियों के न्यूनतम 2 वर्ष के सेवाकाल में उपयोगी कार्य नहीं करता है तो उसे सदस्य के रूप में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। ये सदस्य सहकारी सोसाइटियों में सभी तरह के कदाचारों को सुगम बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वे सदस्य हैं। यदि उन्हें यह पता भी हो तो भी वे नहीं जानते कि सदस्य बने रहने के लिए उन्हें क्या करना है और उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य क्या है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सहकारी सोसाइटियां उचित रूप से कार्य करें। जो लोग समितियों की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं उन्हें पता होता है कि वे किस प्रयोजन के लिए इकट्ठा हुए हैं तथा यदि वे सहकारी समितियों के कार्यकरण में भाग नहीं ले सकते तो उनका इन समितियों का सदस्य बने रहने का कोई मतलब नहीं है।

हम लिमिटेड कम्पनी नहीं चाहते, जहां सिर्फ शेयरधारक होते हैं, वे कम्पनी के कार्यकरण में सक्रिय भागीदार नहीं होते। नहीं तो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी और सहकारी समिति में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसी वजह से निरर्हता का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष के लिए अधिकतम दो लगातार कार्यकाल नियत किये गये हैं क्योंकि 1984 के अधिनियम में यह प्रावधान था। मुख्यमंत्रियों की अनुशंसा के आधार पर ऐसा किया गया है। यहां एक बैठक भी आयोजित की गयी थी तथा उन्होंने इस प्रावधान की अनुशंसा की। पहले एक कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षों का हुआ करता था। अब हमने इसे बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया है। इस प्रकार, कोई अध्यक्ष दस वर्षों तक अपने पद पर बना रह सकता है तथा सरकार यह महसूस करती है कि यह किसी भी अध्यक्ष के लिए सहकारी समितियों को अपनी इच्छानुसार संचालित करने के लिए पर्याप्त समय है।

एक अवधि के लिए परिवर्तन करने तथा क्रमभंग करने से भी नयी सोच का आविर्भाव होगा और अन्य लोगों को मौका मिलेगा। इससे ऐसे संगठन को सहायता मिलती है जो नयी सोच और युवा वर्ग को लाना चाहता हो। किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका दुरूपयोग नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि इस प्रावधान को बनाए रखा गया है। यह प्रावधान 1984 के अधिनियम में था। इसे मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की बैठक के सुझावों में भी रखा गया था। जैसा कि मैंने बताया अधिकतम समय छः सालों से, दस साल रखा गया है। तथा हम महसूस करते हैं कि दस साल का समय किसी भी व्यक्ति के लिए सहकारी समिति को अपने इच्छानुसार संचालित करने तथा समिति के सदस्यों हेतु वांछित उद्देश्यों का प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है।

निरर्हता का प्रावधान किया गया है। हम पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं। अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि निदेशकों की संख्या बढ़ाने के संबंध में एक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। प्रभावी प्रबंधन के लिए निदेशकों की संख्या कम होनी चाहिए। यदि निदेशक काफी बड़ी संख्या में हो और सभी शक्तियां अध्यक्ष में निहित कर सके तो वे निष्प्रभावी हो जाते हैं। वस्तुतः, मात्र छोटा ग्रुप ही सही रूप से विषयों पर चर्चा कर सकता है और प्रबंधन में भाग ले सकता है यदि आप निदेशकों की संख्या काफी अधिक कर देते हैं तो वे सच्चे अर्थ में, किसी भी ग्रुप का प्रबंधन करने में प्रभावी सिद्ध नहीं होंगे। हम महसूस करते हैं कि 21 की संख्या न ही काफी छोटी है और न ही काफी बड़ी। इसी वजह से, निदेशकों की यह संख्या रखी गयी है। इसीलिए, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि जब उनके संशोधन का प्रस्ताव करने का समय आये, तो वे उसे वापस ले लें।

जहां तक विनियुक्ति का सवाल है, हमने पहले ही विनियुक्ति के लिए प्रावधान किया है। बुनियादी रूप से, तकनीकी दक्षता प्राप्त करने के लिए दो सदस्यों की विनियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनेक इन छोटी सहकारी समितियो में, निदेशकों के पास तकनीकी व प्रबंधन संबंधी दक्षता नहीं होती। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि वे कैसे दो सदस्यों को विनियुक्त कर सकते हैं जो सहकारी समितियों के कार्यकरण में तकनीकी योगदान दे सकें।

मैं एक बार पुनः उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। थोड़े मतभेद रहे हैं। परन्तु इस समय, मैं अनुरोध करता हूं कि एक अपेक्षाकृत बड़े उद्देश्य के लिए इस विधेयक को पारित किया जाए। इस विधेयक को पारित होने में पहले ही दिनों अथवा महीनों की नही बल्कि कई सालों की देरी हो चुकी है। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने पूछा कि इसे 1991 से ही अधिनियमित क्यों नहीं किया गया। परन्तु अब हमें किसी भी कारण से इसमें और देर नहीं करनी चाहिए। दूसरों पर यह आरोप लगाने का कोई अर्थ नहीं है कि इसमें देरी क्यों हुई तथा कौन-सी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी अथवा बहुदलीय सरकार इसमें देर कर रही थी। गत दस वर्षों में अनेक सरकारों ने इसे पारित करने में विलम्ब किया है। परन्तु हमें इसमें और देर नहीं करनी चाहिए। यह ठीक बात नहीं होगी। स्थायी समिति की बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। ब्रह्म प्रकाश समिति ने जो उद्देश्य रखा था उसे विधेयक में शामिल कर लिया गया है। यही कारण है कि इस विधेयक को यहां पेश किया गया है अब मैं अनुरोध करता हूं.....

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : इसको जल्दी से जल्दी पास कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अजित सिंह : मेरे सहयोगी ने शेष कार्य कर लिया है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, हमारा जो अमेंडमेंट है कि...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब आप अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे तब आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जब वोट हो जायेगा, पास ही नहीं होगा....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप पहले ही चर्चा में भाग ले चुके हैं।

श्री अजित सिंह : महोदय, मैं सभी सवालों का जवाब दे चुका हूं।....(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने भी जवाब दे दिया है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, चौ. ब्रह्म प्रकाश कमेटी ने रिकमैंड नहीं किया, स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमैंड नहीं किया और न राम निवास मिर्धा कमेटी ने रिकमेंड किया। दो टर्म्स से ज्यादा नहीं रहने के लिये किसी ने नहीं कहा। औरिजिनल बिल में भी नहीं है। बाद में अमेंडमेंट लाये हैं। इसके अंत में उनके अमेंडमेंट को खत्म करने के लिए हमारा सुझाव यह था कि रूल में यह प्रावधान होता कि.

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इस बात को पहले ही बता चुके हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, काम ठीक नहीं होगा। दो टर्म्स में बंधन हो जायेगा और कोई अच्छा काम नहीं हो सकेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वयं सेवा और परस्पर सहायता पर आधारित जन-संस्थाओं के रूप में सहकारिताओं की स्वैच्छिक विरचना और लोकतांत्रिक कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए और उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के संवर्धन में उन्हें समर्थ करने के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए ऐसी सहकारी सोसाइटियों से, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो एक से अधिक राज्यों में सदस्यों का हितसाधन कर रही हैं, संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

संशोधन किए गए : परिभाषाएं

पृष्ठ 2,-

पंक्ति 13 और 14 का लोप किया जाए। (4)

पृष्ठ 2,-

पंक्ति 24 और 25 का लोप किया जाए। (5)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड-7

संशोधन किया गया : रजिस्ट्रीकरण

पृष्ठ 4,

पंक्ति 36 और 37 का लोप किया जाए। (6)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 40 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 41

निदेशक बोर्ड

सभापति महोदय : श्री के.पी. सिंह देव, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री के.पी. सिंह देव : हां, मैं संशोधनों को प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, में प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 17, पंक्ति 10,-

"इक्कीस" *के स्थान पर*

"इकतीस" *प्रतिस्थापित किया जाए।* (37)

पृष्ठ 17,-

पंक्ति 11 और 12 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाए* :

"परन्तु यह और कि बोर्ड, पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट इकतीस निदेशकों के अतिरिक्त चार निदेशक, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं में से होंगे, सहयोजित कर सकेगा।" (38)

सभापति महोदय : अब मैं श्री के.पी. सिंह देव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 और 38 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 37 और 38 मतदान के लिए
रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले, क्या आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री रामदास आठवले : हां, मैं संशोधन को प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 17, पंक्ति 10,

"इक्कीस" *के स्थान पर*

"तैंतीस" *प्रतिस्थापित किया जाए।* (39)

पृष्ठ 17,-

पंक्ति 11 और 12 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाए* :

"परन्तु यह और कि बोर्ड, पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट तैंतीस निदेशकों के अतिरिक्त 6 निदेशक, जिनमें से 3 अनुसूचित जातियों में से और एक-एक अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं में से होंगे, सहयोजित कर सकेगा।" (40)

सभापति महोदय : अब मैं श्री रामदास आठवले द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 और 40 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 39 और 40 मतदान के लिए
रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 41 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 41 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 42 और 43 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 44

कतिपय परिस्थितियों में अध्यक्ष या प्रधान या उपाध्यक्ष या उपप्रधान का पद धारण करने का निषेध।

सभापति महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हां, मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

[हिन्दी]

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि श्री अजित सिंह द्वारा प्रस्तावित तथा संशोधन की सूची संख्या 1 के क्रमांक 7 में मुद्रित संशोधन में :-

"(2) बोर्ड का कोई सदस्य किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष या प्रधान के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने इस रूप में लगातार दो अवधियों के दौरान, चाहे सम्पूर्ण या भागरूप में, पदधारण किया है:

का लोप किया जाए। (36)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 36 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 36 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 18,-

पंक्ति 27 से 29 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाए—*

"कतिपय परिस्थितियों में अध्यक्ष या प्रधान या उपाध्यक्ष या उप प्रधान का पद धारण करने का निषेध।

44. (1) बोर्ड का कोई सदस्य किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष या प्रधान या उपाध्यक्ष या उप प्रधान के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा यदि ऐसा सदस्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में मंत्री हो।

(2) बोर्ड का कोई सदस्य किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष या प्रधान के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने इस रूप में लगातार दो अवधियों के दौरान, चाहे संपूर्ण या भागरूप में, पद धारण किया है:

परंतु ऐसा सदस्य जिसने लगातार एक संपूर्ण अवधि के लिए अध्यक्ष या प्रधान का पद धारण नहीं किया है, इस रूप में उस पद के निर्वाचन के लिए पुनः पात्र होगा।

स्पष्टीकरण:— जहां इस अधिनियम के प्रारंभ पर अध्यक्ष या प्रधान का पद धारण करने वाला कोई सदस्य ऐसे प्रारंभ के पश्चात् उस पद पर पुनः निर्वाचित हुआ है, वहां उसके द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसे निर्वाचन से पूर्व एक अवधि के लिए पद धारण किया हुआ माना जाएगा।" (7)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 44, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 44, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 45 से 69 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 70

संशोधन किया गया **संपरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक**

पृष्ठ 26, पंक्ति 11 और 12 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए—

"परंतु ऐसा/ऐसे संपरीक्षक केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल से या बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा तैयार किए गए संपरीक्षकों के पैनल से, यदि कोई है, नियुक्त किया जाएगा/किए जाएंगे।" (8)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 70, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 70, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 71 से 77 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 78

संशोधन किए गए : **केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा जांच**

पृष्ठ 30, पंक्ति 19,—

"एक बटा दस" *के स्थान पर* "एक बटा पांच" *प्रतिस्थापित किया जाए,—*

पृष्ठ 30, पंक्ति 21 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए,— (9)

"परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई जांच तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि सम्बद्ध बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी को कम-से-कम 15 दिन की सूचना न दे दी गयी हो।" (10)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 78, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 78, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 79

संशोधन किए गए : बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों का निरीक्षण

पृष्ठ 31, पंक्ति 3,—

''एक बटा दस'' *के स्थान पर* ''एक बटा पांच'' *प्रतिस्थापित किया जाए।* (11)

पृष्ठ 31, पंक्ति 5,—

''जांच करने का'' *के स्थान पर* ''निरीक्षण करने का'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (12)

पृष्ठ 31, पंक्ति 5 *के पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए,—

''परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई निरीक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी को कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना न दे दी गई हो।'' (13)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 79, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 79, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 80 से 83 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 84

संशोधन किए गए : विवादों का निर्देश

पृष्ठ 32, पंक्ति 36,—

''प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा'' *के स्थान पर* 'मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा'' *प्रतिस्थापित* किया जाए।'' (14)

पृष्ठ 33, पंक्ति 6,—

''प्राधिकारी को निर्दिष्ट'' *के स्थान पर* ''मध्यस्थ को निर्दिष्ट'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (15)

पृष्ठ 33, पंक्ति 7 और 8,—

''प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और प्राधिकारी'' *के स्थान पर* ''मध्यस्थ का विनिश्चय अंतिम होगा और मध्यस्थ को'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (16)

पृष्ठ 33, पंक्ति 8 *के पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाये,—

''(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई विवाद माध्यस्थम को निर्दिष्ट किया गया है, वहां उसे केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ द्वारा निपटाया जाएगा या विनिश्चित किया जाएगा।

1996 का 26 (5) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन सभी माध्यस्थम् को इस प्रकार लागू होंगे मानो माध्यस्थम् के लिए कार्यवाहियां माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन समझौते या विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट की गई है।'' (17)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 84, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 84, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 85 से 102

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''खड 85 से 102 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : चूंकि खंड 85 से 102 विधेयक से हटा दिए गए, अतएव तदनुसार अगले खंडों का क्रमांकन पुन: किया जाए।

खंड 103

संशोधित किए गए : परिसीमा

पृष्ठ 37, पंक्ति 2,—

''सहकारी विवाद समझौता प्राधिकरण को निर्दिष्ट'' *के स्थान पर* ''माध्यस्थम को निर्दिष्ट'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (18)

पृष्ठ 37, पंक्ति 14,—

"प्राधिकरण को निर्दिष्ट" के *स्थान* पर "माध्यस्थम् को निर्दिष्ट" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (19)

पृष्ठ 37, पंक्ति 15,—

"सहकारी विवाद समझौता कार्यकरण" के *स्थान* पर "मध्यस्थ" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (20)

पृष्ठ 37, पंक्ति 16 और 17,—

"सहकारी विवाद समझौता प्राधिकरण" के *स्थान* पर "मध्यस्थ" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (21)

पृष्ठ 37, पंक्ति 17 और 18,—

"सहकारी विवाद समझौता प्राधिकरण" के *स्थान* पर "मध्यस्थ" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (22)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 103, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 103, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 104 से 111 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 112

संशोधित किए गए : विनिश्चयों आदि का निष्पादन

पृष्ठ 40, पंक्ति 10,—

"या प्राधिकारी या उनके" के *स्थान* पर "या उसके" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (23)

पृष्ठ 40, पंक्ति 17,—

"या प्राधिकारी" का *लोप* किया जाए। (24)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 112, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 112, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 113 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 114

संशोधन किए गए : अधिनिर्णय के पूर्व कुर्की

पृष्ठ 40, पंक्ति 27,—

"प्राधिकरण" के *स्थान* पर "मध्यस्थ" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (25)

पृष्ठ 40, पंक्ति 32,—

"प्राधिकरण" के *स्थान* पर "मध्यस्थ" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (26)

(श्री अजीत सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 114, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 114, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 115

संशोधन किए गए : केन्द्रीय रजिस्ट्रार या प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का कुछ प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय होना।

पृष्ठ 41,—

पंक्ति 1 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए—

"115. केन्द्रीय रजिस्ट्रार या मध्यस्थ या इस निमित्त उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जब"। (27)

यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता। (28)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 115, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 115, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 116, से 135 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 136

संशोधन किए गए : संरक्षण

यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता। (29)

यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता। (30)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 136 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 136 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 137 से 140 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 141

संशोधन किए गए : विनिर्दिष्ट बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का अधिक्रमण।

पृष्ठ 48, पंक्ति 22,—

"141" के *स्थान* पर "140" *प्रतिस्थापित* किया जाए।(31)

पृष्ठ 48, पंक्ति 26,—

"एक वर्ष" के *स्थान* पर "छह मास" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (32)

पृष्ठ 48, पंक्ति 28,—

"दो वर्ष" के *स्थान* पर "एक वर्ष" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (33)

पृष्ठ 48,—

पंक्ति 28 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए—

"परन्तु सहकारी बैंक के मामले में, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे गए हों।" (34)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 141, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 141, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 142

संशोधन किया गया : नियम बनाने की शक्ति

यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नही होता। (35)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 142 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 142 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

"खंड 143 और 144 विधेयक में जोड़ दिये गये।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयीं।

खंड 1

संशोधन किया गया : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"2000" के *स्थान* पर "2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (3)

(श्री अजित सिंह)

रात्रि 8.00 बजे

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

''इक्यावनवें वर्ष'' के *स्थान* पर ''तिरपनवें वर्ष'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम

संशोधन किया गया :

कि विधेयक के पूरे नाम में,—

''सामाजिक उन्नति के संवर्धन में उन्हें समर्थ करने के लिए'' के *स्थान पर* ''सामाजिक उन्नति के संवर्धन में उन्हें समर्थ करने के लिए और कार्यात्मक स्वात्तता प्रदान करने के लिए'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (1)

(श्री अजित सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक का पूरा नाम, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री अजित सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब, क्या हम चर्चा हेतु मद संख्या 12 को लें?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : सभापति महोदय, विपक्ष ने इस विधेयक को आज ही पारित करने में हमारा सहयोग किया है। इसलिए, मैं यह निर्णय उनके ऊपर छोड़ता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील : सभापति महोदय, हम इसे चर्चा हेतु कल ले सकते हैं।

सभापति महोदय : बिल्कुल ठीक है। हम इस पर कल चर्चा करेंगे।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 7 मई, 2002/ 17 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/25/31/2002 (एन०)

280

©2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।